एकादश माला, खंड 10, अंक 15

गुरुवार, 13 मार्च, 1997
22 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(भाग-एक)
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वंदना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जावेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जावेगा।)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 13 मार्च, 1997/22 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि पत्र

कालम/पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (ii)	11	नारायण अठावले	नारायण आठवले
276	25		
1	नीचे से 8	= 61	= 261
25	5	= 66	= 266
137	नीचे से 6	आवेदन	ओवन
274	20	मनोज कुमार सिन्ह	मनोज कुमार सिन्हा

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 10, चौथा सत्र (भाग-एक) 1997/1918 (शक)
अंक 15, गुरुवार, 13 मार्च, 1997/22 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	261 से 266	1-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	267 से 280	28-42
अतारांकित प्रश्न संख्या	2875 से 3104	42-240
दिल्ली से राजकोट और अहमदाबाद हेतु विमान सेवा के बारे में 5 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1942 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		241
सभा पटल पर रखे गए पत्र		242-245
राज्य सभा से सन्देश		245
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
दूसरा प्रतिवेदन - *प्रस्तुत*		246
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति		
चालीसवां, इकतालीसवां और बयालीसवां प्रतिवेदन - *सभा पटल पर रखे गए*		246
लम्बी दूरी के हवाई जहाज के बारे में 21 नवम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		246-247
कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		
विचार करने के लिए प्रस्ताव - *स्वीकृत*		247-257
विधेयक - *पुरःस्थापित*		
(एक) विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1997		272-273
(दो) आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1997		273
विद्युत-विधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण - *सभा पटल पर रखा गया*		272-273
आय-कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण - *सभा पटल पर रखा गया*		273
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल वासियों के लिए निकटवर्ती वनों से घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी आदि की सुविधा बहाल किए जाने की आवश्यकता श्री बची सिंह रावत "बचदा"	273-274
(दो)	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बाई-पास का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता श्री मनोज कुमार सिन्हा	274

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(तीन)	सिंधु नदी के पानी बंटवारे का मुद्दा पाकिस्तान के साथ उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.एस. गढ़वी	275
(चार)	केरल में मवेलीकारा में गैस कनैक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए रसोई गैस का पर्याप्त आवंटन किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो॰ पी.जे. कुरियन	275-276
(पांच)	तमिलनाडु के पिछड़े जिले कन्याकुमारी में रबड़ पर आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन. डेनिस	276
(छः)	मुम्बई में गंदी बस्तियों का सुधार करने और उनमें रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री नारायण अठावले	276-277
(सात)	वारंगल, आन्ध्र प्रदेश में आजम जाही मिल्स की भूमि की प्रस्तावित बिक्री को रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री अजमीरा चन्दूलाल	277
रेल बजट - 1997-98 - सामान्य चर्चा		
	लेखानुदानों की मांगें (रेल) 1997-98	277-318
	अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1994-95	
	अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1996-97	
	श्री राम विलास पासवान	277-295
विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1997		318-321
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री राम विलास पासवान	318
	श्री नीतीश कुमार	319-320
	खंड 2, 3 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव	320
विनियोग (रेल) विधेयक, 1997		321-323
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री राम विलास पासवान	321
	खंड 2, 3 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव	323
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1997		323-324
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री राम विलास पासवान	322-324
	खंड 2, 3 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव	
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
(एक)	उत्तर प्रदेश से संबंधित घटनाओं/मुद्दों के बारे में	325-327
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	
(दो)	उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा के प्रवर्तन को जारी रखने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	327-354
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	

लोक सभा

गुरुवार, 13 मार्च, 1997/22 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : अध्यक्ष जी, आज थाने के सामने छात्र संगठन संघर्ष मोर्चा.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल के बाद इसे उठाइये। जीरो ऑवर में उठाइये। उसमें आपको मौका मिलेगा।

श्री एस.पी. जायसवाल : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चुनाव में तीन विद्यार्थी मारे गये।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर में आपको मौका मिलेगा।

श्री एस.पी. जायसवाल : आज वह धरने पर बैठे हैं। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मालूम है।

श्री एस.पी. जायसवाल : उच्चस्तरीय समिति, न्यायिक समिति की.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको जीरो ऑवर में मौका मिलेगा। नहीं तो जीरो ऑवर में भी मौका नहीं मिलेगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बाल श्रम

+

*61. **श्री हरिन पाठक** :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इनके लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु कोई विधेयक लाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कर्नाटक तथा अन्य राज्यों के उन जिलों के नाम क्या हैं; जिनमें बाल श्रमिकों के लिए अब तक विशेष विद्यालय स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गयी है; और

(च) इन विशेष विद्यालयों में कितने बाल श्रमिकों को प्रवेश देने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जनगणना आंकड़े दर्शाते हैं कि कामकाजी बालकों की संख्या 1981 में 13.64 मिलियन थी जो 1991 में घटकर 11.28 मिलियन रह गई। सरकार बाल श्रम को सभी रूपों में समाप्त करने और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा और मौलिक अधिकार बनाने के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। तथापि, जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम को समाप्त किए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है जिसके लिए अभी तक 76 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। कामकाजी बालकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनिमय, 1948 की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी नियत की गई है। कर्नाटक में स्थित जिलों और अन्य राज्यों में स्थित जिलों के नाम, जहां खतरनाक व्यवसायों से निकाले गए बालकों के पुनर्वास के लिए विशेष स्कूलों को खोलने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गई है अनुबंध में दिए गए हैं। अभी तक मंजूर की गई 76 राष्ट्रीय बाल श्रम पिरयोजनाओं के माध्यम से कुल 1.5 लाख बालकों को पुनर्वासित करने का प्रस्ताव है जिनमें कर्नाटक राज्य में स्थित तीन परियोजनाएं ही शामिल हैं।

अनुबंध

जिन जिलों के लिए बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई

आन्ध्र प्रदेशः	अनंतपुर, चित्तूर, कुड्डापा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कुर्नुल, मेडक, नलगोंड़ा, नेल्लौर, निजामाबाद, प्रकाशम (मार्कापुर), रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, पं0 गोदावरी	(20)
बिहारः	डुमका, गढ़वा, जामुई, नालंदा, पाकुर, साहिबगंज, सहरसा, पं0 सिंहभूम	(8)
गुजरातः	पंचमहल, सूरत	(2)
कर्नाटकः	बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्गा	(3)
मध्य प्रदेशः	बिलासपुर, दुर्ग, मंदसौर, राजनंदगांव, सरगुजा	(5)

महाराष्ट्रः	शोलापुर, थाणे	(2)
उड़ीसाः	अंगुल, बीरगढ़, बोलनगीर, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नवरंगपुर, नौपाड़ा, रायगढ़, सम्भलपुर, सोनपुर	(16)
राजस्थानः	जयपुर, उदयपुर	(2)
तमिलनाडुः	कोयम्बटूर, चिदम्बरनार, धर्मपुरी, कामराजार, सलेम, पुडुकोट्टयी, तिरुचिरापल्ली, उ० अरकाट	(8)
उत्तर प्रदेशः	अलीगढ़, फिरोजाबाद, वाराणसी (मिर्जापुर-भदोही), मुरादाबाद	(4)
पश्चिम बंगालः	उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, मिदनापुर, वर्दवान	(6)
		(76)

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं ?

श्री हरिन पाठक : यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न है। परन्तु मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार :

"जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि कामकाजी बालकों की संख्या 1981 में 13.64 मिलियन थी जो 1991 में घटकर 11.28 मिलियन रह गई।"

महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है जिसे मैं आज सदन के समक्ष उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

यह बाल श्रमिकों की समस्या बहुत गंभीर है। इस पर तो चर्चा होगी। मेरे पास तीन अलग-अलग सरकारी दस्तावेज हैं।........ *(व्यवधान)* स्पीकर साहब को कहें। वह कह रहे हैं कि मेरी एनजियों प्लास्टिक हुई है तो जरा धीरे बोलना।........*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुझे स्मरण करवाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

तीन डाकूमेंट हैं। 9 दिसंबर को मंत्री ने इसी प्रश्न के उत्तर में कहा :

[अनुवाद]

1981 की जनगणना के अनुसार भारत में कामकाजी बालकों [illegible] मिलियन थी। 1987-88 को किए गए राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के तैतालीसवें दौर के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या बढ़कर 17.2 मिलियन हो गई है। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों के संबंध में आंकड़े अभी जारी किए जाने हैं। उसी मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर है :

"यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय लगभग 20 मिलियन बाल-श्रमिक हैं।"

[हिन्दी]

मंत्री जी तीन महीने पहले कहते हैं कि 20 मिलियन दो करोड़ बाल श्रमिक हैं। मेरे पास सरकारी दस्तावेज हैं। करंट स्टेट्स हैं। उनका भी यही कहना है कि 43 रिपोर्ट अभी आई नहीं हैं। मगर वह भी दो करोड़ के आस-पास पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री की स्टेट में यूनीसेफ के प्रतिनिधि सुरेश भार्गव की रिपोर्ट मेरे पास है। जिसमें कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"भारत में 3.5 करोड़ बाल श्रमिक हैं।"

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि सच क्या है और कौन से आंकड़े सही हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि बाल श्रमिकों की संख्या में कमी हो रही है 1981 में यह संख्या 13.64 मिलियन थी अब वह घटकर 1991 में 11.28 मिलियन रह गई है। मेरे पास केन्द्र सरकार और यूनीसेफ के तीन दस्तावेज हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सही तस्वीर क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा है वही सही स्थिति है। अगर आप इसका सही ढंग से विश्लेषण करते हैं तो आपको इसमें कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। आप अगला प्रश्न पूछिए। किसी और की अपेक्षा मैं आंकड़ों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा उसमें कोई विरोधाभास नहीं हैं वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार आंकड़े 13 मिलियन हैं। क्या यही सही है ?

श्री हरिन पाठक : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : पाँच वर्ष बाद होने वाले नैशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 1987 में यह आंकड़े 17 मिलियन थे। 1996 में इसमें कुछ और वृद्धि होगी, इसलिए अनुमानित आंकड़े 20 मिलियन हैं। 1991 की जनगणना के अंतिम आंकड़े 11 मिलियन हैं इसमें विरोधाभास कहां दिखता है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं विषय से पूरी तरह अवगत हूँ।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मैं इनके द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ रहा हूँ जो इन्होंने 9 दिसंबर को दिया था। उसमें कहा गया है कि 17 मिलियन तक है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, माननीय सदस्य को पूर्व श्रम मंत्री से उत्तर मिल गया है। अब उन्हें वर्तमान श्रम मंत्री से प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री हरिन पाठक : ये आंकड़े पूर्व श्रम मंत्री की दक्षता और कार्यकुशलता के कारण कम हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आपको यह समझाना चाहिए कि जनगणना क्या है और नेशनल सैंपल सर्वे क्या है।

श्री हरिन पाठक : मैं उसके बारे में जानता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिए इन दोनों में क्या अन्तर है और प्राक्कलन क्या है। ऐसे तीन अन्तर हैं।

....(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, क्या भूतपूर्व मंत्रियों को प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्षमा कीजिए, मैं वापस लेता हूँ।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाँ, कृपया माननीय मंत्री को स्पष्ट करने दीजिए।

....(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : महोदय, सभा में माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि चार महीने पहले 9 दिसम्बर को यह बढ़ गया था। अब फिर से सारे आंकड़े बदल गए हैं। कोई कैसे विश्वास कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि दिसम्बर, 1996 को 1991 की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट करता हूँ। माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि 9 दिसम्बर को जो मैंने आंकड़े दिए थे वो 1981 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 13.64 मिलियन था। 1991 की जनगणना रिपोर्ट दिसम्बर के आखिर में उपलब्ध हुई थी। इसलिए 9 दिसम्बर को दिया गया उत्तर सही था। *.....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : 11 का रिप्लाई दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : आपको वह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी ?

श्री एम. अरुणाचलम : मैंने 9 दिसम्बर, 1996 को रिपोर्ट पढ़ी थी। *....(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अपनी घोषित श्रमिक परियोजना को यथा घोषित तरीके से क्रियान्वित करने के प्रति गम्भीर है। मेरा विशिष्ट प्रश्न है क्या सरकार इस नीति और इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को क्रियान्वित करने के मामले में गम्भीर है।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, सरकार देश से बाल श्रम के निवारण के प्रति अत्यधिक गम्भीर है। यदि माननीय सदस्य को जानकारी है तो यह विकसित देशों में भी की जाती है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में हमने स्पष्ट उल्लेख किया है कि बाल श्रम के सभी प्रकारों को उन्मूलन किया जाएगा और इसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

हरिन पाठक : मैं समझता हूँ कि सदन मेरी भावना को समझ नहीं पा रहा। मैं बीस साल तक शिक्षक रहा हूँ। दिन-ब-दिन देश में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह चिन्ता का विषय है।

[अनुवाद]

यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

इसका जवाब इस तरह से दिया जाए। मैं इसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता, जैसे मेरे मित्र श्री सनत मेहता ने याद दिलाया है:

[अनुवाद]

अभी हाल ही में, ''पिछले महीने मैं एंजियोप्लास्टिक सर्जरी'' करवा चुका हूँ।

[हिन्दी]

मेरी सर्जरी हुई है। लेकिन मैं सभी सदस्यों को कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि हमारे देश में बच्चे स्कूल में प्राइमरी कक्षा में और मिडिल स्कूल में 60-70 प्रतिशत ड्रॉप-आउट हैं। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

[अनुवाद]

शिक्षा राष्ट्र का आधार है।

[हिन्दी]

इस देश के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और वे सड़कों, होटलों तथा गांवों में चाय बेचते हैं। उनसे जबर्दस्ती काम करवाया जाता है।

[अनुवाद]

सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीर होना चाहिए।

मैं पूछ चुका हूँ, न्यूनतम मजदूरी कितनी है। माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(3) के उपबन्धों के अनुसार है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा – न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(3) के अनुसार न्यूनतम मजदूरी कितनी है। कृपया मुझे बताइए कितना धन दिया गया है। क्या आप न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने जा रहे हैं ? कामकाजी बच्चों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी है ?

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, माननीय सदस्य ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अध्ययन नहीं किया है.....*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं हर विषय पर वाद-विवाद के लिए तैयार हूँ।

श्री एम. अरुणाचलम : मैं आपको अधिनियम के उपबन्ध दूंगा....*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : मेरे पास कागजात हैं। मैंने कल रात सात घण्टों तक इनका अध्ययन किया। आप तो मेरे प्रश्न का सही उत्तर देने की भी स्थिति में नहीं हैं। ..*(व्यवधान)*

श्री एम. अरुणाचलम : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं अधिनियम के उपबंध उपलब्ध कराऊंगा। .....*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : यह केवल माननीय अध्यक्ष के कारण जिन्होंने आपका समर्थन किया था। अन्यथा, आपके पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं। यह उत्तर है, जो आपने मुझे तीन महीने के समय में दिया है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाय इस बात को जानते हैं।

श्री हरिन पाठक : एक बार उन्होंने स्वीकार कर लिया था। यह 17.2 मिलियन है। यह एक अनुमानित आंकड़ा नहीं है। यह सही आंकड़ा है। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, माननीय मंत्री को कम मत समझिए, वे जानते हैं कि उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है।

श्री हरिन पाठक : सही आँकड़ा 17.2 मिलियन है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है। यह सही है कि आपके पास न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी को नियत करने के लिए उपबन्ध है। परन्तु आपने कितनी धनराशि नियम की है ? यह वे जानना चाहते हैं।

श्री एम. अरुणाचलम : उद्योग के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी की धनराशि का निर्धारण समुचित सरकार द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास उनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : इन्होंने अपने आप को बचा लिया है। लेकिन उन्हें कहिए कि बराबर स्टडी करिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप राज्य सरकारों से सूचना को प्राप्त कर सकते हैं।

श्री एम. अरुणाचलम : मैंने हर बात का अध्ययन किया है किसी भी राज्य सरकार ने बालकों के लिए न्यनूतम मजदूरी नियत नहीं की है। यह स्थिति है। मैं उस बात पर स्पष्ट हूँ .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

श्री वी. धनञ्जय कुमार : महोदय, यदि राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की है तो यह बहुत ही गम्भीर बात है .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों ने बालकों के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत नहीं की है।

.....*(व्यवधान)*

श्री वी. धनन्जय कुमार : भारत सरका तत्पश्चात क्या कदम उठा रही हैं ?.....*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : महोदय, यह एक गम्भीर प्रश्न है। कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए। मैं आपकी चिन्ता से अवगत हूँ। मैं स्वयं एक अनुपूरक प्रश्न पूछता हूँ। एक प्रस्ताव था कि बालकों के लिए मजदूरी को वयस्कों के बराबर करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। उसकी क्या स्थिति है ?

श्री एम. अरुणाचलम : यह परिचालित किया जा रहा है। हम अभी भी राज्य सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तर की प्राप्ति के पश्चात् हम स्थिति बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है। मेरे विचार से मैंने आपकी थोड़ी सहायता की है।

अब, श्री सुधीर गिरि।

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी करने वाले कुछ लड़के और लड़कियों को उनके काम करने के स्थान से दूर ले जाया गया और उनको उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से स्कूलों में दाखिला कराया गया और उनको कुछ धन दिया गया। उनको धन एक वर्ष या दो वर्षों तक दिया गया। परन्तु एक या दो वर्षों बाद उन लड़के और लड़कियों की नियति क्या होगी ?

श्री एम. अरुणाचलम : प्रश्न क्या है ? मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी प्रश्न को समझ नहीं पाया। क्या आप दोहराएंगे।

श्री सुधीर गिरि : केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार विभिन्न फैक्टरियों या घरों में काम कर रहे लड़के और लड़कियों को स्कूलों में भर्ती कराया जा रहा है और उनकी स्कूल शिक्षा की अवधि के दौरान उनको सरकार के निर्णय और मानदण्डों के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जाता है। उनकी स्कूली शिक्षा के बाद उन लड़के और लड़कियों की नियति क्या होगी ?

श्री एम. अरुणाचलम : जिन बाल श्रमिकों को जोखिम भरे उद्योगों से निकाला गया उनको विशेष स्कूलों में दाखिल कराया जाता है जहां हम उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं। और हम बालकों के माता-पिता को भत्ता भी दे रहे हैं। यह लगभग 100 रुपये प्रति माह है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के पश्चात् बालक को अपना भविष्य स्वयं बनाना होगा।

कुमारी ममता बनर्जी : व्यावसायिक विद्यालय कहां हैं ? किसी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना नहीं की जा रही है। यह एक दूसरा प्रश्न है।

श्री एम. अरुणाचलम : हमारे पास देश में लगभग 1,000 विद्यालय हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यह दूसरी बात है। परन्तु उन्होंने एक दूसरा प्रश्न पूछा है।

श्री एम. अरुणाचलम : ऐसे 1,000 स्कूल हैं और इन स्कूलों में जिन बालकों को जोखिम भरे उद्योगों से निकाला गया उनको मध्याह्न भोजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : स्कूली शिक्षा के बाद वे क्या करेंगे ?

श्री एम. अरुणाचलम : स्कूली शिक्षा के पश्चात जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि उन्हें अपना रास्ता स्वंय ढूँढना होगा .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : कहा गया कि कई विद्यालयों की स्थापना की है। इन्होंने किन-किन विद्यालयों में कितना पैसा दिया है और कहां दिया है ?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पिछले सप्ताह इस संबंध में एक प्रश्न था। सारी सूचना पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। मुझे याद है।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारियों के वेतनमान

+

*262. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :**
डॉ॰ बलिराम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को निगम की स्थापना के दस वर्षों के बाद भी इसके नियमानुसार वेतनमान नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा निगम के नियमों के अनुसार वेतनमान देने के लिए कोई समिति बनाई गई है;

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा उसकी संरचना क्या है;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान समिति की कितनी बैठकें हुई हैं तथा इन बैठकों में क्या निर्णय लिये गये; और

(च) समिति द्वारा कब तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है ?

[अनुवाद]

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, हाँ।

(ख) एम.टी.एन.एल. में निम्नलिखित दो श्रेणियों के कर्मचारी हैं:

(i) सीधी भर्ती से आए कर्मचारी - 62

(ii) प्रतिनियुक्ति पर माने गए सरकारी कर्मचारी - अनुमानतः 62,500

एम.टी.एन.एल. के सीधी भर्ती से आए कर्मचारियों में से 48 कर्मचारियों को पहले ही औद्योगिक भत्ता वेतनमान दे दिए गए हैं। शेष 14 कर्मचारियों, जो कार्यकारी श्रेणी के हैं, वे वेतनमानों पर मैनेजमेंट द्वारा विचार किया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारी, जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर माना गया है, सरकारी वेतनमान पा रहे हैं क्योंकि उन्हें महानगर टेलीफोन निगम लि० में खपाए जाने के मामले में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री मडेश कुमार एम. कनोडिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि सीधी भर्ती से 62 कर्मचारी आए हैं। इनमें से 48 को सरकार ने औद्योगिक महंगाई भत्ता दे दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ, ये कर्मचारी किन-किन श्रेणियों के हैं और उन्हें महंगाई भत्ता कब से दिया जा रहा है? जो बाकी 14 कर्मचारी हैं, उनके संबंध में सरकार औद्योगिक मंहगाई भत्ता देने के लिए विचार कर रही है और ये कर्मचारी कितने वर्षों से महानगर टेलीफोन निगम के कार्यरत हैं?

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : पूरा मामला न्याय-निर्णयाधीन है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कर्मचारी संघ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष जा चुका है। मैं माननीय सदस्य से धैर्य रखने का अनुरोध करना चाहूंगा। इस मामले पर सुनवाई 14 मार्च, 1997 को होगी। इस प्रकार जो भी उत्तर दिया जाएगा वो जैसे ही मामले पर निर्णय हो जाता है उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : कल सुनवाई है।

[हिन्दी]

श्री मडेश कुमार एम. कनोडिया : अध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारी महानगर टेलीफोन निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए हैं, उनके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या उनको भी इसी में लिए जाने के बारे में सरकार निर्णय कर रही है? यदि हाँ, तो इसके संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा और इसके क्या कारण हैं? इसके साथ ही क्या इस निर्णय से निगम के कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा?

श्री रमाकान्त डी. खलप : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में भी ये लोग कोर्ट में चले गए हैं। इस वर्ष यह मामला 18 जून को सैन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल में आएगा।

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्य से इस मामले पर निर्णय होने तक धीरज रखने का अनुरोध करना चाहता हूँ। परन्तु फिर भी मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि सारा मामला अब बहुत ज्यादा उलझ गया है क्योंकि भारत में दूरसंचार सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं।

हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। हमारा सेवा क्षेत्र विदेशी कम्पनियों के लिए खोला जा रहा है। निवेश किया जा रहा है। विभिन्न निवेशकों से प्रस्तावों के लिए बुनियादी टेलीफोन सेवाओं को प्रस्तुत किया जा चुका है और दूर संचार विभाग की सम्पूर्ण संरचना पर नई दृष्टि से विचार किया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

डॉ० बलिराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि 1986 में एम.टी.एन.एल. की स्थापना हुई और सरकार द्वारा यह सिर्फ पांच वर्ष के लिए की गई थी लेकिन आज करीब 12 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि इसकी दो तरह की श्रेणियां हैं जबकि एक ही तरह का कार्य है। जैसे स्टेनोग्राफर का हैं। कुछ कापोर्रेट में काम कर रहे हैं और कुछ एम.टी.एन.एल. में काम कर रहे हैं। एम.टी.एन.एल. में जो काम कर रहे हैं, उनके वेतनमान में कुल तनख्वाह 3823 रुपये है जबकि उसी तरह का कार्य जो कार्पोरेट में करते हैं, उनकी तनख्वाह 5171 रुपये है। इस तरह से डिसक्रिमिनेशन है। जबकि एक ही तरह का काम है इसमें भिन्नता क्यों है? क्या वह इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जब वे समान कार्य कर रहे हैं तो उनके वेतनमान भी समान हों? यदि ऐसा विचार है तो कब तक करेंगे?

श्री रमाकान्त डी. खलप : इसके बारे में मैं उत्तर दे चुका हूँ। सरकार यह नहीं चाहती कि दोनों तरफ के इंप्लाइज के बीच इस तरह की भिन्नता रहे। हम चाहते हैं कि एम.टी.एन.एल. में लगे हुए इंप्लाइज और सरकार के डायरैक्ट इंप्लाइज के बीच में रेशनलाइजेशन हो जाए। इस बारे में सी.ए.टी. में केसेज दर्ज किए गये हैं और 14 मार्च और 18 जून को इन केसिज के बारे में सुनवाई होगी। इससे आगे बढ़कर मैंने यह भी कहा कि हमारे डिपार्टमेंट को इस बारे में दूसरी तरह से सोचने की जरूरत हो गई है। हमारी सर्विसेज में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो गए हैं।

[अनुवाद]

पूरी तरह से खोला जा चुका है और सम्भवतः कुछ वर्षों के समय में दूर संचार विभाग की सम्पूर्ण संरचना को परिवर्तन से गुजरना होगा।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन

*263. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1997 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "68 नेशन्स साइन मल्टीबिलियन

टेलीकॉम पैक्ट'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो देश को इससे क्या लाभ/फायदा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) बुनियादी दूरसंचार सेवाओं को बाजार के लिए खोलने के बार में अप्रैल, 1994 से चल रहा विचार-विमर्श 15.2.1997 को समाप्त हुआ था। 68 देशों के कुल 54 सदस्यों ने अपनी अनुसूचियां (शेड्यूल) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी. ओ.) को प्रस्तुत कर दी, जिसमें बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न उपक्षेत्रक हैं, जिन्हें बाजार-पहुंच की सीमाओं सहित प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जाएगा। भारत ने भी बुनियादी दूरसंचार सेवाओं संबंधी वचनबद्धताओं की अपनी अनुसूची प्रस्तुत कर दी है। यह करार 1.1.98 से प्रभावी होगा।

(घ) और (ङ) दूरसंचार क्षेत्रक में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के अतिरिक्त, यह समझौता भारत द्वारा वचनबद्धता की सीमा तक प्रतिस्पर्धा संबंधी एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा को धीरे-धीरे समाप्त करेगा। इससे अतंतोगत्वा देश की दूरसंचार सेवाओं में सुधार आएगा।

भविष्य में, भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाता ये सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी बाजार की खोज भी कर सकते हैं।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा क्या सरकार अन्य देशों के साथ साझा कार्यक्रम की योजना बना रही है जो कि अगले तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय काल दरों को बहुत ज्यादा कम करने के अमरीकी प्रस्ताव से प्रभावित हो सकती है। जापान को भी समान कम की गई दरों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है। मैं जानना चाहता हूँ क्या विकासशील देशों के साथ प्रभावी समन्वयन के लिए विदेश मंत्रालय से भी कहा गया है। यदि हाँ तो अन्तर्राष्ट्रीय काल की दरों को लगभग पांच गुणा कम करने के एफ.सी.सी. के निर्देश को ध्यान में रखकर मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं और मार्च, 1997 के मध्य तक उसे टिप्पणी के लिए कहा गया है? विकासशील देशों से उनका समर्थन प्राप्त करने में भारत सरकार किस हद तक सफल हो पाई है और अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि आप नए प्रश्न की सूचना दे रहे हैं।

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं। उनके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न को ध्यान में रखना कठिन है। फिर भी, मैं कहना चाहूंगा कि यह सभी मामले द्विपक्षीय प्रकृति के हैं। जहां तक दर की बात है भारत और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्त्ताएं हो रही हैं और तद्नुसार दरें निर्धारित की जाएंगी। जहां तक विदेश मंत्रालय के शामिल होने का सम्बन्ध है मैं कहना चाहूंगा कि हम इस मामले पर गहन चर्चा कर रहे हैं।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं माननीय मंत्री से विशिष्ट रूप से पूछना चाहूंगा क्या हम भी अन्तर्राष्ट्रीय काल दरों को अन्य देशों के समान निर्धारित करने जा रहे हैं। हमारे दाम अन्य देशों से पांच गुणा ज्यादा हैं।

श्री रमाकान्त डी. खलप : यह अन्तिम लगता पर निर्भर करता है, वास्तविक व्यय, जहां पर काल खत्म होती है, को ध्यान में लेना होगा। हमारी लागत अन्य देशों के साथ एक समान नहीं हो सकती है।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं जानना चाहता हूँ क्या यह कहा गया है कि भारत दूरसंचार वार्त्ताओं में आगे बढ़ पाने में असफल रहा है और भारत विश्व संगठन के समक्ष, बुनियादी दूर संचार सेवाओं पर अत्यधिक प्रतिबन्धित प्रारूप प्रस्ताव को यह दर्शाते हुए, कि भारत को अभी एक विकासशील देश में अनुमति दिए जाने योग्य बुनियादी ढांचे के रूप में विचार करना है, प्रस्तुत किया है। यदि हाँ तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या कोई ठोस दूरसंचार नीति बनाई गई है या विचाराधीन है जिससे कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ आगे बढ़ सके।

श्री रमाकान्त डी. खलप : माननीय सदस्य ने बिलकुल सच कहा। हमारा देश आगे बढ़ने का इच्छुक है। हमारे द्वारा उठाए जाने वाला हर कदम राष्ट्र हित में होता है। यहां तक कि दरें जिन पर हम बातचीत कर रहे हैं वे भी इस बात पर निर्भर हैं कि हमारे हित क्या हैं। इसलिए माननीय सदस्य आवश्स्त रहें कि जो कुछ भी हम करेंगे वह देश के हित में ही होगा।

श्री सुरेश प्रभु : मुझे माननीय मंत्री से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यह समझौता हमारे देश के हित में है। पहली बार जब यह विचार किया जा रहा था कि व्यापार और सेवाओं पर सामान्य समझौता भी ''गैट'' के हिस्से के रूप में लाया जाय, पहली बार जब सेवाओं को बहुपक्षीय समझौते में लाये जाने पर विचार किया जा रहा था तो भारत ने इसका विरोध किया था। भारत का विचार था कि इसमें ही सेवाओं को भी ले आना देश के हित में नहीं होगा। व्यापार और सेवाओं में लाभ इतना ज्यादा है कि सम्भवतः भारत के पास बहुत कम भाग है तब भी वह इसमें नुकसान उठाता है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि एक बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके हम कैसे लाभान्वित होंगे और अब यह देश के हित में कैसे होगा जबकि केवल कुछ वर्षों पहले ही हमने अन्यथा सोचा था और हमारे प्रतिनिधिमण्डल के तर्कसंगत रूप से ''गैट''

का विरोध किया था। व्यापार और सेवाओं पर सामान्य समझौते का भी लगभग विरोध ही किया था। वे कौन से क्षेत्र हैं जहां हमें लाभ होगा और तब कौन सी शर्तें थी जिन्हें अब हटा दिया गया है?

श्री रमाकान्त डी. खलप : वस्तुतः यह उत्तर वहां पर है। यदि आप प्रश्न के (घ) और (ङ) भाग के उत्तर को पढ़ेंगें और प्रश्न थाः

"देश को क्या लाभ/फायदे होने की सम्भावना है और यदि कोई फायदा नहीं है तो इसके कारण क्या हैं?" और मैंने कहा है कि "दूरसचांर क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के अतिरिक्त यह समझौता....." यह अब हुआ क्योंकि पहले से ही दूरसंचार सेवाओं में विदेशी निवेश आ रहे हैं। फिर मैंने कहा, "इससे प्रतियोगिता पर एकाधिकार और प्रतिबंध समाप्त होगा ....." यह भी हो रहा है। फिर मैंने कहा कि दूरसंचार सेवाओं में कुल मिलाकर सुधार हुआ है। हम देख चुके हैं कि सामान्य सुधार हो रहे हैं और जो सबसे बड़ा फायदा हम देखते हैं यह है कि हम दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले विश्व में प्रतियोगिता करेंगे।

एक माननीय सदस्य : कहाँ?

श्री रमाकान्त डी. खलप : आज की तारीख में वे नहीं गए हैं परन्तु भविष्य में उनके जाने की संभावना है क्योंकि यह समझौता जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है हमारी अपनी कम्पनियों को भी अवसर उपलब्ध कराता है।

श्री सुरेश प्रभु : अभी तक हम उन्हें द्विपक्षीय प्रवेश मार्ग दे रहे थे परन्तु अब हमें बहुपक्षीय प्रवेश मार्ग देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। क्योंकि आपने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे हमें किस प्रकार लाभ होगा?

श्री रमाकान्त डी. खलप : यह बहुत ही सीधी बात है। आप हमारे देश की दूर संचार सुविधाओं को देख सकते हैं। हमें अति उत्तम सेवाएं प्राप्त हो रही हैं।

श्री संतोष मोहन देव : अति उत्तम सेवाएं नहीं।

श्री रमाकान्त डी. खलप : हाँ, हमें प्राप्त हो रही हैं। कृपया इसे एक सापेक्ष रूप में लीजिए। हमें पूर्व में कैसी सुविधाएं मिल रही थी और अब हमें कैसे सुविधाएं मिल रही हैं।

प्रतिदिन सेवाओं में सुधार हो रहा है। आप इसे महसूस करेंगे। लाइनों की संख्या बढ़ गई है। सेवाओं के प्रकार बढ़ गए हैं। यह फायदा है जोकि हमें मिल रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस समझौते के परिचालन से पहले ही आपने निजी निवेशकों के लिए हमारे दूर संचार क्षेत्र को खोल दिया है। क्या यह सही नहीं है कि निजी निवेशक प्रमुख रूप से "पेजर" की ओर जा रहे हैं न कि ग्रामीण टेलीफोनों की ओर। बुनियादी सेवा क्या है - पेजर या ग्रामीण टेलीफोन?

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि पेजर भी एक महत्वपूर्ण सेवा है। परन्तु यही मात्र उत्तर या पूरा उत्तर नहीं है। वस्तुतः इस नई नीति के कारण, किए गए नए बहुपक्षीय समझौते के कारण पूरे देश को फायदा हो रहा है। हमने देश को कई 'सर्किलों' में बांट दिया है। प्रत्येक सर्किल को विदेशी निवेश के साथ-साथ हमारे अपने लोगों के लिए भी खोला जा रहा है और हर कोई लाभान्वित हो रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है.....*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : महोदय जैसा कि पहले पूछा जा चुका है एक भय यह भी है कि यह सेवा महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र को खोला जाना जहां तक हमारी रणनीतियों, हमारे रहस्यों और उनके प्रकटीकरण का सम्बन्ध है कुछ कठिन स्थितियों को जन्म दे सकता है। इस प्रकार क्या आपका विचार है कि इस क्षेत्र के बारे में हमारी चिन्ताओं को दूर कर दिया गया है और यदि हाँ तो किस प्रकार। यदि नहीं तो क्या ऐसी कोई बात है कि जहां तक इस क्षेत्र को खोले जाने का सम्बन्ध है हमें सावधान रहना चाहिए?

श्री रमाकान्त डी. खलप : श्रीमान आज हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम जो कर रहे हैं दूसरे देश भी कर रहे हैं। जो भी लाभ हमें मिलेंगे ऐसे ही फायदे अन्य देशों को भी उपलब्ध होंगे। इस प्रतियोगी युग में हम दूसरों के द्वारा लाभ अर्जित नहीं कर सकते। यदि माननीय सदस्य और अधिक स्पष्ट करें और हमें समझाएं कि किस प्रकार से हम हमारी गोपनीय बातों को गोपनीय नहीं रख पायेंगे तो शायद मैं बेहतर ढंग से प्रतिक्रया व्यक्त कर सकूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सदन के बाहर ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन निगम के द्वारा हम सांसदों के पास जो बिल आते हैं उनका कोई हिसाब ही नहीं लगता है। इस संबंध में उनका कोई नियम या कायदा नहीं है। बेहिसाब बोगस बिल आ रहा है। जब हम लोगों का बिल इस तरह से आ रहा है तो बाकी पब्लिक को कैसे जाता होगा। लोकसभा में जो भी टेलीफोन्स हैं, वे लगातार खराब रहते हैं।

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी. खलप : महोदय, यह विश्व व्यापार संगठन समझौते का हिस्सा नहीं हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री पासवान ने आप सभी की ऐसी सेवा की है कि मेरे विचार से हमें अन्य प्रश्न को लेने की आवश्यकता नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विमान सुरक्षा संबंधी समिति

*264. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री संदीपान थोरात :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई में विमान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा इसके ध्यान में आई उक्त हवाई अड्डों की खामियों की ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ।

(ख) तेरू समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश नीचे दिया गया है :

(i) **दिल्ली हवाई अड्डा** : चूंकि नया नियंत्रण टायर धावनपथों से काफी दूरी पर स्थिति है इसलिए इससे सरंक्षा जोखिम अत्यन्त नाममात्र का ही है। व्यावहारिकता संबंधी सोचविचारों के आधार पर इसकी मौजूदा अवस्थिति पर इसके कार्य करते रहने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

(ii) **मुंबई हवाई अड्डा** : नया नियंत्रण टावर तथा तकनीकी भवन से उन स्थानों पर संरक्षा जोखिम हैं जहां कहीं धावनपथ 14/32 प्रयोग में है इनका इकाओ के अवरोध ऊंचाई प्रतिबंध संबंधी मानकों तथा संस्तुत पद्धतियों का पूर्ण अनुपालन करते हुए पुनः निर्माण किया जाना चाहिए। धावनपथ 14/32 को आपातकालिक स्थितियों को छोड़कर, अन्य मामलों में प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए।

(iii) **मद्रास हवाई अड्डा** : नए नियंत्रण टावर तथा तकनीकी भवन की, जो निर्माणाधीन हैं, अवस्थिति तथा ऊंचाई की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सदस्य (प्रचालन) की अध्यक्षता में एक कृतिक बल गठन किया गया है जिसका कार्य समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो विकल्प प्रस्तुत करना है। इस बीच, मुंबई में गौण धावनपथ (14/32) के प्रयोग को आस्थगित रखा गया है।

श्री सनत कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी आलोचना की जाती है कि दिल्ली और मुम्बई में विमान सुरक्षा उपाय अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या समिति ने इस तथ्य पर विचार कया है और कम से कम चार महानगरों के विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करने और वहां आधुनिकतम राडार उपकरण स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा चुके हैं।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, अपने उत्तर में मैं इसके बारे में स्पष्ट बता चुका हूँ। पहले से ही दिल्ली और मुम्बई में आधुनिकीकरण प्रक्रिया जारी है। मेरे विचार से दिल्ली में मार्च और मुम्बई में जून तक यह कार्य पूरा हो जाएगा।

श्री सनत कुमार मण्डल : कलकत्ता और चेन्नई के बारे में क्या किया जा रहा है?

श्री सी.एम. इब्राहीम : मेरे विचार से उन्होंने मेरा उत्तर पढ़ लिया होगा। जहां तक वायुयान यातायात नियंत्रण का सम्बन्ध है हमने श्री सेठ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है जो इस बात का अध्ययन करके रिपोर्ट देगी कि जो व्यवस्था आज भारत के विमानपत्तनों के पास है, वह पूरी तरह से मानदण्डों के अनुरूप है या नहीं हमें इस बात का अध्ययन करना है। मेरे विचार से समिति इस प्रक्रिया से गुजर रही है।

कुमारी ममता बनर्जी : आपने कलकत्ता को शामिल क्यों नहीं किया?

श्री सी.एम. इब्राहीम : इस वर्ष इसे कलकत्ता और चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।

.....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कलकत्ता पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेशद्वार है।

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैं उनको दूसरे प्रश्न की अनुमति दे रहा हूँ।

श्री सनत कुमार मण्डल : पिछले वर्ष हरियाणा में वायुयान दुर्घटना हुई थी जिसमें कई सौ लोग मारे गए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि वायुयानों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, यह अलग प्रश्न है। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : हमारी तरफ देखते ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हर दिन आपकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपको काफी मौका दिया जा चुका है।

[अनुवाद]

मैं प्रतिदिन हरेक संसद सदस्य को अनुमति नहीं दे सकता हूँ। यहां पर 545 संसद सदस्य हैं।

डॉ॰ के.पी. रामलिंगम : अध्यक्ष महोदय, वायु-यातायात को कम करने के लिए कुछ विमानपत्तनों पर इण्डियन एयरलाइन्स के वायुयान नहीं जाते हैं और उड़ान मार्गों को बदल दिया जाता है। इस बात के चलते सेलम विमानपत्तन पर यातायात नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी का वहां से विमान सेवा प्रारम्भ करने का कोई विचार है। 10 दिन पहले चेन्नई के अन्ना अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर बेंगलूर से आ रहा विमान आधुनिकीकरण के अभाव में दो मिनट पहले ही जमीन पर उतर गया। वहां कुछ समस्या थी। सौभाग्यवश पायलट ने उड़ान भरी और सभी 360 यात्री बच गए। क्या माननीय मंत्री यह कहने के बजाय कि वे इसे एक साल या इस वित्तीय वर्ष में करेंगे हमें बताएंगे कि कब तक आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा। यह बहुत ही आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा क्या यह चेन्नई, मुम्बई और मद्रास में 10 से 12 दिनों के भीतर प्रारम्भ हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सुनकर अच्छा लगा कि डॉ॰ के. पी. रामलिंगम ने स्वयं चेन्नई को गलती से मद्रास कह दिया।

श्री सी.एम. इब्राहीम : जहां तक वायु यातायात का सम्बन्ध है, इस कार्य को एक या दो महीनों या एक वर्ष में नहीं किया जा सकता। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। हमें टावर निर्मित करने होंगे, उपकरणों को लाना होगा और इस तकनीकी कार्य को समायोजित करना होगा। इस प्रकार इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा। परन्तु जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कलकत्ता और चेन्नई में काफी समय पहले ही एम.एस.एस.आर. के लिए कार्य आरम्भ कर दिया गया था। मैं यह ध्यान रखूंगा कि यह इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं कहा है कि जो रिपोर्ट आई है, मुम्बई के हवाई अड्डे की, उसमें रनवे नम्बर 14 के पास बड़ा टावर और बिल्डिंग खड़ी की गई है। क्योंकि वहां इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है, उससे जहाज नीचे उतरता है और उसको नीचे उतारने के लिए उस बिल्डिंग के पास राउंड लगाना पड़ता है। उसमें ऑब्स्ट्रेक्ट हो सकती है। कमेटी ने सिफारिश की है कि यह बिल्डिंग यहां से हटा दी जाए या रीबिल्ड की जाए। इस बिल्डिंग के निर्माण पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है और रनवे बनाने पर भी करोड़ों रुपया खर्च होता है। जब इस प्रकार की बिल्डिंग या टावर रनवे के पास खड़ा किया जाता है तो क्या तकनीकी पहलू ध्यान में नहीं रखे जाते, क्योंकि अब फिर करोड़ों रुपये का नुकसान होगा।

दो-तीन बातें पूछना चाहूंगी। जो एक करोड़ रुपए का नुकसान होगा, क्या आप इसकी पूरी जांच करेंगे? यह भी बताएं कि यह किसके कारण होगा? मंत्री जी जल्दी न करें। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि लैंडिग सस्पेंड कर दी गई है। मेरी जानकारी में नहीं हुई है। कौन सी तारीख से हवाई जहाजों ....*(व्यवधान)* सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पूरे विपक्ष की ओर से प्रश्न नहीं पूछ सकतीं हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, इसके पीछे थोड़ी मातृत्व की भावना है क्योंकि मेरा अपना पुत्र पायलट है। सुरक्षा की दृष्टि से जो छोटी-मोटी शिकायत आती हैं, वहां अभी कर्मचारियों के लिए पासेज दिए जाते हैं। मुम्बई एयरपोर्ट पर गत कई महीनों से क्या यह भी हुआ है कि इसका अंतिम निर्णय न होने के कारण अस्थायी पासेज दिए जाते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार नहीं। आप इस तरह से नहीं पूछ सकतीं। आपको नियमों का पालन करना चाहिए।

श्री सी.एम. इब्राहीम : पहले मुम्बई के बारे में आपने पूछा है। हमने समझा था कि डॉक्टर की ओपिनियन मरीज के बारे में बदलती है। पहली बार अनुभव हुआ है कि इंजीनियर्स की भी ओपिनियन बदलती है क्योंकि जनरल शेख कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आई तो हम पूछने लगे कि टैक्नीकल आधार पर आपने इसे बनाया है। जो पहले चैयरमैरन थे और टैक्नीकल मेम्बर थे, उन्होंने कहा है कि यहां टॉवर बनने से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसे इंटरनेशनल तकनीक के आधार पर बनाया है। इसलिए हमने अनुरोध किया कि जैसे जनरल शेख कमेटी की रिपोर्ट जिस दिन आई, उस दिन मैंने कहा कि 1432 रन-वे को सस्पेंड किया जाए। ज्यादातर लैंडिंग में 0.05 प्रतिशत खतरा है। टेक-अप में कोई खतरा नहीं है। हमने कहा कि चाहे खतरा रहे या न रहे, इसके लिए टॉस्क फोर्स हमने एपॉइंट की है और वह यह देख रही है कि इसको किस तरह से सुलझाया जा सकता है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपका पुत्र पायलट है। दुनिया में चाहे आप सिंगापुर की या दूसरी जगह की रिपोर्ट मंगवाई है वहां पर एम्सटर्डम है,

जहां 150 फीट की टॉवर की हाईट की जरूरत थी। लेकिन मौजूदा वहां पर 330 पर एक फीट का है। 180 पर एक फीट ज्यादा है। इसी तरह से पेरिस में 150 फीट की जरूरत थी, लेकिन 260 पर दो का है। हम देख रहे हैं। टेकनीशियंस की डिफरेंट ओपिनियन आई हैं। एक इंजीनियर कहता है कि यह ठीक है। दूसरा कहता है कि नहीं यह वहां भी होना चाहिए था, यहां है। इन दोनों विचारों को एक साथ मिलाकर आगे क्या उपाय लिया जाएगा, इस पर हम गौर कर रहे हैं और जहां तक लैंडिंग का सवाल जो है, 1432 में लैंडिंग को सस्पेंड किया गया है।

श्री विजय डाण्डिक : अध्यक्ष महोदय, वायु सुरक्षा के प्रश्न पर क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय विमान सेवा अर्थात एयर इंडिया और घरेलू एयरलाइन्स इण्डियन एयरलाइन्स सहित भारत में चल रही ज्यादातर एयर लाइनों ने सभी वायुयानों पर ''एस मोड ट्रांसपोण्डरों'' को लगाए जाने सम्बन्धी महानिदेशक नागर विमानन के निर्देश का अभी तक पूरी तरह अनुपालन नहीं किया है। चरखी दादरी में नवम्बर, 1996 को हुई बीच आकाश में वायुयानों के टकरा जाने की दुर्घटना के पश्चात ऐसे वायु यातायात नियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई थी।

उसके बाद भी कई बार अन्तिम अवसर पर बीच-आकाश में वायुयानों के टकरा जाने से बचा गया है। क्या माननीय मंत्री हमें आश्वस्त करेंगे कि कब तक सभी वायुयानों में यह उपकरण लगा दिए जाएंगे जिससे कि यात्रियों की जान को खतरा न बना रहे।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, इस हवाई-दुर्घटना के बाद मैंने आदेश दिए थे कि इण्डियन एयरलाइन्स की सभी उड़ानों में दिसम्बर, 1997 तक और एयर इंडिण्या की सभी उड़ानों में जून 1997 तक 'एस-मोड' सुविधाओं को समाविष्ट कर लिया जाना चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रुडी : विदेशी सहयोग के साथ चल रही एयरलाइनों और बोइंगों में क्या किया जाएगा ?

श्री सी.एम. इब्राहीम : यह सभी एयरलाइनों में होगा और विदेशी सहयोग से चल रही एयरलाइनें इसी का हिस्सा हैं।

श्री विजय डाण्डिक : तो क्या तब तक यात्रियों के प्राण संकट में रहेंगे ?

श्री सी.एम. इब्राहीम : कृपया इस बात का यह अर्थ न लगाएं। सभी सुरक्षा उपाय वहां पर हैं। 'एस-मोड' का कार्य कुछ और है। वायुयान के भीतर आप बैठकर यह जान सकते हैं कि कौन से वायुयान की उड़ान किस दिशा से आ रही है कितनी ऊंचाई से आ रही है और वह कितने मील दूर है। सभी अन्य सिस्टम उनमें हैं और यह एक अतिरिक्त एहतियाती उपाय है। हम इसलिए इस सिस्टम को लगाने जा रहे हैं यदि भूमि स्थित प्रणाली खराब भी हो जाएं तो यह प्रणाली कार्य करे।

[अनुवाद]

नयी पर्यटन नीति बनाना

+

*265. **श्री विजय पटेल** :
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन तथा होटलों के समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए नयी पर्यटन नीति बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बुनियादी सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित करने तथा तीव्र विकास और रोजगार के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु उद्योग का दर्जा देने का है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या पर्यटन का सकल लाग 50 प्रतिशत तक बढ़ने तथा इससे आगामी दशक के अंत तक प्रत्यक्षतः 80 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) पर्यटन नीति के अंतर्गत कौन-कौन से नए पर्यटन सर्किट जोड़े गए हैं;

(छ) क्या गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया है; और

(ज) यदि हाँ, तो वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है तथा 1997-98 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने नौंवी योजना अवधि के दौरान पर्यटन का विकास करने के लिए राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करते हुए भिन्न-भिन्न अभिकरणों द्वारा शुरू किए जाने वाले विशिष्ट कार्यकलापों की पहचान करते हुए पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है।

(ग) पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार, दोनों द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) पर्यटन विभाग ने सकल लाभ की कोई प्रायोजना नहीं बनाई है। तथापि, वर्ष 2000-2001 के लिए उस वर्ष तक विदेशी पर्यटक आगमन का लक्ष्य 5 मिलियन होने के आधार पर रोजगार की प्रायोजना 14.17 मिलियन बनाई गई है।

(च) राष्ट्रीय कार्य योजना 1992 के अनुसरण में पर्यटन विभाग ने पर्यटन की आधारिक संरचना के गहन विकास के लिए 18 परिपथों और 8 गन्तव्य स्थलों की पहचान की है।

(छ) और (ज) गुजरात सरकार ने राज्य में पर्यटन के लिए एक मास्टर प्लान और क्षेत्र विकास योजना तैयार की है जिसमें संरचनात्मक विकास के लिए एक क्षेत्र के रूप में कच्छ को अभिनिर्धारित किया है। वर्ष 95-96 के दौरान गुजरात सरकार को 7.98 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 1996-97 में राज्य सरकारों के परामर्श से 91.08 लाख रुपए की राशि की आठ परियोजनाओं की पहचान की गई है। वर्ष 1997-98 के लिए प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री विजय पटेल : महोदय माननीय मंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास हेतु एक क्षेत्र विकास योजना तैयार की है। ये पर्यटन स्थल कच्छ, सौराष्ट्र के समुद्रतटीय क्षेत्र और अन्य प्रमुख तीर्थ यात्रा केन्द्र हैं। राज्य सरकार ने 150 लाख रुपये के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष भी प्रस्तुत किए हैं। इसमें केन्द्र का हिस्सा 126 लाख रुपए का है। मैं जानना चाहूंगा क्या सरकार ने उक्त धनराशि को राज्य सरकार को जारी किया है; यदि हाँ, तो कब और कितनी और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, राज्य सरकार के साथ परामर्श कर हमने 91.08 लाख रुपये धनराशि वाली परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट किया है। अभी तक जारी की जा चुकी धनराशि का सही विवरण देने की स्थिति में मैं नहीं हूं। परन्तु मैं बाद में आपको यह सूचना दे सकता हूं क्योंकि धन 31 मार्च तक जारी किया जाएगा।

श्री विजय पटेल : यह जानकारी है कि पर्यटन दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। और इसमें अपनी आय को दुगुना करने की क्षमता है। इसी कारण इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

श्री श्रीकान्त जेना : माननीय सदस्य ने सही कहा कि देश में दूसरी सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग पर्यटन है। 1996 के दौरान इस क्षेत्र से 10,061 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों की कई पर्यटन नीतियां हैं और केन्द्र सरकार भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन प्रोत्साहनों के द्वारा पर्यटन उद्योग, यात्रा परिचालकों और होटल व्यवसायियों को यह लाभ मिलता है।

यह एक लम्बी प्रक्रिया है। मैं इस प्रोत्साहन पैकेज को दे सकता हूं जो इस क्षेत्र को दिया जा रहा है। परन्तु नई नीति बनाई जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि इस पर्यटन क्षेत्र के लिए नई नीति का प्रारूप अब तैयार है। इसे सभी माननीय सदस्यों के बीच शीघ्र परिचालित किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य नई नीति के अंतर्गत लाए जाने वाले सुधारों के संबंध में अपने सुझाव दे सकते हैं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छी बात है। नई प्रारूप नीति सभी सदस्यों को बीच शीघ्र परिचालित की जाएगी। तब, आप इस पर सुझाव दे सकते हैं। माननीय मंत्री ने यही कहा है। इस प्रश्न से आप और क्या चाहते हैं ?

..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह नीति से संबंधित प्रश्न है। इससे भिन्न कुछ नहीं हो सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जूनागढ़ का महत्व धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अलग है। वहां जब महाशिवरात्रि का मेला लगता है तो सात-आठ लाख लोग इकट्ठे होते हैं। इसी तरीके से जब नीली परिक्रमा देव दीवाली पर होती है जिसका अलग प्रसंग है, तब भी पांच-सात लाख लोग वहां इकट्ठे होते हैं। आपने कहा है पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है और इस माध्यम से हम विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे और विदेशों से आने वाले पर्यटकों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी। क्या सरकार इस विषय पर सोच रही है कि जूनागढ़ में जो मेला लगता है और जो नीली परिक्रमा होती है, उसको पर्यटन के रूप में ज्यादा महत्व देने के लिए उसका लाइव टेलिकास्ट करें ? क्योंकि आपने बताया है कि उसके लिए अलग से सोचना चाहिए।

प्रश्न का भाग ख है कि गुजरात में सबसे ज्यादा वास्तुकला के भवन हैं चाहे वह दामोदर कुण्ड हो या गिरनार पर्वत हो या एशियाटिक लायन्स हो। सिंधिया जी जब पर्यटन मंत्री ते तब भी मैंने बताया था कि आप जूनागढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित कर सकेंगे और विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकेंगे। क्या जूनागढ़ के लिए गुजरात सरकार ने जो प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए विचार करके आप 82 करोड़ रुपये की मंजूरी देंगे ?

श्री श्रीकान्त जेना : जूनागढ़ का जो मामला है, यह अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने आइडेण्टिफाइ नहीं किया है कि इस मेले को स्टेट लेवल का दर्जा दिया जाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल आएगा तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट जरूर उस पर ध्यान देगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने प्रारूप नीति को परिचालित करने की पेशकश की है इससे अच्छी बात और क्या वह कर सकते हैं। वह उस पर आपकी राय जानना चाहते हैं। मैं मात्र यही जानना चाहता हूं कि इस नई नीति को आप कब तक परिचालित करेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : प्रारूप नीति लगभग तैयार है। इसको अंतिम रूप देने में और 7-8 दिन का समय लगेगा। तत्पश्चात मैं इसको परिचालित करूंगा .....*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, उनके पास वक्त बहुत कम है .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रारूप नीति सात दिन के अंदर परिचालित कर दी जाएगी। कृपया इस नीति का ध्यान से अध्ययन करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु मानदंड

*66. **डॉ॰ एम. जगन्नाथ** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रमों को श्रेणीबद्ध करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या मानदंडों में उल्लंघन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रायोजित कार्यक्रमों का शुल्क-दर ढांचा प्रसारण के समय और दिन, कार्यक्रम की विषय-वस्तु तथा लोकप्रियता, प्रायोजक एजेंसियों की मांगों और चैनल नेटवर्क की प्रसारण पहुंच सहित अनेक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन में उपलब्ध सूचना के अनुसार, हालांकि प्रायोजित कार्यक्रमों की दर निर्धारण संबंधी मानकों के उल्लंघन के बारे में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथापि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार ने कुछ मामलों में प्रयोजकता शुल्क के निर्धारण, निःशुल्क वाणिज्यिक समय देने और स्पाट खरीद दरों पर कुछ आपत्तियां की हैं। ऐसे सभी मामलों में दूरदर्शन द्वारा इन तीन कारकों में से एक या अधिक का विचलन किया गया था ताकि उक्त कार्यक्रमों की प्रायोजकता को आकर्षक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके जिससे दूरदर्शन से अत्यधिक आय भी अर्जित कर सकें।

डॉ॰ एम. जगन्नाथ : महोदय, संसद की लोक लेखा समिति ने दूरदर्शन से, इस शिकायत के आधार पर कि वे अपने नियमों को ताक पर रखकर एम.डी.टी.वी. जैसे निजी निर्माताओं को फायदा पहुंचाया है जो ''न्यूज दिस वीक'' कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं और जिस कारण उन्हें भारी घाटा होता है, यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि वह अपनी प्रायोजित कार्यक्रमों की लोकप्रियता की दर निर्धारित करने वाले मानदण्डों के बारे में बतायें। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रायोजित कार्यक्रमों का दैनिक प्रसारण का समय और दिन, विषय और कार्यक्रम की लोकप्रियता, प्रायोजित करने वाली एजेंसियों की मांग और चैनल/नेटवर्क की पहुंच सहित विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है।

दूरदर्शन ने स्वतः कहा है कि एन.डी.टी.वी. को 'क' श्रेणी में रखा गया है जबकि उसे 'ख' श्रेणी में रखा जाना चाहिए था। इसके कारण, दूरदर्शन को 352 लाख रुपए का घाटा हुआ था। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि एन.डी.टी.वी. को ''ख'' श्रेणी न दिए जाने के पीछे क्या विशिष्ट कारण थे। एन.डी.टी.वी. को ''क'' श्रेणी क्यों दिया गया?

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, लोक लेखा समिति इस बारे में जांच कर रही है। रिपोर्ट आ जाने पर, समिति जो भी राय दें मंत्रालय निश्चय ही जांच-पड़ताल करेगी।

डॉ॰ एम. जगन्नाथ : लेकिन इसके फलस्वरूप दूरदर्शन को 352 लाख रुपए की हानि हुई थी। प्रायोजित कार्यक्रम लाभोन्मुखी होना चाहिए।

श्री सी.एम. इब्राहीम : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में यह कहा है कि लोक लेखा समिति इसकी जांच कर रही है। मुझे अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट आ जाने पर ही मैं इस पर कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ।

डॉ॰ एम. जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में कुछ खामियां थीं। अतः मैं जानता चाहता हूँ कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा क्या आपत्तियां जतायी गई थीं। अपने उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा है कि इस कार्यक्रम से दूरदर्शन को ज्यादा राजस्व आदि की प्राप्ति होगी। लेकिन इस मामले में उलटा ही हुआ। दूरदर्शन को इससे 352 लाख रुपए की हानि हुई। ज्यादा राजस्व प्राप्त करने के बजाय इसे 352 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अतः माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूँ कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय उन लोगों के विरुद्ध, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, क्या कार्यवाही करना चाहती है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, दूरदर्शन एक बड़ा विभाग है। माननीय मंत्री ने पूछा कि क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है। छोटी-मोटी शिकायतों की संख्या वहां काफी है।

उन्होंने लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

आज तक के प्रोग्राम्स जैसे बाइबल की कहानियां, सुर्खियां, चित्रहार, श्रीकृष्ण, नजारे, अजनबी, वर्ल्ड दिस वीक, चंद्रकान्ता के बारे में एकाउंटेंट जनरल ने कुछ अपने विचार प्रकट किए हैं।

[अनुवाद]

डिटेल्ड इंक्वायरी हो रही है, जब इंक्वायरी हो जाएगी तो उसके बाद देखा जायेगा। हम इस मामले की छानबीन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री पी. नामग्याल : मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से एक जानकारी चाहता हूँ कि दूरदर्शन को देश में बढ़ावा देने के बाद जो आकाशवाणी सैक्टर है, जो ऑल इंडिया रेडियो है वह बिल्कुल निगलेक्ट हो गया है और खासकर जो दूर-दराज के इलाके के स्टेशन हैं, जैसे मेरा क्षेत्र लेह है या जो ट्राइबल एरियाज हैं, मैं मंत्री जी से स्पेसीफिकली जानना चाहता हूँ कि क्या आप इन स्टेशंस की ज्यादा पापुलेरिटी करवाने के लिए कोई ऐसे स्टेप्स उठाये हैं जिनसे वहां की कल्चर, लैंग्वेज की तरक्की हो सके और वहां के रहन-सहन के बारे में कोई तालीम दी जाए। जो इस वक्त प्रोग्राम्स आ रहे हैं वे बिलकुल गये-गुजरे प्रोग्राम्स होते हैं। जो अच्छे आफीसर्स हैं वे वहां जाने के लिए तैयार नहीं हैं और बहुत सारे घटिया लोग हैं जो वहां पर कई सालों से बैठे हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप वहां से घटिया लोगों को निकालकर अच्छे लोगों को वहां पर भेजेंगे ?

شری پی - نامگیال : میں آنریبل منسٹر صاحب سے ایک جانکاری چاہتا ہون

کہ دوردرشن کو دیش میں بڑھاوا دینے کے بعد جو آکاشوانی سیکٹر

ہے جو آل انڈیا ریڈیو ہے وہ بالکل نیگلیکٹ ہوگیا ہے اور خاص کر

دور دراز کے علاقے کے اسٹیشن ہے جیسے میرا علاقہ لیہہ ہے یا جو

ٹرائبل ایریاز ہیں میں منتری جی سے اسپیسیفیکلی جاننا چاہتا ہون کہ

کہ آپ ان اسٹیشنس کی زیادہ پاپولرٹی کروانے کے لئے کوئی ایسے اسٹیپس

اٹھائے ہیں جن سے وہاں کے کلچر لینگویج کی ترقی ہوسکے اور وہاں

کے رہن سہن کے بارے میں کوئی تعلیم دی جائے - جو اس وقت پروگرام

آرہے ہیں وہ بالکل گئے گذرے ہیں - جو آفیسر اچھے ہیں وہ وہاں

جانے کے لئے تیار نہیں ہیں اور بہت سارے گھٹیا لوگ ہیں جو وہاں

پر کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں - میں یہ جاننا چاہتا ہون کہ کیا

آپ وہاں سے گھٹیا لوگوں کو نکال کر اچھے لوگوں کو وہاں پر بھیجیں

گے ؟

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : जहां तक आप घटिया लोगों की बात कर रहे हैं तो काम के बारे में कोई स्पेसीफिक कंप्लेन्ट हमारे पास आयेगी तो हम इंक्वायरी करेंगे। अब कोई कितने साल से है और उसको निकालने की बात है तो वह जनरल ट्रांसफर के समय पर देखा जायेगा। जिस तरह से आपने कहा है टेलीविजन के आने के बाद रेडियो की पापुलेरिटी कम हुई है तो मेरा कहना यह है कि वह ठीक नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया रेडिया की पापुलेरिटी बढ़ती जा रही है। इसको भी सुनने वाले हैं और उसको भी देखने वाले हैं।

अपराह्न 12.00 बजे

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। दूरदर्शन की लोकप्रियता की वजह से बड़े फिल्म निर्माता अब दूरदर्शन मालिक बनने लगे हुए हैं। उनकी स्पर्धा में जो नये लोग दूरदर्शन मालिका बनाने जा रहे हैं। उनके लिए शुल्क दर और सीमा में सहूलियत देने के बारे में क्या मंत्रालय सोचता है ?

श्री सी.एम. इब्राहीम : इसमें नये और पुराने का सवाल नहीं है। जिसका प्रोग्राम अच्छा रहेगा उसको समय दिया जायेगा। .....*(व्यवधान)* नैचुरल है। पैसा तो देना ही है.....*(व्यवधान)* स्पोंसर्ड रेट जितना होता है उतना लेना ही होगा। नये प्रोड्यूसर और पुराने प्रोड्यूसर का सवाल नहीं है। जो प्रोग्राम अच्छा होता है, उसके आधार पर ही होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विमान कंपनियों के पनर्गठन संबंधी समिति

*267. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विमान कंपनियों के पुनर्गठन पर विचार करने हेतु सरकार द्वारा बनायी गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति की सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दोनों सरकारी विमान कम्पनियों को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस में हानियों

के कारणों की जांच करने तथा पूर्वस्थिति बहाली संबंधी कार्यनीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने पूर्वस्थिति बहाली संबंधी कार्यनीति की सिफारिश की है और निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं :

(1) वित्तीय पुनर्संरचना, जिसमें मुआवजे, मातहत ऋण, इक्विटी तथा इंडियन एयरलाइंस तथा इसके कर्मचारियों द्वारा अंशदान के रूप में 922 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश शामिल है।

(2) बेड़ा आयोजना।

(3) मार्ग यौक्तिकरण।

(4) संगठनात्मक पुनर्गठन।

(5) मानक संसाधन प्रबंधन।

(ग) सिफारिशों की जांच की जा रही है और अधिक यात्रियों को आकृष्ट करने और राजस्व में वृद्धि करने की दृष्टि से, एयर इंडिया और इंडियन एयरलइंस अपने उत्पाद, छवि और समय पर कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु कदम उठा रही है।

बाल श्रम

*268. **श्री बादल चौधरी :**
श्री वी. प्रदीप देव :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल मजदूरों को जोखिम भरे उद्योगों में काम पर लगाने पर प्रतिबंध के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश संविधान निर्माताओं के उन पावन निर्देशों की, जो संविधान के अनुच्छेद 24 में अभिव्यक्त किए गए हैं तथा संसद की उन इच्छाओं की जो बाल श्रम (प्रतिबंध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में निहित है, को ही परिलक्षित करता है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त प्रतिबंध को कारगर रूप से लागू करने हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय में और क्या निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) जोखिम भरे कार्यों में बाल श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालनार्थ क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.12.1996 के अपने निर्णय में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 और बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का हवाला देने के अलावा, जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों को कार्य से हटाए जाने और पुनर्वासित किए जाने की रीति तथा गैर-जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों की कार्य-दशाओं की विनियमित किए जाने एवं उन्हें बेहतर बनाये जाने की रीति के बारे में भी कतिपय निदेश दिए हैं। निर्णय में दिए गए निदेशों में अपराधी नियोक्ताओं द्वारा अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके जोखिमकारी व्यवसायों में नियोजित प्रत्येक बालक के लिए 20,000/- रुपये तक के मुआवजे का भुगतान किया जाना, ऐसे जोखिमकारी व्यवसायों से हटाए गए बालकों के स्थान पर परिवार के एक वयस्क सदस्य को वैकल्पिक रोजगार दिया जाना, इस प्रकार हटाए गए बालकों के लिए उपयुक्त संस्था में शिक्षा का प्रावधान किया जाना, बाल श्रम पुनर्वास और कल्याण निधि की स्थापना किया जाना आदि शामिल है।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, 26 दिसम्बर, 1996 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश भेजे गए हैं जिसमें उस रीति को बताया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी बनाया जा सकता है। कामकाजी बालकों को कार्य से हटाने तथा उनके पुनर्वास के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य-योजना तैयार किए जाने हेतु 22.1.1997 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इन विचार-विमर्शों पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण करवाए जाने के लिए मॉडल बाल श्रम सर्वेक्षण प्रपत्र के साथ दिशा-निर्देश, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भेज दिए गए हैं। दिशा-निर्देशों में अपराधी नियोजकों से मुआवजे की वसूली करने के साथ-साथ कार्रवाई किये जाने का भी प्रावधान है।

डाकघरों में बहुउद्देश्यीय कांउटर

*269. **श्री सतन मेहता** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों में बहुउद्देश्यीय काउंटरों पर कौन-कौन से कार्य होते हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में और विशेष रूप से गुजरात के डाकघरों में कितने बहुउद्देश्यीय काउंटर खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997 में और बहुउद्देशीय काउंटर खोलने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो ये राज्यवार किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) डाकघर में पीसी आधारित बहुउद्देश्यीय कांउटर मशीनें "सिंगल विंडो" सिद्धांत पर अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की अनेक कांउटर सेवाएं प्रदान करती हैं। कांउटर मशीनों के जरिए जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं; वे हैं :

(i) स्पीड पोस्ट डाक वस्तुओं

(ii) रजिस्टर्ड डाक वस्तुओं

(iii) पार्सलों

(iv) मनीआर्डरों

(v) मूल्यदेय डाक वस्तुओं-पत्र और पार्सलों की बुकिंग:

- डाक जीवन बीमा का प्रीमियम स्वीकार करना;

- अवर्गीकृत रसीदें जारी करना;

- टेलीफोन राजस्व जमा करने की रसीद देना।

विभाग ने वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में 1654 कम्प्यूटर आधारित कांउटर मशीनें लगाई हैं तथा इनमें से 86 कांउटर मशीनें गुजरात में लगाई गई हैं।

बहुउद्देश्यीय कांउटर मशीनों के साथ कांउटर सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम विभाग की वार्षिक योजना 1996-97 में भी चल रहा है और इस कार्यक्रम की वार्षिक योजना 1997-98 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। वर्ष 1996-97 में 1500 और 1997-98 में 1000 बहुउद्देश्यीय कांउटर मशीनें लगाने की योजना बनाई गई है।

संयुक्त संयंत्र समिति

*270. **श्री सुल्तान सलाउदीन ओवेसी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा संयुक्त संयंत्र समिति के वर्तमान सदस्य, इसकी भूमिका तथा कृत्यों का आकलन करने हेतु कोई विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो इसमें की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार लोहा तथा इस्पात संयुक्त संयंत्र पैनल को व्यापक बनाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अठणाचलम) : (क) और (ख) उदारीकृत आर्थिक परिदृश्य में सुयक्त संयंत्र समिति (जे.पी.सी) के संगठन और कार्यों को पुनः परिभाषित करने के लिए इस्पात मंत्रालय के पूर्व सचिव, श्री मूसा रजा की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने 26.2.1997 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) से (ङ) समिति की मुख्य सिफारिशों में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उन लोहा और इस्पात संयंत्रों से जिनकी न्यूनतम संस्थापित क्षमता 5 लाख टन वार्षिक है, प्रत्येक संयंत्र से एक प्रतिनिधि को शामिल करते हुए संयुक्त संयंत्र समिति का आधार विस्तृत करना, लोहे और इस्पात की विभिन्न एसोसिएशनों से जे.पी.सी. में एक समय में 5 सदस्यों का चयन करना जो सदस्य एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगे और सयुक्त संयंत्र समिति में रेलवे जल भूतल, कोयला और इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल करना आदि शामिल हैं।

जे.पी.सी. के कार्यों के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि इस्पात उद्योग की उन्नति और विकास से संबंधित मुद्दों पर सरकार को उपयुक्त सिफरिश करने, लोहा और इस्पात उद्योग के विकास के मार्ग में आने वाली अवसरंचनात्मक अड़चनों को दूर करने के लिए प्रबोधन करने, मूल्यांकन करने और उपचारात्मक उपाय करने, उद्योग को प्रभावित करने वाली विभिन्न राज्यों की राजकोषीय और अन्य नीतियों के क्षेत्रों का पता लगाने और उनके बारे में उपयुक्त सिफारिशें करने, बाजार विकास नीतियों के बारे में सुझाव देने, इस्पात के निर्माण और विपणन से संबंधित सभी पहलुओं जैसे, उत्पादन, खपत, विपणन, बिक्री, आयात और निर्यात, अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे रेल परिवहन, पत्तन, कोयला, विद्युत, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में व्यापार सूचना संबंधी आंकड़ों को संग्रहित करने, मिलान करने और विश्लेषण करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करना, विभिन्न इस्पात उपभोक्ताओं/उपभोक्ता एसोसिएशनों और इस्पात उत्पादकों/ एसोसिएशनों और व्यापारियों के साथ सतत कार्रवाई करके उद्योग और सरकार की सेवा और सूचना आवश्यकताएं पूरी करना, इस्पात विकास निधि के प्रबंधन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करना, उद्योग के साथ कार्रवाई करके उद्योग से वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव प्राप्त करना और मूल्यांकन करना और इस संबंध में इस्पात मंत्रालय को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए जे.पी.सी. एक निकाय होना चाहिए। उपलब्ध मानव संसाधनों और विशेषज्ञता का उपयोग करने को ध्यान में रखते हुए जे.पी.सी. की आर्थिक अनुसंधान इकाई की भूमिका को पुनः परिभाषित करने और कार्यों को पुनः रूपांकित करने के बारे में भी समिति ने सिफारिश की है।

समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

डीजल तथा बिजली से चलने वाले रेल इंजन की परिचालन लागत

*271. **श्री बी.एस. शंकर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय डीजल रेल इंजन तथा विद्युत रेल इंजन की प्रति कि.मी. तुलनात्मक परिचालन लागत क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और 31 दिसंबर, 1996 तक देश में कितने लम्बे रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने लम्बे रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) वर्ष 1994-95 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए बड़ी लाइन पर डीजल और बिजली कर्षण रनिंग के प्रति 1000 सकल टन कि.मी. तुलनात्मक लागत निम्नानुसार है :

(आंकड़े रुपयों में)

	यात्री	माल
डीजल	99.58	65.51
बिजली	94.33	52.37

(ख) पिछले तीन वर्षों में विद्युतीकृत किया गया मार्ग कि.मी. निम्नानुसार है :

1993-94	505 कि.मी.
1994-95	473 कि.मी.
1995-96	609 कि.मी.

31 दिसंबर, 1996 तक विद्युतीकृत किया गया कुल मार्ग कि.मी. 13085 है।

(ग) रेलों के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक

*272. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) ऐसे कौन से देश हैं जहां से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कम है;

(ग) क्या इन देशों से पर्यटन को बढ़वा देने हेतु कोई विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) और (ख) प्रत्येक देश से पर्यटक आगमन के घटते-बढ़ते ब्यौरे क्रमवार नीचे दिए गए हैं:

राष्ट्रीयता	1994	1995	1996*	प्रतिशत अन्तर	
				1995/94	1996/95
1	2	3	4	5	6
यू.के.	300696	334892	364964	11.4	9.0
बंगलादेश	262271	318474	322355	12.8	1.2
यू.एस.ए.	176482	203343	224772	15.2	10.5
श्रीलंका	89009	114157	107722	28.3	-5.6
जर्मनी	85352	89040	99593	4.3	11.9
जापान	63398	76042	95412	19.9	25.5
फ्रांस	73088	82349	94581	12.7	14.9
कनाडा	56441	63821	72299	13.1	13.3
इटली	43510	53015	50299	21.8	-5.1
मलेशिया	40762	50039	50033	22.8	0.0
सिंगापुर	44157	48632	49719	10.1	2.2
आस्ट्रेलिया	33142	36150	46931	9.1	29.8
सी.आई.एस.	56387	40665	42643	-27.9	4.9
नीदरलैंड	35094	40147	41941	14.4	4.5
पाकिस्तान	42146	42981	41810	2.0	-2.7
स्विटरजलैंड	30102	29388	35821	-2.4	21.9
स्पेन	21436	24411	25506	13.9	4.5
बेल्जियम	13931	18732	22604	34.5	20.7
स्वीडन	13872	19013	21838	37.1	14.9
यू.ए.आई.	30503	19749	20729	-35.3	5.0
केन्या	14404	17389	19236	20.7	10.6
इजराईल	12098	14606	18918	22.4	27.8
ओमान	14511	17060	17352	17.6	1.7
सऊदी अरब	15524	16252	17271	4.7	6.3
थाईलैंड	16313	14462	16480	-11.3	14.0

1	2	3	4	5	6
आस्ट्रीया	12083	13114	16330	8.5	24.5
फिनलैंड	6438	10659	16504	65.6	54.8
अफगानिस्तान	*4223	10942	15653	159.1	43.1
कोरिया (दक्षिण)	7227	9831	15571	36.0	58.4
यमन अरब रिपब्लिक	11696	16777	14294	43.4	-14.8
डेनमार्क	9418	14128	13126	50.0	-7.1
बहरीन	11166	12343	11716	10.5	-5.1
ईरान	14775	12337	11662	-16.5	-5.5
न्यूजीलैंड	8078	10700	11087	32.5	3.6
मारीशस	10348	11353	9977	9.7	-12.1
हांककांग	8147	9590	9388	17.7	-2.3
नार्वे	5105	6803	7805	33.3	14.7
इंडोनेशिया	6125	7795	7614	27.3	-2.3
चीन (ताईवान)	2680	3516	7312	31.2	108.0
पुर्तगाल	5366	6679	7251	24.5	11.9
पौलैंड	4492	5470	6121	21.8	11.9
ग्रीस	4345	4872	6090	12.1	25.0
आयरलैंड	3790	5666	5793	49.5	2.2
फिलीपीन	4297	5580	5234	29.9	-6.2
ब्राजील	3184	4201	4822	31.9	14.8
मिस्र	2819	3090	3284	9.6	6.3
कुवैत	6638	3600	2719	-45.8	-24.5
चकोस्लोवाकिया	1980	2314	2645	16.9	14.3
अर्जेन्टीना	1823	2072	2613	13.7	26.1
कतर	3594	3668	2346	2.1	-36.1
मैक्सिको	1615	2142	2157	32.6	0.7
जार्डन	2219	3335	2135	50.3	-36.0
हंगरी	1496	1548	2038	3.5	31.7
तुर्की	1409	1835	1940	30.2	5.7
युगोस्लाविया	647	1154	1725	78.4	49.5
फिजी	1781	2094	1710	17.6	-18.3
रोमानिया	653	1457	1698	123.1	16.5
लेबनान	1024	1422	1468	38.9	3.2
सिरिया	2702	1823	1254	-32.5	-31.2
ईराक	540	1359	1184	151.7	-12.9
बुल्गारिया	405	667	733	64.7	9.9
लम्बर्ग	447	543	457	21.5	-15.8
साईप्रस	348	582	433	67.2	-25.6
आईसलैंड	59	96	112	62.7	16.7
अन्य	106622	121582	131028	14.0	7.8
जोड़	1886433	2123683	2287860	12.6	7.7

* अनुमानित।

(ग) और (घ) उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए विदेशों में प्रचार और संवर्धन मुख्यतया उच्च सभाव्यता वाली मार्केटों तक ही सीमित है। तथापि, पर्यटन विभाग के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनः स्थापित करके नई और उभरी मार्केटों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक की हट्टी सोना खानों से सोने का उत्खनन

*273. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक की हट्टी सोना खान में सोने के भंडार की उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में अनुमानतः सोने का कुल कितना भंडार है; और

(ग) उपर्युक्त सोना खानों में उपलब्ध सोने का पूर्ण उत्खनन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के हट्टी ब्लाक से सटे हुए सात ब्लाकों में 3.014 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का पता लगाने के अलावा हट्टी ब्लाक में 55.13 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का पता लगाया है। अन्य पांच ब्लाकों में निम्न श्रेणी अयस्क और अस्थायी अयस्क क्षेत्र का भी पता लगाया गया है।

(ग) हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड एक विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजना में जुटा हुआ है ताकि प्रति व्यति पारी (उत्पादकता) में 0.20 से 0.65 ग्राम तक सुधार किया जा सके और इस प्रकार खनन और स्वर्ण उत्पादन की लागत में कमी भी लाई जा सके। ऐसा करके कम्पनी को निम्न श्रेणी अयस्क निक्षेपों का खनन करने की अनुमति मिल जाएगी।

[हिन्दी]

हवाई यातायात में अत्यधिक वृद्धि

*274. **प्रो॰ ओम पाल सिंह "निडर" :***
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसी बुनियादी ढांचागत विकास बिना हवाई यातायात में अत्यधिक वृद्धि से विमान दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने विमान दुर्घटनाओं को रोकने हेतु बुनियादी ढांचागत विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) हवाई अड्डे की आधारभूत संरचना का विकास तथा संचार/दिक्चालनात्मक सुविधाओं का संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। बढ़ते हुए हवाई यातायात सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में योजनाएं बनाई हैं :

(1) 423.89 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिल्ली/मुम्बई हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण। यह परियोजना जून, 1997 तक चालू हो जाएगी।

(2) अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास तथा गुवाहाटी में गौण-निगरानी राडारों की संस्थापना का कार्य 1997 में पूरा हो जाएगा।

(3) हैदराबाद तथा तिरूवनन्तपुरम हवाई अड्डों पर गौण निगरानी राडार पहले ही चालू हो चुके हैं।

[अनुवाद]

जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग

*275. **श्री नीतिश भारद्वाज** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में अस्थिर परिस्थितियों के कारण देश के पर्यटन उद्योग को कितनी क्षति हुई है; और

(ख) इस उद्योग की पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि इसको पहले जैसा दर्जा और महत्व दिलाया जा सके ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) कश्मीर घाटी में पर्यटन उद्योग को, उस क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति होने के कारण धक्का लगा। तथापि, अन्य क्षेत्रों में तथा पूरे देश में पर्यटन उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) राज्य में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए, जम्मू व कश्मीर राज्य की सरकार द्वारा पर्यटन को एक उद्योग के रूप में घोषित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने, पर्यटन उद्योग के सभी ऋणियों, जो उग्रवाद से प्रभावित हुए हैं तथा जिनके मूल ऋण 50,000/- रुपये से कम थे, के ऋण तथा ब्याज रद्द कर दिए हैं। सरकार ने लेह में हुए समागम/सम्मेलन कक्ष की स्थापना हेतु एक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात उद्योग

*276. **जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :***
श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 दिसम्बर, 1996 के दैनिक "बिजिनेस स्टैण्डर्ड" में "इंडिया अनलाइकली टू हैव कंटिग इज् इन स्टील मार्केट स्टडी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विश्व बैंक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय इस्पात उद्योग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों की जांच की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) सरकार का ध्यान 27 दिसंबर, 1996 के समाचार पत्र "बिजनैस स्टैण्डर्ड" दिल्ली में "इण्डिया अनलाइकली टू हैव कटिंग एज् इन स्टील मार्केट स्टडी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है।

इन्टरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन, वाशिंगटन के दो विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर "द चैलेन्ज ऑफ फाइनेसिंग इंडियन आयरन एंड स्टील एक्पेंशन इन द नाइनटीन नाइनटीज एंड बियोंड" शीर्षक के तहत तैयार किए गए अपने दस्तावेज में पूंजीगत लागत और आधारभूत अवसंरचना की कमी पर विचार व्यक्त करते हुए कहा गया है कि संरक्षण की कमी से भारतीय इस्पात उत्पादकों को और अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

(घ) और (ङ) सरकार समाचार पत्र में उठाए गए मुद्दों से अवगत है। अवसंरचना संबंधी मुद्दों जैसे विद्युत, सड़क, रेलवे, पत्तन इत्यादि पर सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है।

[अनुवाद]

लोकोमोटिव की संख्या

*277. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के लिए यात्री परिवहन कुलाई में वृद्धि से निपटने के लिए जोनवार वर्गीकृत मानदंड के अनुरूप कुल अनुमानित अतिरिक्त लोकोमोटिव इंजनों की आवश्यकता की तुलना में डिवीजन-वार/जोनवार वर्गीकृत मानदंड के अनुरूप कुल कितने लोकोमोटिव हैं;

(ख) आगामी पांच वर्षों के लिए पुराने इंजनों को चरणबद्ध रूप से हटाने/समुचित प्रोद्योगिकीय उन्नयन के द्वारा पुराने इंजनों की मियाद बढ़ाने हेतु अंतिम रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इतनी अधिक राशि जुटाने के लिए क्या नीति तैयार की गई है;

(घ) क्या भारतीय लोकोमोटिव का उन्नयन/लोकोमोटिव का आयात करने और एकर्कों के आधुनिकीकरण के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी मांगी गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्यान्वित करने के लिये मंजूर/विचाराधीन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) भारतीय रेलों पर 31.3.96 को बिजली, डीजल और भाप रेल इंजनों की कुल संख्या क्रमशः 2387, 4313, और 209 थी। जिनका रेलवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

रेलवे	बिजली रेल इंजन	डीजल रेल इंजन	भाप रेल इंजन	कुल रेल इंजन
मध्य रेल	596	660	3	1259
पूर्व रेल	381	524	–	905
उत्तर रेल	253	654	4	911
पूर्वोत्तर रेल	–	221	55	276
पूर्वोत्तर सीमा रेल	–	226	54	280
दक्षिण रेल	150	434	10	594
दक्षिण मध्य रेल	208	441	–	649
दक्षिण पूर्व रेल	491	619	4	1114
पश्चिम रेल	308	534	79	921
सभी रेलों पर कुल जोड़	2387	4313	209	6909

भारतीय रेलों पर भविष्य में जरूरत पड़ने वाले रेज इंजनों की कुल संख्या का जायजा लिया जाता है न कि मंडल-वार/क्षेत्र-वार, आगामी 5 वर्षों (1997-2002) में बढ़ते हुए यात्री और माल यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त रेल इंजनों की संख्या 900 डीजल रेल इंजनों तथा 1050 बिजली के रेल इंजन होगी। इनमें से 400 डीजल रेल इंजन और 200 बिजली रेल इंजन बदलाव खाते में होंगे और प्रत्येक में से 100 रेल इंजन डी.एम.ए./एम.ई.एम.यू. को चलाने से निर्मुक्त (रिलीज) हो जाएंगे।

(ख) नौवीं योजना के दौरान पुराने इंजनों की जगह 400 डीजल रेल इंजनों और 200 बिजली रेल इंजनों की खरीद किए जाने की योजना है क्योंकि इन रेल इंजनों की आयु को तकनीकी अपग्रेडेशन से बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि ये रेल इंजन 1950/1960 के समय के हैं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में डीजल और बिजली रेल इंजनों की खरीद के लिए 8,629 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है। उक्त राशि की व्यवस्था आंतरिक संसाधनों के सृजन, बजटीय सहायता, बोल्ट (बनाइए, स्वामी बनिए, पट्टे पर दीजिए और हस्तांतरित कीजिए) योजना और भारतीय रेल वित्त निगम (आई.आर.एफ.सी.) के जरिए बाजार से ऋण लेकर करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) तीन फेज वाले अत्याधुनिक 6000 हार्स पावर के 33 बिजली रेल इंजनों को (अतिरिक्त कलपुर्जों के बदले 3 सहित)

मैसर्स ए.बी.बी. स्विटजरलैंड से ए.डी.बी. (एशियाई विकास बैंक) और एग्जिम बैंक, जापान से मिलने वाले ऋण से टेक्नालॉजी के हस्तांतरण सहित खरीदा गया है। इस किस्म के बिजली रेल इंजनों के निर्माण के लिए चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन में रेल इंजनों के उत्पादन की क्षमताओं को अपग्रेड करने तथा उन्हें आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, मैसर्स जनरल मोटर्स, संयुक्त राज्य अमरीका से टेक्नालाजी के हस्तांतरण सहित 4000 हॉर्स पावर के अत्याधुनिक 21 अदद् (अतिरिक्त कलपुर्जों के बदले एक रेल इंजन सहित) डीजल रेल इंजनों की भी खरीद की जा रही है। डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में निर्माण क्षमता को अपग्रेड करने/उसे आधुनिक बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

टेलीफोन विभाग में भ्रष्टाचार

*278. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोन विभाग में भारी पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार तथा टेलीफोन उपभोक्ताओं और अन्य उपभोक्ताओं के साथ हो रही धोखाधड़ी से अवगत है जिसके परिणामस्वरूप विभाग को राजस्व की भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का इस समस्या को हल करने हेतु मजदूर नेताओं से सहयोग लेने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि समय-समय पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों की जांच-पड़ताल विभागीय सतर्कता तंत्र और सी.बी.आई. द्वारा की जाती है तथा यदि ऐसी किसी अनियमितता में कोई विभागीय कर्मचारी लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) शिकायतों की जांच-पड़ताल एक गोपनीय प्रक्रिया है जिसमें व्यापार संघों की ऐसासिएशनों से सहयोग लेना उचित नहीं समझा जाता है।

प्रसारण विधेयक

*279. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़**
श्री माधवराव सिंधिया

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसारण विधेयक पर विचार करने क लिए गठित उपसमिति ने अब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) प्रसारण विधेयक पर कोई उप-समिति गठित नहीं की गई है। लेकिन सरकार, प्रसारण विधेयक से संबंधित विभिन्न विषयों की अलग-अलग स्तरों पर जांच कर रही है।

प्राइवेट एयरलाइन की सेवाओं की शुरूआत

*280. **श्री सोडनवीर** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट एयरलाइनों के विमान प्रचालन सेवा में आ जाने से हवाई यातायात में राष्ट्रीय एयरलाइनों की भागीदारी कम हो गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो राष्ट्रीय एयरलाइनों की ओर यात्रियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स ने उत्पाद सुधार, वाणिज्यिक पहल, यात्रियों की सुविधा और प्रचार अभियान के जरिए प्रतिस्पर्धा का सामना करने और यात्रियों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं।

काजू श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजना

2875. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1 अक्टूबर, 1996 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (काजू श्रमिक) योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समाप्त किये जाने के फैसले पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की परिधि में आने वाले काजू कारखानों में कार्यरत काजू कर्मकार योजना के अन्तर्गत मुहैया कराये गए अनुसार क.रा.बी. लाभों के हकदार हैं। तथापि, काजू, कर्मकारों

का एक वर्ग योजना के अन्तर्गत निर्धारित अंशदायी शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण रुग्णता लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। ऐसे काजू कर्मकारों की समस्या का क.रा.बी. निगम जांच-पड़ताल कर रहा है। इस बीच इन कर्मकारों द्वारा क.रा.बी. योजना के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ, अपंगता लाभ, आश्रितों को मिलने वाला लाभ और प्रसूति लाभ जैसे अन्य लाभों का प्राप्त किया जाना जारी है।

अंडाल-सैंथिया सेक्शन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण

2876. **श्री डाराधन राय** : क्या **रेल मंत्री** 19 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4121 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेल के अंडाल-सैंथिया सेक्शन पर विद्युतीकरण तथा दोहरीकरण का कार्य किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) उपर्युक्त सेक्शन की उपयोग-क्षमता क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त सेक्शन अब दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण के योग्य है; और

(घ) यदि हाँ, तो दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) संसाधनों की तंगी तथा अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता के कारण इस समय पूर्व रेलवे के अंगल-सैथिया खण्ड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस खण्ड पर यातायात का स्तर इसके दोहरीकरण के औचित्य के लिए प्रर्याप्त नहीं है।

(ख) इस खण्ड का क्षमता उपयोग इस प्रकार है :

उप खण्ड	मार्ग कि.मी.	उपयोग
1. अंडाल-उखरा	12.01	98.4%
2. उखरा-पांडवेश्वर	8.33	63.4%
3. पांडवेश्वर-सैंथिया	53.06	70%

(ग) और (घ) विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है और इसलिए केवल उन्हीं बड़ी लाइन मार्गों के विद्युतीकरण पर विचार किया जाता है जिन पर यातायात घनत्व ज्यादा होता है और निवेश पर प्रतिफल न्यूनतम निर्धारित से कम नहीं होता है। खण्ड की खुलाई क्षमता संतृप्त हो जाने के बाद ही दोहरीकरण किया जाता है। इस समय अंडाल-सैंथिया खण्ड दोहरीकरण अथवा विद्युतीकरण के लिए अर्हक नहीं है।

बिना एस.टी.डी. सुविधाओं वाले टेलीफोन एक्सचेंज

2877. **श्री चिन्तामन वानगा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलेवार ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं जहां अभी भी एस.टी.डी. सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) इन एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ग) इन टेलीफोन एक्सचेंजो में एस.टी.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) महाराष्ट्र में 1103 टेलीफोन एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधा से नहीं जोड़ा गया है। इसके जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2000 तक सभी एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस.टी.डी. प्रदान करने के लिए, टेलीफोन एक्सचेंजों, का उन्नयन करने एवं संचारण माध्यम की व्यवस्था करने हेतु वार्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं।

1997-98 के लिए योजनाएं पहले से ही बना ली गई हैं और उसके लिए आधारभूत संरचना और अपेक्षित उपस्कर प्रदान करने के लिए कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है

विवरण

31.1.97 तक जिन टेलीफोन एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधा से नहीं जोड़ा गया है, उनके जिला-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं

क्र.सं.	जिला	एस.टी.डी. सुविधा रहित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	रायगढ़	1
2.	जलगांव	4
3.	नासिक	98
4.	धुले	57
5.	कोल्हापुर	27
6.	शोलापुर	95
7.	सतारा	75
8.	सांगली	13
9.	रत्नगिरी	65

1	2	3
10.	सिंधुदुर्ग	–
11.	अहमदनगर	119
12.	औरंगाबाद	59
13.	जालना	33
14.	लातूर	50
15.	उस्मानाबाद	33
16.	नांदेड़	51
17.	परभनी	24
18.	बीड़	45
19.	पुणे	22
20.	नागपुर	30
21.	कल्याण	14
22.	अकोला	9
23.	अमरावती	18
24.	भंडारा	27
25.	बुल्धाना	57
26.	चन्द्रापुर	25
27.	गढ़चोरोली	4
28.	वारधा	21
29.	यवतमाल	27
	जोड़	1103

भविष्य निधि का निवेश

2878. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, मुम्बई द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि को धनराशि का संबंधित अधिकारियों को बिना किसी मंजूरी के कम्पनी के अंदर ही अन्यत्र निवेश किया जा रहा है;

(ख) क्या कम्पनी पूर्व कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि मांगे जाने के बावजूद भी अदा नहीं कर रही है;

(ग) क्या कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम लागू करने हेतु अभी तक कार्यवाही नहीं की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) इस कम्पनी की ओर से कोई ऐसी अनियमितता देखने से नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रेलवे स्टेशनों का विस्तार

2879. **प्रो० पी. जे. कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल में कायमकुलम, मावलिकार, चेत्रगत्तूर तथा थेरूबली रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के संबंध में कुछ अभ्यावदेन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा इन स्टेशनों के विस्तार हेतु प्रस्तावित कार्य योजना क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) माननीय सदस्यों से कायनकुलम, मावेलिकाड़ा, चेंगन्नूर और तिरूवल्ला स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) कायनकुलम में प्लेटफार्म संख्या-1 की सतह को ऊंचा उठाने, प्लेटफार्म संख्या 2/3 पर सायवानों के विस्तार, स्टेशन बिल्डिंग के ढांचे में परिवर्तन करने, स्टेशन बिल्डिंग के सौन्दर्यकरण और प्रतीक्षालय सुविधाओं की व्यवस्था करने के कार्य को 54.75 लाख रुपये की लागत से शुरू किया गया है और 1997-98 के दौरान पूरा होने की संभावना है। मावेलिकाड़ा स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 2 की सतह को ऊंचा करने और प्लेटफार्म संख्या 2 पर सायवान के विस्तार कार्य को 21.63 लाख रुपये की लागत से शुरू किया गया है और 1997-98 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

चेंगन्नूर स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 2 के सायवान के विस्तार को 4.45 लाख रुपये की लागत से शुरू किया गया है और 1997-98 के दौरान् पूरा होने की संभावना है। फिलहाल, तिरूवल्ला में कोई निर्माण कार्य नहीं है।

उच्च श्रेणी तथा शयनयान श्रेणी के कोटे की वृद्धि

2880. **श्री बलाई चन्द्र राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्धमान, पानागढ़, रानीगंज, दुर्गापुर, आसनसोल स्टेशनों पर और ज्यादा रेल यात्रियों के लिए रेलगाड़ियों में जगह बनाने के लिए इन स्टेशनों पर रुकने वाली सभी रेलगाड़ियों में उच्च श्रेणी तथा शयनयान श्रेणी के कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) रानीगंज, दुर्गापुर और आसनसोल स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, इस प्रकार, इन स्टेशनों पर स्टेशन कोटा के तहत् ही नहीं अपितु उनके मौजूदा आरक्षण कोटा के पूरा हो जाने के बाद प्रारंभिक स्टेशन से भी आरक्षित स्थान बुक किए जा सकते हैं। बर्द्धमान में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की व्यवस्था शीघ्र होने वाली है। इस सुविधा के चालू हो जाने से इस स्टेशन पर वही सुविधाएं होंगी जैसा कि रानीगंज, दुर्गापुर और आसनसोल में उपलब्ध हैं। पानागढ़ में मौजूदा कोटे का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः उसे पर्याप्त समझा जाता है।

कोंकण रेल

2881. **श्री ए.सी. जोस :**
श्री ए.जी.एस. रामबाबू :
श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अधूरे सुरंग के कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) यात्री/माल परिवहन के लिए किन-किन खंडों को खोला गया है अथवा खोले जाने का विचार है;

(घ) यात्री परिवहन शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) कोंकण रेल की सम्पूर्ण परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और इससे मुख्यतया कौन-कौन से राज्य लाभान्वित होंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 28 फरवरी 97 तक कार्य की भारित वास्तविक प्रगति 98.20 प्रतिशत है।

(ख) अधूरी सुंरग की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है :

	लम्बाई (मीटर)	शेष कार्य		पूरा होने की लक्ष्य तिथि
		हैडिंग (मीटर)	बेंचिंग (मीटर)	
व्यानडोरा	1960	30	15.0	31.3.97
पाडी	1915	–	60.0	30.4.97
ओल्ड गोवा	542	–	144.0	31.5.97
पेरनेम	1534	282.0	539.0	30.6.97

(ग) और (ङ) रोहा-सावन्तवाडी (364 कि.मी.) और मंगलौर-कुन्डापुरा (100 कि.मी.) कार्य पहले ही शुरू हो गया है। कुन्डापुर-केनाकोना खंड का कार्य 30.4.97 तक पूरा होने की संभावना है। कोंकण रेलवे की समग्र लंबाई माल यातायात के लिए जुलाई 97 तक और उसके तुरन्त बाद यात्री यातायात के लिए खोले जाने की संभावना है, बशर्ते कि उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित लक्ष्य के अनुसार परेनेम सुरंग का कार्य पूरा हो जाए।

महाराष्ट्र-गोवा कर्नाटक और केरल राज्य मुख्य रूप से लाभार्थी हैं।

(घ) विलंब के मुख्य कारण हैं, संसाधनों की तंगी और गोवा तथा कर्नाटक क्षेत्र में नरम मिट्टी वाली सुरंगों में प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां।

भारत पर्यटन विकास निगम को बन्द करना

2882. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन संगठनों के अंतर्गत कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल में किसी अन्य स्थान पर नए होटलों का निर्माण किया जाएग; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना में वर्ष 1997-98 के लिए कलकत्ता सहित पश्चिम बंगाल राज्य में कोई नया और होटल निर्माण करने के लिए कोई योजना/ प्रावधान शामिल नहीं है।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंज

2883. **श्री अनिल बसु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो जिला-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) 1997-98 के कमीशनिंग प्रोग्राम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जलपाईगुड़ी के लिए विमान सेवा

2884. **प्रो० जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जलपाईगुड़ी को हवाई मार्ग से जोड़ने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) जलपाईगुड़ी पर कोई भी हवाई अड्डा/हवाई पट्टी उपलब्ध नहीं है। तथापि, विमान परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति बागडोगरा हवाई अड्डे से की जा रही है जो जलपाईगुड़ी के बहुत अधिक समीप है।

राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों की कम संख्या

2885. **श्री महबूब जहेदी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2309/2310 राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम है;

(ख) यदि हाँ, तो यह भी सच है कि लखनऊ-नई दिल्ली मार्ग में यात्रियों की संख्या कम होती है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पटना यात्री-गाड़ी को वाराणसी-लखनऊ की बजाय मुगलसराय-इलाहाबाद होते हुए चलाने के लिए लोगों द्वारा की जा रही मांग से भी अवगत है;

(ङ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इस गाड़ी को गुरुवार और रविवार को पटना से तथा सोमवार और शुक्रवार को नई दिल्ली से चलाने पर भी विचार कर रही है;

(छ) यदि हाँ, तो इस मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) 2309/2310 पटना-नई दिल्ली-पटना राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में दोनों दिशाओं में विभिन्न श्रेणियों में 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक स्थान का उपयोग होता है, 2309 पटना - नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 2 टियर वाता. और 3 टियर वाता. में लखनऊ को आवंटित कोटे का क्रमशः 62.5 प्रतिशत और 53 प्रतिशत उपयोग होता है।

(घ) और (ङ) 2309/2310 नई दिल्ली-पटना राजधानी एक्सप्रेस के रास्ते इलाहाबाद-मुगलसराय चलाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इसके अलावा पटना से बृहस्पतिवार और रविवार को तथा नई दिल्ली से पटना के लिए सोमवार और शुक्रवार को राजधानी सेवा उपलब्ध हैं।

बंडेल रेलवे स्टेशन पर पैदल उपरि पुलों का निर्माण

2886. **श्री रूप चंद पाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के हावड़ा मण्डल के अन्तर्गत बंडेल रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले पैदल उपरि पुलों के निर्माण के संबंध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल बंडेल स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रख-रखाव सुविधा

2887. **श्री ऊधव बर्मन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी तथा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशनों पर एयर-ब्रेक तथा वातानुकूलित सवारी डिब्बों के रख-रखाव संबंधी सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) फिलहाल, गुवाहाटी कोचिंग डिपो से वात ब्रेक और वातानुकूल कोचिंग स्टाफ के लिए अनुरक्षण संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। निकट भविष्य में न्यू जलपाईगुड़ी कोचिंग डिपो की सुविधाओं को आशोधित किया जायेगा।

हावड़ा रेलवे स्टेशन पर एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ का खोला जाना

2888. **डॉ॰ असीम बाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 9 पर एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्लेटफार्म पर ऐसे बूथ खोलने में हो रही देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बूथ को जल्द खोलने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हावड़ा से हल्दिया के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

2889. **श्री रूप चन्द मुर्मू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हावड़ा से हल्दिया के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी सेवा शुरू किए जाने के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) इस समय हावड़ा और हल्दिया के बीच ई.एम.यू. स्थानीय गाड़ियां चल रही हैं। हावड़ा और हल्दिया के बीच अतिरिक्त तीव्र गाड़ी सेवाओं के चलाने की जांच की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

उल्टाडांगा रेलवे स्टेशन के निकट उपमार्ग का निर्माण

2890. **श्री तरित बरन तोपदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पश्चिम बंगाल में उल्टाडांगा रेलवे स्टेशन के निकट एक उपमार्ग का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में अपने हिस्से की लागता का योगदान दिया है और रेलवे को भूमि उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि हाँ, तो उपर्युक्त कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और यह कब तक पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हाँ, निक्षेप शर्तों पर।

(ख) 3.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में से राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य सरकार 15/3/97 तक अपेक्षित सड़क क्षेत्र (भूमि) देने के लिए सहमत हो गई है।

(ग) राज्य सरकार ने अप्रैल, 1996 में इस स्थान पर 3 मीटर व्यास वाले पाइप के सीवर और जक्शन प्रबंध के ब्यौरे सुलभ करा दिए हैं तथा उनके द्वारा अपेक्षित भूमि के (26 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल) रेलों को अभी सौंपी जानी है।

(घ) राज्य सरकार की रेलों को अपेक्षित भूमि दिए जाने की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए कार्य को 31/3/98 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

रेडिया स्टेशन, करीमगंज

2891. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री करीमगंज, असम में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के बारे में 28 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त रेडियो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक इसके शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) असम में करीमगंज में 20 कि.वा.मी.दे. ट्रांसमीटर सहित एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है बशर्ते धनराशि तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इस प्रकार की स्कीम के कार्यान्वयन में सामान्यतया स्कीम को मंजूरी प्राप्त होने के बाद तीन से चार वर्ष का समय लगता है।

स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

2892. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र हैं और प्रत्येक सर्किल में कितने प्रतिशत खराबियों की सूचना मिली है;

(ख) गैर-स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों की संख्या क्या है और इन्हें स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों में परिवर्तित करने हेतु कितने समय की आवश्यकता है; और

(ग) अपने स्वचालित टेलीफोन केंद्रों के विकास और उत्पादन करने में देश की क्या क्षमता है और स्वचालित टेलीफोन केंद्रों का वार्षिक उत्पादन कितना है और इस उद्देश्य हेतु कितना व्यय होगा ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.1.97 की स्थिति के अनुसार देश में 22,302 स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज हैं। प्रत्येक सर्किल के दोष दरों का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश के सभी टेफीफोन एक्सचेंज स्वचालित किस्म के हैं।

(ग) अद्यतन प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल स्वचालित एक्सचेंज विकसित तथा उत्पादित करने की क्षमता देश में उपलब्ध है।

दूरसंचार विभाग का अग्रणी अनुसंधान यूनिट सी-डॉट ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रयोग हेतु विभिन्न क्षमता वाले डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की डिजाइनें तैयार की हैं तथा उनका विकास किया है।

देश में 32 सी-डॉट डिजिटल एक्सचेंज उत्पादन करने वाले विनिर्माता हैं। सी-डॉट प्रोद्योगिकी वाले स्वचालित एक्सचेंज के विनिर्माण के लिए प्रति वर्ष कुल उत्पादन क्षमता 2.87 मिलियन लाइन है। इसका वार्षिक उत्पादन आदेशों (आर्डरों) की मात्रा पर निर्भर करता है। सी-डॉट विनिर्माताओं द्वारा किया गया कुल विनिवेश 115 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रौद्योगिकियों पर आधारित स्वचालित एक्सचेंज के विनिर्माण के लिए देश में प्रतिवर्ष लगभग 4 मिलियन लाइनों के विनिर्माण की क्षमता उपलब्ध है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के लिए प्रति माह/प्रति 100 स्टेशन/दोषों की संख्या

क्र.सं०	सर्किल/मेट्रो/जिला	संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एंड निकोबार	19.9
2.	आंध्र प्रदेश	12.4
3.	असम	15.4
4.	बिहार	12.8
5.	गुजरात	22.1
6.	हरियाणा	15.4
7.	हिमाचल प्रदेश	16.0
8.	जम्मू एवं कश्मीर	15.6
9.	कर्नाटक	13.8
10.	केरल	14.1
11.	मध्य प्रदेश	11.9
12.	महाराष्ट्र	14.6
13.	उत्तर-पूर्व	8.9
14.	उड़ीसा	11.7
15.	पंजाब	17.0
16.	राजस्थान	20.1
17.	तमिलनाडु	10.3
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	15.4
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	19.0
20.	पश्चिम बंगाल	14.9
21.	मुम्बई	14.8
22.	कलकत्ता	20.6
23.	दिल्ली	24.0
24.	चेन्नई	20.7

रेलगाड़ियों का दैनिक परिचालन

2893. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** 19 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं० 4158 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक रेलगाड़ी 2815/2816 नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस की परिचालन संबंधी दिक्कतों को दूर किया जाना संभव नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रेलगाड़ी को एअर ब्रेक वाली रेलगाड़ी में परिवर्तित करके इसकी तकनीकी मुश्किलों को दूर किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि इसमें ए सी 3 टिअर डिब्बों को जोड़ा जा सके;

(घ) यदि हाँ, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस रेलगाड़ी को एअर ब्रेक वाली रेलगाड़ी में कब तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) मार्ग संबंधी कठिनाइयों के कारण इस समय 2815/2816 नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाना संभव नहीं है क्यों कि अन्य तीन दिनों में उसी मार्ग पर 8475/8476 नीलाचंल एक्सप्रेस चलती है।

(ग) से (ङ) लम्बी दूरी की गाड़ियों में बात ब्रेक और वातानुकूल 3 टियर सवारी डिब्बों की व्यवस्था चरणबद्ध रूप में की जा रही है। नई दिल्ली और पुरी के बीच पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में 1996-97 के दौरान बात ब्रेक तथा वातानुकूल 3 टियर की व्यवस्था कर दी गई है, इसी प्रकार की अन्य मांगों के साथ-साथ आने वाले वर्षों में 2815/2816 पुरी एक्सप्रेस में भी परिवर्तन करने पर विचार किया जाएगा।

बज-बज से फाल्टा तक रेल लाइन

2894. **श्री समीक लहिरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में बज-बज से फाल्टा तक नयी रेल लाइन बनाये जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 में सर्वेक्षण कार्य शामिल कर लिया गया है और बजट पारित होने के पश्चात् इसे शुरू किया जाएगा।

सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस परियोजना पर पुनः विचार करना संभव होगा।

[हिन्दी]

दिल्ली के बीच बरास्ता बहादुरगढ़ और रोहतक चलने वाली रेलगाड़ियां

2895. **डॉ॰ अरविंद शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली-जींद के बीच बरास्ता बहादुरगढ़ और रोहतक चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस मार्ग पर 15 वर्षों से कोई नई रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है जबकि यात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए कोई नई गाड़ी चलाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो नई रेलगाड़ी कब तक चलाई जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस समय दिल्ली/नई दिल्ली और जींद बरास्ता बहादुरगढ़, रोहतक के बीच 18 जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं।

(ख) जी, नहीं, गत 15 वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली रोहतक-जींद खण्ड पर निम्नलिखित गाड़ियां चलाई गई हैं :

1. 6031/6032 जम्मूतवी-चैन्नई एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)
2. 6687/6688 जम्मूतवी-मंगलौर नवयुग एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
3. 4721/4722 नई दिल्ली-श्री गंगा नगर एक्सप्रेस
4. 3413/3483/3414/3484 फरक्का एक्सप्रेस को दिल्ली से भिवानी बरास्ता रोहतक तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य तथा संसाधनों की उपलब्धता पर गाड़ियों की चलाना रेलों में एक सतत् प्रक्रिया है, बहरहाल, दिल्ली रोहतक-जींद खण्ड पर इस समय अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परिचालन और संसाधन तंगियां।

बिहार में टेलीग्राफ सेवाओं का आधुनिकीकरण

2896. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में टेलीग्राफ संबंधी सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए कोई बजट-प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिहार में टेलीग्राफ सेवाओं का कब तक आधुनिकीकरण किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) तार नेटवर्क के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, 40 जिलों में पोर्टों सहित पटना और रांची में माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित स्टोर और फॉरवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एम.एफ.एम.एस.एस.) संस्थापित किए गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आधुनिकीकरण योजना में बीच में ही संशोधन हो जाने

के कारण आधुनिकीकरण किये जाने वाले शेष 13 जिलों में इस कार्यक्रम में विलम्ब हो गया है।

(ग) और (घ) अलग से किसी बजटीय प्रावधान का निर्धारण नहीं किया गया है।

(ङ) आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 97-98 में, गया, जमशेदपुर और छपरा में 3 और स्टोर और फारवर्ड सिस्टम्स संस्थापित किए जाने की संभावना है, जिससे शेष 13 जिलों में आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	उपस्कर/पोर्ट
1	2	3
1.	पटना	12 एस.एफ.एम.एस. पोर्ट, 15, इकेवी और 12 एफ.टी.
2.	भोजपुर	1
3.	झभुआ	1
4.	बक्सर	1
5.	रोहतास	*
6.	नवादा	1
7.	जहानाबाद	1
8.	गया	1
9.	ओरंगाबाद	1
10.	कटिहार	2
11.	किशनगंज	1
12.	अररिया	*
13.	सुपोल	*
14.	सहरसा	1
15.	मधेपुरा	*
16.	पूर्णिया	1
17.	खगड़िया	1
18.	बेगुसराय	2
19.	भागलपुर	2
20.	पकौर	*
21.	मुंगेर	2
22.	बांका	1
23.	जौरनी	*
24.	लखीसराय	*
25.	साहिबगंज	1
26.	दुमका	*
27.	गोड्डा	1
28.	ई. दीघार	1
29.	नालंदा	1
30.	धनवाद	3
31.	बोकारी स्टील सिटी	2
32.	गिरिडीह	1
33.	कोडरमा	*
34.	रांची	5 एस.एफ.एम.एस पोर्ट, 15, ईकेवी, 6 एफटी
35.	लेहरडगा	1
36.	गुमला	1
37.	हजारीबाग	1
38.	पलामू	1
39.	गढ़वा	*
40.	छपरा	2 एस.एफ.एम.एस. पोर्ट, 3 ईकेवी, 2 एफटी
41.	चतरा	*
42.	पूर्व सिंहभूम	2
43.	पश्चिमी सिंहभूम	*
44.	पूर्व चंपारन	1 एस.एफ.एम.एस. पोर्ट, 2 ईकेवी, 2 एफटी
45.	पश्चिमी चंपारन	2
46.	मुजफ्फरपुर	2 एस.एफ.एम.एस. पोर्ट, 2 ईकेवी, 5 एफटी
47.	समस्तीपुर	1
48.	वैशाली	1
49.	मधुवनी	1
50.	दरभंगा	*
51.	सिवान	1
52.	गोपालगंज	1
53.	सीतामढ़ी	1

एफ.टी. - फौरमैटेड टर्मिनल।

* वर्ष 1997-98 के अंत तक पोर्ट प्रदान कर दिए जाने चाहिए।

ई.के.बी. - इलैक्ट्रानिक की-बोर्ड।

क्षिप्रा एक्सप्रेस का पड़ाव

2897. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षिप्रा एक्सप्रेस बीना-कटनी सेक्शन पर कई छोटे स्टेशनों पर रुकती है;

(ख) यदि हाँ, तो मध्य रेलवे क गंजबासोदा स्टेशन पर उपर्युक्त रेलगाड़ी के नहीं रुकने का क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में उपर्युक्त रेल गाड़ी का गंजबासोदा में स्टाप बनाये जाने की कब तक संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। बीना-कटनी खंड पर खुरोई, सागौर और दामोह में 9305/9306 इंदौर-हावड़ा क्षिप्रा एक्सप्रेस का ठहराव है।

(ख) गंज-बसौदा स्टेशन पर 9305/9306 इंदौर हावड़ा क्षिप्रा एक्सप्रेस के ठहराव की जांच की गई है लेकिन वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भोपाल को वायुसेवा से जोड़ना

2898. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर बस के लैंडिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए कब तक भोपाल को देश के अन्य शहरों से एयर बस सेवा से जोड़ने की संभावना है; और

(ख) भोपाल के लिए इस समय कितनी विमान सेवाएं उपलब्ध हैं तथा 1997-98 के दौरान कितनी अतिरिक्त विमान सेवाएं आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स की भोपाल के लिए एयरबस सेवाएं आरंभ करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ख) एलाएंस एयर दिल्ली-भोपल-इन्दौर-मुम्बई और वापसी तथा दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-मुम्बई और वापसी प्रत्येक सेक्टर पर प्रति सप्ताह 3 सेवाएं प्रचालित करती है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स/एलांइस एयर की वर्ष 1997-98 के दौरान भोपाल के लिए/से अधिक सेवाएं आरंभ करने की कोई तात्कालिक योजनाएं नहीं हैं।

असम में चाय पर्यटन को प्रोत्साहन

2899. **डॉ॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से राज्य में चाय पर्यटन को प्रोत्साहन देने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (ग) पर्यटन का संवर्धन करना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, असम सरकार को चाय और पर्यटन उत्सव के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में वर्ष 1995-96 के दौरान 5.00 लाख रुपये तथा वर्ष 1996-97 के दौरान 1.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

दरभंगा और दिल्ली-नई दिल्ली के बीच सुपरफास्ट गाड़ी शुरू करना

2900. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दरभंगा जंक्शन से दिल्ली/नई दिल्ली जंक्शन के लिए कोई सुपरफास्ट गाड़ी नहीं है;

(ख) क्या सरकार का उपरोक्त मार्ग पर सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो कब तक इसके चलाए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार का दरभंगा रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके कब तक आधुनिकीकरण किए जाने की सम्भावना है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार के पास उपरोक्त स्टेशन का कोटा और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ताकि उस स्टेशन से और अधिक रेल यात्रियों को स्थान मिल सके; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दरभंगा स्टेशन पर यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसलिए आधुनिकीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) और (ज) दरभंगा में दिल्ली की मुख्य आरक्षण प्रणाली से संबद्ध कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध है। एक टर्मिनल कलकत्ता आरक्षण प्रणाली का भी उपलब्ध है। अतः दरभंगा स्टेशन पर किसी अतिरिक्त कोटे का आवंटन करना वांछनीय नहीं है।

कम दूरी के यात्रियों के लिए द्वितीय श्रेणी आरक्षित शयन यान

2901. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय श्रेणी आरक्षित शयनयान को कम दूरी के यात्रियों के लिए खोल दिया है और इन्हें अनारक्षित द्वितीय श्रेणी सवारी डिब्बे के रूप में घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में होने वाली गुण्डागर्दी की घटनाओं को देखते हुए इन शयनयानों में यात्रा करने वाले यात्रियों और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के मामले पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो कम दूरी के यात्रियों से आरक्षित दर्जों की सवारियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) दिन के समय कम दूरी तय करने वाले द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय रेलों की यात्रा के विशिष्ट खंडों के लिए संबंधित गाड़ी के शयनयान श्रेणी सवारी डिब्बों को दूसरे दर्जे के अनारक्षित डिब्बों में बदलने, जहां कहीं सभंव हो, का अधिकार पहले ही दे दिया गया है।

(ख) और (ग) द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित यात्रियों को शयनयान श्रेणी के डिब्बे जो कि पूरी तरह से आरक्षित होते हैं, में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। अतः आरक्षित डिब्बों के यात्रियों की सरंक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता है।

दिल्ली और कोचीन के बीच एयर बस 320 सेवा

2902. **श्री एन.एन. कृष्णदास** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और कोचीन के बीच नयी एयर बस 320 सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) कोचीन विमानपत्तन पर उपलब्ध धावन पथ 6000 फुट का है लेकिन यह एक दिशिक धावन पथ है और उपलब्ध अवतरण दूरी केवल 5,645 फुट है। इस बात का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी कि क्या ए-320 विमान के प्रचालन कोचीन से/को लाए ले जाने के लिए सुरक्षापूर्ण हैं। इस समिति में नागर विमानन महानिदेशालय, सी.टी.ई. हैदराबाद और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति का निष्कर्ष था कि समिति धावना पथ की लम्बाई, एकदिशिक प्रचालन, मौसम स्थिति को देखते हुए एयर बस ए-320 के कोचीन से/को प्रचालनों की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि कतिपय शर्तें पूरी हों। कोचीन विमानपत्तन पर अपेक्षित भू-सुविधाओं की व्यवस्था के लिए इस मंत्रालय द्वारा मामले को इंडियन एयरलाइंस, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नौसेना प्राधिकारियों तथा सचिव, परिवहन प्राधिकरण, केरल के साथ उठाया गया है।

जोनल और डिवीजन रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति

2903. **श्री के.पी. नायडू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनल और डिवीजन रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों के चयन हेतु दिशा निर्देश क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी सभी समितियों में विधायकों, सांसदों आदि जैसे स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) रेल उपभोगकर्ताओं के उचित प्रतिनिधित्व तथा रेलों द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं से संबंधित मामलों पर रेलों और रेल उपयोगकर्ता के बीच निरंतर पारस्परिक विचार विमर्श के लिए एक मंच की व्यवस्था करने हेतु क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति गठित की गई है। इन समितियों में स्थानीय चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड एसोशिएसन, यात्री एशोसिएसन, कृषि हितों, उपभोक्ता मंच, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, राज्य विधान सभाओं, संसद सदस्यों आदि को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन उपयोगकर्त्ताओं को जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है का प्रतिनिधित्व करने के लिए "विशेष हित" की कोटि के अंतर्गत रेल मंत्री द्वारा भी कुछ सदस्यों को नामित किया जाता है।

कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की नेल्लौर रेलवे स्टेशन पर रोकना

2904. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलगाड़ी के नेल्लौर रेलवे स्टेशन पर रोकने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रेलगाड़ी को नेल्लौर रेलवे स्टेशन पर रोकने की कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इस मांग की विस्तृत जांच की गई है। वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता और इस गाड़ी की प्रमुख विशेषताओं के कारण नेल्लौर में 2841/2842 कोरोमंडल एक्सप्रेस के ठहराव को औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में उप डाकघर खोलने की मांग

2905. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के बलसाड जिले में धारमपुर ताल्लुक के कपराड़ा गांव के निवासी और जन प्रतिनिधि वहां एक उप डाकघर खोलने की निरंतर मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अब तक वहां उप डाकघर खोलने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो यह कब तक खोल दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) बलसाड़ जिले में धर्मपुर व कपराड़ा गांव में उप डाकघर खोलने की कोई मांग नहीं है, जहां एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर पहले ही है। कपराड़ा शाखा डाकघर का विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के मामले की जांच की गई थी परंतु कार्यभार संबंधी मानदण्ड के आधार पर यह प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया क्योंकि वहां का कार्यभार न्यूनतम 5 घंटे के अपेक्षित कार्यभार की तुलना में केवल 3.06 घंटे ही था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपरिपुल का निर्माण

2906. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक यातायात के लिए एक बड़ा खतरा है;

(ख) क्या केरल में मौजूदा रेलवे फाटकों को उपरिपुल या भूमिगत पुल में बदलने सम्बन्धी कोई नया प्रस्ताव रेलवे के पास लम्बित है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) यद्यपि पुलों की व्यवस्था के लिए नीचे दिये गये प्रस्ताव केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हैं तथापि उसको अंतिम रूप देने के लिए कतिपय पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रतीक्षा है :

1. एलाथूर और कुलेंडी के बीच वेनवलम गेट।
2. वरकला-179/13-14 कि.मी. पर निचला सड़क पुल।
3. फेरोक और फल्लाई स्टेशनों के बीच भोनछनोछा गेट (समपार सं. 177)
4. कलमस्सेरी-इडापल्ली (95/7-8 कि.मी. पर समपार सं0 67) शोरुवण्पूर एर्णाकुलम खंड।
5. त्रिपुणिन्तरा-कोचीन रिफाइनरी एर्णाकुलम और त्रिपुणिन्तरा के बीच 17-18 कि.मी. पर।
6. भुलागुनातुकाव-त्रिस्सूर (30/14-15 कि.मी. पर समपार सं0 15)

[हिन्दी]

गुजरात में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

2907. **श्री जय सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया;

(ख) क्या गुजरात में निकट भविष्य में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का राज्य में कोई नया रेलवे स्टेशन बनाने का विचार है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलावार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) यात्री यातायात में वृद्धि की दृष्टि से अपेक्षित होने पर आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के आधार पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाता है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान क्रमशः 9.30 करोड़ रुपये तथा 13.90 करोड़ रुपये का आबंटन पश्चिम रेल जिसमें गुजरात राज्य शामिल है, को ऐसे कार्य शुरू करने के लिए किया गया था।

बहरहाल रेलों द्वारा राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। आधुनिकीकरण का कार्य रेलों के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है जो धनराशि की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पर्याप्त संख्या में स्टेशन पहले से उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के चालक दल का वेतन तथा विदेश भत्ता

2908. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के चालक दल का वेतन तथा विदेश भत्ता पिछली बार कब संशोधित किया गया था;

(ख) क्या तदनुसार एयर इंडिया के शेष कर्मचारियों के वेतन तथा विदेश भत्ते संशोधित किये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एयर इंडिया के चालक दल तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा विदेश भत्ते में कब संशोधन किया जायेगा ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) वर्ष 1985-90 की अवधि के लिए केबिन कर्मीदल के वेतन पिछली बार वर्ष 1990 में संशोधित किए गए थे।

(ख) से (घ) एयर इंडिया के प्रबंधक-वर्ग ने एयर इंडिया कर्मचारी गिल्ड और एयर इंडिया विमान अभियंता संघ के साथ वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और एयर इंडिया अधिकारी संघ तथा एयर इंडिया अभियंता संघ के संबंध में वेतनमानों और भत्तों के संशोधनों के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं। यूनियनों/एसोसिएशनों/गिल्ड के साथ भी बातचीत चल रही है। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

नए बनाए गए रेलवे जोनों के मुख्यालय

2909. **श्री विजय संकेश्वर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक तथा बिहार में नए बनाए गए रेलवे जोनों के लिए मुख्यालयों की अवस्थिति के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए कोई विशेषज्ञ/तकनीकी समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिना कोई सरकारी अधिसूचना जारी किए बंगलौर में दक्षिण-पश्चिम रेलवे जोन का उद्घाटन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) 1994 में रेलवे बोर्ड की सलाहकारों की समिति तथा 1984 में रेल सुधार समिति द्वारा पुनर्गठन के लिए की गयी सिफारिशों के अनुसरण में रेल मंत्रालय में विस्तृत जांच के बाद बेंगलूरू (कर्नाटक में) तथा हाजीपुर (बिहार में) नए जोन स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

(ग) और (घ) जी नहीं, बेंगलूरू में दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन समारोह मंत्रिमंडल से उसकी स्थापना की स्वीकृति मिलने के बाद आयोजित किया गया था।

[अनुवाद]

उत्तर कर्नाटक में रेल नेटवर्क में सुधार

2910. **श्री विजय संकेश्वर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर कर्नाटक के रेल नेटवर्क में सुधार के लिए इस क्षेत्र के लोगों की मांगों की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने आमान परिवर्तन के बाद हुबली से अहमदाबाद, मुम्बई, नई दिल्ली तथा बंगलौर के लिए रेलगाड़ी शुरू करने के विषय में कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन मांगों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) उत्तरी कर्नाटक में रेलवे नेटवर्क में सुधार के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं :

परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति/पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1. सोलापुर (होटगी)-गदग का आमान परिवर्तन	कार्य चरणों में शुरू किया गया है, इस समय होटगी-बीजापुर, खंड पर जिसे पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30.6.97 है, कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। तत्पश्चात बीजापुर-बागलकोट-गदग से शेष खण्ड का आमान परिवर्तन शुरू किया जाएगा। इसके 31.12.98 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
2. गुतकल-हासपेट खंड का दोहरीकरण	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कार्य को हाल ही में स्वीकृत किया गया है। कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी गयी हैं।
3. मुनिराबाद से महबूब नगर तक नई लाइन	यह एक नया कार्य है, जिसे 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है और अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) आमान परिवर्तन खंडों पर नई गाड़ियों की चलाना भारतीय रेलों की एक सतत् प्रक्रिया है। बशर्ते कि संसाधनों की उपलब्धता परिचालनिक व्यवहार्यता और यातायात औचित्य हो।

हुबली पहले ही मुंबई से 1017/1018 बैंगलूरू कुर्ला-एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन) द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हुबली गाड़ी सेवाओं की पर्याप्त संख्या से बैंगलूरू से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 1997-98 के दौरान बैंगलूरू से दिल्ली-बरास्ता हुबली एक साप्ताहिक गाड़ी सेवा चलाने का भी विनिश्चय किया गया है। बहरहाल, हुबली से अहमदाबाद के लिए गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रेल मार्गों पर विद्युतीकरण

2911. **श्री सोडनवीर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1995-96 के दौरान किन रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) उत्तर प्रदेश की उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें निकट भविष्य में विद्युतीकृत किया जाना है; और

(ग) इस पर किये जाने वाले खर्च का क्या ब्यौरा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1995-96 के दौरान 607 मार्ग कि.मी. विद्युतीकृत किया जा चुका है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	खंड	मार्ग कि मी.
1.	धात्रीग्राम-कटवा (पू.रे) (बंडेल-कटवा का भाग)	53
2.	करंजाली-निश्चितपुर (पू.रे.)	08
3.	सतबाहिनी-उन्टारी रोड़ (पू.रे.) (सोन नगर-पतरातू का भाग)	04
4.	चितरंजन-जामतारा (पू.रे.) (सीतारामपुर-मुगलसराय का भाग)	16
5.	असान साइडिंग और पानीपत-खुकराना सहित करनाल-मंडीगोविन्दगढ़ (दिल्ली-अंबाला-लुधियाना का भाग) (उ.रे.)	146
6.	कोयम्बटूर-पोदानूर सहित ईरोड-इरूगुरू-वालायार (द.रे.) (ईरोड-एर्नाकुलम का भाग)	132
7.	(क) मुस्ताबाद-भीमडोलू (द.म.रे.)	66
	(ख) राजमुंदरी-समलकोट-काकीनाडा (द.म.रे.)	69
	(ग) विशाखापत्तनम-अनाकापल्ली (द.म.रे.)	27
	(घ) सिम्हांचलम-(उत्तर) गोपालपटनम (द.पू.रे.) (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम के भाग)	12
8.	डुमेत्रा-लाठीकाटा (द.पू.रे.) (बोकारो-बरसुआन का भाग)	03
9.	मोहुदा-करकेन्ड (द.पू.रे.) (जमादोबा-मोहुदा का भाग)	14
10.	दक्षिण मध्य रेल की मनिकगढ़-गदंचतूर तथा दोरनाकल-सिंगरोनी शाखा लाइनें	59
	कुल	609

(ख) उत्तर-प्रदेश में उत्तर रेल के सरसावा-खानआमपुरा खंड के मार्च, 98 तक विद्युतीकृत हो जाने की संभावना है।

(ग) सरसावा-खानआलमपुरा खंड के विद्युतीकरण पर लगभग 11.66 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

केरल में रेलवे का विकास

2912. **श्री एस. अजय कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान केरल में पूरी की जाने वाली परियोजनाएं कितनी हैं;

(ख) इस वर्ष शुरू की जाने वाली परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान केरल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आंबटित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) केरल में मंगलौर और कालीकट के बीच 4 ब्लाक खंडों के दोहरीकरण को 1997-98 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

(ख) वर्ष 96-97 में केरल में कोई नई परियोजना शुरू नहीं की गयी है। बहरहाल, वर्ष 1997-98 के बजट में निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल की गई हैं :

1. अंगामाली - सबरीमाल नई लाइन
2. कोल्लम - तिरूनेलवेल्ली-तिरूचेन्दूर तथा तेनकाशी-तिरूदुनगर का आमान परिवर्तन

(ग) 61.14 करोड़।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	परियोजना	1997-98 के लिए परिव्यय (करोड़ रु० में)
1.	अंगमाली-सबरीमाल नई लाइन	0.01
2.	कोल्लम-तिरूनेलवेल्ली-विरूचेंदर तथा तेनकासी-विरूदुनगर का आमान परिवर्तन	0.01
3.	कालीकट-मंगलौर दोहरीकरण	17.78*
4.	कुट्टीपुरम-कालीकट दोहरीकरण	1.00
5.	कुट्टीपुरम-गुरूवायूर दोहरीकरण	0.01
6.	कोल्लम-तिरुवंनन्तपुरम दोहरीकरण	12.33**
7.	रेल विद्युतीकरण-कोच्ची हार्बर टर्मिनल सहित इरोड-पालक्काड-एर्णाकुलम	30.00
	कुल	61.14

* पुनर्विनियोग द्वारा 50 करोड़ रु० तक बढ़ाया जा रहा है।
** पुनर्विनियोग द्वारा 15 करोड़ रु० तक बढ़ाया जा रहा है।

वेकेन्सीज गैलोर एट आई.एस. वेस्ट जोन आफिस

2913. श्री अनंत गुढ़े : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1997 के "द आब्जर्वर" में "वेकेन्सीज गैलौर एट आई.एस. वेस्ट जोन आफिस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समाचार में की गई टिप्पणियों और तथ्यों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) रिक्त पदों को भरने हेतु की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भर दिया जायेगा ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स में कार्यभार तथा विभिन्न यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ उत्पादकता से सम्बद्ध हस्ताक्षरित प्रोत्साहन करारों की देखते हुए स्टाफ की आवश्यकताओं की पुनरीक्षा को लंबित रखते हुए 23 जुलाई, 1992 में बाह्य नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। तथापि, इस स्थिति का सतत् पुनरीक्षण किया जाता है तथा महत्वपूर्ण पदों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित उन पदों को भरने के लिए भर्ती की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी का सीधा प्रसारण

2914. श्री देवी बक्स सिंह :
डॉ॰ रमेश चंद तोमर :
कुमारी उमा भारती :
श्री अनंत गुढ़े :
प्रो० ओमपाल सिंह "निडर":
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी समारोह का लाल किले से दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रसारण के दौरान एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के भाषण में व्यवधान उपस्थित हुआ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे; और

(घ) दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) श्रीमान् अचानक विद्युत आपूर्ति में अवरोध होने के कारण।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फाइलों का गायब होना

2915. **श्री हरिवंश सहाय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1997 के ''अमर उजाला'' में ''फाइलें गायब होने की सी.बी.आई. जांच की मांग'' शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सी.बी.आई. द्वारा इस मामले की जांच कराने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जांच शुरू करने से पहले दोषी अधिकारियों को वहां से स्थानान्तरित किए जाने का विचार है ताकि जांच के दौरान वे कोई अड़चन न पैदा कर सकें, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मामले की जांच करायी जा रही है और जांच परिणामों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

[अनुवाद]

महिलाओं हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण

2916. **श्री थामस डंसदा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में महिलाओं की गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दी गई वित्तीय सहायता का संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए निगरानी भी की जाती है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का संस्थावार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) वित्तीय सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राज्य-स्तर पर राज्य परियोजना कार्यान्वयन एकक द्वारा तथा केन्द्र स्तर पर केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक द्वारा मानीटरिंग की जाती है। राज्य द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टों, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लेखा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। नियमित अन्तराल पर होने वाली पुनरीक्षा बैठकों में प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे

राज्य : बिहार

स्कीम : विश्व बैंक सहायियत व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के तहत महिलाओं हेतु नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) की स्थापना।

क्र. सं.	औ0प्र0सं0 (महिला) का नाम	वित्तीय सहायता (लाख रु. में) 1995-95	1995-96	1996-97 31.12.96 तक
1.	सीवान	4.779	5.036	3.909
2.	आरा	5.554	5.58	14.158
3.	मुज़फ्फरपुर	3.515	3.107	10.357
4.	दरभंगा	-	-	10.225
5.	चाईबासा	-	-	6.050
6.	हजारीबाग	-	-	12.645
7.	मोतिहारी	-	-	10.435
8.	गया	-	-	10.224

[हिन्दी]

स्टील अथॉरिटी में भ्रष्टाचार

2917. **श्री सुख लाल कुशवाहा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के सतना जिले के अन्तर्गत बाबूपुर स्थित स्टील अथारिटी में चूने पत्थर की खुलाई के संबंध में बरते जा रहे भ्रष्टाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993-94 से 1996-97 तक की अवधि के दौरान चूने पत्थर की खुलाई पर कुल कितना खर्च आया और ठेकेदारों के नाम क्या हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सतना जिले के अन्तर्गत बाबूपुर स्थिति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की इस्पात चूना-पत्थर खदान में चूना-पत्थर की खुलाई में भ्रष्टाचार के संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) 1993-94 से 1996-97 की अवधि के दौरान चूना-पत्थर

की ढुलाई पर किया गया कुल व्यय ठेकेदार के नाम सहित नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	पार्टी का नाम	वर्ष			(लाख रुपए)
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (अनंतिम)
1.	मै0 कमल ट्रान्सपोर्ट	45.78	40.10	64.70	68.16
2.	मै0 डायमंड मिनरल	38.57	41.89	38.79	95.16

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच

2918. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "नैना साहनी मर्डर केस सी.बी.आई. फार प्रोब अगेन्स्ट 5 आई.टी.डी.सी. आफिशियल्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (ग) जी, हाँ। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारत पर्यटन विकास निगम के निम्नलिखित 5 अधिकारियों के विरुद्ध प्रमुख दण्डनीय कार्यवाही हेतु नियमित विभागीय कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है :

1. श्री के. के. तुली - उप-महाप्रबंधक
2. श्री सी.एस. जैन - महाप्रबंधक (होटल वित्त)
3. श्री एल.एम. बत्रा - निवासी प्रबंधक
4. कैप्टन आर.आर. अरोड़ा - प्रबंधक
5. श्री विजय कुमार - वरिष्ठ प्रबंधक

सी.बी.आई. की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत पर्यटन विकास निगम ने उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रमुख दण्डनीय कार्यवाही करने के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की है, तथा उन्हें आरोप पत्र जारी किए गए हैं।

लुफ्थान्सा बोइंग-747 जम्बो

2919. **डॉ॰ रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री पैल्लैया नंदी :
डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत-पाक सीमा पर लुफ्थांसा बोइंग-747 जम्बो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते-होते बचने की हाल ही में हुई घटना की ओर गया है;

(ख) क्या यह घटना पाकिस्तान से "दूरस्थ नियंत्रित चालक रहित विमान" द्वारा भारतीय वायुक्षेत्र में एकाएक अतिक्रमण किए जाने के परिणामस्वरूप हुई;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त भारतीय वायु क्षेत्र में अतिक्रमण की ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे अतिक्रमण से यात्री विमान की उड़ानों के साथ-साथ इस व्यावसायिक वायु मार्ग, जो कि विश्व के सर्वाधिक व्यस्ततम मार्गों में से एक, पर भरी जाने वाली उड़ानों के लिए एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस बारे में क्या उपचारी उपाय/प्रस्तावित उपाय किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) लुफ्थांसा विमान एल.एच.ए. 761 के विमान चालक ने 10.1.97 को आसारी भारत-पाक सीमा के निकट अनजान विमान के साथ टकराने से बचने की घटना की रिपोर्ट की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) कभी-कभी सीमा पार भारतीय आकाश का विपथित उल्लंघन होता है जिसकी संबंधित पड़ोसी देश को रिपोर्ट की जाती है।

(छ) भारतीय आकाश में ऐसे अनधिकार प्रवेश को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना सभी आवश्यक सावधानियां बरत रही है।

संसदीय चेतना

2920. **श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगामी :**
श्री सुख लाल कुशवाहा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "संसदीय चेतना" शीर्षक के अंतर्गत संसद सदस्य द्वारा उठाए गए विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित मुद्दों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका प्रसारण कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम.इब्राहीम) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पटना-नई दिल्ली सुपर फास्ट ट्रेन में विशेष बोगी जोड़ना

2921. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूरत जाने के लिए पटना-नई दिल्ली सुपरफास्ट गाड़ी में एक विशेष डिब्बा जोड़ने के विषय में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूरत से पटना के लिए बोगियों की व्यवस्था के संबंध में श्री एस.डी. सिंह, बिहार विकास परिषद के अध्यक्ष सहित कुछ अभ्यावेदनक प्राप्त हुए हैं। असम बोगियों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि 1997-98 में सूरत और पटना के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस चलाने का विनिश्चय किया गया है।

आमान परिवर्तन

2922. **श्री दिलीप संघानी :**
श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल :
श्री सनत मेहता :
श्री विनशा पटेल :
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित राजकोट-वेरावाल रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन को कोडीनार तक विस्तार करने, गांधी धाम-भुज मीटर गेज रेल लाइन का बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन और सुरेन्द्र नगर-भावनगर मीटर गेज रेल लाइन का बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन करने तथा इसे अलामी के बरास्ते पिपावव तक बढ़ाये जाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; परियोजना-वार;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इन परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या राजकोट-वेरावाल रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस कार्य में तीव्रता लाने हेतु क्या कदम उठाया गया है और उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) परियोजना-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

	परियोजना	लागत (करोड़ रु० में)	1997-98 के लिए प्रस्तावित निधि	स्थिति
1.	राजकोट-वेरावल तथा इसका कोडिनार तक विस्तार (185 कि.मी.)	100.00	13.00	कार्य प्रगति पर है और इसे 31.12.99 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2.	गांधीधाम-भुज (58 कि.मी.)	42.30	02.12	कार्यप्रगति पर है तथा इसको 31.12.98 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
3.	सुरेन्द्र नगर-भावनगर धोंला-ढासा-महुआ तथा इसका पीपावाड़ तक विस्तार (385 कि.मी.)	337.00	0.01	कार्य को शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) संसाधनों की कमी तथा लाइन की अपेक्षाकृत निम्न परिचालनिक प्राथमिकता विलम्ब के कारण हैं।

(च) इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए वर्ष 1997-98 में प्रर्याप्त निधियों की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

लोकल कॉल सुविधाएं

2923. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गाजियाबाद आदि दिल्ली के पड़ोसी शहरों को लोकल काल के माध्यम से दिल्ली से किस मानदण्ड के अन्तर्गत जोड़ा गया है;

(ख) क्या ये मानदण्ड बिहार में सहरसा-मधेपुरा तथा सहरसा-सुपौर के लिए लागू नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिल्ली-गुड़गांव, दिल्ली-फरीदाबाद, दिल्ली-बहादुरगढ़, दिल्ली-गाजियाबाद आदि के बीच 180 सैकेण्ड पर उपलब्ध इंटरडायलिंग कॉल सुविधा, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, और गाजियाबाद की टेलीफोन प्रणालियों में शामिल कर दी गई है, क्योंकि इन शहरों की टेलीफोन प्रणालियाँ दिल्ली टेलीफोन प्रणाली की सीमा से लगती हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। उक्त भाग (क) में उल्लिखित मानदण्ड लागू नहीं होता क्योंकि माधेपुरा तथा सुपौर की सीमा सहरसा टेलीफोन प्रणाली से नहीं लगती।

[अनुवाद]

कुर्ला और बांद्रा रेलवे टर्मिनस पर आधारभूत सुविधाएं

2924. **श्री मधुकर सरपोतदार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य तथा पश्चिम रेलवे में यात्रा करने वाली जनता के लिए कुर्ला रेलवे टर्मिनस तथा बांद्रा रेलवे टर्मिनस पर कोई आधारभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करवाई गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो पहुंच मार्गों सहित उपर्युक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उपरि-पुलों का निर्माण

2925. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल उपरि-पुलों के निर्माण के लिए रखी गई आधारशिलाओं का ब्यौरा क्या है, ऐसे उपरि-पुलों में से प्रत्येक पर कार्य की स्थिति क्या है और रेल मंत्री द्वारा 1994-97 के दौरान ऐसे कितने उपरि-पुलों का उद्घाटन किया गया है; और

(ख) क्या इस तरह के उद्घाटन कार्यक्रमों में स्थानीय विधायकों और संसद सदस्यों को बुलाना अनिवार्य है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) 16.2.97 को बिहार में फतुआ में रेल मंत्री द्वारा केवल एक ऊपरी सड़क पुल की आधार-शिला रखी गई थी जहा निर्माण कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

(ख) रेलवे को ऐसे समारोहों में स्थानीय विधायकों तथा सांसदों को बुलाने के अनुदेश हैं।

[हिन्दी]

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोनों ओर निकास द्वार की व्यवस्था

2926. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दि0 19 दिसम्बर, 1996 के दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' नई दिल्ली संस्करण में ''पता नहीं पुरानी दिल्ली स्टेशन का दूसरा विकास द्वारा कब बनेगा'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसकी अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) दिल्ली जं. रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश का कार्य 1.24 करोड़ रुपये की लागत से 1995-96 में स्वीकृत किया गया था। कार्य पूरे जोरों पर है और 30.6.97 तक पूरा होने की संभावना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वाहनों को विमानपत्तन के ''टारमैक'' तक जाने की इजाजत

2927. **श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कुछ श्रेणी के वाहनों को विमानपत्तन के ''टारमैक'' तक जाने के लिए केन्द्र सरकार या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमति के लिए सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ''टारमैक'' तक जाने वाले वाहनों की श्रेणियों के संबंध में विद्यमान नियम क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, हाँ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने नयाचार प्रयोजनों के लिए विमानपत्तन के प्रचालनात्मक क्षेत्र में राज्य सरकार के मुख्य मंत्री और अधिकारियों के वाहनों के प्रवेश की अनुमति के लिए अनुरोध किया है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के स्थायी परमिट जारी करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था।

(घ) अति विशिष्ट महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के संबंध में विमानपत्तन के प्रचालनात्मक क्षेत्रों में वाहनों की अनुमति सुरक्षा और नयाचार को ध्यान में रख कर दी जाती है।

माल की बुकिंग

2928. **श्री अमरपाल सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान रेल गोदामों पर जोनवार कितने मूल्य का माल बुक किया गया;

(ख) उसमें से कितना और कितने मूल्य के माल की चोरी हुई;

(ग) चुराए गए माल में से कितने मूल्य के माल को बरामद किया गया और चोरी के कारण रेलवे को कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) सरकार ने रेलवे के गोदामों से ऐसी चोरी रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलों द्वारा बुक किए गए माल की कीमत नहीं आंकी जा सकती क्योंकि इसकी कीमत की घोषणा करना परिषद के लिए आवश्यक नहीं है।

(ख) और (ग) वर्ष 1995-96 के दौरान रेलवे पर बुक किए गए माल में से चोरी/वसूल किए गए माल की जोनवार कीमत इस प्रकार है :

रेलवे	मामलों की संख्या	सम्पत्ति की कीमत रुपये में	
		चोरी किए गए	वसूल किए गये
1	2	3	4
म.रे.	394	3493812	1027534
पू.रे.	2384	10821990	878559
उ.रे.	887	4977524	2126688
पूर्वी.रे.	558	2269136	365111
पू.सी.रे.	1117	5670115	143301
द.रे.	611	2773436	396653
द.म.रे.	205	560215	44228
द.पू.रे.	846	4290041	45526
प.रे.	660	3049025	424555
जोड़	7661	37905294	5452155

(घ) ऐसी चोरियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जाते हैं :

1. भेद्य खंडों पर बुक की गई मदों और अन्य कीमती परेषणों को ले जा रही गाड़ियों का यथासंभव मार्गरक्षण।
2. याड़ों और अन्य प्रभावित क्षेत्रों/खंडों में गहन गस्त लगाना।
3. परेषण ले जा रहे माल डिब्बों/सीलों की स्थिति की जांच के लिए अंतर्वदल विन्दुओं पर संयुक्त जांच।
4. भेद्य खंडों में रे.सु.ब. की हथियार बंद टुकड़ियां यथासंभव तैनात की जाती हैं।
5. अपराधियों को पकड़ने के लिए अधिसूचना एकत्रित करने हेतु सादी वर्दी में रे.सु.ब. कार्मिक तैनात किए जाते हैं।
6. आपराधिक आसूचना के आधार पर अपराधियों/चुराई गई संपत्ति के प्रापकों को पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और खोज बीन की जाती है।
7. भेद्य याडों और क्षेत्रों में गस्त लगाने के लिए कुत्ते दस्ते तैनात किए जाते हैं।
8. अपराधियों और चुराई गई संपत्ति के प्रापकों को पकड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर रे.सु.ब., रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय रखा जाता है।

डाक कर्मचारी

2929. **डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान डाक कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या के साथ गत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनकी समूह-वार संख्या क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान डाक राजस्व की तुलना में डाक सेवाओं की स्थापना लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डाक सेवा में वृद्धि और कमी की गणना की है और इसका मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्मचारियों की वर्तमान संख्या देश में डाक सेवा की मांग पूरी करने हेतु पर्याप्त है; और

(च) यदि नहीं, तो इस कमी को पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पोस्टल साइड में विभिन्न संवर्गों में 1991 से तथा गत चार वर्षों से डाक कर्मचारियों की समूह-वार संस्वीकृत संख्या इस प्रकार है :

	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"
1991-92	705	1047	2,34,387	52,469
1992-93	705	1063	2,32,748	51,834
1993-94	701	1065	2,32,082	52,144
1994-95	701	1086	2,32,376	52,328

वर्ष 1991-92 में समूह "ग" के 5318 पद सृजित किए गए थे। इस प्रकार 1990-91 की तुलना में 1991-92 में बढ़ी संख्या 5318 है। समूह "ग" और "घ" संवर्गों में 1991-92 के उपरांत स्टाफ संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 1994-95 में समूह "ख" में कुल 39 पदों की वृद्धि हुई है।

(ख) स्थापना की लागत रुपयों में

वर्ष	डाक राजस्व रुपयों में	सकल व्यय	वसूलियां	निवल व्यय
1991-92	9,47,86,92	15067497	3445943	11621554
1992-93	10,73,89,62	16491822	4834677	11657145
1993-94	11,05,17,12	18665570	5545320	13120250
1994-95	11,70,41,36	21300215	6084788	15215427

(ग) जी, हाँ।

(घ) विभाग द्वारा वार्षिक आधार पर स्थापना की पुनरीक्षा की जाती है। तथापि तथ्य यह है कि भारत सरकार द्वारा पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए पदों का सृजन संभव नहीं है। किन्तु 1991-92 में विभाग ने वितरण प्रणाली का कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रचालन की दृष्टि से अनिवार्य पद बड़ी संख्या में सृजित किए थे। पोस्टमैन तथा सार्टिंग पोस्टमैन के औचित्यसम्मत पदों के सृजन के लिए विभाग ने 1996-97 में पुनः एक समेकित प्रस्ताव रखा है। तथापि, पोस्टमैन के इन प्रस्तावित पदों के सृजन पर अंतिम निर्णय भारत सरकार पर निर्भर करता है। इसके अलावा, वितरण व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए विभाग ने समूह "ग" और "घ" के सरप्लस पदों की पुनः तैनाती की शक्तियां सर्किलों के अध्यक्षों को प्रत्यायोजित की हैं। इन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करके सर्किलों के अध्यक्ष, उन यूनिटों में जहां इन पदों की कमी है, लेकिन जहां इनका औचित्य बनता है, पुनरीक्षा करने के उपरांत समूह "ग" और "घर" के सरप्लस पदों की तैनाती कर सकते हैं।

(ङ) डाक कर्मचारियों की मौजूदा संख्या का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कार्य का निपटान समयोपरि भत्ते, मानदेय और प्रोत्साहन राशि के भुगतान द्वारा भी किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाक सेवाओं की गुणवत्ता में कोई कमी न हो।

(च) उपर्युक्त (घ) में उल्लिखित किए अनुसार।

[हिन्दी]

बाहरी दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

2930. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बाहरी दिल्ली से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इनमें से कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) जनवरी, 1997 तक प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं तथा इन व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जायेंगे;

(ग) क्या यह सच है कि बाहरी दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन देने की प्रक्रिया बहुत धीमी और असंतोषजनक है;

(घ) क्या सरकार ने अधिकतम आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले दो सालों के दौरान बाह्य दिल्ली क्षेत्र से टेलीफोन कनेक्शन के लिए 45701 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

उनमें से अब तक 33471 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गये हैं।

(ख) 31.1.97 तक 7488 आवेदक प्रतीक्षा सूची में थे। 31.1.97 तक बावली तथा तुगलकाबाद क्षेत्रों को छोड़कर प्रतीक्षा सूची के अधिकतर आवेदकों को तकनीकी रूप से अव्यवहार्य कुछेक कनेक्शनों को छोड़कर जुलाई, 1997 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की संभावना है।

(ग) से (ङ) आंतरिक दिल्ली अथवा बाह्य दिल्ली के आवेदकों के बीच किसी प्रकार का विभेद न रखते हुए प्रतीक्षारत सभी आवेदकों को बारी-बारी से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1997-98 के प्रारंभ से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के कार्य में सुधार लाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

टेलीकॉम प्रणाली के उन्नयन हेतु मानदंड

2931. **श्री के.एस रायुडु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीकॉम प्रणाली के उन्नयन हेतु क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए हासन का प्राथमिकता के आधार पर चयन किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) टेलीफोन प्रणाली के विस्तार सहित उसका उन्नयन करना, टेलीफोन कनेक्शनों की मांग और उनकी प्रतीक्षा सूची पर आधारित होता है। मौजूदा प्रौद्योगिकी के पुराने पड़ जाने और मौजूदा प्रणाली की मियाद समाप्त होने के कारण भी उन्नयन किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त मापदंड हासन सहित देश में सभी स्थानों के लिए लागू होता है।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों का विकास

2932. **श्री अशोक अर्गल** :
श्री ब्रजमोहन राम :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के किन-किन पर्यटन स्थानों का विकास करने का विचार है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में मुरैना/भिण्ड जिलों में किसी स्थान के विकास हेतु और बिहार में पलामू स्थित बेतला और नेतरहाट को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) पर्यटक स्थलों का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी है तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई विशिष्ट पर्यटन परियोजनाओं के लिए उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग को मध्य प्रदेश सरकार से मुरैना/भिंड जिला के लिए और बिहार सरकार से बेतला के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथापि, पर्यटन विभाग ने वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु नेतरहाट और रांची के बीच मार्गस्थ सुविधाओं की पहचान की है।

राजस्थान में खानों का बंद किया जाना

2933. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जनजातीय जिले उदयपुर में हजारों की संख्या में संगमरमर तथा धिया पत्थर की खानें बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा श्रमिकों का पुनर्वास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 3 (ङ) के प्रावधानों के अनुसार संगमरमर एक गौण खनिज है तथा खनिज रियायतें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार दी जाती हैं। राज्य सरकारों को सोपस्टोन के लिए खनिज रियायतें देने के अधिकार है तथा केन्द्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार रिट याचिका (सिविल) संख्या 171/96 सहित 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.96 के उस अंतरिम आदेश के अनुपालन में राजस्थान के उदयपुर के जनजातीय जिले में संगमरमर तथा सोपस्टोन की कई खानें बंद कर दी गई हैं जिसके तहत उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था कि वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा (2) के अनुसार पूरे देश में किसी भी राज्य के भीतर किसी वन में जारी सभी गतिविधियां केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना तुरन्त बंद की जाएं। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4.3.97 को भी आदेश पारित किये हैं जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अपेक्षित मंजूरी के लिए लंबित मामलों को निधारित समय के अन्दर निपटाने का निदेश दिया। राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार अगली कार्रवाई करनी है।

बीड़ी उद्योग में बेरोजगार कामगार

2934. **डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी उत्पादकों ने सरकार को इस आशय का ज्ञापन दिया है कि बाजार में ''मिनी सिगरेट'' के आ जाने से हजारों बीड़ी कामगार बेरोजगार हो गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार को बीड़ी कर्मकारों और विनिर्माता संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें मिनी सिगरेट के बाजार में आने के कारण बीड़ी उद्योग में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आंशका व्यक्त की थी। मिनी सिगरेट जिनकी लम्बाई 60 मि. मी. से अधिक नहीं है, पर 1996-97 से उत्पाद शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खान के उत्खनन के लिए विदेशी सहायता

2935. **श्री शिवराज सिंह** :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में खनिजों के दोहन तथा विकास के लिए विदेशी सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ खनिज संपदा का गवेषण तथा खनिज संसाधनों का विकास राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के मूल उद्देश्य हैं। इस नीति में उच्च मूल्य तथा दुलर्भ खनिजों के किये जाने वाले गवेषण तथा खनन में विदेशी भागीदारी तथा विदेशी प्रौद्योगिकी को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनियों द्वारा खनन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों में संवर्धित विदेशी इक्विटी निवेश को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। यद्यपि इक्विटी में विदेशी निवेश को सामान्य तौर पर 50% तक सीमित किया जाएगा, फिर भी बढ़ी हुई इक्विटी होल्डिंग की अनुमति मामला दर मामला के आधार पर दी जा सकती है।

विदेशी इक्विटी भागीदारी को सरल बनाने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में संशोधन लागू किए गये हैं। खनिज रियायतों के लिए आवेदन सिर्फ राज्य सरकारों को ही दिये जाने होते हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की देख रेख नहीं करती।

महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन

2936. **डॉ॰ रमेश चन्द्र तोमर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के चार महानगरों में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग और आपूर्ति के बीच कितना अन्तर है; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना बनाई गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.1.97 तक की स्थिति के अनुसार देश के चार महानगरों में नए टेलीफोन कनेक्शनों (अर्थात् प्रतीक्षा सूची) की मांग तथा आपूर्ति के बीच का अन्तर निम्नानुसार है :

	महानगर का नाम	मांग तथा आपूर्ति के बीच अन्तर
1.	मुम्बई	55626
2.	दिल्ली	38941
3.	कलकत्ता	77961
4.	चेन्नई	95452

(ख) सूची में प्रतीक्षारत व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1996-97 के दौरान प्रस्तावित लक्ष्य इस प्रकार हैं:

	महानगर का नाम	1996-97 के लिए निर्धारित लक्ष्य
1.	मुम्बई	2,50,000
2.	दिल्ली	2,50,000
3.	कलकत्ता	55,000
4.	चेन्नई	75,000

इसके अतिरिक्त 1997-98 के लिए लक्ष्यों को इस प्रकार निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है कि 31.3.1997 तक की प्रतीक्षा सूची का उत्तरोत्तर रूप से निपटान किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

2937. **श्री मुरलीधर जेना** :
श्री थामस हंसदा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी लाइनों की जोन-वार वर्तमान कुल लम्बाई कितनी है; और

(ख) चालू वर्ष तथा अगले तीन वर्षों के दौरान जोन-वार और राज्य-वार कितनी लाइनों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जोनवार छोटी लाइन की (रूट कि.मी.) कुल लंबाई इस प्रकार है:

रेल	छोटी लाइन की लंबाई (मार्ग कि.मी.) (31.3.96 को)
मध्य	996
पूर्व	1132
उत्तर	260
पूर्वोत्तर	-
पूर्वोत्तर सीमा	87
दक्षिण	102
दक्षिण मध्य	-
दक्षिण पूर्व	1,340
पश्चिम	877
	3,794

(ख) आलोच्य वर्ष में 46 कि.मी. की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र में दक्षिण पूर्व रेल पर 28 कि.मी. तथा कर्नाटक में दक्षिण रेल पर 18 कि.मी. शामिल है। 1997-98 में महाराष्ट्र में दक्षिण पूर्व रेलवे पर 111 कि.मी. का आमान परिवर्तन पूरा करने का लक्ष्य रख गया है। 1998-99 तथा 1999-2000 में आमान परिवर्तन के लिए लाइनों का अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

बिट्रगुंटा स्थित स्टीम लोको शेड का विद्युत लोको शेड में परिवर्तन

2938. **श्रीमती लक्ष्मी पनवाका** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण मध्य रेलवे के बिट्रगुंटा स्थित बड़े स्टीम लोको शेड को विद्युत लोको शेड या कारखाने में बदलने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्टीम लोको शेड को विद्युत लोको शेड या कारखाने में बदलने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त स्टीम लोको शेड के वर्तमान ढांचे का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी नहीं, रेलों की चल स्टाक की आवश्यकता तथा उनकी विशिष्ट क्षेत्र में अनुरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेल कारखानों/बिजली रेल इंजन शेड स्थापित किए जाते हैं। रेलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्र में मौजूदा सुविधाओं को पर्याप्त समझा जाता है और इसलिए बिट्रागुंटा में भाप रेल इंजन शेड को कारखाना/बिजली रेल इंजन में बदलने की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेल इंजन शेड में उपलब्ध स्थान का अन्य परिचालनिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

बालुरघाट-एकलाखी रेल लाइन का निर्माण

2939. **श्री सुव्रता मुखर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बालुरघाट-एकलाखी रेल लाइन के निर्माण लक्ष्य को पूरा करने हेतु कोई तिथि निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजना को पूरा किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। नई लाइन परियोजनाओं के लिए लगभग 12000 करोड़ रुपये की आवश्यकता तथा तत्काल सामरिक/ परिचालनकि कारणों से अपेक्षित परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता तथा जो परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष योजना आयोग द्वारा नई लाइनों के लिए निधियों के सीमित आवंटन को देखते हुए आने वाले वर्षों में इस परियोजना पर आवंटित किए जाने वाली निधियों का निर्धारण करना संभव नहीं है।

विज्ञापनों पर किए गए खर्च

2940. **लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए खोले गए जोनों के संबंध में उद्घाटन समारोह अथवा ऐसे समारोह के बारे में जनता को जानकारी देते हुए समाचार पत्रों में वर्ष 1996-97 के दौरान विज्ञापन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप माल यातायात में वृद्धि तथा रेल को लाभ हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) समाचार पत्रों के माध्यम से उद्घाटन समारोहों के प्रचार के लिए रेलों द्वारा 1996-97 के दौरान विज्ञापनों पर लगभग 3,68,37,676 रुपये खर्च किए गए।

(ख) और (ग) समाचार पत्रों के माध्यम से उद्घाटन समारोहों आदि का प्रचार करने का उद्देश्य लोगों की सुविधाओं/अवसरों के इष्टतम उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई सुविधाओं के बारे में जानकारी देना है ताकि इसका लाभ उपयोगकर्त्ताओं को और परिणामतः रेलों को मिल सके। बहरहाल, लाभ की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

रेल ड्राइवरों की हड़ताल

2941. **कुमारी उमा भारती** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के रेल ड्राइवर अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर चले गये थे जिसके कारण रेल सेवाएं ठप्प पड़ गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त हड़ताल के क्या कारण थे;

(ग) उक्त हड़ताल के कारण रेलवे को कितने रुपयों का घाटा हुआ; और

(घ) हड़ताल समाप्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) जी, नहीं। बहरहाल नए कर्मीदल संपर्क के मामले पर समस्तीपुर मंडल के कुछ ड्राइवरों की नाराजगी के कारण गाड़ियों के चालन में कुछ असुविधा हुई। बहरहाल मामला तत्काल निपटा लिया गया और गाड़ियों का सामान्य चालन शुरू कर दिया गया है।

रेल डिब्बों के निर्माण के लिए फैक्ट्री की स्थापना

2942. **श्री एन. डेनिस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण रेलवे में रेल डिब्बों का निर्माण करने के लिए एक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में नागरकोइल की जनता द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग पर विचार करते हुए इसे वहां स्थापित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। फिलहाल दक्षिण रेल में नए कोचिंग परिसर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) नागरकोइल में कोचिंग परिसर पहले ही मौजूद है और कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

2943. **श्री विनय कटियार** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी नए हवाई अड्डे का निर्माण कार्य यातायात संभाव्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जाता है। चूंकि अयोध्या लखनऊ के काफी निकट अवस्थित है, यदि ऐसे किसी हवाई अड्डे को विकसित किया जाता है तो यह आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होगा।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

2944. **डॉ॰ सत्यनारायण जटिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के लिए 31 जनवरी, 1997 को जिलावार कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में थे;

(ख) प्रतीक्षा सूची के जिलावार कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है;

(ग) उज्जैन सिटी, तराना, माहिदपुर, खचरोड़, बाड़नगर, नागदा तथा आलोत (रतलाम जिला) में प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं;

(घ) उपरोक्त शहरों की प्रतीक्षा सूची के कब तक समाप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन शहरों में नये टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का है;

(च) यदि हाँ, तो एक्सचेंजों की क्षमता सहित उनका ब्यौरा क्या है; और

(छ) ग्रामीण क्षेत्र में इनको कारगार बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है।

(ख) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में प्रतीक्षा सूची को मार्च, 1998 तक उत्तरोत्तर रूप से समाप्त करने की संभावना है और विदिशा की प्रतीक्षा सूची मार्च, 1999 तक समाप्त होने की संभावना है।

(ग) सूचना नीचे दी गई है :

क्रं. सं.	स्टेशन	प्रतीक्षा सूची
1.	उज्जैन	1340
2.	तराना	0
3.	महीदुपर	5
4.	खचरोड़	32
5.	बड़नगर	224
6.	नागदा	172
7.	अलोत (रतलाम जिला)	9

(घ) प्रतीक्षा सूची के मार्च, 1998 तक उत्तरोत्तर रूप से समाप्त होने की संभावना है।

(ङ) और (च) इन शहरों में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि वर्ष 1996-97 के दौरान उज्जैन और तराना के मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(छ) ग्रामीण दूर संचार सेवाओं को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. पुराने तथा छिसे-पिटे इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदलना।

2. भूमिगत केवल बिछाकर ओवर हैड अलाइनमेंट को कम करना।

विवरण

दिनांक 31.1.97 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल की जिलावार प्रतीक्षा सूची

क्र. सं.	जिला	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बालाघाट	214
2.	बेतुल	1260
3.	भिंड	775
4.	भोपाल	9149
5.	बिलासपुर	5059
6.	छतरपुर	553
7.	छिंदवाड़ा	694
8.	दमोह	336
9.	दतिया	496
10.	देवास	1057
11.	धार	886
12.	दुर्ग	6158
13.	गुना	470
14.	ग्वालियर	2753
15.	होशंगाबाद	2150
16.	इंदौर	3037
17.	जबलपुर	4198
18.	जगदलपुर	1462
19.	झबुआ	345
20.	खण्डवा	1060
21.	खरगोन	866
22.	मंडला	201
23.	मंदसौर	1098
24.	मुरैना	580
25.	नरसिंहपुर	759
26.	पन्ना	227

1	2	3
27.	रायगढ़	672
28.	रायपुर	3121
29.	रायसैन	496
30.	राजगढ़	417
31.	राजनांदगांव	1076
32.	रतलाम	1854
33.	रीवा	774
34.	सागर	740
35.	सरगुजा	1213
36.	सतना	1754
37.	सिहोर	366
38.	शिवनी	185
39.	शाहडोल	1216
40.	शाजापुर	278
41.	शिवपुरी	621
42.	सीधों	483
43.	टीकमगढ़	270
44.	उज्जैन	2290
45.	विदिशा	526

[अनुवाद]

बुनियादी टेलीफोन सेवाएं

2945. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बुनियादी टेलीफोन सेवाओं की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) देश में बुनियादी टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। बुनियादी टेलीफोन सेवाओं की स्थिति नहीं बिगड़ रही है।

(ख) और (ग) टेलिफोन सेवाओं के प्रचालनात्मक निष्पादन की उच्च प्रबंधन स्तरों पर आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जा रही है। विगत कुछ माह के दौरान निष्पादन में सुधार हुआ है।

(घ) देश में बुनियादी सेवाओं के सुधार हेतु, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- सभी पुराने तथा मियाद समाप्त इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को अत्याधुनिक डिजिटल इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना।
- दोष प्रवण भूमिगत केबिलों को जेली भरी कैबिल द्वारा बदलना।
- डक्टों में केबिल बिछाकर बाह्य संयंत्र नेटवर्क का उन्नयन।
- आधुनिक औजारों तथा परीक्षण साधनों का अधिष्ठापन।
- दूरसंचार विभाग के नेटवर्क में अधिष्ठापित की जा रही आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणालियों में प्रचालनात्मक स्टाफ को प्रशिक्षण।
- बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों पर ग्राहक सेवा केन्द्र खोले गए हैं।

सत्यजीत रे फिल्म संस्थान

2946. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** सत्यजीत रे फिल्म संस्थान से संबंधित 18 जुलाई, 1996 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1019 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त संस्थान के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई;

(ख) इसको पूरा करने के लिए अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इसमें छात्रों और शिक्षकों की अलग-अलग अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) इसमें पाठ्यक्रम के कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों का अधिकांश भाग 1996-97 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। शेष कार्य 1997-98 में पूरा हो जाएगा। इस परियोजना का पहला चरण 29.50 करोड़ रुपए की लागत पर पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) सितम्बर, 1996 में शुरू हुए शैक्षिक सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 32 थी। तथापि छात्रावास खण्ड के पूरा होने के बाद छात्रों की वार्षिक भरती 40 तक हो जाने की संभावना है। वर्तमान में, संकाय के 10 पद संस्थान के लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इन 10 पदों में से 6 पद (संकाय अध्यक्ष-1, सहायक प्रोफेसर-2, व्याख्याता-3) भर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए संस्थान कक्षाएं लेने के लिए संकाय में अतिथि व्याख्याताओं को बुलाता है।

(घ) चार विधाओं नामतः निर्देशन, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, सम्पादन और ध्वनि रिकार्डिंग में 2 सितम्बर, 1996 से डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं।

केरल के मालडिब्बों की कमी

2947. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मालडिब्बों की कमी के कारण केरल के गोदामों में अनाज की ढुलाई में कठिनाई आती है;

(ख) क्या रेल विभाग सार्वजनिक वितरण के लिए सामग्रियों को ले जाने हेतु केरल में पर्याप्त रैक/मालडिब्बे देगा; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक रैक/मालडिब्बे उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी, नहीं। खाद्यानों के लिए केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी आवश्यकताएं रेलों द्वारा पूरी की जाती हैं।

भारतीय रेल नेटवर्क की सुरक्षा हेतु भारत-जापान सहयोग

2948. **श्रीमती शारदा टाडीपारथी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1996 में आयोजित भारत-जापान कार्य दल की वार्षिक आम बैठक में भारतीय रेल नेटवर्क की सुरक्षा में सुधार लाने हेतु अपना सहयोग प्रदान करने के लिए जापान सहमत हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में जापान द्वारा कितनी सहायता देने का प्रस्ताव किया गया था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1996 में भारत-जापान कार्यदल की कोई वार्षिक आम बैठक नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2949. **श्री नीतीश कुमार :**
प्रो॰ प्रेमसिंह चंदूमाजरा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 दिसम्बर, 1996 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "न्यू वी.आर.एस. लाइकली इन न्यू ईयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तैयार की है;

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) लोक उद्यम विभाग जो कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की नीति तैयार करने के संबध में प्रशासनिक मंत्रालय है, और उल्लिखित समाचार में बताये गये विभाग ने पहले से ही चल रही योजना के अलावा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना में किसी प्रकार के उदारीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत/प्रस्तावित नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को वापिस उतारना

2950. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से उड़ान भरने वाली अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा भारी अधिक बुकिंग किए जाने के कारण यात्रियों को विमान से वापिस उतार दिया जाता है जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को वापिस उतारा गया और वर्ष 1966 (माह-वार) तथा 1997 में अब तक वापिस उतारे गए ऐसे यात्रियों की माह-वार संख्या क्या है;

(ग) यात्रियों को कोई परेशानी न हो और देय मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान अब तक भारत से उड़ान भरने के संबंध में एयर इंडिया और अन्य भारतीय एयरलाइनों की क्या स्थिति है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, हाँ।

(ख) एयर इंडिया उन विमान कम्पनियों में से एक है जिसने यात्रियों को अधिक संख्या के कारण विमान से उतारा है। इंडियन एयरलाइन्स ने 1997 में अभी तक किसी यात्री को आफ लोड नहीं किया है। विदेशी विमान कम्पनियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे यात्रियों को इस प्रकार उतारे जाने की रिपोर्ट भारतीय प्राधिकारियों को दें।

(ग) ओवर बुकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो दुनिया भर में एयरलाइन उद्योग में व्याप्त है और एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स ओवर बुकिंग प्रोफाइल्स की, यात्रियों को उतारने के मामलों को कम से कम करने के लिए अनुभवगत भार के आधार पर सतत् रूप से मानिटरिंग करती हैं तथा उनमें परिवर्तन करती हैं। एअर इंडिया उतारे गए यात्रियों को अधिकांश अवसरों पर होटल आवास, भोजन, परिवहन आदि मुहैया कराने के अतिरिक्त अगली उपलब्ध उड़ान में स्थान देने की कोशिश करता है।

(घ) 1996 के दौरान, एयर इंडिया द्वारा औसत ऑफ लोडिंग प्रति माह 496 यात्री थी तथा जनवरी-मार्च, 1997 के दौरान प्रति माह लगभग 1000 यात्री उतारे गए।

[हिन्दी]

संचार क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां

2951. **श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू तथा विदेशी कंपनियां दूरसंचार क्षेत्र में कार्य कर रही हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए दूरंसचार केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) टेलीफोन कनेक्शन हेतु अब तक प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालनार्थ लाइसेंसों में राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान किए गए हैं।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार केन्द्र स्थापित करने हेतु वर्ष 1997-98 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं तथापि, नौवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन कार्यक्रम हेतु अनंतिम रूप में निर्धारित संदर्श योजना में सभी गांवों को यह सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) अधिकांश दूरसंचार सर्किलों में 1997-98 के दौरान अब तक प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों को कुछ दूरसंचार सर्किलों में तकनीकी अव्यवहार्यता वाले अपवाद स्वरूप मामलों सहित नौवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्वार्ध में उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

विवरण

दूरसंचार क्षेत्र में - कम्पनियों की सूची

ए.के. इलेक्ट्रोनिक्स
आर.के. इलेक्ट्रोनिक्स
ए.बी.सी. कम्यूनिकेशन्स (इंडिया प्रा.लि.)
एकॉर्ड कम्यूनिकेसन्स (प्रा.) लि.
एक्यूम्यूलेटिव मैन्यूफैक्चर कम्पनी
ऐडोर्नी टेलिकॉम लिमिटेड
एंडवांस फाइबर कम्यूनिकेशन्स
ए.ई. टेलिलिंक सिस्टम्स लिमिटेड
एओन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
ऐरोटेक प्रा.लि.
ए.एफ.सी. हैरिस मल्टीमीडिया कम्यूनिकेशन्स प्रा.लि.
एफको इंड्रस्ट्रियल एंड कैमिकल्स लि.
एफ्रो इशियन सैटेलाइट कम्यूनिकेसन्स लि.
ए.जी.टी. इलेक्ट्रोनिक्स लि.
एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि.
अजन्ता ट्रांजिस्टर क्लाक मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी
ए.के. जी इंडिया लिमिटेड
अवस इंडिया लिमिटेड
अल्काटेल मोदी नेटवर्क सिस्टम्स लिमिटेड
अल्लटेल इन्फोरमेशन सर्विस इन.
अल्ट्रॉन इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लि.

एमैडयूस इन्वेस्टमेंटस एंड फाइनेंस प्रा. लि.
एनालोग एंड डिजिटल सिस्टम्स प्रा. लि.
एनको कम्यूनिकेसन्स लि.
एन्ड्रयू यूले एंड कम्पनी लि.
एन्जालीम टेलिमेटिक्स प्रा. लि.
एपकॉम पॉवर मैटिक सिस्टम प्रा. लि.
एपेल रेडिया कम्यूनिकेसन्स सिस्टम्स लि.
एपलाइड इलैक्ट्रानिक्स लि.
अलम इलेक्ट्रोनिक्स लि.
ए.आर.एम. सेलकॉम लि.
ए.आर.एम. लि.
अरविंद मिल्स लि.
आर्या कम्यूनिकेशन्स एंड इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस लिमिटेड
एस्कोम टेलिमेटिक्स लि.
एशियन कम्यूनिकेसन्स प्रा. लि.
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड लि.
अस्ट्रा माइक्रोवेव प्राडक्स लि.
ए.टी. एंड टी. फिनोलेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स लि.
ए.टी. एंड टी. इंडिया प्रा. लि.
ए.टी. एंड टी. स्विचिंग सिस्टम्स (इंडिया) प्रा. लि.
ऐलट्रान टेलिकम्यूनिकेसन्स लि.
भाग्य नगर मैटल्स लि.
भारती सेल्यूलर लि.
भारती दुरा लाइन प्रा. लि.
भारती ला फ्रेंककाइस लि.
भारती टेलिकॉम लि.
भारतीय टेलिवन्थर्स लि.
भातरा पावर सिस्टम्स प्रा. लि.
भिलाई वायर्स लि.
भीलवाड़ा सेल्यूलर लि.
भीलवाड़ा टेलिनेट सर्विस लि.
बायोनिक्स इंजीनियरिंग कम्पनी
बिरला थ्री एम. लि.
बिरला कम्यूनिकेसन्स लि.
बिरला एरिस्कॉन आप्टीकल लि.
बिरला टेलिकॉम लि.
ब्लैड्स ऑफ ग्रॉस कम्यूनिकेसन्स सिस्टम्स प्रा. लि.
ब्लूमबर्ग एल.पी.
ब्ल्यू स्टार लि.
बी.एम.जी. टेलिकॉम प्रा. लि.
बी.पी.एल. सेल्यूलर होल्डिंग्स लि.
सेलकॉम एक्सपोर्ट प्रा. लि.
सर्लटोन कम्यूनिकेसन्स प्रा. लि. कं.
कैटविजिन प्राडक्स लि.
सेजिलेक इंडिया लि.
सेल्यूलर कम्यूनिकेसन्स इंडिया लि.
सेन्चुरी शीट मेटल्स (आई) लि.
सी.जी. कम्यूनिकेशन्स लि.
सी.जी. फैक्स ब्राडॅकास्ट (प्रा.) लि.
सी.जी. ग्राफनेट प्रा.लि.
सी.जी. टेलिनेटवर्क सिस्टम्स प्रा.लि.
सी.जी. टेलिटेक लि.
सिटिजन एलकोट (इंडिया) लि.
सिट्रानिक्स
सी.टी. वाइड कम्यूनिकेसन्स एंड कम्प्यूटर्स इंडिया लि.
सी.एम.आई. लिमिटेड
कॉमकान ओवरसीज प्रा. लि.
कॉमनेट सिस्टम्स एंड सर्विस लि.
कॉम्प्यूटेक इंटरनेशनल लि.
कॉम्प्यूटेक सिस्टम्स लि.
कम्प्यूटर पेरीफेरीयल डिवाइस लि.
कॉमसैट मैक्स प्रा. लि.
कॉनिक इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
कॉनटिनेंटल डिवाइस इंडिया लि.
कन्ट्रोल्स एंड ड्राइव्ज कॉरपोरेशन
कॉस्मिक मोबीटेल प्रा. लि.
कॉस्मो कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.
कावई वायर्स लि.
सी.पी.आर.एम. मारकोनी (इंडिया) प्रा. लि.
क्रियेटिव इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
क्रिनोटिव प्रेमेव्स लि. (रूरल)
क्रॉम्प्टन ग्रीव्स लि.
क्रिस्टल केबल इंडस्ट्रीज लि.
डी.आई. टेलिकम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
डालमिया कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
डाटाबाइट इक्यूप्मेंट प्रा. लि.
डाटाप्रो इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी लि.
दुबीके इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी लि.

डेल्टा हैमलिट (प्रा.) लि.
डेलटेल सिस्टम्स प्रा. लि.
डेलटॉन केबल्स लि.
डेक्स्ऑन यूटीलिटीज एक्सपोर्ट लि.
धारा इंडस्ट्रीज लि.
डिजिकॉम सिस्टम्स लि.
डिजिटल माइक्रोवेव कॉरपोरेशन
डिजिटल टेलीकॉम लि.
डिक्सन यूटीलिटीज एंड एक्सपोर्ट लि.
टून एयर प्रॉडक्ट्स लि.
डी.एस.एस. इलैक्ट्रनिक्स इंडिया लि.
दूरवेन केबल्स प्राइवेट लि.
इस्टर्न टेलीकॉ एंड टेक्नोलॉजी लि.
इजीकॉल सेल्युलर इंडिया लि.
इजीकॉल कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा. लि.
ईडर केबल्स (इंडिया) लि.
ईडर इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज लि.
ईडर पीडब्ल्यूआई कम्यूनिकेशन लि.
ईडर पीडब्ल्यूआई पेजिंग लि.
ईडर टेलीकॉम लि.
एकनाथ कम्यूनिकेशन्स लि.
इल्को कम्युनिकेशन्स सिस्टम्स लि.
इल्कॉट पावर कंट्रोल लि.
इल्कॉम एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
इलेक्ट्रोनिक रिसर्च लिमिटेड
इलिको प्रा. लि.
इलाइट इंफोटरोनिक्स प्रा. लि.
इंगलिश इलेक्ट्रिक क. ऑफ इंडिया लि.
इक्विपमेंट कंडक्टर्स केबल्स लि.
ईआरआई इंजीनियर्स प्रा. लि.
एरिक्सन इंडिया लि.
एरिक्सन टेलीकॉम प्रा. लि.
एस्कोर्ट्स कम्यूनिकेशन लि.
एसक्वायर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सिर्विसेस प्रा. लि.
एस्सार कामविजन लि.
एस्सार टेलीकॉम लि.
एसेन कम्युनिकेशन प्रा. लि.
एसेन टेलीकॉम प्रा. लि.
एस्सेज टेलीकॉम सर्विसेस प्रा. लि.
यूरो टेल इंडिया लि.
फाल्कन इंटरनेशनल कम्यूनिकेशन एल.पी.
फैसेल लि.
फिब्कॉम इंडिया लि.
फिलकॉम इंडिया लि.
फिर्मैक सिस्टम्स लि.
फिनोलेक्स केबल्स लि.
फिनोलेक्स टेलीकम्यूनिकेशन प्रा. लि.
फोरबेस गोकाक लि.
फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लि.
फ्रीडमटेल टेक्नोलॉजिज लि., यू.के.
फजित्सु इंडिया लि.
फूजित्सु लि.
फूजित्सु ऑप्टेल लि.
जी.पी. ट्रोनिक्स
जी.वी. के टेलीकॉम लि.
जी.आर. केबल्स लि.
गर्ग टेलीकॉम कारपोरेशन
जी.ई. कैपिटल सर्विसेस इंडिया
जी.ई.सी. आलस्थम इंडिया लि.
गीके एक्विजम (इंडिया) लि.
जनरल इंस्ट्रूमेंट कारपोरेशन
जनरल सिगनेल्स
जेनेसिस टेलीकॉम (प्रा.) लि.
गिल्को सेटेलाईट कम्यूनिकेशस (प्रा.) लि.
गिलडॉटा टेक लि.
गलेनायर इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
ग्लोबल टेक्नोलॉजी लि.
ग्लोबल टेलीकॉम सर्विस लि.
ग्लोबल टेलीसिस्टम्स
ग्लोबल टेलीसिस्टम्स लि.
ग्लोबल वायरलैस टेक्नोलॉजी लि.
ग्लोबलस्टार इंडिया सेटेलाईट सर्विसेस प्रा. लि.
गोवा इलेक्ट्रोनिक्स लि.
गोवा टेलीकम्यूनि एंड सिस्टम लि.
गोवा टेलीकम्यूनिकेशंस एंड सिस्टम्स लि.
गोदरेज टेलीकॉम लि.
गोल्ड मेन एजेंट प्रा. लि.
जी.पी. ऑन लाईन टेक्नोलॉजिज प्रा. लि.

प्रेप्को टेलीकॉम लि.
प्रॉडिंग इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लि.
जी.टी.सी.एल. मोबाइलकॉम टेक्नोलॉजी लि.
जीटेक कारपोरेशन यू.एस.ए.
गुड्डू इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.
गुजरात इंवेस्टमेंट लि.
गुजरात ऑप्टीकल कम्यूनिकेशन लि.
गुजरात टेलीफोन केवल लि.
गुजरात टेलीफोन केबल्स लि.
गुजरात पोलो एवीक्स इलेक्ट्रोनिक्स लि.
गुजरात टेलीफोन केबल्स लि.
गुजरात ऑप्टीकल कम्युनिकेशस लि.
गुजरात पोलो एवीएक्स इलेक्ट्रोनिक्स लि.
एच.बी. टेलीकम्यूनिकेशन लि.
हैमिल्टन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
हर्टरन नेटवर्क लि.
हर्टरन नेटवक्स लि.
हरियाणा टेलीकॉम लि.
एच.सी.एल. सेलस्टार लि. (एच.सी.एल. ग्रुप)
एच.सी.एल. कामनेट सिस्टम्स एंड सर्विसेज लि.
एच.सी.एल. लि. (टेलीकम्यूनिकेशन डिवीजन)
हैडलाईन इंडिया कम्यूनिकेशन लि.
एच. ई. जी. लि.
हिलियॉस एंटिनास एंड इलेक्ट्रोनिक्स
हेमंग एन बुद्धदेव
हेमंत इलेक्ट्रोनिक्स
हेनडेल इलेक्ट्रोनिक्स लि.
हेरिटी इम्पेक्स प्रा. लि.
हेवलेट पैकर्ड इंडिया लि.
हेक्जाकॉम इंडिया लि.
एच.एफ.सी.एल.
एच.एफ.सी.एल. बेजेक टेलीकॉम लि.
एच.एफ.सी.एल. डेकॉम इंफोचेक लि.
एच.एफ.सी.एल. कॉगसंग टेलीकॉम लि.
एच.एफ.सी.एल. मोबाइल रेडियो लि.
एच.एफ.सी.एल. सेटेलाईट कम्यूनिकेशंस लि.
ही-टैक टेली एसैस सर्विसेस लि.
हिमाचल एक्जिकॉम कम्यूनिकेशन लि.
हिमाचल टेलीमेटिक्स लि.
हिमाचल वायरलैस लि.
हिन्दुजा एच.सी.एल. सिंगटेल कम्यूनिकेशन लि.
हिन्दुस्तान पजिंग लि.
हिन्दुस्तान टाइम्स लि.
हिन्दुस्तान वायर्स लि.
हाइटेक इलेक्ट्रोनिक्स लि.
होफिनटेल लि.
हनीकरम्स टेलीकॉम सिस्टम्स लि.
ह्यूजस एबोर्टस कंमूनिकेशन्स लि.
ह्यूजस इस्वान लि.
ह्यूजस नेटवर्क सिस्टम
हरीसन पैक्स टेलीकॉम प्रा. लि.
आई.ए.एन. केबल्स एंड इंडस्ट्रीज लि.
इम्पाला फोन्स इंडिया
इम्पेल पेट्रो प्रा. लि.
इम्बेल पैद थर्मो श्रिडक्स प्रा. लि.
इम्पसेट इंडिया प्रा.लि.
इन्कैब इंडस्ट्रीज लि.
इंडकेम कम्यूनिकेशन लि.
इंडकेम इलेक्ट्रोनिक्स लि.
इडकेम ग्लोबल कम्यूनिकेशन प्रा. लि.
इंडकेम नेरा लि.
इंडिया इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी लि.
इंडिया टेली-काम्स लि.
इंडिया टेलीकॉम्स लि.
इंडो बेसिफिक ट्रेड कार्पोरेशन
इंडो पावर केबल्स लि.
इंडाकॉम इंडस्ट्रीज लि.
इंदौर काम्पोसाइट प्रा. लि.
इंदूसिंध एंटरप्राइज एंड फाइनंस लि.
इन्फोकॉम डिजीटल सिस्टम्स प्रा. लि.
इन्नोवेशन कम्यूनिकेशन्स सिस्टम्स प्रा. लि.
इंटरग्रेटेड इक्विपमेंट्स प्रा. लि.
इंटेल एक्सपोर्टस कार्पोरेशन
इण्टरसिटी केबल सिस्टम्स प्रा. लि.
इण्टरनेट सेक्यूरिटीज
आई.ओ.एन. इलेक्ट्रीकल्स
इरोडियम इंडिया टेलीकॉम लि.
इस्पात कम्यूनिकेशंस एंड सर्विसेज लि.

जे.टी. मोबाइल लि.
के.के. कॉर्पोरेशन
जे.के. टेलीक्रानिक्स लि.
जै. सिंह वायर्स प्रा. लि.
जैलेक्स कनेक्टर्स सिस्टम्स लि.
जैसमिन टेलीकॉम इंडिया लि.
जयन्ती बिजिनेस मशीन्स लि.
जे.ई.सी. डिवाइसीज प्रा. लि.
जैरथ इलेक्ट्रानिक्स
जीओल कम्यूनिकेशन लि.
जे.एम.एस. नॉर्थ अमरीका इकोर्पो०
जे.टी. टेलीकॉम लि.
कजरीवाला ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इंजी. वर्क्स लि.
कालिन्दी रेल निर्माण (इंजीनियर्स) लि.
कल्याणी शार्प इंडिया लि.
कनाजिया डिजीटल सिस्टम्स प्रा.लि.
कनोरिया इंडस्ट्रीज लि.
कर्नाटक टेलीकॉम लि.
काबारी इंडिया लि.
केजिरीवाल आटो एंड इलेक्ट्रोनिक्स
की इलेक्ट्रो इंडस्ट्रीज
काइनेटिक इंजीनियरिंग लि.
काइनेटिक इंजीनियरिंग लि.
कीर्ति टेलीकॉम लि.
के.एल.जी. सिस्टोल लि.
के.एल.जी.यू.कॉम टेलीकॉम लि.
किल्पोन इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.
कोलिका टेलीकॉम प्रा. लि.
कृति टेलीकॉम लि.
क्रॉन कम्यूनिकेशन लि.
क्रल्स इंजीनियर्स प्रा. लि.
एल. एंड टी. लि.
लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि.
एल. एंड टी. लि.
लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि.
लारसेन एंड टुरबो लि.
लिंकेज टेलीकॉम प्रा. लि.
ल्यूसेंट टेक्नालाजीस इंडिया प्रा. लि.
महिन्द्रा नेटवर्क सर्विसेज लि.
मणिपाल टेलीफोन्स एंड टेलीकॉम लि.
मार्कसेट कम्यूनिकेशन प्रा. लि.
मेट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा. लि.
एम.ए. एक्स इंडिया लि.
एम.सी.ई. प्राडक्ट्स सेलस सर्विस लि.
मेजरमैंट सिस्टम्स प्रा. लि.
मेंगाटेक एडवांस टेकनॉलाजी प्रा. लि.
मेक वीडियो प्रा. लि.
मेकास्टर जे. एंड के. ट्रांस्मिशस प्रा. लि.
मेकास्टर टेलीमेटिक्स लि.
एम.ई.एल. सिस्टम्स एंड सर्विसेज लि.
माइक्रोटेक इंडस्ट्रीज लि.
माइक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि.
माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स लि.
मीरगौक इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
एम.आई.एस. इलेक्ट्रोनिक्स (प्रा.) लि.
मिटगार्ट इंडिया लि.
मोबाइल कम्यूनिकेशन्स हाल्डिंग्स
इक्कार्पोशन
मोदी कम्यूनिकेशन सर्विसेज लि.
मोदी इन्फोटेक प्रा. लि.
मोदी कोरिया टेलीकम्यूनिकेशंस लि.
मोदी टेलीकम्यूनिकेशन लि.
मोदी टेलीमेटिक्स लि.
मोदी टेलस्ट्रा प्रा. लि.
मोदी कॉ नेटवर्क प्रा. लि.
मोटरोला प्रा. लि.
माइको टेलकॉम लि.
नामटेक सिस्टम्स प्रा. लि.
नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लि. (लेल्को)
नेशनल टेलीकॉम ऑफ इंडिया लि.
एन.ई.सी. कॉर्पोरेशन
नेरा (इंडिया) लि.
नेटवर्क लि.
नेटवर्क सिस्टम्स लि.
न्यू हॉरिजन्स प्रा. लि.
नेक्सट ऐज नेटवर्क्स प्रा. लि.
निक्को कॉरपोरेशन लि.
निड्होल्ट टेलीकम्यूनिकेशन बी.वी.

निपो एकोस्टिक डिवाइसिकस (आई) प्रा. लि.
नोवेल इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन सिस्टम्स
ओनिडा एस.के. कम्यूनिकेशन्स लि.
ओरिन्ट अस्तर कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.
ओस्कार इंटरनेशनल लि.
पेसिफिक टेलीकम्यूनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंट लि.
पेज प्वाइंट सर्विसेस (आई) प्रा. लि.
पैरामाउंट कम्यूनिकेशन लि.
पसुपति ट्यूब्स लि.
पीछ कम्प्यूटर्स लि.
पीको इलेक्ट्रानिक्स लि.
पेंगुइन एंटरप्राइजेज प्रा. लि.
पेनार इलेक्ट्रानिक्स
परटेक कम्प्यूटर्स लि.
फिलिप्स इंडिया लि.
फिलिप्स टेलीकम्यूनिकेशन इंडस्ट्रीज लि.
फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि.
पिनैकल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
पिरेल्ली सी.ए.टी.आई.एस.पी.ए.
पोरटा सिस्टम्स इंडिया प्रा. लि.
पोमेट कम्यूनिकेशन इंडिया प्रा. लि.
पावरटेल बोका प्रा. लि.
प्रिसीजन इलेक्ट्रोनिक्स लि.
पिसीजन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
प्रियाराज इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
प्रेकॉल प्रा. लि.
प्रोटेल इंडिया प्रा. लि.
पी.टी.सी. टेलीफोन सर्विस (आई) प्रा. लि.
पुलसार इलेक्ट्रानिक्स लि.
पुलसेटोन कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा. लि.
पंजाब कम्यूनिकेशन लि.
पंजाब पावॅर पैक्स लि.
पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लि.
पुनवायर पेजिंग सर्विसेज लि.
पुनवायर सिस्टम लि.
पुनवायर टेलीसिस्टम सेल्यूलर लि.
क्यू फ्लैक्स केबल्स लि.
क्वालकॉम इनकॉरपोरेटेड
क्विक कॉल्स प्रा. लि.
आर. के. इंजीनियरिंग वर्क्स लि.
रेडियेन्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
रेडियेन्ट टेलीसिस्टम्स लि.
राजस्थान कम्यूनिकेशन्स लि.
राजस्थान टेलीमेटिक्स (प्रा.) लि.
राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि.
राजशी स्टरिंग प्रा. लि.
राजवेभ इलेक्ट्रानिक्स लि.
रामा एसोसिएट्स लि.
रमइया इलेक्ट्रानिक्स लि.
रामको इंडस्ट्रीज लि.
रामसन कम्यूनिकेशन्स लि.
रामसन कम्यनिकेशन्स लि.
रामट्रॉन इंजीनियरिंग सर्विसेस
रिलायन्स टेलीकॉम प्रा. लि.
आर.ई.पी.एल. इंजीनियरिंग लि.
रिसिंगसन इंजीनियर्स लि.
रोल्टा इंडिया लि.
रोस्सेल टेलीकम्यूनिकेशन प्रा. लि.
आर.पी.जी. सेल्यूलर सर्विसेज लि.
आर.पी.जी. कम्यूनिकेशन्स होल्डिंग लि.
आर.पी.जी. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि.
आर.पी.जी. पेजिंग सर्विसेज लि.
आर.पी.जी. रिको लि.
आर.पी.जी. सेटेलाईट कॉम लि.
आर.पी.जी. टेलीकेबल्स लि.
आर.पी.जी. टेलीफोन लि.
आर.पी.जी. टेलीफोन लि.
रुचि टेलीसिस्टम्स लि.
एस.एम. क्रियेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
एस.जी.एस. टैक्नीक्स
सैब इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
समीर पेजिंग सिस्टम्स लि.
सविता कैमिकल्स लि.
स्केन्टल प्राइवेट लि.
एस.डी.टी. एंटरप्राइज प्रा. लि.
सेलबेल एडवरटाइजिंग (प्रा.) लि.
सेमीकंडक्टर कॉमप्लेक्स लि.
सर्वो इलेक्ट्रानिक्स

सेवा सीट इनफारमेशन सिस्टम्स लि.
सेट टेलीकम्यूनिकेशन प्रा. लि.
सेवन हिल्स कॉम प्रा. लि.
श्याम टेलीकॉम लि.
सीमेन्स लि.
सीमेन्स टेलीकॉम लि.
सिगनल टेलीकॉम इंडिया प्रा. लि.
सिल्की इलेक्ट्रानिक्स प्रा.लि.
सिमोको इंटरनेशनल लि.
सिंकलेयर कम्यूनिकेशन्स (प्रा.) लि.
एस.एम. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
एस.एम. एनर्जी टेकनीक एंड इलेक्ट्रानिक्स
सॉलिडेयर इंडिया लि.
सोनी कार्पोरेशन
स्पीड-एन-टेली कंट्रोल्स
स्पेरो टेलीकॉम
स्पिक ओजमेल इंटरनेट (प्रा.) लि.
स्पिक टेल्स्ट्रा टेलीकॉम लि.
स्प्रिंट आर.पी.जी. इंडिया लि.
श्रीनिवास सेल्कॉम लि.
स्टोन इंडिया लि.
स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लि.
सुप्रीम टेलीकम्यूनिकेशन प्रा. लि.
सुराना टेलीकॉम लि.
स्वामी इंडस्ट्रीज
स्टेड इंडिया लि.
टाटा सेल्यूलर प्रा. लि.
टाटा कम्युनिकेशंस प्रा. लि.
टाटा इंफोरमेशन सिस्टम्स लि.
टाटा केल्ट्रोन लि.
टाटा टेलीकॉम लि.
टीमकॉल प्रा. लि.
टेक्नीकॉम सिस्टम्स (इंडिया) प्रा. लि.
टेलीकॉम कन्सलटेंट्स इंडिया लि.
टेलीकॉम इंफोरमेटिक्स (इंडिया) प्रा. लि.
टेलीडाटा इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
टेलीफोनेक्टीनोलेजेट एल.एम.
टेलीलिंक सेल्यूलर लि.
टेलीलिंक निको लि.
टेलीमेटिक्स सिस्टम्स लि.
टेलीफोन केबल्स लि.
टेलीफोन इंफोरमेशन सर्विसेस इंडिया लि.
टेलीरेक्स कॉम. इंडिया लि.
टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा. लि.
टेलीविस्ता इलेक्ट्रोनिक्स लि.
टेक्सला प्लास्टिक एंड मेटल्स प्रा. लि.
टेक्सटन टेलीकॉम प्रा. लि.
ट्रेको केबल्स लि.
ट्रेक्टर्स एंड फामर्स इक्विपमेंट लि.
ट्रांस इमेज कोरपोरेशन
ट्रांस इंडिया नेटवर्क सिस्टम्स प्रा. लि.
ट्रांसमेटिक सिस्टम्स लि.
ट्रीडेंट इंडस्ट्रीज लि.
यूनिकोर्म इंडस्ट्रीज लि.
यूनाइटेड कम्यूनिकेशन इंडि. पब्लिक कम्पनी लि.
यूनाइटेड इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक
यूनाइटेड सिस्टम्स इंजीनियर्स प्रा. लि.
यूनाइटेड टेलीकॉमस लि.
यूनीटेल कम्यूनिकेशंस लि.
यूनिवर्सल ए.वी.वी. पावर केबल्स लि.
यूनिवर्सल केबल्स लि.
यूनिवर्सल इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
अपकॉम केबल्स लि.
अपट्रोन इंडिया लि.
यूरेको टेक्नोलोजिज (इंडिया) प्रा. लि.
यू.एस. वेस्ट वी.पी.एल. टेलीफोन सर्विसेस प्रा. लि.
ऊषा वेल्ट्रोन लि.
ऊषा कम्प्यूटर्स एंड पेरीफीरल्स लि.
ऊषा मार्टिन टेलीमेटिक्स लि.
ऊषा रेक्टिफाइर कोरपोरेशन इंडिया लि.
वी.पी. पोलीकॉन लि.
वेलिएर्ट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
वाम आर्गेनिक केमिकल्स लि.
वागना इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
वसू इंटरपरीनियर्स प्रा. लि.
वेंकटेश्वर टेलीकॉम लि.
वी.एच.ई.एल. इंडस्ट्रीज लि.
वीडियोकॉन सेल्यूलर प्रा. लि.

विकास सेल्यूलर लि.

विकास टेलीकॉम लि.

विध्या टेलीलिकंस लि.

विनटेक आर.एफ. प्रोडक्ट्स प्रा.लि.

विनट्रेन इंडस्ट्रीज लि.

विस्तरा टेलीकम्यूनिकेशन प्रा. लि.

वॉयस इंफोरमेशन सिस्टम्स (इंडिया) लि.

वी.एस.डेम्पो एंड क. लि.

वी.एक्स.एल. इंजीनियर्स लि.

वी.एक्स.एल. इंडिया लि.

डब्ल्यू.एम. टेलीसिस्टम लि.

वान्डेल एंड गोल्टरमैन

डब्ल्यू वी.ई.आई.डी.सी. लि.

वेबेल कम्यूनिकेशन लि.

वेबेल इलेक्ट्रोनिक कम्यूनिकेशंस सिस्टम्स लि.

वेवेल मिडियटोनिक्स लि.

वेवेल टेलीकम्यूनिकेशंस इडस्ट्रीज लि.

वेबेल टेलीमैटिक्स लि.

वेस्टन पेजर्स प्राइवेट लि.

वाइड फैक्स (इंडिया) लि.

विपरो इन्फोटिक लि.

विपरो लि.

वर्ल्ड फोन इंडिया प्रा. लि.

वर्ल्डवाइड टेक्नोलीजिस (इलेकट्) प्रा. लि.

डब्ल्यू.एम. टेलीसिस्टम्स लि.

एक्स.ई.डी.डी. टेलीकॉम लि.

एक्स.एल. टेलीकॉम .प्रा. लि.

जेड.ई.डी.डी. टेलीकॉम लि.

जिमगा इंडिया लि. (पीएसईडीसी)

[अनुवाद]

अपर्याप्त निधियां

2952. श्री संतोष मोहन देव :
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पर्यटन क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत रखने के लिए सरकार पर दबाव डाले जाने के कारण बजट में पर्यटन के लिए निधियों की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त बात का इस दलील के आधार पर विरोध किया है कि पर्यटन उद्योग की वार्षिक विकास दर 17.6 प्रतिशत है जा यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि इसमें घाटा नहीं हो रहा है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995-96 में 119.14 करोड़ रुपए के आंशिक बजट परिव्यय सहित 9186 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 1995-96 में आंकड़े बढ़ जाने के बावजूद मंत्रालय ने वर्ष 1996-97 के बजट में 109 करोड़ रुपए ही आवंटित किए है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 के बजट में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था नहीं की है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान 92.00 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय पर विदेशी मुद्रा आय 9185.88 करोड़ रुपये थी।

(घ) वर्ष 1996-97 हेतु बजट आंवटन 90.00 करोड़ रु० है।

(ङ) और (च) योजना आयोग ने पर्यटन विभाग को वर्ष 1997-98 के लिए 110.35 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

केन्द्रीय श्रम शक्ति निर्यात संवर्द्धन परिषद्

2953. **श्री अयूयन्ना पटरूधु** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानव संसाधन निर्यात प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए केन्द्रीय श्रम शक्ति निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अतिंम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) संवर्धनात्मक और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय श्रम शक्ति निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित किए जाने के एक प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है। इस प्रयोजन के लिए समय-अनुसूची

निर्धारित करने का प्रश्न तभी उठेगा यदि प्रस्तावित परिषद् की स्थापना पर निर्णय ले लिया जाता है जो सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों की सहमति पर आधारित है।

हिण्डालको में हुई मौतों की न्यायिक जांच

2954. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पी.यू. डी.आर. (पीपल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स) ने हिण्डालको, हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कंपनी, उ.प्र. के रेनकुट में श्रमिकों की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त फर्म के 22 हजार कामगारों/श्रमिकों में से 16 हजार ठेका और शिफ्ट कर्मचारी हैं जिनको दूसरों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है; और

(घ) सरकार द्वारा इन श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे का विकास

2955. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल के विकास तथा यात्रियों को और ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना से कितने यात्री लाभान्वित होंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) यात्रियों को अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रेलवे स्टेशनों का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है। स्टेशनों पर यात्री यातायात की वृद्धि और वहां सम्हाले जाने वाले यातायात की आवश्यकता के आधार पर सुविधाओं को अपग्रेड किया जाता है। फिलहाल कोई नई योजना नहीं है।

रेल इंजनों की उपलब्धता

2956. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अच्छी हालत में रेल इंज पर्याप्त संख्या में है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुराने कोयले के इंजनों के स्थान पर नए विद्युत इंजनों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान कोयले वाले इंजन के स्थान पर कितने विद्युत इंजन लगाए गए तथा उक्त अवधि के दौरान कितने नए इंजन बनाए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1.4.96 को भारतीय रेलों पर 2387 बिजली रेल इंजन, 4313 डीजल रेल इंजन और 209 भाप रेल इंजन थे।

(ग) से (ङ) बिजली इंजन उन खण्डों में उपयोग किए जाते हैं जो विद्युतीकृत हैं। इस वर्ष के दौरान भाप इंजन से किसी भी बिजली इंजन का बदलाव नहीं किया गया है। 1996-97 के लिए 195 ए.सी. बिजली रेल इंजन और 150 डीजल बिजली रेल इंजनों के उत्पादन/प्रापण की योजना बनाई गई है।

स्पंज लौह इकाइयां

2957. **प्रो० प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 दिसम्बर, 1996 को "ट्रिब्यून" में "टफ टाईम अहेड फार स्पोंज आयरन यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या देश के स्पंज लौह निर्माताओं को अच्छी किस्म के कोयले की कमी और कोयला मूल्य वृद्धि के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उद्योग के अभ्यावेदनों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) सरकार को 27 दिसंबर, 1996 के समाचार-पत्र "ट्रिब्यून" में "टफ टाइम अहेड फॉर स्पोंज आयरन यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है। स्पंज लोहा उत्पादक संघ ने भी अपेक्षित श्रेणियों के अकोककर कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता और कोयले के मूल्य में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की है।

(ङ) कोयले की उपलब्धता में वृद्धि हेतु लोहा और इस्पात के उत्पादकों को निजी खानों का विकास करने की अनुमति देने के लिए कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 को 9.6.1993 से संशोधित किया गया है। यह संशोधन खानों से प्राप्त कोयले को धोने के लिए धोवनशालाएं भी स्थापित करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 1997-98 के बजट में अकोककर कोयले पर मूल उत्पाद शुल्क को 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

टूटे हुए सामान की बिक्री

2958. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक रेलवे द्वारा कितना रद्दी माल बेचा गया है; और

(ख) इससे कितनी आय हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान जनवरी 1997 तक रेलों द्वारा बेचे गए स्क्रैप की मात्रा नीचे दी गयी है :

1. रेल पटरियां और लोह स्क्रैप (एम.टी.एस.)	5,54,173
2. अलौह स्क्रैप (एम.टी.एस.)	5,222
3. सवारी डिब्बे (इकाइयां)	1,671
4. रेल इंजन (इकाइयां)	98
5. माल डिब्बे (इकाइयां)	13,797
6. विविध स्क्रैप (एम.टी.एस.)	8,133

(ख) उनसे प्राप्त राशि 606.68 करोड़ रुपये थी।

उड़ीसा में एल्यूमिनियम संयंत्र का स्थापित किया जाना

2959. श्री भगवान शंकर रावत : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में 1997-98 के दौरान एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी कंपनी ने इस कार्य में कोई रुचि दिखलाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) सरकार का उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में वर्ष 1997-98 के दौरान एल्यूमिना संयंत्र लगाने का कोई विचार नहीं है।

(ग) और (घ) एल्यूमिनियम क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए, एल्यूमिनियम और उसके डाउन स्ट्रीम उत्पादों को आवश्यक लाइसेंस लेने से संबद्ध प्रावधान से छूट दी गई है।

[हिन्दी]

टेलीफोन हेतु प्रतीक्षा-सूची

2960. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 31 जनवरी, 1997 तक उपरोक्त लक्ष्यों की तुलना में राज्य-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० स०	राज्य	1994-95		1995-96		1996-97	
		लक्ष्य	प्रदान किये गए टेलीफोन कनेक्शन	लक्ष्य	प्रदान किये गए टेलीफोन कनेक्शन	लक्ष्य	31.1.97 की स्थिति के अनुसार प्रदान किए गये टेलीफोन कनेक्शन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	82000	138278	148500	150021	123000	107494
2.	असम	10000	13103	14600	20295	18000	10963

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	35000	44068	69300	33115	47000	25094
4.	गुजरात (दादर, द्वीव, दमन और नगर हवेली सहित)	80500	122507	163100	134832	188000	93157
5.	हरियाणा	22000	47008	64900	52486	64000	27765
6.	हिमाचल प्रदेश	12000	21349	35300	30212	27000	22745
7.	जम्मू-कश्मीर	4000	4983	9300	5988	23000	8459
8.	कर्नाटक	79000	136008	168200	139694	133000	90051
9.	केरल (संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप सहित)	79000	90460	326300	154033	228000	106094
10.	मध्य प्रदेश	57000	88619	173800	81275	45000	30536
11.	महाराष्ट्र (गोवा और मुंबई सहित)	247000	360807	437900	418131	453000	203591
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	8000	8689	16100	16433	18000	8882
13.	उड़ीसा	8000	18638	45500	31014	27000	24629
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	70500	101059	182500	133569	153000	63056
15.	राजस्थान	67000	84623	147500	100672	123000	54172
16.	तमिलनाडु (चेन्नई और संघ शासित क्षेत्र पांडेचेरी सहित)	152000	149899	326900	207452	26300	124503
17.	उत्तर प्रदेश	82000	116290	195200	151336	155000	104705
18.	पश्चिमी बंगाल (सिक्किम, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और कलकत्ता)	71000	70240	128700	112463	112000	71342
19.	दिल्ली	260000	153090	272700	200070	25000	102576
	कुल	1426000	1769718	2926300	2183091	2450000	1279894

* सर्किलों के कुल लक्ष्यों से आंतरिक लक्ष्य का पता चलता है कि जो वर्ष 1994-95 और 1995-96 के क्रमशः 14 लाख और 20 लाख के अनुमोदित लक्ष्य से अधिक रखे गऐ हैं।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिकों हेतु निर्धारित मजदूरी

2961. श्री उत्तम सिंह पवार :
श्री भक्त चरण दास :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों को शामिल करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित संशोधनों पर क्या बल दिया जायेगा;

(ग) क्या इन संशोधनों में नियोक्ताओं द्वारा मजदूरी के भुगतान और कार्य घंटों के मानदण्डों का उल्लंघन करने पर दण्ड का भी प्रावधान है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन संशोधनों से असंगठित क्षेत्र में बाल श्रमिकों की भर्ती को हतोत्साहित किया जायेगा;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या मजदूर संघ के नेताओं ने 60 रुपये प्रति दिन की दर से कृषि और असंगठित श्रमिकों की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और राष्ट्रीय श्रमिक आयोग गठित करने की मांग की है; और

(ज) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) प्रस्तावित संशोधनों में अधिनियम के अंतर्गत निवारण तंत्र के कार्यकरण में सुधार लाने और अधिनियम के दण्डात्मक उपबंधों में वृद्धि किए जाने पर बल दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी में और अधिक बार संशोधन का प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य बालकों के नियोजन को हतोत्साहित करने के लिए बाल कर्मकारों के संबंध में मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरों के निर्धारण के विद्यमान प्रावधान को समाप्त करना भी है।

(छ) और (ज) कृषि और असंगठित कर्मकारों के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किए जाने की मांगे प्राप्त होती रही हैं। यद्यपि देश के भीतर अर्थव्यवस्था और भौगोलिक परिस्थितियों में विविधता के कारण एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर पाना संभव नहीं हुआ है, फिर भी भारतीय श्रम सम्मेलन ने अपनी पिछली बैठक में यह निर्णय लिया है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय समुचित सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि तय सतही स्तर की मजदूरी से कम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित न की जाए।

[हिन्दी]

टिकटों की वापसी

2962. डॉ० ए.के. पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के एक उपभोक्ता न्यायालय ने रेलवे को यह आदेश दिया है कि यदि दो सप्ताह के अंदर रेल यात्रियों के टिकट के पैसे वापस नहीं किये जाते तो उसे ब्याज सहित पैसे वापस करने पड़ेंगे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आदेश किन-किन राज्यों में लागू किया जा रहा है; और

(घ) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा दिसंबर, 1996 तक कितने मामलों में रेलवे ने ब्याज सहित पैसा वापस किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) संबंधित राज्यों के उपभोक्ता मंचों के आदेश पर रेलवे ने जिन मामलों में भुगतान किया है, वे इस प्रकार हैं :

उड़ीसा	-	7
महाराष्ट्र	-	1
केरल	-	1
पंजाब	-	1

आकाशवाणी की मलयालम यूनिट

2963. श्री एस. अजय कुमार : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, नई दिल्ली के समाचार प्रभाग के मलयालम यूनिट के कुछ कर्मचारी प्राइवेट कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उन्होंने इस प्रकार के कार्य हेतु अनुमति ली थी; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने की मांग

2964. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन मांगों में से कुछ पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) विभिन्न राज्य सरकारों से उनके अपने-अपने राज्यों में उड़ाने शुरू करने/उड़ानों की आवृत्ति में

बढ़ोतरी करने आदि के संबंध में निरंतर अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। यातायात संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए उनकी मांग को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गैर-सरकारी प्रचालकों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे उन सेक्टरों में उड़ानें प्रचालित करे जहाँ विभिन्न हवाई अड्डों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं तथा यातायात संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरलाइन्स अपने प्रचालन नहीं करती।

अनधिकृत निर्माण

2965. श्री अंचल दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में डाक व तार विभाग के क्वार्टरों में अनधिकृत निर्माण/परिवर्तन किये जाने तथा उन्हें किराए पर देने को रोकने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) **डाक विभाग**- स्टाफ क्वार्टरों में अनधिकृत निर्माण/परिवर्न के संबंध में अब तक कोई जांच नहीं की गई है। तथापि, क्वार्टरों को किराए पर देने के संबंध में जांच की गई है।

दूरसंचार विभाग - जी, हाँ।

(ख) **डाक विभाग** - दिल्ली में पोस्टल पूल के क्वार्टरों को किराए पर देने का वर्ष 1995 और 1996 के दौरान स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

दूर संचार विभाग - निम्नलिखित स्थानों में अनधिकृत निर्माण और क्वार्टर किराए पर हैं :

(i) आर.के. पुरम सेक्टर VI

(ii) कालीबाड़ी मार्ग

(ग) **डाक विभाग** - क्वार्टरों को किराए पर देने के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रत्येक प्रमाणित मामले के समक्ष दर्शाया गया है।

दूर संचार विभाग - आर.के. पुरम सेक्टर-VI में उन सभी आबंटियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं जिनके संबंध में यह पाया गया है कि उन्होंने अपने क्वार्टरों में अनधिकृत निर्माण/फेर-बदल किया है या अपने क्वार्टर किराए पर दिये हैं। जिन आबंटियों ने काली बाड़ी मार्ग के अपने क्वार्टरों में अनधिकृत निर्माण किया हुआ है या अपने क्वार्टर किराए पर दिए हुए हैं उनको भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जारी किए गए नोटिसों की समय सीमा समाप्त होने पर अगली कार्रवाई की जाएगी।

(घ) **डाक विभाग** - स्टाफ क्वार्टरों को किराए पर देने/अनधिकृत निर्माण/फेर-बदल के मामलों, यदि कोई हों, की सूचना देने के अनुदेश विभागीय इन्क्वायरियों को दिए गए हैं तथा साथ ही विशेष जांच दस्तों का गठन करके बार-बार जांच भी की जाती है।

दूर संचार विभाग - कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अनधिकृत निर्माण हटाने तथा क्वार्टर किराए पर देना बंद करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके आलवा, सभी आबंटियों को लिखित में यह सूचित कर दिया गया है कि क्वार्टरों में अनधिकृत निर्माण/फेर-बदल और मकान किराए पर देने के लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है।

विवरण

डाक विभाग

वर्ष 1995 और 1996 के दौरान दिल्ली में पोस्टल पूल के क्वार्टरों को किराए पर देने का स्थानवार ब्यौरा तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई।

क्रम सं0	क्वार्टर संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3
	रामकृष्ण पुरम	
1.	272, सैक्टर-VI	क्वार्टर का आंबटन रद्द कर दिया गया, मार्केट रेंट लगाया गया और क्वार्टर खाली करवा लिया गया।
2.	202, सेक्टर-VI	क्वार्टर का आबंटन रद्द कर दिया गया और मार्केट रेंट लगाया गया। तथापि, आंबटी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चला गया और मामला अभी भी माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विचाराधीन है।
3.	512, सेक्टर-VI	क्वार्टर का आबंटन रद्द कर दिया गया। मार्केट रेंट लगाया गया और क्वार्टर खाली करवा लिया गया।
4.	779, सेक्टर-VI	आंबटन रद्द कर दिया गया, मार्केट रेंट लगाया गया और क्वार्टर खाली करवा लिया गया।
5.	620, सेक्टर-VI	आबंटन रद्द कर दिया गया, मार्केट रेंट लगाया गया और बेदखली की कार्रवाई अंतिम चरण पर है।
6.	566, सेक्टर-VI	आंबटन रद्द कर दिया गया, मार्केट रेंट लगाया गया, अनुशासनिक कार्रवाई की गई और मकान खाली करा लिया गया।
7.	136, सेक्टर-VI	-वही-

1	2	3
8.	617, सेक्टर-VI	आंबटन रद्द कर दिया गया। मार्केट रेंट लगाया गया और मकान खाली करवा लिया गया।
9.	12, सेक्टर-VI	-वही-
10.	10, सेक्टर-VI	मामला साबित नहीं हो सका अतः कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	सरोजिनी नगर	
1.	एलपीटी-322	आंबटन रद्द कर दिया गया, मार्केट रेंट लगाया गया और मकान खाली करवा लिया गया।
2.	एमपीटी-407	-वही-
3.	एमपीटी-435	-वही-
	टेलीकॉम कालोनी जनकपुरी	
1.	ए-2/ए-44	आंबटन रद्द कर दिया गया, मार्केट रेंट लगाया गया और बेदखली की कार्रवाई चल रही है।
	पंखा रोड़, जनकपुरी	
1.	बी-14/13	आंबटन रद्द कर दिया गया, मार्केट रेंट लगाया गया। अनुशासनिक कार्रवाही करने का प्रस्ताव है और क्वार्टर खाली करा लिया गया है।
2.	बी-7/10	-वही-
	दिल्ली कैंट	
1.	डी-4, पी.ओ. कंपाउंड	-वही-
	देव नगर	
1.	09, टाइप -II	क्वार्टर किराए पर देने का मामला साबित नहीं हो सका अतः कोई कार्रवाही नहीं की गई।
2.	05 (मिनाल टाइप)	आबंटन रद्द कर दिया गया और मार्केट रेंट लगाया गया। क्वार्टर खाली करा लिया गया है।
3.	06 (मिनाल टाइप)	-वही-
	काली बाड़ी मार्ग	
1.	17/3-ए	आंबटन रद्द कर दिया गया और मार्केट रेंट लगाया गया।

[हिन्दी]

उसलापुर रेलवे स्टेशन पर उपरि-पुल का निर्माण

2966. श्री पुन्नुलाल मोहले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में बिलासपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर एक उपरि-पुल का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बिलासपुर जिले में उसलापुर रेलवे स्टेशन पर भी एक उपरि-पुल का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) 935.51 (330.81 करोड़ रुपये रेल का हिस्सा तथा 604.70 करोड़ रुपया राज्य सरकार का हिस्सा) करोड़ रुपये की कुल लागत पर 1996-97 में चूहियापाड़ा बिलासपुर पर एक ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चतरा से गया तक नई रेल लाइन का निर्माण

2967. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में चतरा से गया तक नई रेल लाइन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः विचार करना संभव होगा।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

2968. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा" : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्ष 1997-98 के दौरान कितने नेय टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) नये टेलीफोन एक्सचेंजों के साथ किन-किन स्थानों पर एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराये जाने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) 1997-98 के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

आप्टिकल फाइबर केबलों की आपूर्ति

2969. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने उन 13 कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की है जिन पर आप्टिकल फाइबर केबलों की आपूर्ति हेतु पिछले वर्ष जारी की गई निविदा में गुटबंदी का आरोप है, जिसके फलस्वरूप उन सभी के द्वारा बहुत ऊंची कीमतें दी गई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूर-संचार विभाग का विचार इन कंपनियों द्वारा दूरसंचार विभाग के साथ कोई कारोबार करने पर रोक लगाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जिन निजी कंपनियों पर निविदा में गुटबन्दी का आरोप है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विभाग ने जिन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं उनसे उनके उत्तर प्राप्त होने के बाद उनकी जांच करने पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

कार्मिकों की तैनाती

2970. श्री पी. नामग्याल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार और डाक विभाग में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को जम्मू और कश्मीर के लद्दाख डिवीजन और देश के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में दो एक वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से तैनात किया जाता है;

(ख) क्या नए भर्ती किए गए कर्मचारियों जिन्हें कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं होता, को खाली पदों को भरने और उत्कृष्ट उपकरणों को संचालित करने के लिए तैनात किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप महंगी मशीनों को क्षति पहुंचती है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपरोक्त स्थानों पर की जाने वाली एक वर्ष की तैनाती की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) (1) लेह गौण स्विचन क्षेत्र के लिए अलग से भर्ती किए गए कर्मचारियों के अलावा दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख डिवीजन में एक वर्ष की अवधि के लिए तैनात किया जाता है। जहां तक उत्तर-पूर्व के राज्यों का प्रश्न है दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए एक वर्ष की अवधि का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) लद्दाख डिवीजन सहित जम्मू एवं कश्मीर राज्य में डाक विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। जहां तक उत्तर पूर्व के राज्यों का प्रश्न है डाक विभाग के अधिकारियों के लिए एक वर्ष की अवधि का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं होता।

(च) (1) दूरसंचार विभाग : लेह गौण स्विचन क्षेत्र के लिए भर्ती किये गये कर्मचारियों के अतिरिक्त अधिकांश कर्मचारी लद्दाख क्षेत्र से बाहर होते हैं, अतः इस क्षेत्र की विषम जलवायु के कारण उनका कार्यकाल एक वर्ष नियत किया गया है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी यहां एक वर्ष की अवधि से अधिक रहना चाहता है तो उस पर सहमति दे दी जाती है।

(2) डाक विभाग के अधिकारियों के लिए जम्मू एंव कश्मीर में एक वर्ष की अवधि निश्चित की गई है ताकि अधिकारी स्वेच्छा से वहां जाने को तैयार हों।

[हिन्दी]

विशेष विमान पैकेज यात्रा योजना

2971. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के लिए विशेष विमान पैकेज यात्राओं से सम्बन्धित कोई योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना में किन-किन स्थानों को शामिल किया जायेगा ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नामक्कल में छंटाई कार्यालय

2972. श्री के. कंडासामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में जिला मुख्यालय नामक्कल में छंटाई कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भुज में मुख्य डाकघर

2973. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत भुज मुख्य डाकघर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी अनुमानित लागत और किया गया वास्तविक व्यय कितना है; और

(ग) भुज मुख्य डाकघर के नवीकरण और आधुनिकीकरण पर कितना व्यय हुआ है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) अनुमानित लागत - 3,66,265.00 रुपये
वास्तविक व्यय - 3,59,090.00 रुपये

(ग) इंटीग्रेटेड कम्प्यूटर सिस्टम आदि की स्थापना द्वारा आधुनिकीकरण का खर्च 4,49,076.00 रुपये है।

रख-रखाव और मरम्मत पर 2,64,571.00 रुपये का व्यय हुआ।

खराब पड़े उपग्रह केन्द्र

2974. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ उपग्रह केन्द्र खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और ये उपग्रह केन्द्र कहां-कहां पर हैं; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) अरुणाचल प्रदेश के टयूटिंग में एक एम.सी.पी.सी. टर्मिनल 10 फरवरी, 1997 से खराब पड़ा है। चूंकि इस स्थान पर केवल हेलीकाप्टर से ही पहुंचा जा सकता है, अतः अनुरक्षण स्टाफ डिबरूगढ़ में तैयार है और प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही स्थानीय प्राधिकारी हेलीकाप्टर की व्यवस्था करेंगे वे उक्त स्थान पर पहुंच जाएंगे।

उड़ीसा में रेलवे का विकास

2975. श्री के.पी. सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में रेलवे के विकास और विस्तार के लिए उनको कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे में पड़ोसी राज्यों की तुलना में उड़ीसा में अपर्याप्त रेलवे ढांचे की जानकारी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर विचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) ज्ञापन 6.3.97 को प्राप्त हुआ है और इसमें उल्लिखित सभी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हो रहा है। प्रत्येक मांग पर की जाने वाली कार्रवाई को शीघ्र ही विनिश्चय किया जाएगा।

[हिन्दी]

विमान सेवाएं

2976. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना से चेन्नई, बंगलौर, मुम्बई, हैदराबाद और अहमदाबाद तक और वापसी के लिए प्रतिदिन विमान सेवा शुरू करने का है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनसे पटना को इस समय प्रतिदिन और साप्ताहिक उड़ानों से जोड़ा गया है और उसे अन्य हवाई अड्डों से जोड़ने के लिए भावी कार्यक्रम क्या है;

(ग) क्या पटना हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर दिल्ली-पटना-रांची के मध्य दैनिक उड़ानें और कलकत्ता-राँची-पटना-मुम्बई तथा कलकत्ता-पटना-लखनऊ-दिल्ली के मध्य सप्ताह में तीन उड़ानें प्रचालित कर रही है। ड्रक एयर पटना-कलकत्ता के मध्य सप्ताह में दो उड़ानें और पटना-दिल्ली के मध्य एक साप्ताहिक उड़ान का प्रचालन कर रही है तथा सहारा इंडिया एयरलांइस पटना से दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और मुम्बई के लिए प्रचालन कर रही है। एन.ई.पी.सी. ने ग्रीष्म समयावली में पटना को कलकत्ता से जोड़ने हेतु सप्ताह में दो उड़ानें प्रचालित करने का मतव्य व्यक्त किया है। इस समय, इंडियन एयरलाइंस की पटना को अन्य शहरों से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात की पर्याप्त कमी तथा धावन पथ की सीमित लम्बाई के कारण इस समय पटना विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विकसित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, आदर्श विमानपत्तन के रूप में यह सीमित अन्तर्राष्ट्रीय यातायात को हैंडल कर सकता है।

[अनुवाद]

बंगलौर से दुबई और मसकट के लिए विमान सेवा

2977. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर से दुबई और मसकट के लिए विमान सेवा हाल ही में शुरू हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलौर से विश्व के अन्य प्रमुख शहरों को विमान सेवा से जोड़ने की बहुत मांग की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) एअर इंडिया ने 30 अक्टूबर, 1996 से बंगलौर और दुबई/मस्कट के बीच सप्ताह में एक बार सेवा शुरू की है। इंडियन एयरलाइन्स ने भी 2 दिसम्बर, 1996 से बंगलौर-मस्कट-शारजाह मार्ग पर सप्ताह में दो बार सेवा शुरू की है।

(ग) बंगलौर को विश्व के महत्वपूर्ण नगरों के साथ विमान मार्ग से जोड़ने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं।

(घ) एअर इंडिया पहले से ही मुम्बई के रास्ते बंगलौर से लंदन/न्यूयार्क के लिए सप्ताह में तीन उड़ानों का और सीधे बंगलौर से सिंगापुर को सप्ताह में दो उड़ानों का प्रचालन करता है। इंडियन एयरलाइन्स भी बंगलौर से सिंगापुर को सप्ताह में तीन सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। अन्य महत्वपूर्ण गंतव्य स्थानों के लिए, मुम्बई से सेवाएं उपलब्ध हैं।

रायचूर में विमान पत्तन

2978. श्री राजा रंगप्पा नायक : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक सर्वेक्षण टीम ने 3 फरवरी, 1997 को रायचूर विमान पत्तन परियोजना के सर्वेक्षण हेतु दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है; और

(घ) विमान पत्तन की शीघ्र मंजूरी के लिए रायचूर में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) रायचूर विमान क्षेत्र कर्नाटक राज्य सरकार का है। यहां की पट्टी अच्छे मौसम के अनुकूल है जबकि वहां कोई अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अधिकारियों के एक दल ने विमान क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया है और उनकी रिपोर्ट की भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

राज्य की राजधानी से जनजातीय क्षेत्र को दुहरी रेल लाइन से जोड़ना

2979. श्री एन.जे. राठवा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के किन-किन जिलों को, विशेषतौर पर जनजातीय क्षेत्रों को आज की तारीख तक दोहरे रेल मार्ग द्वारा राजधानी से जोड़ दिया गया है;

(ख) किन-किन जिलों को राज्य की राजधानी से रेल मार्ग द्वारा नहीं जोड़ा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन जिलों को रेलमार्ग द्वारा राज्य की राजधानी से जोड़े जाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गोधरा, बड़ौदा, भरूच, सूरत और वलसाड।

(ख) से (घ) राज्य की राजधानी से जुड़े सभी जिलों में रेल लाइनें हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विज्ञापनों पर खर्च की गयी धनराशि

2980. श्री राम टहल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी सरकार द्वारा घोषित किये गये कार्यों तथा उनके उद्घाटन संबंधी पूरे पृष्ठ तथा आधे पृष्ठ के विज्ञापन समाचार-पत्रों में किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले छः महीनों के दौरान इस तरह के कितने विज्ञापन दिये गये तथा उन पर कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) इस तरह से धन की बरबादी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ। रेल उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए कार्य/परियोजनाओं के महत्व के आधार पर समाचार पत्र के विज्ञापन के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है।

(ख) रेलों द्वारा समाचार पत्रों में लगभग 73 विज्ञापन प्रकाशित कराए गए थे। और इस पर रेलों द्वारा 2,62,68,223/- रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ग) सामान्यतः श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय की दर पर रेलों के विज्ञापन रिलीज किए जाते हैं जो समाचार पत्रों की वाणिज्यिक दरों की तुलना में कम होते हैं। समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन आमतौर पर केवल प्रमुख घटनाओं/राष्ट्रीय महत्व वाली परियोजनाओं तक प्रतिबंधित होते हैं और ऐसे मामलों में अखबारों की संख्या पर प्रतिबंध रखने पर समुचित ध्यान दिया जाता है ताकि उपलब्ध राशि के भीतर खर्च रखा जा सके।

दिल्ली तथा आबू रोड़ के बीच नई रेलगाड़ी शुरू करना

2981. श्री परसराम मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के महत्व तथा धार्मिक स्थल वाली माउंट आबू में धार्मिक व्यक्तियों के भारी आगमन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार शताब्दी एक्सप्रेस अथवा इंटरसिटी एक्सप्रेस की तरह दिल्ली तथा आबू रोड़ के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) दिल्ली और आबू रोड़ के बीच 740 कि.मी. से अधिक दूरी, इकहरी लाइन खंड तथा गति को देखते हुए, दो स्थानों के बीच शताब्दी/इंटर सिटी को चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होगा।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों के रख-रखाव के लिए किए गए अनुबंधों को रद्द किया जाना

2982. श्री के. परसुरामन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े रेलवे स्टेशनों के रख-रखाव के लिए किए गए सभी अनुबंधों को रद्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में बड़े रेलवे स्टेशनों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय करने के विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक मात्र विज्ञापन अधिकार के बदले सौंदर्यकरण-एवं-अनुरक्षण की योजना 1993 में शुरू की गई। यह योजना बन्द कर दी गई थी क्योंकि यह निर्णय लिया गया था कि छोटे स्तर पर अनुरक्षण कार्य विभागीय तौर पर किया जाए।

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन परियोजना

2983. डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग का विचार 1996-97 के दौरान ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन परियोजना संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उपस्करों के लिए क्रयादेश कुछ विक्रेताओं को देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या 1996-97 के लिए ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन का लक्ष्य 75000 रखा गया था;

(घ) यदि हाँ, तो क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कितनी कमी रही है; और

(च) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) लक्ष्य की वास्तविक उपलब्धि का पता 31.3.1997 के बाद ही चलेगा।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन परियोजना के लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए निश्चित समय के भीतर सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

रोजगार भविष्य निधि कार्यालय में कर्मचारियों की कमी

2984. श्री काशीराम राणा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत के रोजगार भविष्य निधि कार्यालय में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यालय के कार्यों में बाधा पड़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय उक्त कार्यालय में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है; और

(घ) अपेक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूरत स्थित उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के लिए संस्वीकृत समूह "घ" के सभी 21 पद भरे हुए हैं। कार्यालय के लिए संस्वीकृत समूह "ग" के 216 पदों में से (जिनमें 1996-97 के दौरान संस्वीकृत 68 पद शामिल हैं), वर्तमान में 126 पद भरे हुए हैं। हालांकि स्टाफ की कमी से कार्यालय का सामान्य कामकाज प्रभावित होता है फिर भी संगठन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता रहा है कि अंशदाताओं के लिए सेवा से संबंधित कार्य संतोषजनक ढंग से चलता रहे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिये आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

टी. वी. स्टुडियो, पटना

2985. श्री आर.एल.पी. वर्मा :
प्रो० रीता वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** टी.वी. स्टुडिया, पटना के बारे में 29 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त टी.वी. स्टुडियो आरम्भ करने के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कब से आरम्भ किया जायेगा;

(घ) उपर्युक्त स्टुडियो के बंद होने के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस केन्द्र के सुचारु रूप से कार्य करने हेतु उक्त स्टुडियो के कर्मचारियों को नियमित करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) हालांकि दूरदर्शन केन्द्र, पटना स्थित नए स्थायी स्टुडियो सेट अप को 15.3.1996 को शुरू किया गया था, तथापि उपलब्ध विद्युत आपूर्ति नए स्टुडियो सेट अप की सुचारू कार्य प्रणाली हेतु पर्याप्त नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त, स्थायी स्टुडियो सेट अप हेतु अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टाफ की मंजूरी प्रदान की जानी है। हालांकि केन्द्र के कुछ एककों ने पहले ही नए स्टुडियो से कार्य करना आरम्भ कर दिया है तथापि, स्थायी स्टुडियो सेट अप का सामान्य परिचालन अबाधित विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता तथा समग्र स्टाफ की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

(ङ) और (च) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यरत नैमित्तिक कलाकारों के नियमितीकरण हेतु एक स्कीम 1992 में तैयार की गई थी तथा इसे बाद में 1994 में संशोधित किया गया था। स्कीम के अन्तर्गत योग्य नैमित्तिक कलाकारों की वरिष्ठता के अनुसार पैनल पर रखा जाता है तथा रिक्तियां उपलब्ध होने पर उन्हें नियमित किया जाता है।

विमान यातायात तथा इसके विस्तार की मांग

2986. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विमान यातायात की बढ़ती मांग और इसके विस्तार के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) क्या विमानन के क्षेत्र में विस्तार के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण की व्यापक संभावना है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्राइवेट और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से देश में डिवीजन स्तर पर पायलट और अन्य सम्बद्ध प्रशिक्षण शुरू करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) विमान यातायात के प्रवाह की नियमित रूप से मॉनीटरिंग और विश्लेषण किया जाता है। बढ़े हुए विमान यातायात के लिए अतिरिक्त विमान क्षमता लगाई जाती है और संबंधित विमानकंपनियों द्वारा कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। जहाँ कहीं भी अनुमोदित सुविधाएं हैं, इस समय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हरियाणा में डाक और तार सुविधाएं

2987. श्री चौधरी रामचन्द्र बैंदा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में उन ग्राम पंचायतों की संख्या क्या है जिनमें अब तक डाक और तार की उचित सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) उनमें से कितने डाकघरों में एस.टी.डी. सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा कितने डाक व तार कार्यालय खोले जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई समयबद्ध योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) हरियाणा में जिन ग्राम पंचायतों में समुचित डाक और तार सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनकी संख्या क्रमशः 2280 और 64 है।

(ख) किसी भी डाकघर में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान 9 विभागीय उप डाकघर और 7 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए। डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य वार्षिक योजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर डाक सर्किलवार आंबटित किए जाते हैं। वर्ष 1997-98 के लिए इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

तार सुविधा प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता क्योंकि यह मांग तथा परियात संबंधी औचित्य होने पर प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक को धनराशि का आबंटन

2988. श्री अनन्त कुमार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना आबंटन किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, कर्नाटक राज्य को 636.76 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
I.	**कर्नाटक**	
	1993-94 कर्नाटक में पर्यटक केन्द्रों पर जन सुविधाएं	25.68
1.	(1) बिदर (2) बीजापुर (3) बादामी (4) पट्टाडकल (5) सोनवत्ती (6) आइहोल (7) सुब्रमाया (8) गोकरन	
2.	बासवकल्यान में सुलभ शौचालय परिसर का निर्माण	3.21
3.	मण्ड्या जिले में हनुमन्तनगर में यात्रिका	24.70
4.	बंगलौर में के.जी.ए. के गोल्फ पाठ्यक्रम का उन्नयन	39.00
5.	मैसूर में जया वामराजेन्द्र वाडेयर गोल्फ पाठ्यक्रम का उन्नयन	37.30
6.	सेंट फिलोमीनियाज चर्च, मैसूर की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	20.00
7.	कुर्ग उत्सव	2.85
8.	महामस्तकाभिषेक उत्सव	10.61
9.	पट्टाडकल उत्सव	4.44

1	2	3
10.	प्रचार सहायता	9.65
	1994-95	
11.	आइहोल में पर्यटक परिसर	23.32
12.	बासवकल्याण में पर्यटक परिसर	37.12
13.	धारवाड़ में यात्री निवास	50.20
14.	गुलबर्गा में यात्री निवास	49.06
15.	करवाड़ में पर्यटक परिसर	24.60
16.	कुद्रेमुख में पर्यटक परिसर	21.14
17.	पट्टाडकल में पर्यटक परिसर	24.52
	1995-96	
18.	डेलिविड इसन जिले में अतिरिक्त आवास सुविधाएं	27.16
19.	मैसूर जिले में मेल्लमनाहली में अतिरिक्त आवास सुविधाएं	24.90
20.	सिमोगा में पर्यटक स्वागत केन्द्र	18.20
21.	हुबली में पर्यटक स्वागत केन्द्र	18.20
22.	बीजापुर में यात्री निवास	35.00
23.	सौन्दात्ती में यात्रिका	28.10
24.	हरियुर जक्कान, चित्रदुर्ग में सुविधाओं का निर्माण	3.50
25.	मण्ड्या डेरी मे जनसुविधाओं का निर्माण	3.89
26.	मंगलौर के पास उल्लाल में जन सुविधाओं का निर्माण	4.41
27.	बेल्लीराहोस्पेट के बीच धोरांगल में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	26.00
28.	कुडालसंगमा में यात्रिका	20.00
29.	अविचुनचुनगिरि में यात्रिका	20.00
	जोड़	636.76

बोकारो इस्पात संयंत्र में आग दुर्घटना

2989. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के कोक आथेंवन प्लांट में हुई आग दुर्घटना और गैस पाईप लाइन के फटने के कारण मद-वार हुई अनुमानित हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त दुर्घटना का क्या कारण है;

(ग) क्या इस दुर्घटना से बचा जा सकता है;

(घ) इस दुर्घटना के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र के उत्पादन पर कितना और किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) जून, 1996 और जुलाई 1996 के दौरान किए गए उत्पादनों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) बोकारो इस्पात संयंत्र में 4 जुलाई 1996 को गैस पाईप लाइन फटने और आग लगने के कारण हुई मदवार अनुमानित हानि नीचे दी गई है।

क्र.सं.	मद	राशि (लाख रुपये)
1.	सिविल, स्ट्रक्चलर, पाइपिंग	337.21
2.	मैकेनिकल कार्य	214.37
3.	इलैक्ट्रीकल कार्य	37.36
4.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन कार्य	73.23
5.	ग्लास पेन्स को बदलना	5.65
	कुल	667.82

(ख) उपरोक्त दुर्घटना अमोनियम सल्फेट संयंत्र की गैस पाइप लाईन फटने के कारण हुई।

(ग) अमोनियम सल्फेट संयंत्र की ओर जाने वाली कोक ओवन गैस पाइप लाइन की नियोजित ढंग से नियमित जांच की जा रही है। जांच के दौरान गैस का रिसाव न होना पाया गया। अतः उपरोक्त दुर्घटना का पहले से अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता था।

(घ) इस दुर्घटना के कारण कोक ओवन में ओवन पुशिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया और उसके बाद की इकाइयों को कोक ओवन गैस की कमी के कारण क्षति पहुँची। उत्पादन 15.7.1996 को सामान्य हुआ।

(ङ) जून, 1996 और जुलाई, 1996 के दौरान ओवन पुशिंग, विक्रेय इस्पात और प्राथमिक उपोत्पादों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मद	इकाई	जून 1996	जुलाई 1996
ओवन पुशिंग	नं0	15629	13369
विक्रेय इस्पात	हजार टन	215	245
अमोनियम सल्फेट	टन	2606	256
अपरिष्कृत टार	टन	7308	6374
अपरिष्कृत बेन्जोल	किलो लीटर	1100	50

गैर-सरकारी ठेकेदारों को खानपान सेवाएं

2990. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल में खानपान सेवा गैर-सरकारी ठेकेदारों को सौपने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गुजरात में चलने वाली रेलगाड़ियों में यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) मौजूदा खानपान नीति में व्यवस्था है कि नई खानपान/पेंडिग सेवाएं जिसमें गुजरात की खानपान/दैनिक सेवाएं भी शामिल हैं, निजी क्षेत्र में लाइसेंसधारियों के माध्यम से संभाली जायेंगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का विकास

2991. श्री पवन दीवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों को "आदर्श रेलवे स्टेशन" के रूप में विकसित करने हेतु उनका चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त स्टेशनों के नाम क्या हैं और प्रत्येक रेलवे स्टेशन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इन पर अलग-अलग कितना कार्य पूरा हो चुका है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसी कोई योजना प्रचलित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में डाकघर

2992. श्री तारीक अनवर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने गांवों में डाकघर हैं/नहीं हैं; और

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान बिहार में कितने डाकघर खोले जाएंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार में बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या 66696 है।

(ख) डाकघर योजना कार्यकलाप के रूप में खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें और मानदण्ड पूरे होते हैं। डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर डाक सर्किलवार आंबटित किए जाते हैं। इन्हें अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर, महाराष्ट्र का दर्जा बढ़ाना

2993. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर दूरदर्शन केन्द्र को व्यावसायिक बनाने/उन्नयन करने/आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) राज्य में स्थानवार लागू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) जी, हाँ। सम्बद्ध उपकरणों के साथ 150 वर्ग मीटर के आकार के एक स्टूडियों को स्थापित करके नागपुर में मौजूदा स्टूडियों केन्द्र को उन्नयित किया जा रहा है। नए स्टूडियों के लिए भवन बना लिया गया है और उपकरणों की स्थापना प्रगति पर है। स्टूडियों सेट अप के 1997-98 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वयनाधीन टी.वी. परियोजनाओं का स्थानवार ब्यौरा (दिनांक 1.3.97 की स्थिति के अनुसार)

टी.वी. परियोजनाएं	स्थान
कार्यक्रम निर्माण केन्द्र	मुम्बई (विस्तार) नागपुर (संवर्धन) पुणे
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रा.)	शीरपुर नवापुर मानगांव खोपोली उमरखेड़ सतना सिरोंचा चांदुर अडेरी चिकौली अम्बेट माढाड़
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.अ.श.ट्रा.)	मालवां मलकापुर भोकार बदलापुर वाई कोरेगांव

[हिन्दी]

यात्री/मालगाड़ियों की कम संख्या

2994. श्री नकली सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले हैं और वहां कृषि तथा व्यापार की दशा में काफी उन्नति हो रही है;

(ख) यदि हाँ, क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि नई दिल्ली/दिल्ली और सहारनपुर के बीच चल रही यात्री तथा मालगाड़ियों की संख्या आवश्यक संख्या से कम है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई दिल्ली-मुरादनगर रेल मार्ग पर दोहरी लाइन है जबकि दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग इकहरी लाइन है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में दिल्ली-सहारनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण करने का विचार है;

(च) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) दिल्ली/नई दिल्ली और सहारनपुर के बीच यात्रियों के लिए मेरठ के रास्ते 25 रेलगाड़ियां तथा शामली के रास्ते 8 रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं। इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा कर रहे यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये कुल मिलाकर पर्याप्त हैं। आवश्यकतानुसार पर्याप्त मालगाड़ियां चलती हैं।

(घ) और (ङ) दिल्ली तथा मुरादनगर के बीच दोहरी/बहु लाइनें मौजूद हैं। मुरादनगर-मेरठ सिटी के बीच दोहरीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। मेरठ सिटी-सहारनपुर के दोहरीकरण के लिए रेलों द्वारा एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बाक्साइट खान

2995. श्री सौम्य रंजन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बाक्साइट खानों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग अथवा राज्य खनन निदेशालय द्वारा उड़ीसा में कुछ नई बाक्साइट खानों का पता चला है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन नए क्षेत्रों में बाक्साइट के कितने भंडारों का पता चला है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र कुमार वैश्य): (क) उड़ीसा में स्थित बाक्साइट खानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

(ख) से (घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी नए निक्षेप का पता नहीं चला है। तथापि, राज्य खान निदेशालय को फुलबानी जिले के रुकनी कटक पैठार में 1.10 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वाले एक बाक्साइट निक्षेप का पता चला है। यहां बाक्साइट के लगभग 11 मिलियन टन भण्डार हैं।

विवरण

उड़ीसा में बाक्साइट की खानें

क्र. सं.	खानों का स्थल	पट्टा क्षेत्र हेक्ट. में.	निष्पादन की तारीख	कार्यरत या नहीं
1.	पंचपटमाली (उत्तर) मैसर्स नालको	4692.50	17.11.1982	कार्यरत
2.	पंचपटमाली (दक्षिण) मैसर्स नालको	2512.678	20.7.1979	कार्यरत नहीं
3.	कुसुमदीडि मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रीज लि.	102.996	1.8.1977	कार्यरत
4.	टेनत्रा मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रीज लि.	106.138	8.11.1982	-वही-
5.	कमान्डो मैसर्स श्री यू.सी. मिश्रा	43.067	26.2.1985	-वही-
6.	जालदीडि श्री एस.एन. मोहन्ती	333.275	20.1.1987	-वही-
7.	सान इन्दुपुर मैसर्स रूंगटा सन्स (प्रा.) लि.	147.100	6.9.1985	-वही-
8.	कुसुमदीडि मैसर्स चोनाई इंडस्ट्रीयल कंपनी	52.176	14.1.1981	-वही-

[हिन्दी]

चोकारो इस्पात संयंत्र

2996. श्री शिबु सोरेन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोकारो इस्पात संयंत्र की जस्तीकरण (गैल्वेनाइजिंग) इकाई को असम में कामाख्या जिले में स्थापित करने का है;

(ख) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के पास जस्तीकृत इस्पात का उत्पादन करने की क्षमता है; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त इकाई को असम में स्थापित करने का क्या औचित्य है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र कुमार वैश्य): (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) ने असम के कामरूप जिले के डागांव में एक जस्तीकृत इकाई स्थापित करने की योजना तैयार की है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) लगभग 42.85 करोड़ रुपए के निवेश से 40,000 टन वार्षिक नालीदार/प्लेन चादरों की उत्पादन क्षमता वाली प्रस्तावित इकाई की योजना देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इन चादरों की मांग की पूर्ति हेतु तैयार की गई है। परामर्शदाताओं द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण के आधार पर यह प्रौद्योगिक-आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

[अनुवाद]

मयूरभंज और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाना

2997. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मयूरभंज, उड़ीसा की जनता दिल्ली और मयूरभंज के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) मयूरभुंज क्षेत्र से दिल्ली के लिए एक सीधी रेलगाड़ी चलाने की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) प्रस्ताव की जांच की गई है परन्तु मयूरभंज क्षेत्र में बड़ी लाइन यात्री टर्मिनल की कमी सहित परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

छात्रवृत्ति शुरू करना

2998. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में फ्लाइट पर्सर, चालक दल, फ्लाइट डिस्पैचर्स तथा विमान परिचारिकाओं के लिए छात्रवृत्ति शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार की इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान करने की ऐसी कोई योजना नहीं है।

स्थानीय ई.एम.यू. गाड़ियों में अनियमितताएँ

2999. श्री इन्नान् मोल्लाड : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्व और दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत हावड़ा और स्यालदा सेक्शनों में स्थानीय ई.एम.यू. गाड़ियों में बर्ती जा रही अनियमितताओं से दैनिक यात्रियों की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो गाड़ियों के विलम्ब से चलने का मुख्य कारण क्या है; और

(ग) स्थानीय गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) स्थानीय बिजली गाड़ियों का समय पालन संतोषजनक है। बहरहाल, युनिट और अन्य सिगनल विफलताओं जैसी उपस्कर की विफलता, खतरे की जंजीर खींचने, शरारती गतिविधियों और प्रदर्शनों (कानून और व्यवस्था समस्या) के कारण कभी-कभी गाड़ियां विलम्ब से चलती है। प्रायः जन प्रदर्शनों के कारण मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अथवा रेलों का कोई दोष न होने पर जानबूझ कर शिरोपरि उपस्करों के साथ छेड़खानी की जाती है।

(ग) स्थानीय बिजली गाड़ियों के समयपालन पर मंडल और मुख्यालय दोनों स्तरों पर निगरानी रखी जाती है। गाडियों के समय पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर से अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केन्द्र

3000. श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 के दौरान अब तक दूरदर्शन ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने, विस्तार और दर्जा बढ़ाने के संबंध में आंध्र प्रदेश से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए/लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार को अनंतपुर जिले और कन्नूर जिले के मलबोन में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर और एफ.एम. रेडियो केन्द्र की स्थापना के लिए भी कोई अभ्यावेन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब आरम्भ किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) टी.वी. तथा रेडियो सेवाओं को स्थापित करने, उनका विस्तार करने तथा उनके उन्नयन के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं को अन्तिम रूप देते समय जोकि एक सतत् प्रक्रिया है स्थल की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं, परिणामी कवरेज तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं जैसे अन्य कारणों सहित ऐसे अनुरोधों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) से (च) हालांकि, अनन्तपुर, में एक स्थानीय रेडियो केन्द्र पहले से मौजूद है तथापि, अनन्तपुर में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर भी कार्यरत है। इसके अलावा, कन्नूर (केरल के मालाबार क्षेत्र में कन्नौर) में मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना की गई हैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम की मंजूरी के पश्चात सामान्यता इस प्राकर की परियोजना के कार्यान्वयन में लगभग तीन से चार वर्ष का समय लगता है जो आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

गया में डिवीजनल कार्यालय खोलना

3001. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1997 के हिंदी दैनिक ''हिंदुस्तान'' पटना संस्करण और 16 जनवरी, 1997 के हिंदी दैनिक ''आज'', पटना संस्करण में क्रमशः ''गया में रेलवे का डिवीजनल कार्यालय खोलने की मांग'' और ''ख्याति प्राप्त शहर गया की उपेक्षा को मंत्री ने स्वीकारा'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान गया के भारतीय रेलवे उपभोक्ता संघ और राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हाँ। दिनांक 8.1.97 को पटना से निकलने वाले हिंदी के ''हिन्दुस्तान'' में समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें गया से अतिरिक्त गाड़ियों, बोध गया तथा लाइन को पूरा करने की मांगे शामिल थीं और भारतीय रेल उपभोक्ता संघ द्वारा माननीय रेल मंत्री को सम्प्रेषित एक अभ्यावेदन में गया में एक मंडल रेल कार्यालय की मांग की गई थी।

दिनांक 16.1.97 को पटना से निकलने वाले ''आज'' में प्रकाशित उसी समाचार के बारे में पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री माननीय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का भी इन मांगों के प्रति समर्थन होने का उल्लेख था।

(ग) सरकार को गया में डिवीजनल कार्यालय स्थापित करने के संबंध में हाल ही में अन्यों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) मितव्ययता और कार्यकुशलता की जरूरतों की दृष्टि से आकार, कार्यभार, सुगम्यता, यातायात का पैटर्न तथा अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए नए डिवीजनों का गठन किया जाता है। विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते सरकार ने आगरा, पुणे, सिंगरौली, रंगिया, रांची, रायपुर, गुंटूर तथा अहमदाबाद में आठ नए डिवीजनों को स्थापित करने का विनिश्चिय किया है।

टी.वी. टावर, हरगांव, उत्तर प्रदेश

3002. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति प्राप्त टी.वी. ट्रांसमीटर, हरगांव, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कतिपय अन्य स्थानों पर जहां शिलान्यास किया गया था, टी.वी. टावर लगाने संबंधी निर्माण कार्य प्रगति पर है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) हरगांव में टी.वी. टावर के निर्माण कार्य के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जिन टी.वी. परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था उनमें से कुछ का कार्यान्वयन संसाधनों की कमी के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

(ङ) क्योंकि हरगांव से लगभग 25 कि.मी. एरियल दूरी पर स्थित लखीमपुर में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का विचार है; इसलिए हरगांव में एक अलग उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने को तकनीकी विचारों से उपयोगी नहीं समझा गया है।

इंजीनियरिंग सुविधा

3003. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अपनी इंजीनियरिंग सुविधाओं का पूरे विश्व में विपणन करने तथा इसे लाभार्जक बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी क्या कार्यप्रणाली है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) अंतर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के एयरफ्रेम और इंजनों आदि के अनुरक्षण, ओवरहॉल के कार्यों को किये जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक मल्टी-डिसिप्लिनरी मार्केट सेल की स्थापना की गयी है।

करनाली-कछवा सड़क पर उपरि-पुल/भूमिगत पुल का निर्माण

3004. श्री आई.डी. स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल-कछवा सड़क पर स्थित रेलवे फाटक से अत्यधिक यातायात गुजरता है और फाटक के अधिकांश बंद रहने के कारण लोगों को अत्यधिक कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा कभी इस रेलवे फाटक संबंधी स्थिति का अध्ययन किया गया है और यदि हाँ तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भीड़-भाड़ को कम करने और यातायात के सुगम आवागमन के लिए इस फाटक पर कोई उपरिपुल या भूमिगत पुल बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। सरकार ने पाया है कि ऊपरी सड़कों और निचले सड़क पुल औचित्यपूर्ण हैं।

(ग) जी हाँ। करनाल-कछवा रोड़ पर समपार - सं0 71 -बी बदले निचले सड़क पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नवनिर्मित कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन पर रेलगाड़ी का चलाया जाना

3005. श्री के. प्रधानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में कोरापुट-रायगड़ा नयी लाइन पर कोई एक्सप्रेस/मेल/पैसेंजर रेलगाड़ी चलाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या नई एक्सप्रेस/मेल/पैसेंजर रेलगाड़ी वर्ष 1997-98 के दौरान चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) 1997-98 के दौरान कोरापुट-रायगड़ी खंड पर कोरापुट-रामगड़ा लिंक एक्सप्रेस को भुवनेश्वर तक चलाने और पैसेंजर शटल के अतिरिक्त 8005/8006 हावड़ा-रायगड़ा एक्सप्रेस को कोरापुट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

उपग्रहों से जोड़ने संबंधी सुविधाएं

3006. श्री वी.एम. सुधीरन
डॉ॰ टी. सुब्बारामी रेड्डी
श्री येल्लैया नंदी

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत से विदेशी और घरेलू गैर-सरकारी उपग्रह चैनलों को अपलिंकिंग की सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनलों को लोकप्रिय बनाने के लिए किन्हीं और एजेंसी की सहायता लेने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) विदेशी तथा स्वदेशी निजी उपग्रह चैनलों को अपलिंक सुविधा की अनुमति देने के विषय का संबंध देश के अन्दर निजी प्रसारण की अनुमति देने के प्रश्न से है। इस विषय को प्रस्तावित प्रसारण विधेयक में शामिल किया जाएगा जिसे संसद के चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) दूरदर्शन अन्तर्राष्ट्रीय चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रायोगिक आधार पर ऐसी एजेन्सियों की सहायता मांगी जा रही है जो पैन-एम-सैट-4 तथा पी.ए.एस.-1 के सिगनल प्राप्त करने वाले देशों में डी.डी. इन्टरनेशनल के सिग्नलों को डाउनलिंक कर सकें। अभी तक तीन कम्पनियों नामशः ए.टी.एन. (कनाड़ा), एशियानेट (ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका) ए.पी.एन.ए. टी.वी. (ब्रिटेन, यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका) को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं।

तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

3007. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में आज की तारीख तक कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं;

(ख) जिलेवार कितने पुराने एक्सचेंज अभी भी कार्य कर रहे हैं;

(ग) तमिलनाडु में सभी एक्सचेजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 24.2.1997 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में 1397 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कार्यरत हैं।

(ख) 24.2.97 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में 31 गैर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। जिला-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, तमिलनाडु में, सभी गैर-इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों में बदलने की योजना है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान गैर-इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों में बदलने के लिए तमिलनाडु को 74.87 करोड़ रुपये (लगभग) आबंटित किए गए हैं।

विवरण

तमिलनाडु में गैर-इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की जिला-वार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	गैर-इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
1.	चेन्नई	8
2.	पेरियार	2
3.	कुंबकोणम	1
4.	मदुरई	3
5.	कन्याकुमारी	1
6.	सेलम	3
7.	थंजावुर	1
8.	नेल्लई कट्टाबोम्मन	3
9.	त्रिची	2
10.	अम्बेतकर	1
11.	चिल्लुपुरम एस.एस.आर.	1
12.	कोइंबटूर	1
13.	नीलगिरीज	1
14.	कामराज	2
15.	डिंडुलगल अन्ना	1
	जोड़	31

[हिन्दी]

ठेकों को रद्द किया जाना

3008. श्री नवल किशोर राय :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि रेलवे में ठेका देते समय पूर्व सरकार द्वारा अनियमितताएं बरती गयी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच/छानबीन कराई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या सरकार ने इन ठेकों को रद्द करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन फर्मों अथवा कंपनियों को ठेका दिय गया था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) ठेका प्रदान करने में मंत्रालय स्तर पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, बहरहाल, क्षेत्रीय रेल स्तर पर ठेके प्रदान करने में कुछ अनियमितताओं का पता चला है।

(ख) ठेके विभिन्न रेलों और विभिन्न विभागों, निर्माण परियोजनाओं और अनुरक्षण कार्यों से संबंधित होते हैं तथा वे किसी विशेष परियोजना तक सीमित नहीं होते।

(ग) जी, हाँ।

(घ) 154 मामलों की जांच की गई है तथा 16 मामलों की अभी जांच की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप 99 राजपत्रित तथा 121 अराजपत्रित कर्मचारियों को दंडित किया गया है।

(ङ) जी, हाँ। पांच ठेके रद्द किए गए हैं।

(च) (i) हुबली मंडल पर कुल गर्डरों के रोगन के लिए मैसर्स वी.जी. गोखले/हुबली को दिया गया ठेका।

(ii) मद्रास में कारखाने के कूड़ा-करकट को हटाने के लिए मैसर्स जहीर स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया ठेका।

(iii) मैसर्स सुधांजली कॉर्पोरेशन/कलकत्ता को राजधानी एक्सप्रेस के लिए मिनिरल वाटर की सप्लाई के लिए दिया गया ठेका।

(iv) मैसर्स ए.बी.सी. इंटरप्राइजेज को जोधपुर एक्सप्रेस के लिए दिया गया खान-पान ठेका।

(v) मैसर्स यूनियन सेल्स कॉर्पोरेशन की इस्पात संरचना को उखाड़ने के लिए दिया गया ठेका।

विभागीय जांच

3009. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनियमितताएं बरतने के लिए जिन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है, उनकी संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किए गए ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सूचना क्षेत्रीय इकाइयों से एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

श्रमिकों की शिक्षा हेतु प्रयास

3010. श्री राम कृपाल यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों की जानकारी देने हेतु कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का गठन, असंगिठत क्षेत्र में लगे कर्मकारों सहित कर्मकारों की आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कैम्पों आदि के माध्यम से उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित करने के लिए किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित कर्मकारों की संख्या नीचे दी जाती हैं।

वर्ष	प्रशिक्षित कर्मकारों की कुल संख्या
1993-94	128264
1994-95	156424
1995-96	140121

खानों को बंद करना

3011. श्री इजमोडन राम : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सेल" का विचार बिहार और उड़ीसा के कच्चे माल प्रभाग की किन-किन खानों को बंद करने का है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिहार में "सेल" के अंतर्गत डोलोमाइट और चूना पत्थर की विभिन्न खानों में किए गए खनन का ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार की भावनाथपुर स्थिति डोलोमाइट और चूना पत्थर खानों को वार्षिक रूप से कितना घाटा हो रहा है; और

(घ) सेल द्वारा उक्त खानों को हो रहे घाटे को कम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं एवं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) उड़ीसा में पूर्णापानी खान और बिहार में भावनाथपुर खान

में उत्पादित चूना-पत्थर उच्च सिलिका और अल्कली युक्त है और यह लौहा निर्माण से तकनीकी आर्थिक मानदण्डों के अनुकूल नहीं हैं। इन खानों को बंद करने के लिए फिलहाल "सेल" ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में भावनाथपुर समूह की खानों से चूना पत्थर और डोलोमाइट का किया गया प्रेषण नीचे दिया गया है :

(इकाई : हजार टन)

वर्ष	भावनाथपुर समूह की खानें
1993-94	586
1994-95	655
1995-96	583
1996-97 (फरवरी, 97 तक)	453

(ग) और (घ) "सेल" का कच्चा माल प्रभाग एक लागत केन्द्र है। वास्तविक खर्च उत्पादन की वास्तविक लागत पर सेल के संयंत्रों को अनतरित किया जाता है। अतः इन खानों को कोई लाभ और हानि नहीं होती।

[अनुवाद]

कुमारघाट-अगरतला रेल लाइन का पूरा किया जाना

3012. श्री बाजूबन रियान :
श्री बादल चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुमारघाट से अगरतला तक रेल लाइन का विस्तार करने के लिए 1996-97 के दौरान कितना बजटीय आबंटन किया गया है;

(ख) उसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि उपर्युक्त रेल लाइन का विस्तार पांच वर्षों के भीतर पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1996-97 के बजट में एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए है।

(ख) 31.12.96 तक 5 लाख रुपये।

(ग) जी, हाँ।

(घ) भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य तेजी से होगा। तदनुसार पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा।

[हिन्दी]

रेल भूमि का अतिक्रमण

3013. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेलवे के अनेकों प्लाटों पर उच्च पदों पर कार्यरत रेल अधिकारियों की सांठगांठ से अवैध कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच करने के पश्चात् उक्त भूमि को खाली कराने तथा इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा अवैध कब्जे से रेलवे की उक्त भूमि को कब तक खाली करा लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम

3014. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम" के माध्यम से केबल नेटवर्क के बगैर सभी दूरदर्शन चैनलों को दिखाने हेतु कोई प्रणाली तैयार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या ये सुविधायें छोटे शहरों में भी उपलब्ध होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) वायरलैस केबल सिस्टम है जोकि एम.एम.डी.एस. (मल्टी चैनल मल्टी प्वाइंट डिस्ट्रीब्यूश्यान सर्विस) के नाम से प्रसिद्ध है, उन विभिन्न विकल्पों से एक विकल्प है जिन पर सरकार द्वारा इसके चैनलों के प्रसारण की पहुंच में सुधार लाने के लिए विचार किया जा रहा है।

(ख) से (घ) नौवीं योजना के दौरान स्कीम को शुरू किए जाने की संभावना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हो। मुम्बई तथा दिल्ली में प्रायोगिक आधार पर एक विस्तृत स्कीम तैयार की जा रही है।

[अनुवाद]

विद्युतीकरण कार्यक्रम

3015. श्री नारायण अठावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो प्राप्त उपलब्धियों/निष्पादित कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा निर्धारित किये गये लक्ष्य के संबंध में कार्य निष्पादन में आई कमी की प्रतिशतता कितनी है तथा जोन-वार विद्युतीकरण का बैक लाग कितना है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्य तौर पर तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र में लागू किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम का जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी, हाँ। रेल विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण के लिए 2700 मार्ग कि.मी. का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना के पहले चार वर्षों में 2066 मार्ग कि.मी. को विद्युतीकृत किया गया और 1996-97 के दौरान 634 मार्ग कि.मी. के विद्युतीकरण की योजना बनाई गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल विद्युतीकरण योजना शीर्ष के अंतर्गत विद्युतीकरण के लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

वर्ष	लक्ष्य (मार्ग कि.मी.)	उपलब्धि (मार्ग कि.मी.)	कमी/आधिक्य (प्रतिशत में)
1993-94	600	505	- 15.8%
1994-95	473	473	- 5.4%
1995-96	600	609	+ 1.5%

पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत मार्ग कि.मी. का जोनवार विवरण नीचे दिया गया है :

जोन	विद्युतीकृत मार्ग कि.मी.		
	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
मध्य रेल	136	89	-
पूर्व रेल	69	188	81
उत्तर रेल	34	82	146
दक्षिण रेल	13	-	132
दक्षिण मध्य रेल	11	40	221
दक्षिण पूर्व रेल	219	74	29
पश्चिम रेल	23	-	-
जोड़	505	473	609

वर्ष 1996-97 के दौरान विद्युतीकरण कार्यक्रम का जोनवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

जोन	मार्ग कि.मी.
मध्य रेल	-
पूर्व रेल	247
उत्तर रेल	46
दक्षिण पूर्व रेल	90
दक्षिण मध्य रेल	179
दक्षिण रेल	72
पश्चिम रेल	-
	634

महाराष्ट्र राज्य में 1996-97 के दौरान विद्युतीकरण कार्यक्रम शून्य है। 1996-97 में 634 कि.मी. विद्युतीकरण कार्य को पूरा होने पर आठवीं योजना लक्ष्य का कोई बैक-लॉग नहीं होगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश स्थित संभल में टेलीफोन कनेक्शन

3016. श्री डी.पी. यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में संभल संसदीय चुनाव क्षेत्र में कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन किया है;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को कनेक्शन दे दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में टेलीफोन

कनेक्शनों के लिए आवेदन देने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नवत है :

1994-95	378
1995-96	732

(ख) अब तक जिन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जा चुके हैं, उनकी संख्या 934 है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) संभल, बेहजोई, सिरसी तथा राजा का मझौला के अलावा प्रतीक्षा सूची अद्यतन है। प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए संभल में मार्च, 1997 तक और उपर्युक्त अन्य स्थानों के लिए 1997-98 में एक्सचेंज-क्षमता के विस्तार की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

कोचीन विमानपत्तन में एयरबस

3017. श्री पी.सी. थामस :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन विमानपत्तन पर ए-320 वायुयान के उतारने हेतु व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो यह व्यवस्था कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालु वर्ष में केरल के कोचीन और कालीकट विमानपत्तनों में अब तक किये गये विकास का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) कोचीन हवाई अड्डे पर उपलब्ध धावनपथ की लम्बाई 6000 फुट है। लेकिन यह एकदिशीय धावनापथ है और उपलब्ध अवतरण दूरी मात्र 5,645 फुट है। एक समिति यह जायजा लेने के लिए गठित की गई थी कि क्या कोचीन हवाई अड्डे को/से एयरबस ए-320 प्रचालन सुरक्षित रूप से किये जा सकते हैं। इस समिति में महानिदेशक नागर विमानन, इंडियन एयरलाइन्स, सी.टी.ई. हैदराबाद तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची की धावनपथ की सीमित लम्बाई, एकदिशीय प्रचालन मौसम स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कोचीन को/से एयरबस ए-320 प्रचालन को अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कतिपय शर्तों को पूरा कर लिया जाता है। कोचीन हवाई अड्डा पर अपेक्षित भू-सुविधाएं मुहैया कराने संबंधी मामलों को इस मंत्रालय द्वारा इंडियन एयरलाइन्स, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नौसेना प्राधिकारियों तथा सचिव, परिवहन प्राधिकरण, केरल के साथ उठाया गया था।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालु वर्ष के दौरान केरल में कोचीन तथा कालीकट हवाई अड्डों के किए गए विकास का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

कोचीन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 88.40 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर विद्यमान एप्रन का विस्तार किया है और विद्यमान कार पार्किंग क्षेत्र का 23.25 लाख रुपए की अनुमानित लागत से विस्तार किया गया है जिससे वहां एक समय में 100 कारें खड़ी की जा सकें।

कालीकट

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 6.01 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 400 यात्रियों की क्षमता वाले एक नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण किया है। धावनपथ को 6000 फुट से बढ़ाकर 9000 फुट करने का कार्य प्रगति पर है तथा इसके जनवरी 2000 तक पूरा होने की प्रत्याशा है। लगभग 89.88 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत एक एवी-300 तथा तीन एवी-320 श्रेणी के विमानों को रखने के लिए एप्रन का विस्तार कार्य प्रगति पर है और इसके नवम्बर, 1997 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 6.86 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अस्थाई कार्गो परिसर का निर्माण किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक स्थाई कार्गो परिसर के निर्माण के लिए स्थल का भी चयन किया है।

सहायक कम्पनी के रूप में "एलांइस एयर" की स्थापना

3018. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :
डॉ० कृपासिन्धु भोई :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स की सहायक कम्पनी के रूप में "एलाइंस एयर" की स्थापना की है;

(ख) क्या बोइंग-737 के सम्पूर्ण बेड़े को "एलायंस एयर" द्वारा संचालन हेतु सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या "एलायंस एयर" द्वारा विमानों का संचालन मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार गुवाहाटी के बोइंग-737 के लिए एक "हब" अथवा आपरेशनल बेस" विकसित करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) एलाइंस एयर 1983 में इंडियन एयरलाइन्स लि. द्वारा स्थापित एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी एयरलाइन्स एलायड सर्विस द्वारा प्रचालित विमान कंपनी का ब्रांड नाम है। एलायंस एयर ने 15 अप्रैल, 1996 से एयरलाइन प्रचालनों की शुरूआत की है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। एलायंस एयर का गठन कमांडरों की बढ़ती हुई उपलब्धता के कारण बोइंग 737 विमानों के बेडे के उपयोग में वृद्धि करने के लिए किया गया था। इंडियन एयरलाइन्स ने बोइंग 737 विमानों के साथ सेवा की पेशकश की जो 10 फरवरी, 1997 से एलायंस एयर को हस्तांतरित कर दी गई है।

(घ) जी, नहीं। एलायंस एयर पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के सभी भागों में प्रचालन करती है।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के विमानों की दुर्घटनाएं

3019. श्री रमेश चेन्नितला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गैर-सरकारी विमानन कम्पनियों/विमानों की कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या ये एयरलाइनें आमतौर से सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान 1 मार्च, 1995 से 28 फरवरी, 1997 के दौरान, निजी विमान सेवाओं की पांच दुर्घटनाएं हुई।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 10 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विमान सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रचालकों की सुरक्षा आडिट, उड़ान रिकार्डरों की निगरानी, सुरक्षा सम्मेलनों/बैठकों का आयोजन, भूमि पर और उड़ानगत जांच, विमान दुर्घटनाओं तथा खतरनाक घटनाओं की जांच उपरान्त प्रस्तुत सिफारिशों का क्रियान्वयन, चूककर्ताओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई इत्यादि जैसे सुरक्षा उपाय सतत रूप से किए जाते हैं।

डाक सेवाओं में असमानता

3020. श्री मुख्तार अनीस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों और राज्यों में भी डाक सुविधाओं में व्यापक अंतर है;

(ख) यदि हाँ, तो 1 अप्रैल, 1996 की स्थिति के अनुसार राज्यवार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों द्वारा सेवित जनसंख्या का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार कितने अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी डाकघर मंजूर किए गए हैं;

(घ) 1 अप्रैल, 1997 की स्थिति के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों द्वारा सेवित अनुमानित जनसंख्या कितनी होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार ने इस असमानता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) डाकघर मानदण्ड पर आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक डाकघर द्वारा जितनी जनसंख्या की सेवा प्रदान की जाती है, उसमें कुछ असमानता है जिसका कारण शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होना है।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति डाकघर द्वारा सेवित जनसंख्या की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1.4.90 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाकघरों द्वारा कवर की गई जनसंख्या की तुलना को दर्शाता विवरण, राज्यवार

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहरी क्षेत्रों में प्रति डाकघर द्वारा सेवित जनसंख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति डाकघर द्वारा सेवित जनसंख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13009	3275
2.	असम	8266	5680
3.	बिहार	15698	6972
4.	दिल्ली	188244	92136
5.	गुजरात	17399	3328

1	2	3	4
6.	हरियाणा	12889	5462
7.	हिमाचल प्रदेश	39386	18078
8.	जम्मू एवं कश्मीर	6410	3352
9.	कर्नाटक	10289	3667
10.	केरल	10593	4966
11.	मध्य प्रदेश	13491	5038
12.	महाराष्ट्र	20072	4386
13.	उत्तर-पूर्व	6077	2233
14.	उड़ीसा	6711	3611
15.	पंजाब	12683	4223
16.	राजस्थान	12515	3577
17.	तमिलनाडु	7972	3757
18.	उत्तर प्रदेश	13269	6209
19.	पश्चिम बंगाल	16637	6456

सम्बलपुर-तलचेर रेल लाइन

3021. श्री शरत पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बलपुर-तलचेर रेल लाइन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : तलचेर से अंगुल (18 कि.मी.) और संबलपुर से मानेश्वर (16 कि.मी.) खंड पहले से चालू है। समग्र प्रगति 77 प्रतिशत है। वर्ष 1997-98 के दौरान कार्य को पूरा किए जाने की संभावना है।

ईरोड से एर्णाकुलम रेलमार्ग का विद्युतीकरण

3022. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरोड से एर्णाकुलम जंक्शन तक रेल मार्ग के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी कुल अनुमानित लागत क्या होगी और यह मार्ग कुल कितने किलोमीटर का है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) ईरोड-एर्णाकुलम खंड के विद्युतीकरण की अनुमानित लागत 150.87 करोड़ रुपये है और कुल दूरी 324 मार्ग कि.मी. है।

(ग) खंड को पूरा करने का लक्ष्य मार्च, 2000 है।

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी

3023. डॉ० वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी जारी करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं, और यह जनता को कब जारी की जाएगी;

(ख) क्या यह सच है कि जब आवश्यकता होती है तो स्थानीय टेलीफोन सेवा के टेलीफोन नम्बर, बिल्कुल उपलब्ध नहीं होते है;

(ग) क्या कार्यालय कार्यविधि के दौरान महाप्रबंधक से लेकर अनेक एरिया आफिसरों के नम्बर उपलब्ध नहीं होते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की दक्षता में सुधार लाने हेतु क्या प्रयास किये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डायरेक्टरी के 1994 के संस्करण की सप्लाई के बाद, ठेकेदार, बाद के संस्करणों की सप्लाई नहीं कर सका। अतः ठेका रद्द कर दिया गया है और वर्ष 1996 की नई निविदाएं आमंत्रित की गई। केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो मूल्यांकन के बाद व्यवहार्य नहीं पाया गया। अतः पुनः निविदाएं आमंत्रित की गई जो 4.3.97 को खोली गई जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। डायरेक्टरी की आपूर्ति, निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के 6 से 9 माह के भीतर की जाएगी।

(ख) जी, नहीं। डायरेक्टरी पूछताछ सेवा (नं० 197) हर समय उपलब्ध होती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अधिकारी कार्यालय समय के दौरान फील्ड दोरों, बैठकों और निरीक्षण के समय को छोड़कर कार्यालय में ही उपलब्ध होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में, इन अधिकारियों का वैयक्तिक स्टाफ टेलीफोन कॉलों का जवाब देता है।

नीलाचंल-अशोक होटल की रुग्णता

3024. श्री कृपासिन्धु भोई : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीलाचंल-अशोक पुरी होटल रुग्ण हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस होटल की रुग्णता दूर करने हेतु कोई कदम उठाया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) और (ख) होटल नीलाचंल अशोक, भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के बीच क्रमशः 51:49 के अनुपात में एक संयुक्त उद्यम है।

होटल प्रारंभ से घाटा उठा रहा हैं अन्य बातों के साथ-साथ असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण इस प्रकार हैः निजी क्षेत्र के होटलों से कड़ा मुकाबला, कम अधिभोग, ब्याज बोझ के विशाल प्रभाव और सुधार एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों का सह-प्रवर्तकों द्वारा योगदान न करना।

(ग) और (घ) होटल के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु भारत पर्यटन विकास निगम ने सह-प्रवर्तक अर्थात् उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ एक अनुपूरक सह-प्रवर्तक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उड़ीसा पर्यटन विकास निगम अपने 38% शेयरों को बेच देगा और इस प्रकार भारत पर्यटन विकास निगम इक्विटी पूंजी का 89% अपने पास रखेगा। इससे भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने और सम्पत्ति के सुधार और उन्नयन हेतु और निवेश करने में समर्थ होगा।

[हिन्दी]

टी.वी. ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केन्द्र, बिहार

3025. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री थामस हंसदा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में, विशेष रूप से पूर्णिया जिले में निम्न क्षमता वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इनका स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में टी.वी. ट्रांसमीटरों/आकाशवाणी केन्द्रों के स्थापना, विस्तार और उन्नयन के लिए बिहार से प्राप्त प्रस्तावों का वर्षवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष बचे हुए प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है और इनमें से प्रत्येक मामले में कितना खर्च आने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम.इब्राहीम) : (क) से (ग) जी, हाँ। बिहार में दूरदर्शन सेवा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। तथापि, पूर्णिया जिले में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। क्योंकि संपूर्ण पूर्णिया जिला उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, कटिहार के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है।

(घ) विवरण - II संलग्न है।

विवरण-I

टी.वी. परियोजनाएं (दिनांक 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	कार्यान्वयनाधीन	अनुमानित पूंजीगत लागत (रुपये में)	प्रस्तावित (स्कीम अनुमोदित की जानी है)
बिहार	कार्यक्रम निर्माण केंद्र रांची (संवर्धन)	921.79	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर मोतिहारी जमशेदपुर देवघर
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर		अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	नौआमुंडी	100.70	कस्बा
	कोडरमा	100.70	रोसेरा
	सरायकेला	100.70	बोध गया
	लखीसराय	105.00	झुमरी तलैया
	रामनगर	185.00	
	चतरा	97.00	
	दौदनगर	105.00	
	सिमरी बख्तियारपुर	97.00	
	मुशाबनी	97.00	
	बीडहरवा	105.00	
	सिकन्दरा	97.00	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर		
	सिमडेगा	77.65	
	गढ़वा	83.00	

विवरण - II

राज्यों में टेलीविजन/रेडियो सेवा के विस्तार हेतु राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंचों से अनुरोध प्राप्त होते हैं। परियोजनाओं हेतु स्थलों के बारे में अंतिम निर्णय लेते समय जो कि एक सतत् प्रक्रिया है, स्थल की तकनीकी दृष्टि से उपयुक्तता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, परिणामी कवरेज की सीमा तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं जैसे पहलुओं के साथ-साथ इस प्रकार के अनुरोधों को ध्यान में रखा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जनवरी, 1997 तक चालू की गई एवं कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के नाम, स्थल और उनमें निहित

पूंजीगत लागतों का ब्यौरा संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है। परियोजना को स्वीकृत करने के बाद विभिन्न ट्रांसमीटरों/स्टूडियों परियोजनाओं में एक से चार वर्ष का समय लगता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

अनुलग्नक

आठवीं योजना के दौरान बिहार में शुरू की गई तथा कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन तथा आकाशवाणी परियोजनाएं

क्र. सं.	चालू की गई परियोजनाएं	पूंजीगत लागत (लाख रुपये में)
1	2	3
आकाशवाणी		
1.	पटना केन्द्र - 3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (वी.बी.)	143.22
2.	पुर्णिया केन्द्र - 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर	292.00
3.	चायबासा केन्द्र - 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर	290.00
4.	हजारीबाग केंन्द्र - 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर	351.55
5.	डाल्टनगंज केन्द्र - 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर	287.50
6.	भागलपुर केन्द्र - 20 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर	286.52
कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं		
1.	रांची केन्द्र - 50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर	549.30
2.	रांची केन्द्र - 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर	257.20
3.	जमशेदपुर - टी.बी.एस. - 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर	485.53
दूरदर्शन		
पी.जी.एफ.	डाल्टनगंज	686.00
पी.जी.एफ.	मुजफ्फरपुर	230.65
स्टूडियो	पटना	2453.86
अ.श.ट्रां.	औरगांबाद	101.34
अ.श.ट्रां.	फूलपारस	11.27
अ.श.ट्रां.	सुपौल	111.27
अ.श.ट्रां.	रक्सौल	101.34
अ.श.ट्रां.	गुमला	85.07
अ.श.ट्रां.	पटना (डी.डी.-2)	34.30
अ.श.ट्रां.	शेखपुरा	97.00
अ.श.ट्रां.	गोड्डा	101.34
अ.श.ट्रां.	नवादा	85.07
अ.श.ट्रां.	लोहारदागा	101.34
अ.श.ट्रां.	हजारीबाग	101.34
		4401.19
कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन परियोजनाएं		
स्टूडियो	राची	921.79
अ.श.ट्रां.	नौआमण्डी	100.70
	कोदराम	100.70
	सरायकैला	100.70
	रामनगर	105.00
	चेतरा	97.00
	दण्डनगर	105.00
	सिमरी बख्तियारपुर	97.00
	मुशाबारी	97.00
	बरहरवा	105.00
	सिकन्दरा	97.00
	लखीसराय	97.00
अ.अ.श.ट्रां.	सिमडेगा	77.65
	धरहवा	83.00

[अनुवाद]

कश्मीर में पी.सी.ओ. बूथ

3026. श्री गुलाम रसूल कार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पृथक-पृथक रूप से कुल कितनी पी.सी.ओ. बूथ आंवटित किए गए हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में पी.सी.ओ. रहित डाकघरों का ब्यौरा क्या है और जिला-वार प्रत्येक ग्रामीण डाकघर में पी.सी.ओ. बूथ कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे;

(ग) क्या पी.सी.ओ. बूथों के आवंटन में अनुसूचित जातियों/अनु.जन. जातियों के लोगों को वरीयता दी जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कितने पी.सी.ओ. बूथ आवंटित किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कश्मीर में, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आंवटित किए गए पी.सी.ओ. की कुल संख्या निम्न प्रकार से है :

शहरी	:	294
ग्रामीण		92

(ख) जिन डाकघरों में पी.सी.ओ. नहीं है उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

क्र.सं.	जिले का नाम	पी.सी.ओ. रहित डाकघरों की संख्या
1.	अनन्तनाग	162
2.	पुलवामा	89
3.	बड़गाम	82
4.	श्रीनगर	68
5.	कुपवाड़ा	72
6.	बारामुल्ला	80

दूरसंचार विभाग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक गांव में पब्लिक टेलीफोन की व्यवस्था करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है। तथापि, यह लक्ष्य विशेष रूप से डाकघर के लिए नहीं है। फैंचाइजी की उपयुक्तता तथा उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण पब्लिक टेलीफोन संस्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) एस.टी.डी. पी.सी.ओ. आबंटन समिति द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को आबंटन में वरीयता दी जाती है। तथापि, इस संबंध में अलग से कोई डाटा नहीं रखा जाता है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन

3027. श्री सुखराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या लक्ष्य संशोधित किए गए थे;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मूल/संशोधित लक्ष्य को प्राप्त न करने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1992-93	-	36,509
1993-94	-	46,820
1994-95	-	50,000
1995-96	-	105,000

(ख) और (ग) जी, हाँ 1994-95 के लिए जुलाई, 94 में निर्धारित 1,05,883 टेलीफोनों के लक्ष्य को घटा दिया गया था और इसे सितम्बर, 1994 में कम करके 50,000 कर दिया गया था।

(घ) ये लक्ष्य पूर्णतः हासिल नहीं किए जा सके क्योंकि विनिर्माताओं द्वारा उपस्करों की आपूर्ति समय पर नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

3028. श्री सुखसेन पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्र है और ये कहां-कहां स्थित है तथा इनके अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं;

(ख) इन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों से कितनी जनसंख्या लाभान्वित होती है; और

(ग) कितने आकाशवाणी केन्द्र "विविध भारती" कार्यक्रम प्रसारित करते हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में दिए अनुसार।

(ग) विविध भारती कार्यक्रमों को स्थानीय रेडियो केन्द्रों सहित 10 केन्द्रों से प्रसारित/रिले किया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	आकाशवाणी केन्द्र/ट्रांसमीटर	अनुमानित कवरेज	
		क्षेत्र (हजार वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या (लाख में)
1	2	3	4
1.	अम्बिकापुर 20 कि.वा.मी.वे.	26.8	28.9
2.	भोपाल 10 कि.वा.मी.वे.	9.0	22.2
	1 कि.वा.मी.वे.	8.4.	21.3
	3 कि.वा.मी.वे.	1.9	12.5
3.	छतरपुर 20 कि.वा.मी.वे.	52.7	119.4
4.	ग्वालियर 20 कि.वा.मी.वे.	25.4	6.2
5.	इन्दौर 100 कि.वा.मी.वे.	222.8	415.8
	1 कि.वा.मी.वे.	6.0	22.6
	3 कि.वा.मी.वे.	1.9	14.6
6.	जबलपुर 200 कि.वा.मी.वे.	113.5	171.7
7.	जगदलपुर 20 कि.वा.मी.वे.	26.0	22.5
8.	रायपुर 100 कि.वा.मी.वे.	92.7	156.2

1	2	3	4
9.	रीवा 20 कि.वा.मी.वे.	43.0	107.0
10.	खण्डवा 2 x 3 कि.वा.एफ.एम.	6.3	9.2
11.	बैतूल 2x3 कि.वा.एफ.एम.	6.3	7.6
12.	बिलासपुर 2 x 3 कि.वा.एफ.एम.	6.3	13.1
13.	शिवपुरी 2x3 कि.वा.एफ.एम.	66.3	7.5
14.	छिन्दवाड़ा 2x3 कि.वा.एफ.एम.	6.3	8.7
15.	रायगढ़ 2x3 कि.वा.एफ.एम.	6.3	9.0
16.	शहडोल 2x3 कि.वा.एफ.एम.	6.3	7.7
17.	बालाघाट 2x3 कि.वा.एफ.एम.	6.3	9.6
18.	गुना 2x3 कि.वा.एफ.एम.	6.3	7.7
19.	सागर 2x3 कि.वा.एफ.एम.	6.3	10.7

दूरदर्शन

राज्य	मौजूदा	कवरेज क्षेत्र (कि.मी.मे.)
1	2	3
मध्य प्रदेश	का.नि.के.	
	भोपाल	
	रायपुर	
	उ.शा.ट्रा.	
	भोपाल	120
	ग्वालियर	120
	इन्दौर	120
	जबलपुर	120
	जगदलपुर	60
	रायपुर	120
	अं.श.ट्रा.	
	अलीराजपुर	25
	अशोक नगर	25
	अम्बिकापुर	25
	बैलाडिला	25
	बालाघाट	15
	बेतुल	15
	भान्देर	25
	भिंड	15
	बीजापुर	25
	बिलासपुर	25
	बुरहानपुर	25
	चन्देरी	25
	छत्तरपुर	15

1	2	3
	छिंदवाड़ा	15
	दामोह	25
	दतिया	25
	डुगरगढ़	25
	गुना	25
	हरदा	15
	इतरजी	25
	जोरा	25
	झाबुवा	15
	कंकेर	25
	खाण्डवा	25
	खड़गांव	15
	खुरई	25
	कोरबा	25
	कुकदेश्वर	25
	कुरसिया	15
	कुरवई	15
	लहर	25
	मेहर	25
	मलंनखण्ड	15
	माण्डला	15
	मन्दसौर	15
	मनिन्दरगढ़	15
	मुरवारा	25
	नागदा	25
	नरसिम्हपुर	15
	नीमच	15
	पंछमढ़ी	25
	पन्ना	15
	राधोगढ़	25
	रायगढ़	15
	राजगढ़	15
	राजगढ़	15
	राजरी झारण्डी	25
	रतलाम	25
	रीवा	25
	सागर	25
	सतना	15
	स्योनी	15
	शहडोल	25
	शाजापुर	15
	शिवपुर	25
	शिवपुरी	15
	सीधी	15
	सिंगरोली	25
	सिरौंज	25
	टीकमगढ़	15

1	2	3
	उज्जैन	25
	भोपाल (डीडी-2)	25
	अ.अ.श.ट्रा.	
	बुधनी	8
	जमपुर नगर	8
	कोंडागांव	8
	परसिया	8
	पाखन्जोर	8
	ट्रान्सपोजर	
	सिंगरौली	8

(*) (1) स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अधीन रहते हुए कवरेज क्षेत्र उन दूरवर्ती क्षेत्रों को शामिल करके है जहाँ संकेत अभिग्रहण प्राप्त करने हेतु उन्नत एन्टिना तथा बूस्टर की आवश्यकता है।

(2) ट्रान्समीटर-वार जनसंख्या कवरेज का प्रद्योधन नहीं किया जाता है। राज्य में क्षेत्र तथा जनसंख्या के रूप में कुल स्थानीय टी.वी. कवरेज क्रमशः 66 प्रतिशत तथा 71.3 प्रतिशत है।

संकेत - का.नि.वे. - कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
उ.श.ट्रा. - उच्च शक्ति ट्रान्समीटर
अ.श.ट्रा. - अल्प शक्ति ट्रान्समीटर
अ.अ.श.ट्रा - अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर

[अनुवाद]

जम्मू-पुंछ रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण

3029. श्री मंगत राम शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आखनूर और राजौरी होकर जम्मू और पुंछ के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य पर कितना व्यय हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जम्मू से पुंछ तक बरास्ता अखनूर-राजौरी (160 कि. मी.) एक नई ब.ला. के सर्वेक्षण का कार्य 15 लाख रुपये की लागत पर रेलवे द्वारा शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन

3030. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में नई औद्योगिक नीति के मद्देनजर संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) 24 और 25 अक्टूबर, 1996 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 33वें सत्र में की गई सिफारिशों के आधार पर एक व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने और गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों को मान्यता प्रदान करनें के मुद्दे पर विचार करने के लिए सरकार ने 6 नवम्बर, 1996 को एक द्विपक्षीय समिति गठित की है। इस द्विपक्षीय समिति द्वारा 31 मई, 1997 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ

3031. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथों के आंवटन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितने अभ्यावेदनों को स्वीकृति दी गई है;

(ग) राज्य में जिला-वार ऐसे बूथों की स्वीकृति हेतु कितने अभ्यावेदन लम्बित हैं; और

(घ) लम्बित अभ्यावेदनों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए गठित एक एस.टी.डी.पी.सी.ओ. आवंटन समिति, एस.टी.डी. पी.सी.ओ. आवंटित करती है। इस समिति में 2 सरकारी सदस्य और गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। जिन्हें गौण स्विचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान संसद-सदस्यों द्वारा नामित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सदस्यों की शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा पास तथा शहरी क्षेत्रों के लिए मैट्रिक/हाई स्कूल पास है। निम्नलिखित श्रेणी के सदस्यों को तरजीह दी जाती है।

1. नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्ति।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक।
3. भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं।
4. दूरसंचार विभाग के सेवा-निवृत्त कर्मचारी अथवा उनके आश्रित।
5. स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित।
6. धार्मिक संस्थान/अस्पताल।

(ख) तमिलनाडु सर्किल में गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या निम्नवत् है :

1993-94	1070
1994-95	1001
1995-96	1297

वर्ष 1996-97 के दौरान 31.1.1997 तक तमिलनाडु सर्किल में 944 एस.टी.डी. पी.सी.ओ. प्रदान किए गए हैं।

(ग) तमिलनाडु सर्किल में लम्बित आवेदनों की संख्या निम्नवत् है :

क्र.सं.	दूरसंचार जिले का नाम	लंबित आवेदन
1.	मदुरे	1709
2.	सेलम	2391
3.	थन्जावुर	509
4.	कुड्डालौर	3115
5.	धर्मापुरी	792
6.	चेंगलापट्टु	874
7.	अन्य जिले	शून्य

(घ) हाल ही में, एस.टी.डी. पी.सी.ओ. समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति द्वारा स्वीकृत आवेदकों को मार्च 1997 के अंत तक एस.टी.डी. पी.सी.ओ. प्रदान किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

डिश एन्टीना के उपयोग हेतु लाइसेंस

3032. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में डिश एन्टीना के उपयोग के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में डिश एन्टीना के उपयोग के लिए लाइसेंस से छूट देने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की उदारीकरण नीति का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) मौजूदा उपग्रह चैनलों के अभिग्रहण के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, उन डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए जिन्हें देश में अभी शुरू किया जाना है, एक अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके अंतर्गत डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं के अभिग्रहण के लिए लाइसेंस आवश्यक है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कम बजट वाले होटलों की स्थापना

3033. श्री आराधन राय :
श्री उधव वर्मन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और पर्यटक स्थलों के समीप कम बजट वाले होटलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दार्जिलिंग, कर्सियोंग, कोलिम्पोंग, सिलगुड़ी, गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, शिलांग और उत्तर बंगाल, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न स्थानों पर ऐसे होटल बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है।

दडानू रोड़ तथा नासिक रोड़ के बीच नई रेल लाइन का निर्माण

3034. श्री चिन्तामन वानगा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दडानू रोड़ स्टेशन तथा नासिक रोड़ स्टेशन के बीच नई रेल लाइन के निर्माण संबंधी कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता टेलीफोनों की सेवा

3035. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन्स के "475" एक्सचेंज के अन्तर्गत चेतला और महेश दत्त लेन क्षेत्रों के टेलीफोन प्रयोक्ताओं की खम्भों अथवा बिजली के खम्भों अथवा बिजली के सहारे जा रही टेलीफोन लाइनों के कारण टेलीफोन सेवाओं का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्रों में कुछ टेलीफोन लाइनें बिजली के खम्भों के सहारे बिछाई गई है जिसके कारण टेलीफोन प्रयोक्ताओं को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं से मिलने वाली सेवा व्यवधान संबंधी शिकायतों में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार का विचार तत्काल कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देश देने है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) कुछेक टेलीफोन लाइनें बिजली के खम्भों के सहारे दी गई है क्योंकि इन क्षेत्रों में पटरियां बहुत तंग हैं और उन पर नए खम्भे लगाना या भूमिगत केबल बिछाना मुश्किल है। कई बार यहां के बाशिंदे भी केबल बिछाने के लिए गलियों को खोदने या उनमें खम्भे लगाने पर आपत्ति करते हैं। तथापि, विधिवत रोधित टेलीफोन तारों को, विद्युत तारों से सुरक्षित दूरी पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय करके लगाया जाता है। इस प्रकार प्रयोक्ताओं को कोई खतरा नहीं होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) इस क्षेत्र में नेटवर्क का उन्नयन करने के लिए कुल 1500 कंडक्टर कि.मी. (सी.के.एम.) केबल पहले से ही बिछाई गई है तथा उस क्षेत्र में ओवर हेड टेलीफोन लाइनों को हटाने हेतु निकट भविष्य में और 2000 सी.के.एम. केबल बिछाएं जाने की योजना है।

हावड़ा और सियालदाह रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाएं

3036. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हावड़ा तथा सियालदाह रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्राथमिक सहायता चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। इस उद्देश्य के लिए उचित दवाइयों और ड्रेसिंग सामग्रियों तथा एक स्ट्रेचर सहित प्राथमिक सहायता बक्से स्टेशन मास्टरों को मुहैया किए गए हैं। इसके अलावा स्टेशन के निकट स्थित रेलवे और गैर-रेलवे डाक्टरों तथा अस्पतालों की एक सूची उनके दूरभाष संख्या और पतों सहित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहती है। जो आपातकाल में उनकी सेवाओं की मांग कर सकते हैं।

आन्ध्र प्रदेश को मोबाइल लाइसेंस

3037. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी, 1997 के "दि इकानॉमिक टाइम्स' में, "बैंल कनाडा में टर्न डेफ ईयर टू आन्ध्र प्रदेश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसके तथ्यों की जांच की है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने आदेश/अधिसूचित तिथि को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है;

(घ) यदि हाँ, तो 29 जनवरी, 1997 के बाद तिथि आगे नहीं बढ़ाने के मुख्य कारण क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक मिल जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) निम्नलिखित कारणों से तिथि को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी गई :

(i) अभी अंतर्ग्रस्त मुद्दों की विस्तृत जांच के बाद दूरसंचार सर्किलों में मोबाइल कालों के लिए परियात 29.1.1997 को निर्धारित किया गया था।

(ii) यह परियात पहली बार निर्धारित किया गया था और यह सेवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक था। तिथि आगे बढ़ाने से सेवा स्थगित हो जाती।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण टर्मिनल

3038. श्री बादल चौधरी :
श्री उधव वर्मन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों की कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वापसी आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इन सभी केंद्रों को देश के सभी बड़े शहरों के साथ जोड़ा गया है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और स्थानों में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(च) उपरोक्त प्रणाली कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र का पांच राजधानियों यथा गुवाहाटी, गंगटोक, शिलांग, इम्फाल और अगरतला, में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं मुहैया करा दी गई है।

इटानगर, कोहिमा और आइजोल के लिए इन सुविधाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और बहुत जल्दी ये परिचालन में होगी।

(ग) इन स्थानों से कलकत्ता में मुख्य आरक्षण प्रणाली से जुड़े स्टेशनों से आरम्भ होने वाली कुछ गाड़ियों के लिए आगे की तथा वापसी यात्रा के लिए आरक्षण किया जा सकता है।

जब पांचों आरक्षण प्रणाली का नैटवर्क सत्यापित हो जाएगा। तभी इन स्थानों सहित अन्य चार प्रणाली से जुड़े स्टेशनों से आगे की एवं वापसी यात्रा के लिए आरक्षण उपलब्ध हो सकता है।

(घ) से (छ) राज्य की राजधानियों के अलावा असम में तिनसुकिया डिब्रूगढ़ सिचलर तथा नागालैंड में, दीमापुर में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं अन्य स्थानों पर आरक्षण कार्यभार प्रतिदिन आरक्षण संबंधी संव्यवहार के मानदण्ड से कम है तथा इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था का फिलहाल औचित्य नहीं बनता है आरक्षण कार्यभार में पर्याप्त वृद्धि होने पर अन्य स्टेशनों पर कम्प्युटरीकृत आरक्षण शुरू करने के लिए विचार किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में डाकघर

3039. श्री अनिल बसु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 1997-98 के दौरान कितने डाकघर खोले जाएंगे;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) ये डाकघर कब तक खोल दिये जाएंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर डाक सर्किल-वार आंवटित किए जाते हैं इन्हें अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

खनिजों संबंधी रायल्टी पर विशेषज्ञ दल की सिफारिशें

3040. श्री सनत कुमार मंडल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ दल ने खनिजों पर रायल्टी में काफी वृद्धि किए जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस दल द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिजों में सुझाई गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) सरकार ने प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा निर्माण हेतु रेत को छोड़कर) पर लागू रायल्टी तथा डैड रेंट की दरों की विस्तृत समीक्षा करने के लिए दिनांक 30.1.1995 को एक अध्ययन दल का गठन किया है। इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1995 में प्रस्तुत की। अध्ययन दल की रिपोर्ट की समीक्षा की गई है तथा रायल्टी दरों में संशोधन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

खनन क्षेत्र में सुविधाएं

3041. श्री संदीपान थोरात : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय खनिज उद्योगों की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए इस प्रणाली को सुव्यवस्थित करने तथा सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कितने मूल्य के खनिजों और अयस्क का आयात और निर्यात किया गया; और

(ङ) इन उत्पादों के निर्यात तथा खनिज दोहन के लिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (ग) खनिज निक्षेप आमतौर से दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचागत सुविधाएं खराब हैं जिसके कारण इन खनिजों के अधिकतम विकास में अक्सर बाधा आती है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार खनिज वाले क्षेत्रों में आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विकास पर प्रमुख जोर दिया जाना है। सरकार की विकास संबंधी नीति कारगार आधारभूत ढांचा के विकास और आधारभूत ढांचागत क्षेत्र भी निजी सहभागिता हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करने को उच्च प्राथमिकता देती है। आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने आधारभूत ढांचा विकास वित्त कम्पनी स्थापित की है और कुछ श्रेणियों की आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं के लिए पंचवर्षीय कर अवकाश की भी अनुमति दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी मार्गों और राजमार्गों संबंधी नई नीति के कार्यान्वयन के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। खनिज क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नई खनिज नीति, 1993 के तहत 13 खनिजों को, जिनका विदोहन सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, स्वदेशी और विदेशी निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है। खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति में किए गए परिवर्तनों को लागू करने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में भी बाद में संशोधन किए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिजों और अयस्कों के आयात और निर्यात का मूल्य निम्न प्रकार है :

मूल्य – रुपये मिलयन

वर्ष	आयात	निर्यात
1993-94	214601	142664
1994-95	193659	158318
1995-96	236599	198198

(ङ) खनिज क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही (जनवरी, 1997) में लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, बाक्साइट, तांबा, सीसा और जस्ता अयस्कों आदि के मामले में 50 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी सहभागिता की स्वतः मंजूरी की अनुमति दी है। इसके अलावा, सरकार ने स्वर्ण, चांदी और मूल्यवान/अर्द्ध मूल्यवान पत्थरों के खनन से संबद्ध सेवाओं को छोड़कर खनन की आकस्मिक सेवाओं के लिए 74 प्रतिशत इक्विटी सहभागिता की स्वतः अनुमोदन की अनुमति भी दी है।

फलता-फूलता आवास घोटाला

3042. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्टूबर, 1996 के "डेक्कन क्रोनिकल" हैदराबाद में 'एकोमोडेशन रैकेट थ्राइविंग इन रेलवे कालोनी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के कर्मचारियों ने 1500 रेलवे क्वार्टरों में से 60 प्रतिशत क्वार्टर किराये पर दे रखे हैं;

(ग) क्या रेलवे के सतर्कता विभाग ने ऐसे अनेक मामलों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो केंद्रीय सरकार ने रेलवे क्वार्टरों के दुरूपयोग को रोकने की दृष्टि से अपराधियों को पकड़ने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हाँ।

(ख) जी, नही।

(ग) हैदराबाद/सिंकदराबाद क्षेत्र में जनवरी, 1996 से नवंबर, 1996 तक रेलवे सतर्कता/सी.बी.आई. द्वारा जांच किए गए 125 क्वार्टरों में से किराए पर क्वार्टरों के 27 मामले नोटिस में आए थे।

(घ) दोषी प्राधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है इसके अलावा उनके आंबटन रद्द कर दिए हैं। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध और आगे जांच जारी है और जो भी कार्रवाई उचित होगी की जाएगी। संबंधित प्राधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दे दिए गए हैं कि इस उद्देश्य के लिए गठित की गई कालोनी समितियां भी मामलों की जांच करें तथा इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

3043. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल के कन्नौर तथा कालीकट रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण/विकास की कोई याजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित

लागत क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल दूरदर्शन/आकाशवाणी की पारेषण क्षमता

3044. श्री सुशील चन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भोपाल के रेडियो तथा दूरदर्शन केन्द्रों की पारेषण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों की पारेषण क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन केन्द्रों पर मध्य प्रदेश के कितने कलाकार कार्यरत हैं तथा कितने कलाकार मध्यप्रदेश से बाहर के है;

(ङ) क्या भोपाल दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम भोपाल दूरदर्शन केन्द्र पर ही बनते है; और

(च) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम): (क) भोपाल में क्रमशः 50 कि.वा. शा.वे., 10 कि.वा.मी.वे., 3 कि.वा.एफ.एम. और 1 कि.वा.मी.वे शक्तियों के चार रेडियों ट्रांसमीटर तथा टी.वी. ट्रांसमीटर अर्थात् मुख्य चैनल के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि.वा.) और मेट्रो चैनल के लिए एक अल्पशक्ति ट्रांसमीटर हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल के पास एक स्टूडियों केन्द्र तथा उपग्रह अपलिंकिंग के लिए एक भू-केन्द्र भी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र भोपाल में किसी नियमित कलाकार को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। तथापि, कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए समय-समय पर नैमित्तिक कलाकारों को काम पर लगाया जाता है। चुक किए गए स्थानीय कलाकारों की संख्या 1770 है। तथा राज्य से बाहर के 37 हैं।

(ङ) और (च) जी, हाँ। ये कार्यक्रम ग्रामीण/शहरी, महिलाओं, बच्चों, औद्योगिक श्रमिकों, जनजातियों, आदि सहित अधिसंख्य तथा व्यापक लक्ष्य वाले दर्शकों के लिए तैयार किए जाते हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रमों की काफी सराहना की गई है।

असम में नयी रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण

3045. डॉ० प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर गोलपारा वाया दुधनोई से गुवाहाटी तक कोई नयी रेल लाइन बिछाने हेतु जिसके लिए असम की जनता आंदोलन कर रही है, सर्वेक्षण किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) गोयलपाड़ा और दुधनाई के रास्ते जोगीधामा से गुवाहाटी तक ब्रहमपुत्र के दक्षिण किनारे पर लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और पूरा होने पर दिसम्बर, 98 तक यातायात के लिए खोले जाने की संभावना है।

केरल में डाकघर

3046. श्री एन.एन. कृष्ण दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिला-वार डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) केरल में जिला-वार कितने डाकघर किराये के भवनों में कार्यरत हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किराये के भवनों की अपेक्षा सरकारी स्वामीत्वाधीन भवनों का निर्माण करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) केरल में 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) केरल डाकघर सर्किल में किराए के भवनों में कार्य कर रहे विभागीय डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) विभाग धनराशि, भूमि तथा अन्य संसाधन उपलब्ध होने पर विभागीय डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करता है।

विवरण-I

केरल में डाकघरों की संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या		
		शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5
1.	त्रिवेन्द्रम	87	330	417
2.	क्वालीन	44	315	359

1	2	3	4	5
3.	पटनमथिट्टा	23	288	311
4.	अलेप्पी	48	242	290
5.	कोट्टयम	50	359	409
6.	इद्दुक्की	10	290	300
7.	एर्णाकुलम	98	283	381
8.	त्रिचूर	90	398	488
9.	पालाघाट	54	396	450
10.	मालापुरम	32	399	431
11.	कालीकट	78	340	418
12.	वायनाड	2	159	161
13.	कन्नौर	91	287	378
14.	कासारगोड़	19	215	234
	कुल :	726	4301	5027
15.	लक्षद्वीप	–	10	10
16.	पांडिचेरी का माहे	4	–	4
	कुलयोग	730	4311	5041

विवरण-II

केरल में किराए के भवनों में कार्य कर रहे विभागीय डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	किराए के भवनों पर कार्य कर रहे डाकघर	
		प्रधान डाकघर	उप डाकघर
1	2	3	4
1.	त्रिवेन्द्रम	2	122
2.	क्वालीन	–	90
3.	पटनमथिट्टा	–	95
4.	अलेप्पी	1	100
5.	कोट्टयम	–	111
6.	इद्दुक्की	1	39
7.	एर्णाकुलम	–	120
8.	त्रिचूर	2	149
9.	पालाघाट	1	127
10.	मालापुरम	4	90
11.	कालीकट	1	81
12.	वायनाड	1	13
13.	कन्नौर	–	92
14.	कासारगोड़	–	27
	कुल :	13	1256
15.	लक्ष्यद्वीप	–	5
16.	पांडिचेरी का माहे	–	–
	कुल योग	13	1261

*दो उप डाकघर, एक क्वीलोन जिले में और दूसरा पटनमथिट्टा जिले में, रेंट-फ्री भवनों में कार्य कर रहे हैं।

इवाई यातायात नियंत्रण टावर की ऊंचाई

3047. श्री अमर रायप्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानदंडों के अनुसार इवाई यातायात नियंत्रण टावर की अधिकतम ऊंचाई 24 फुट अनुमत्य है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 190 फुट टावर बनाने की योजना को मंजूरी दी है;

(ग) यदि हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानदंडों के उल्लंघन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या वह इस बात से भी अवगत है कि मुम्बई तथा दिल्ली में इवाई यातायात नियंत्रण के आधुनिकीकरण हेतु गठित समिति के कुछ सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद इवाई यातायात नियंत्रण टावर की 190 फुट की ऊंचाई की योजना को मंजूरी दे दी गयी; और

(ङ) किन परिस्थितियों में 190 फुट ऊंची टावर वाली इवाई यातायात नियंत्रण परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति दे दी गई ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हाँ। अन्तरर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की यह शर्त है कि इवाई यातायात नियंत्रण (ए.टी.सी.) टावर का निर्माण ऐसे चुनींदे स्थान पर किया जाए जो काफी ऊंचा हो और जहां से प्रचालनात्मक क्षेत्र के ऊपर समग्र नियंत्रण रखने की दृष्टि से विमानों के उतरने और पहुंच मार्ग सहित विमानक्षेत्र का चारों ओर अबाधित दृश्य देखा जा सके। वर्तमान स्थिति में लगाए गए नियंत्रण टावर को 1991 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (तत्कालीन एन.ए.ए.) द्वारा विशेष विधान के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई थी।

(घ) और (ङ) मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

बलसाड़ रेलवे स्टेशन पर कर्णावती रेलगाड़ी का हाल्ट

3048. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बलसाड़ रेलवे स्टेशन पर कर्णावती रेलगाड़ी के लिए हाल्ट की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस रेलगाड़ी का वहां कब से हाल्ट किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न तो औचित्य है और न ही परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक।

राष्ट्रीय डाक नीति

3049. श्री जयसिंह चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डाक नीति तैयार करने के संबंध में 1992 में आरंभ किया गया कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय डाक नीति वाले औपचारिक दस्तावेज को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। फिर भी, डाक विभाग देश में डाक सेवाओं के विकास और प्रचालन के मामले में एक सुसंगत नीति का पालन कर रहा है। विभाग की नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में डाक नेटवर्क के विस्तार के मामले में, विभाग की नीति नए डाकघरों के मामले में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में अनुमानित लागत का 66 प्रतिशत और पहाड़ी, जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्र में अनुमानित लागत का 85 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण शाखा डाकघर का विभागीय उप-डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के मामले में सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 2400/- रुपये वार्षिक घाटे की तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम 4800/- रुपये वार्षिक घाटे की अनुमति दी जाती है। देश में ग्राम पंचायतों सहित 8041 गांव, जहां जनसंख्या और दूरी संबंधी मानदंडों के अनुसार डाकघर खोलने का औचित्य है, अभी भी डाक कांउटर सुविधाओं के बिना हैं और विभाग की नीति अब इस बात पर केंद्रित है कि इन गांवों में नए डाकघर खोले जाएं। शहरी क्षेत्र में डाक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए विभाग की नीति में वित्तीय व्यवहार्यता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। नए खोले गए डाकघरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी स्थापना के प्रथम वर्ष के अंत तक आत्मनिर्भर बन जाएं। जहां तक मौजूदा डाकघर से दूरी संबंधी मानदंड का संबंध है, यह भी शहरी स्थितियों के अनुरूप है जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है।

जहां तक, ग्रामीण क्षेत्र में वितरण सेवा संबंध है, मानदंड यह है कि जब तक पारेषण व्यवस्था में अड़चने न हों, शाखा डाकघर में डाक जिस दिन प्राप्त हो, उसी दिन वितरित कर दी जाए। शहरी क्षेत्र में, सभी विभागीय वितरण डाकघर सामान्य और लेखायोग्य दोनों प्रकार की डाक मदों का प्रतिदिन कम से कम एक बार वितरण करते हैं। अधिकांश शहरी डाकघरों में डाक मदों की संख्या और उनके प्राप्त होने के समय को ध्यान में रखते हुए एक बार से अधिक वितरण भी किया जाता है।

सभी प्रकार की डाक के पारेषण के मामले में, विभाग की नीति त्वरित और प्रभावी मेल प्रोसेसिंग के लिए बड़े नोडल सेंटर्स में धीरे-धीरे ऑटोमैटिड प्रणालियां शुरू करने की है। मुम्बई और चेन्नई में ऑटोमैटिड मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स की स्थापना करने के साथ ही इस दिशा में पहला कदम उठाया गया है।

विभाग सरकार की अल्प बचत योजनाएं चलाकर रेलवे पेंशनर्स और कोल माइनर्स को पेंशन का भुगतान करके, और साथ ही डाक जीवन बीमा संगठन चलाने जैसे विभिन्न एजेंसी कार्य करके सामाजिक वितरण प्रणाली के एक आउट-लैट के रूप में डाकघरों का अधिकतम लाभ उठाने की नीति का भी अनुपालन कर रहा है।

डाक सेवा को आधुनिक बनाने की विभाग की नीति में कांउटर सेवाओं पर बल दिया गया है। इसमें कम्प्यूटर आधारित टेक्नालॉजी का प्रयोग करके अधिक कार्यकुशल और उत्तरदायी कांउटर सेवा के माध्यम से अत्यधिक ग्राहक संतुष्टि तथा बेहतर कार्य-वातावरण के माध्यम से कर्मचारियों को अधिक प्रोत्साहित करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। आधुनिक डाक कांउटरों की उन्नत वाणिज्यिक क्षमता का अधिकतम उपयोग करके ग्राहकों के व्यापारिक/व्यावसायिक वर्ग के लिए नई मूल्य-विधि सेवाओं की व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्तीय सेवाओं, डाक जीवन बीमा, इन्वेंट्री कंट्रोल और स्पीड पोस्ट सेवा जैसे अन्य कार्यकलापों में भी कंम्प्यूटर आधारित टेक्नालॉजी की शुरूआत की जा रही है।

नई टेक्नालॉजी का समावेश करके आधुनिकीकरण की विभाग की जो नीति है, उसे विभाग के कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर अर्जित किया जा रहा है।

विभाग सेवा के स्तर में सुधार करने और राजस्व जुटाने के उद्देश्य से व्यापारिक तथा वाणिज्यिक सेक्टर की जरूरतों और साथ ही यूनीवर्स सर्विस के दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन से अपने कार्य-क्षेत्रों का पृथकीकरण करना चाहता है।

[अनुवाद]

इस्पात क्षेत्र में मुनाफे में कमी

3050. श्री सिद्धय्या कोटा :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात क्षेत्र की बिक्री और मुनाफा कम हो रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र वाले इस्पात संयंत्र से मुनाफा कमाने हेतु सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक इस्पात संयत्र द्वारा अर्जित वास्तविक मुनाफा कितना है;

(ङ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत इस्पात संयंत्र ने उतना मुनाफा नहीं कमाया जितना इससे इस वर्ष के आरम्भ में अपेक्षा की गयी थी; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) प्रमुख इस्पात उत्पादकों में से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि. (टिस्को) की बिक्री तथा कर पूर्व लाभ पिछले तीन वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। जहां तक राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.) का संबंध है पिछले तीन वर्षों से इसकी बिक्री बढ़ रही है और हानि कम हो रही है।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए सेल का लक्ष्य 825 करोड़ रुपये हैं। जबकि आर.आई.एन.एल. का लक्ष्य 1996-97 के लिए निवल हानि को कम करके 272.69 करोड़ रुपये करने का है।

(घ) 1996-97 के दौरान इस्पात संयंत्रों द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ का पता चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही लग पाएगा।

(ङ) और (च) उपरोक्त (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चुनार रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

3051. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चुनार रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कतिपय सामाजिक संगठनों ने उक्त स्टेशन पर कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को ठहराए जाने, इन गाड़ियों में आरक्षण कोटा देने तथा उपिर रेल पुल बनाने की मांग करते हुए 1995 तथा 1996 में धरना दिया था और प्रदर्शन किया था;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्टेशन पर मांग की गई यात्री सुविधाओं के कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हाँ। चुनार रेलवे स्टेशन पर मगध, कटिहार, नीलांचल एक्सप्रेस तथा कालका मेल के ठहराव के लिए नागरिक उपभोक्ता समिति चुनार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) नीलांचल एक्सप्रेस चुनार रेलवे स्टेशन के रास्ते नहीं जाती है। बहरहाल, मगध एक्सप्रेस, महानन्दा एक्सप्रेस तथा कालका मेल सहित अतिरिक्त गाड़ियों को चुनार में ठहराव देने की व्यावहारिकता पर विचार किया गया था किन्तु वाणिज्यिक रूप से उचित नहीं पाया गया इन गाड़ियों के ठहराव के अभाव में कोई कोटा आंवटित नहीं किया जा सकता ।

कार्यस्थल पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण व्यावहारिक नहीं है बहरहाल यदि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को निक्षेप शर्तों पर प्रायोजित करे तो ऊपरी पैदल पुल के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

रेल वैगनों में लदे हुए ट्रकों को लादना

3052. श्री विजय पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों में ट्रकों के लदान की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्ताव की विभिन्न पहलुओं की जांच करने के पश्चात् ही कार्यान्वियन के संबंध में विचार किया जाएगा।

बंगलादेश के साथ रेल संपर्क

3053. श्री उधव वर्मन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में बंगलादेश के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चिलाहटी (बंगलादेश) से राजीनगर तक बरास्ता हल्दीबाड़ी रेल मार्ग का निर्माण कर उत्तरी बंगाल से बंगलादेश के बीच यातायात का आवागमन संभव है;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना को भी आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कवितीर्थ चुरूलिया से रेल लिंक

3054. श्री महबूब जडेदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रान्तिकारी कवि नज़रूल के जन्म स्थान कवितीर्थ चुरूलिया को रेल द्वारा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से जोड़ने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कोई सर्वेक्षण कराने का है;

(ग) यदि हाँ, तो कब तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नही उठता

(घ) चुरूलिया खण्ड पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में इखरा-गौरन्डी खण्ड पर मौजूद था। रेलपथ की बार-बार चोरी के कारण इस खंड पर गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया और इस खण्ड को 1985 में बंद कर दिया गया। चुरूलिया सड़क मार्ग द्वारा आसनमोल से जुड़ा हुआ है।

उड़ीसा में उपरिपुलों के चल रहे निर्माण कार्य

3055. श्री भक्त चरण दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ सड़क उपरिपुल निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ये पुल कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इन पर अनुमानः कितनी लागत आने की संभावना है; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	ऊपरी सड़क पुलों के स्थल	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	अभी तक कार्य की प्रगति
1	2	3	4
1.	जयपुर-कनोंझर रोड़ पर ऊपरी सड़क पुल	2.29	88 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
2.	रायगड़ा पर ऊपरी सड़क पुल	5.45	रेलवे का हिस्सा पूरा हो चुका पहुंच मार्ग का निर्माण राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना है।
3.	तालचेर एवं सम्बलपुर नई लाईन परियोजना पर 55.4 कि.मी. में ऊपरी सड़क पुल	3.70	10% पूरा हो चुका है। राज्य सरकार शून्य
4.	बरगढ़ पर ऊपरी सड़क पुल	4.13	15% पूरा हो चुका है राज्य सरकार शून्य

1	2	3	4
5.	तालचेर-सम्बलपुर परियोजना पर 57.27 कि.मी. में ऊपरी सड़क पुल	1.58	80% पूरा हो चुका है राज्य सरकार शून्य
6.	तालचेर-सम्बलपुर परियोजना पर 65.28 कि.मी. में ऊपरी सड़क पुल	0.35	60% पूरा हो चुका है। राज्य सरकार शून्य
7.	तालचेर-सम्बलपुर परियोजना पर 106.56 कि.मी. में	0.77	30% पूरा हो चुका है। राज्य सरकार शून्य
8.	तालचेर-सम्बलपुर नई परियोजना पर 157.83 कि.मी. में	0.39	60% पूरा हो चुका है राज्य सरकार शून्य
9.	दैतारी-बांसपानी नई लाइन परियोजना पर बांसपानी रेलवे स्टेशन से 1.08 कि.मी. में	2.00 (लगभग)	रेलवे का हिस्सा पूरा हो चुका है। राज्य सरकार का 25%
10.	दैतारी-बांसपानी नई लाइन परियोजना पर बांसपानी रेलवे स्टेशन से 10.34 कि.मी. में ऊपरी सड़क पुल	2.00 (लगभग)	रेलवे का हिस्सा पूरा हो चुका है। राज्य सरकार का 20% पूरा हुआ है।

त्रिवेन्द्रम और नई दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवाएं

3056. श्री ए.के. प्रेमचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम और नई दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उक्त सेवा कब तक आंरभ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन पर "नाइट लैंडिंग फेसिलिटी" आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके कब तक आंरभ किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) मुम्बई डोकर दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच इंडियन एयरलांइस ए-320 सेवा का प्रतिदिन सीधा प्रचालन कर रही है।

(ग) और (घ) त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन पर रात्रि अवतरण सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

प्लेटफार्मों का विकास तथा विस्तार

3057. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै रेलवे स्टेशन पर अपर्याप्त सुविधाओं तथा बढ़ते हुए यात्री यातायात को देखते हुए वहां प्लेटफार्मों का विकास और विस्तार करने तथा नये प्लेटफार्मों का निर्माण करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) यातायात की मात्रा और धन की उपलब्धता के आधार पर मानदंडों के अनुसार स्टेशनों पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तदनुसार मदुरै स्टेशन पर यातायात की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्लेटफार्म संख्या 4, 5 और 6 के विस्तार का कार्य शुरू किया गया है और 1996-97 के लिए 21.86 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्लेटफार्म संख्या-1 की सतह को ऊंचा करने तथा द्वीव प्लेटफार्म संख्या 6 और 7 पर शेड की व्यवस्था का कार्य भी 28.80 लाख रुपये की लागत से कर दिया गया है।

विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटक लाज

3058. श्री हरिवंश सहाय : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार ने उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद जिले में स्थित संकिसा बौद्ध तीर्थस्थल में आने वाले विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिए पर्यटक लाज का प्रबंध लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ताईवान और थाईलैंड के पर्यटकों द्वारा भेंट की गई भगवान बुद्ध की मूल्यवान प्रतिमाओं को संकिसा में रखने में उपयोग किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संकिसा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हाँ, तो उक्त योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) और (ख) पर्यटकों के लिए लाज की व्यवस्था करना मुख्यतया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों को पर्यटक परिसरों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, पर्यटक स्वागत केन्द्रों आदि का निर्माण करने के लिए परियोजना के गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर धन मुहैया करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संकिसा में पर्यटक सुविधाओं का निर्माण करने के लिए पर्यटन विभाग को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं राज्य सरकार की सुरक्षा में हैं।

(ङ) और (च) उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के एकीकृत विकास के लिए पर्यटन विभाग के एक परिपथ की पहचान की है जिसमें संकिसा शामिल है।

आई.एस.डी. कॉल प्रभार

3059. श्री हरिन पाठक : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छुट्टियों के दौरान इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायल (आई.एस.डी.) काल प्रभार को कम करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी टेलीकॉम कम्पनियों ने भी रियायती दर पर आईएसडी काल की पेशकश की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, विदेशी दूरसंचार कंपनियां आउट गोइंग आईएसडी कालें प्रदान नहीं कर सकती हैं क्योंकि वीएसएनएल बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाओं का एकमात्र सेवा प्रदाता है।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूरत के मूवगुला विमानपत्तन से विमानों की उड़ान

3060. श्री मढेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सूरत के मूदगुला विमानपत्तन के विकास तथा इसे गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप कर यहां से विमानों की उड़ानों को पुनः शुरू किए जाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : सूरत हवाई अड्डा 30 सीटों वाले विमानों का प्रचालन बनाए रख सकता है। चूंकि यह हवाई अड्डा गुजरात राज्य सरकार का है, इसे विकास हेतु गैर-सरकारी सैक्टर के हाथ सौंपने का कार्य उनका है। विमान कम्पनियां अपने वाणिज्यिक विवेक के अन्तर्गत किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

3061. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :
श्री विजय पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-दिल्ली रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अहमदाबाद-दिल्ली रेल-लाईन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हाँ, तो उपयुक्त लाइन का अब तक विद्युतीकरण हो जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या राज्य की राजधानी के दैनिक यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए उक्त रेल लाइन को गांधीनगर से जोड़ा जाएगा;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या अहमदाबाद-दिल्ली मार्ग को बड़ी रेल लाइन में बदलने के पश्चात् इस पर राजधानी एक्सप्रेस चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) कार्य पहले ही पूरा हो गया है और लाइन 31.3.1997 की लक्ष्य तिथि से पहले ही चालू कर दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संसाधनों की तंगी तथा अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता के कारण, दिल्ली–अहमदाबाद खंड का विद्युतीकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) जी, हाँ।

(झ) 1997–98 के दौरान परिवर्तित खंड पर उच्चतर गति की उपलब्धता पर, जयपुर के रास्ते दिल्ली और अहमदाबाद के बीच साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है।

आमान परिवर्तन

3062. श्री सनत मेहता :
श्री गोरधन भाई जावीया :
श्री काशीराम राणा :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को गुजरात सरकार से 1994–95, 1995–96 और 1996–97 के दौरान मीटर गेज/छोटी लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) आगामी तीन वर्षों के दौरान बड़ी रेल लाइनों में बदली जाने वाली मीटर गेज/छोटी लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आमान परिवर्तन के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है;

(च) क्या सरकार का विचार गुजरात में आमान परिवर्तन परियोजना का कार्य निजी वित्त पोषण से शुरू करने का है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रमिक

3063. श्री पी.एम. शंकर :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बाल श्रमिक देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 20 प्रतिशत से अधिक योगदान करते हैं;

(ख) बाल श्रमिकों द्वारा छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान किया गया;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान बालक श्रम को समाप्त करने के लिए कम से कम खतरनाक कार्मों/उद्योगों में क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जहां बाल श्रमिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 10 प्रतिशत से अधिक योगदान करते हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उत्पाद के आकलनों को घरेलू उत्पाद के आकलनों से प्राप्त किया जाता है, जिनका संकलन अनेक प्रकार के आर्थिक कार्यकलापों और संगठित और असंगठित तथा सार्वजनिक क्षेत्रों जैसी विस्तृत संस्थागत श्रेणियों द्वारा किया जाता है। इन आकलनों को आयु–वर्ग आधार पर तैयार नहीं किया जाता है।

(ग) सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिनियम की अनुसूची के भाग "क" और "ख" में वर्णित 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है। कामकाजी बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए अन्य अनेक श्रम कानूनों में भी विधिक प्रावधान रखे गए हैं। विधिक उपायों के अतिरिक्त, सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को निकालने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए कदम उठाए हैं। खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख बालकों को पुनर्वासित करने के लिए 76 बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित की हैं। बाल श्रम परियोजना के अधीन किया गया एक प्रमुख कार्यकलाप विशेष स्कूलों की स्थापना करना है जिनमें रोजगार से निकाले गए बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुपूरक पोषणाहार आदि मुहैया कराया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1.05 लाख बालक पहले ही विशेष स्कूलों में पंजीकृत हैं। बाल श्रम परियोजनाओं को स्थापित करने के अतिरिक्त 123 जिलों में बाल श्रम के संबंध में सर्वेक्षण करने और 133 जिलों में बाल श्रम की बुराई के विरुद्ध जागरूकता सृजित करने के लिए निधियों की मंजूरी प्रदान की गई है।

(घ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन

3064. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री डी. पी. यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों, विशेषकर सम्भल रेलवे स्टेशन पर जहां न प्रतीक्षालय है, न विश्रामगृह है, न पेयजल की सुविधा है और न ही प्लेटफार्म के ऊपर छत है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हाँ, कितने मामलों को रेलवे परामर्शदात्री बोर्ड को सौंपा गया है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर कब तक उपर्युक्त सभी सुविधायें उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सभी स्टेशनों पर पीने के पानी और प्रतीक्षालयों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, प्लेटफार्म पर शेड़ों और प्रतीक्षा कक्षों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था, स्टेशन के महत्त्व, स्टेशन पर संभाले जाने वाले यातायात की मात्रा और स्टेशनों पर लम्बी दूरी की गाड़ियों के ठहराव और स्टेशन पर गाड़ियों के चलने/समाप्त होने के आधार पर दी जाती है। अतः सभी स्टेशनों पर सुविधाओं की उपलब्धता एक समान नहीं होगी। महत्वपूर्ण स्टेशनों और यातायात के अधिक घनत्व वाले स्टेशनों पर सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है जबकि यातायात के कम घनत्व वाले छोटे स्टेशनों पर अपेक्षाकृत ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती है। संभल हातिम सराय स्टेशन पर प्रतीक्षा कक्ष, प्रतीक्षालय, पीने के पानी की व्यवस्था और प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था इस स्टेशन पर संभाले जाने वाले यातायात के वर्तमान मात्रा के लिए यह पर्याप्त है।

[अनुवाद]

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी पर धारावाहिक

3065. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन पर एक दूरदर्शन धारावाहिक बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी, 1997 को डी.डी.-1 पर नेता जी के जीवन पर एक वृत्तचित्र पहले ही दिखाया जा चुका है।

खानों में सुरक्षा मानदंड

3066. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी खानों की संख्या कितनी है जिनका अधिकतम दोहन किया जा चुका है;

(ख) क्या इन खानों में सुरक्षा मानदंड का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में मुआवजा की राशि में वृद्धि की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) खानों के लिये निर्धारित सुरक्षा मानक किसी एक खान में होने वाले शोषण की मात्रा पर निर्भर नहीं है। अतः उन खानों जिनमें अधिकतम स्तर पर शोषण नहीं होता है। उनके बारे में सूचना नहीं रखी जाती है और उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने वर्ष 1995 में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में संशोधन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के अन्तर्गत मृत्यु और पूर्ण स्थायी अपंगता के लिए भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की न्यूनतम राशि को क्रमशः 20,000/- रुपये से बढ़ाकर 50,000/- रुपये और 24,000/- रुपये से बढ़ाकर 60,000/- रुपये कर दिया गया है। प्रतिकर की अधिकतम राशि निर्धारित करने के लिए मासिक मजदूरी सीमा भी 1000/- रुपये से बढ़ाकर 2000/- रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मृतक कर्मकार की अन्त्येष्टि व्यय के लिए 1000/- रुपये के भुगतान का भी प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की मनमाने ढंग से बरखास्तगी

3067. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बड़े औद्योगिक घराने विभिन्न क्षेत्रों में ठेके के श्रमिक नियुक्त कर रहे हैं जिससे कि प्रबन्धन अपनी मर्जी के अनुसार उनसे लाभ ले सकें;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इन श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ग) क्या मनमाने ढंग से बरखास्तगी के मामले में श्रमिकों

की सहायता उपलब्ध कराने के लिए किसी वैधानिक संरक्षण देने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ठेका श्रम के नियोजन तथा अन्य संबंधित मामलों को विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 10 समुचित सरकार को किसी प्रतिष्ठान में किसी प्रक्रिया, संचालन अथवा अन्य कार्य में ठेका श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है। संबंधित समुचित सरकारों द्वारा इन उपबंधों को प्रवर्तित किया जाता है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इनका उल्लंघन दण्डनीय है। ठेका कर्मकारों के संबंध में सभी वास्तविक चिन्ताओं के निराकरण के लिए इस अधिनियम के उपबंधों को पर्याप्त समझा जाता है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

3068. जस्टिस गुमान मल लोढा :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हाँ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को कब-कब शुरू किया गया;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक योजना के अन्तर्गत उन बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का आकलन किया गया है जिन्हें रोजगार दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है और मार्च, 1996 तक प्रत्येक योजना पर सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) जी, हाँ। केन्द्र सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये योजनाएं आरम्भ की हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रमुख योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बेरोजगार व्यक्तियों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार दिलवाने के संबंध में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का विवरण

	योजना का नाम	जिस माह/वर्ष में आरम्भ की गई	मार्च, 1996 तक रोजगार दिलाने का लक्ष्य (लाख में)	मार्च 1996 तक सरकार द्वारा किया गया व्यय (रु० करोड़ में)
ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय				
1.	जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) (सृजित रोजगार के कार्यदिवस)	1.4.1989	36266.71*	23033.36
2.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) (जिन परिवारों को सहायता दी गई)	2.10.1980	423.23	10294.78
3.	रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.) (सृजित रोजगार के कार्यदिवस)	2.10.1993	**	3139.81
शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय				
4.	नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) (सृजित रोजगार के कार्यदिवस)	अक्टूबर, 1989	***	636.80
5.	प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी.)	नवम्बर, 1995	10 (प्रति वर्ष)	105.80
उद्योग मंत्रालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग)				
6.	प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)	2.10.1993	7@	273.05

* पिछले चार वर्षों हेतु सूचना।
** लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं चूंकि यह मांग आधारित है।
@ 8वीं योजना के दौरान।
*** लक्ष्य विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

ठेकेदारों के द्वारा रोजगार

3069. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए जाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

कंचनजंगा एक्सप्रेस का मार्ग बदला जाना

3070. कुमारी ममता बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंचनजंगा एक्सप्रेस के मार्ग को बदले जाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कंचनजंगा एक्सप्रेस को कूच-बिहार तक बढ़ाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसे कब तक बढ़ाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) आसाम क्षेत्र में रात्रि में चलने वाली गाड़ियों के निलंबन के कारण 5657/5658 सियालदह-गुवाहाटी कंचनजंगा एक्सप्रेस को 4.1.97 से न्यू जलपाइगुड़ी तक ही चलाया गया।

(ग) फिलहाल में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल-फाटकों को बंद करना

3071. श्री ए.सी. जोस :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में बंद किए जाने वाले रेल-फाटकों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : संरक्षा मानक में सुधार करने के लिए केरल में 24 समपारों को बंद करने का प्रस्ताव है, जिनका विवरण आगे दिया गया है।

क्र. सं.	समपार संख्या	स्थान कि.मी.	स्टेशनों के बीच	चौकीदार वाले/बिना चौकीदार वाले
1.	4	6/10-11	एर्णाकुलम-त्रिपुणितरा	चौकीदार वाले
2.	26	45/10-11	कुरूप्पमतारा-एट्टमानूर	चौकीदार वाले
3.	143	95/11-12	चिंपवाड़ा	बिना चौकीदार वाले
4.	544	157/8-9	कोल्लम जं.-मय्यानाद	चौकीदार वाले
5.	550	163/12-13	कोल्लम जं.-मय्यानाद	चौकीदार वाले
6.	40	118/1-2	कायनकुलम-ओचिरा	चौकीदार वाले
7.	43	120/10-11	ओचिरा-यार्ड	चौकीदार वाले
8.	45	121/11-12	ओचिरा-करूनागपल्ली	बिना चौकीदार वाले
9.	62	133/3-4	करुनागपल्ली-संस्थानकोट्टा	चौकीदार वाले
10.	75	149/15-16	पेरीनाद-कोतलम डा0	चौकीदार वाले
11.	3	221/14-15	तिरूवनन्तपुरम सेंट्रल-एन.वाई.वाई. सेंट्रल	चौकीदार वाले
12.	278	826/6-7	विलखानी-कोटिकुलम	बिना चौकीदार वाले
13.	39	72/9-10	चिंगवनम-चंगनाचेरी	चौकीदार वाले
14.	40.	72/15-73/1	चिंगवनम-चंगनाचेरी	बिना चौकीदार वाले
15.	93	69/18-19	एम.पी.ए.टी एच.जे.आई.	बिना चौकीदार वाले
16.	550	155/14-15	कोल्लम-मायानाड	चौकीदार वाले
17.	557ए	211/8-9	इम्मकुट्टम-कोचुवेलि	चौकीदार वाले
18.	578	217/4-5	कम्मकुट्टम-कोचुवेलि	चौकीदार वाले
19.	20	99/14-15	चेंगानूर-मवेलिकरे	बिना चौकीदार वाले
20.	26	104/14-15	चेंगानूर-मवेलिकारा	बिना चौकीदार वाले
21.	37	115/13-14	कायनकुलम-ओचिरा	बिना चौकीदार वाले
22.	58	130/12-13	करूनागपल्ली-संस्थान कोट्टा सेंट्रल	बिना चौकीदार वाले
23.	2	221/6-7	तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल - एन.वाई.वाई. सेंट्रल	चौकीदार वाले
24.	8	234/6-7	तिरवनन्तपुरम सेंट्रल - एन.वाई.वाई. सेंट्रल	बिना चौकीदार वाले

वयस्क चैनल

3072. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरदर्शन पर पहला वयस्क चैनल आरम्भ करने जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) इस चैनल के लिए कार्यक्रमों और विज्ञापनों को सेंसर करने और छानबीन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली में पर्यटन विकास

3073. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों की पर्यटन की दृष्टि से उपेक्षा की जा रही है और उनका उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन के विकास के लिए कितना व्यय किये जाने का विचार है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए या उठाये जाने वाले कदम क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) और (ख) पर्यटन महत्व के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास और रख-रखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का है।

(ग) 1996-97 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित दो परियोजनाओं के लिए 85 लाख रुपयों की केन्द्रीय वित्तीय सहायता लेने का प्रस्ताव है :

1. संसद भवन, नार्थ एवं साउथ ब्लाक, राजपथ और इंडिया गेट की प्रकाश-पुंज व्यवस्था।
2. नंदप्रयाग में पर्यटक परिसर।

(घ) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्व को, सरकार अच्छी तरह समझती है, और यह सरकार की एक निरन्तर, संगठित और सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया को घाटा

3074. श्री रूपचन्द पाल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुयानों को पट्टे पर दिए जाने के कारण एयर इंडिया को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) एयर इंडिया को वेटलीज पर लिये गये विमानों द्वारा किये गये प्रचालनों (यात्री) से हुई हानि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

1995-96 (अनंतिम)	1996-97 (अनुमानित) (सितम्बर, 1996 तक)
96.54	88.75

ये हानियां एयर इंडिया के प्रचालनों की संवृद्धि और विस्तार की कार्य-नीति एवं औद्योगिक अशांति के कारण व्यवधानों के कारण हुई।

(ख) से (घ) वेटलीज संबंधी करारों में किकबैक के आरोपों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

अल्मोड़ा में आवासीय इकाइयां

3075. डॉ० मुरली मनोहर जोशी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक कर्मचारियों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु 1984 के दौरान अल्मोड़ा में भूमि का अधिग्रहण किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर अब तक निर्मित/निर्माण किए जाने वाले आवासों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष आवासों का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस उद्देश्य हेतु कितना वित्तीय आवंटन किया गया है तथा वर्ष 1997-98 के दौरान कितना आवंटन किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) विभाग द्वारा 1984 में 46 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए थपलिया (अल्मोड़ा) में 8556.69 वर्ग मीटर भूमि अधिगृहीत की गई थी। अभी तक टाइप-II के 6 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया है।

(ग) शेष स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) पिछले तीन वर्षों में इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित धनराशि आबंटित की गई :

1994-95	-	1.50 लाख रुपये
1995-96	-	6.11 लाख रुपये
1996-97	-	1.00 लाख रुपये

वर्ष 1997-98 के लिए धनराशि के आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में लघु चार्टर विमान सेवा

3076. श्री भेरू लाल मीणा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में छोटे चार्टर विमानों की सेवा को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, इस सेवा के अन्तर्गत कौन-कौन से नगर शामिल किए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स की राजस्थान में छोटी चार्टर विमान सेवा प्रचालित करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, गोल्डन डिल एविएशन और राजपूताना एविएशन अकादमी, ने राजस्थान में चार्टर सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावित शहरों के नाम चार्टरकर्ताओं की आवश्यकताओं पर आधारित होंगे।

श्रम आयोग

3077. डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में "श्रम आयोग" की स्थापना करने का है;

(ख) विगत में इस आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी;

(ग) क्या दूसरा श्रम आयोग स्थापित किये जाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के पास पहले ही भेजा जा चुका है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग दिनांक 24.12.1966 के भारत सरकार के संकल्प द्वारा गठित किया गया था और इसकी रिपोर्ट अगस्त, 1969 में प्रस्तुत की गई थी। दूसरा श्रम आयोग गठित करने के संबंध में सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

खजुराहो में "कैसिनो" खोलने का प्रस्ताव

3078. श्री सत्य देव सिंह :
कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नेपाल और सिंगापुर की तरह खजुराहो में "कैसिनो" खोलने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को "कैसिना" खोले जाने के विरोध में अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाड़ी क्षेत्र के लिए एयर इंडिया के किराए

3079. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा खाड़ी क्षेत्र में वूसल किया जा

रहा किराया अन्य क्षेत्रों में समान दूरी के लिये वसूल किए जाने वाले किराये से अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो एयर इंडिया द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए वसूले जा रहे किराये का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान किराये को घटाने तथा इसे अन्य क्षेत्रों के लिए विमान किराये के स्तर पर लाये जाने हेतु खाड़ी क्षेत्र से कोई मांग की गयी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) प्रचालनों की लागत में अन्तर, क्षमता की उपलब्धता, यातायात प्रवाह, प्रतिस्पर्द्धा तत्व इत्यादि के कारण, विभिन्न सैक्टरों पर किरायों की तुलना करना संभव नहीं है। इन मापदंडों के आधार पर, गल्फ सैक्टरों पर वर्तमान किराये उचित समझे जाते हैं।

रेलगाड़ियों में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि

3080. श्री मुरलीधर जेना : क्या **रेल मंत्री** आपराधिक मामलों में वृद्धि के बारे में 5.12.96 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2067 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा-नई दिल्ली के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में इन दिनों संबंधित कार्मिकों की लापरवाही के कारण अपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान इस संबंध में रेलगाड़ी-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई.आर.सी.सी. की स्थापना

3081. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय रेलवे खानपान निगम (आई. आर.सी.सी.) की स्थापना को स्थगित करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

टूटीकोरिन, सेलम और पांडिचेरी में विमान सेवाएं

3082. श्री एन. डेनिस : क्या **नागर विमानन् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टूटीकोरिन, सेलम और पांडिचेरी जैसे स्थानों पर पहले से निर्मित विमानपत्तनों से विमान सेवाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) इस समय, अपर्याप्त यातायात संभाव्यता और छोटे धावनपथों के कारण, इन हवाई अड्डों से सेवाएं प्रचालित करने की इंडियन एयरलाइन्स की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, निजी प्रचालकों को उपयुक्त विमानों से अपने नेटवर्क में और अधिक स्टेशनों के लिए अधिक सेवाएं प्रचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसमें तुतीकोरिन, सेलम और पांडिचेरी भी सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन के लिए दी गई धनराशि

3083. श्री विनय कटियार :
श्री मुख्तार अनीस :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर, 1996 तक भाषा-वार समाचार-पत्रों में विज्ञापन के लिए कितनी धनराशि दी;

(ग) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार डी.ए.वी.पी. पर प्रत्येक भाषा में विज्ञापन के लिए समाचार-पत्रों की कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(घ) 1996-97 के लिए डी.ए.वी.पी. का संशोधित विज्ञापन बजट कितना है;

(ङ) विज्ञापन बिलों के भुगतान में औसतन कितना समय लग जाता है; और

(च) समाचार-पत्रों, विशेषतः छोटे समाचार-पत्रों के बिलों का शीघ्रतापूर्वक भुगतान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) सरकारी विज्ञापन जारी करने संबंधी मानदण्डों का उद्देश्य अधिक से अधिक कवरेज सुनिश्चित करना है। प्रचार संबंधी अपेक्षाओं, लक्षित पाठकों की संख्या और क्षेत्र तथा बजटीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पास सूचीबद्ध समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 दिसंबर, 1996 तक विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों हेतु समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को भुगतान की गई राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1994-95	27.77
1995-96	37.55
1996-97 (31.12.96 तक)	20.02

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा भाषावार अलग-अलग भुगतान नहीं किया जाता है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) वर्ष 1996-97 के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का विज्ञापन बजट 2633.90 लाख रु० है।

(ङ) छः से सात सप्ताह बशर्ते बिल सही हो और निधियां उपलब्ध हों।

(च) लघु समाचार-पत्रों सहित समाचार-पत्रों के विज्ञापन बिलों का शीघ्र भुगतान करने दृष्टि से बिलों पर कम्प्यूटर की सहायता से क्रम आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

*विवरण***

क्र.सं.	भाषा	राशि (रुपये में)
1	2	3
1.	अंग्रेजी	25814186.25
2.	हिन्दी	29921314.53
3.	उर्दू	3784833.35
4.	पंजाबी	3774298.84
5.	मराठी	2823849.99
6.	गुजराती	1675876.31
7.	सिंधी	94990.43
8.	असमी	709805.59
9.	बंगला	3383265.07
10.	उड़िया	1905072.75
11.	तमिल	1285704.88
12.	तेलुगु	722347.34
13.	मलयालम	2950213.58
14.	कन्नड़	1076196.16
15.	नेपाली	2166.40
16.	संस्कृत	3065.40
17.	मिजो	31606.00
18.	खासी	2763.50
19.	कोंकणी	1077.12
20.	मणिपुरी	861.00
21.	बहु-संस्करण	14273516.62

** 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचारपत्रों को भुगतान किए जाने वाले लंबित बिलों की बकाया राशि दर्शाने वाला भाषावार विवरण।

[अनुवाद]

कृष्णनगर से करीमपुर तक नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

3084. श्री अजय मुखोपाध्याय :
डॉ० असीम बाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर से करीमपुर तक उस क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा की गई मांग पर एक नई रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सर्वेक्षण कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) 10.3.97 को 3.69 लाख रुपये की लागत पर सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।

(ग) आगामी महीनों में।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल गाड़ियों में आरक्षण कोटा

3085. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष स्टेशन से चलने वाली किसी विशेष रेल गाड़ी में आरक्षण कोटा निर्धारित किये जाने का मानदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नागपुर से चलने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नागपुर से चलने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटे का ब्यौरा क्या है तथा यह कब निर्धारित हुआ था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) स्टेशनों पर मांग पैटर्न तथा गाड़ियों में स्थान की कुल उपलब्धता के आधार पर आरक्षण कोटा आवंटित किया जाता है। वर्ष में दो बार कोटे की आवधिक समीक्षा की जाती है जिसके आधार पर उपयोग आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उचित समायोजन किया जाता है। समीक्षा के आधार पर नागपुर स्टेशन पर विभिन्न गाड़ियों में प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से निम्नलिखित अतिरिक्त कोटे आवंटित किए गए हैं :

क्र.सं.	गाड़ी सं.	श्रेणी	कोटा	तारीख
1.	9767 मद्रास-जयपुर एक्सप्रेस	शयनयान	14	4.10.1996
2.	9768 जयपुर-मद्रास एक्सप्रेस	वाता. शयनयान	2	1.10.1996
		शयनयान	22	
3.	8404 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस	वाता. शयनयान	4	3.10.1996
		शयनयान	64	
4.	8403 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस	वाता. शयनयान	2	1.10.1996
		शयनयान	10	
5.	5092 गोरखपुर-बेंगलूरू एक्सप्रेस	शयनयान	8	7.10.1996
6.	2634 चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस	वाता. शयनयान	2	14.12.1996

इसके अतिरिक्त नागपुर आरक्षण कार्यालय कंप्यूटरीकृत है और मुंबई यात्री आरक्षण प्रणाली (या.आ.प्र.) से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, हावड़ा, चैन्नई, दिल्ली तथा सिंकदराबाद यात्री आरक्षण प्रणालियों के टर्मिनलों की भी नागपुर पर व्यवस्था है जिसके जरिए इन यात्री आरक्षण प्रणालियों पर उपलब्ध गाड़ियों की बुकिंग की जा सकती है। इस प्रकार नागपुर स्टेशन पर पर्याप्त आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ङ) नागपुर में उपलब्ध आरक्षण कोटा, जिसे समय-समय पर निर्धारित किया जाता रहा है का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	गाड़ी का नाम और संख्या	श्रेणी	आरक्षण कोटा
1	2	3	4
1.	8403 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		शयनयान	10
2.	8034 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	5
	अहमदाबाद तक	शयनयान	34
	गांधीधाम तक	शयनयान	34
	पोरबंदर तक	शयनयान	44

1	2	3	4
3.	7081 अहिल्यानगरी एक्सप्रेस	प्रथम	2
		शयनयान	35
4.	1006 विदर्भ एक्सप्रेस	वाता. 1	8
		वाता. 2 टियर	38
		वाता. 3 टियर	30
		शयनयान	343
5.	8002 मुंबई मेल	वाता. 1	6
		वाता. 2 टियर	8
		प्रथम	3
		शयनयान	56
6.	1440 सेवाग्राम एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	40
		शयनयान	498
7.	8030 हावड़ा-कुर्ला एक्सप्रेस	शयनयान	38
8.	1030 आजाद हिंद एक्सप्रेस	शयनयान	68
9.	7384 महाराष्ट्र एक्सप्रेस (पुणे तक)	शयनयान	72
	(सोलापुर तक)	शयनयान	32
	(कोल्हापुर तक)	वाता. 2 टियर	25
		शयनयान	200
10.	2430 बेंगलूर राजधानी एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		वाता. 3 टियर	20
11.	5092 गोरखपुर-बेंगलूरू एक्सप्रेस	शयनयान	8
12.	2618 मंगलोर एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	4
		प्रथम	2
		शयनयान	14
13.	6688 नवयुग एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		शयनयान	12
14.	7058 कोचिन एक्सप्रेस (मंगलोर तक)	शयनयान	5
15.	5012 राप्ती सागर एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	4
		शयनयान	16
16.	7058 कोचिन एक्सप्रेस (कोचिन तक)	वाता. 2 टियर	2
		शयनयान	19
17.	7494 कोचिन एक्सप्रेस	शयनयान	12
18.	2860 गीतांजली एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	12
		वाता. 3 टियर	8
		शयनयान	36
19.	2634 चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		वाता. 3 टियर	4
		वाता. कुर्सीयान	2

1	2	3	4
20.	9768 जयपुर-चेन्नई एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		शयनयान	22
21.	2432 त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस (चेन्नई तक)	वाता. 2 टियर	4
		वाता. 3 टियर	4
22.	2616 जी.टी. एक्सप्रेस	वाता. 1	2
		वाता. 2 टियर	4
		वाता. 3 टियर	2
		शयनयान	37
23.	2622 तमिलनाडु एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		वाता. 3 टियर	2
		शयनयान	26
24.	6032 चेन्नई एक्सप्रेस	शयनयान	4
25.	6040 गंगा कावेरी एक्सप्रेस	शयनयान	6
26.	6044 चेन्नई एक्सप्रेस	शयनयान	8
27.	6094 चेन्नई एक्सप्रेस	शयनयान	14
28.	6318 हिमसागर एक्सप्रेस	शयनयान	4
29.	2432 त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस (त्रिवेंद्रम तक)	वाता. 2 टियर	2
		वाता. 3 टियर	4
30.	2626 केरल एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	4
		प्रथम श्रेणी	4
		शयनयान	26
31.	7490 कोचिन एक्सप्रेस (तिरूपति तक)	शयनयान	2
32.	7492 तिरूपति एक्सप्रेस	शयनयान	4
33.	2724 ए.पी. एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	4
		वाता. 3 टियर	4
		शयनयान	66
34.	7022 दक्षिण एक्सप्रेस (हैदराबाद तक)	वाता. 2 टियर	6
		शयनयान	10
35.	7492 तिरूपति एक्सप्रेस (हैदराबाद तक)	शयनयान	2
36.	7022 दक्षिण एक्सप्रेस (विशाखापटनम तक)	वाता. 2 टियर	4
		शयनयान	33
37.	7494 कोचिन एक्सप्रेस (हैदराबाद तक)	शयनयान	2
38.	8226 महानदी एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	8
		शयनयान	70
39.	328 टाटा पैसेंजर	शयनयान	44

1	2	3	4
40.	8029 कुर्ला-हावड़ा एक्सप्रेस (बोकारो तक) (हावड़ा तक)	शयनयान	12
		प्रथम श्रेणी	4
		शयनयान	82
41.	8033 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
42.	2859 गीतांजली एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	16
		शयनयान	98
		वाता. 3 टियर	6
43.	8001 मुंबई-हावड़ा मेल	वाता. 1	3
		वाता. 2 टियर	13
		प्रथम श्रेणी	6
		शयनयान	70
44.	1029 आजाद हिंद एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	6
		शयनयान	76
45.	5011 राप्तीसागर एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		शयनयान	6
46.	5011 राप्ती सागर एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		शयनयान	6
47.	6093 लखनऊ एक्सप्रेस	शयनयान	34
48.	6043 पटना एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		प्रथम श्रेणी	2
		शयनयान	4
49.	6039 गंगा कावेरी एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		प्रथम श्रेणी	2
		शयनयान	4
50.	7489 वाराणसी एक्सप्रेस	शयनयान	12
51.	8225 महानदी एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	4
		शयनयान	40
52.	2407 नागपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	36
		शयनयान	332
53.	2409 बिलासपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	4
		शयनयान	68
54.	2429 बेंगलूर राजधानी एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	3
		वाता. 3 टियर	20
55.	8404 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	4
		शयनयान	64
56.	2633 चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	4
		वाता. 3 टियर	6
		वाता. कुर्सीयान	5

1	2	3	4
57.	8543 समता एक्सप्रेस	शयनयान	14
58.	2431 त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		वाता. 3 टियर	8
59.	2617 मंगला एक्सप्रेस	वाता. 3 टियर	4
		शयनयान	6
60.	2615 जी.टी. एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	4
		शयनयान	50
61.	2621 तमिलनाडु एक्सप्रेस	वाता. 1	1
		वाता. 2 टियर	4
		वाता. 3 टियर	2
		शयनयान	62
62.	2625 केरला एक्सप्रेस	पहला	4
		शयनयान	10
63.	2723 ए.पी. एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
64.	9767 चेन्नई-जयपुर एक्सप्रेस	शयनयान	14
65.	8237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस	शयनयान	20
66.	6317 हिमसागर एक्सप्रेस	शयनयान	10
67.	6031 जम्मू तवी एक्सप्रेस	शयनयान	12
68.	6687 नवयुग एक्सप्रेस	वाता. 2 टियर	2
		प्रथम	2
		शयनयान	8

कश्मीर में खनिज खोज के लिए सर्वेक्षण

3086. श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने खनिजों की प्राप्ति के लिए कश्मीर घाटी में हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल के वर्षों में कश्मीर घाटी में कोई खनिज सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में प्लेटिनम समूह के खनिजों, आधार धातुओं, लिथियम खनिज, टिन तथा टंगस्टन और आयामी पत्थर के लिए खनिज अंवेषण किये हैं।

एयर इंडिया के मुनाफे में वृद्धि

3087. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एयर इंडिया के विकास और लाभ में आई कमी के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके विकास और लाभ के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, हाँ। एयर इंडिया को 1995-96 के दौरान 271.84 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई।

अपनी वित्तीय स्थितियों में सुधार करने के लिए, एयर इंडिया विपणन प्रयासों को बढ़ाने, क्षमता विस्तार करने, गैर-प्रचालन लागतों में कमी करने और अपने उत्पाद, छवि और समयबद्ध कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए कदम उठा रहा है।

[हिन्दी]

कच्चा लोहा संयंत्र

3088. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार में चल रहे कच्चा लोहा संयंत्रों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त राज्यों में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में ऐसे और अधिक संयंत्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में क्रमशः मैसर्स मालविका स्टील लिमिटेड, मैसर्स नागपुर अलाय कास्टिंगस लिमिटेड और मैसर्स उषा मार्टिन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की कच्चा लोहा इकाइयां प्रचालनरत हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नई औद्योगिक नीति के तहत स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों की शर्त पर उद्यमी देश में कहीं भी कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

लोहे के उत्पादन लागत में वृद्धि

3089. श्री नीतीश कुमार :
श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसंम्बर, 1996 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''मिनी स्टील प्लांट्स ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हाल ही की मूल्य वृद्धि के कारण देश में अनेक लघु इस्पात एकक बन्द होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दिसम्बर, 1995 से कोयला, पेट्रोलियम उत्पादों और विद्युत के मूल्य में वृद्धि के कारण लोहा उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) विद्युत चाप भट्टी तथा प्रेरणा भट्टी रूट जिनमें विद्युत की खपत अधिक होती है, के जरिए इस्पात की उत्पादन लागत में विद्युत की लागत एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए कुछ राज्यों द्वारा विद्युत टैरिफ में हाल ही में की गई मूल्य वृद्धि से इन क्षेत्रों का निष्पादन प्रभावित हुआ है।

(घ) दिसम्बर, 1995 से कोयला, पेट्रोलियम उत्पादों, विद्युत तथा रेल भाड़े के मूल्यों में हुई वृद्धि से देश में कच्चे लोहे तथा स्पंज लोहे की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। हालांकि, उत्पादन की लागत पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि यह उत्पाद के प्रकार, प्रौद्योगिकी, स्थान-स्थिति आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है।

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

3090. श्री देवी बक्स सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सबसे बड़े राज्यों, बिहार और उत्तर प्रदेश में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग और पूर्ति के बीच कितना अन्तर है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इन राज्यों में नये टेलिफोन कनेक्शनों की मांग बढ़ रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार और उत्तर प्रदेश में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मांग और आपूर्ति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य	मांग (निम्नलिखित तिथियों को)			आपूर्ति (सीधी एक्सचेंज लाइनें निम्नलिखित तिथियों को)		
	31.3.94	31.3.95	31.3.96	31.3.94	31.3.95	31.3.96
बिहार	238792	268541	322912	203248	247316	280431
उत्तर प्रदेश	667799	765420	928475	542303	658593	809929

(ख) जी, हाँ, विभाग ने वर्ष 1996-97 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए है :

बिहार - 47000, उत्तर प्रदेश - 155000

इसके अतिरिक्त, 31.3.1997 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को 1997-98 के दौरान प्रगामी रूप से कनैक्शन देने का प्रस्ताव है।

(ग) सरकार द्वारा सभी दूरसंचार सर्किलों को टेलीफोन लाइनें प्रदान करने के लिए आवश्यक उपस्कर और निधियां आबंटित कर दी गई हैं तथा उपस्कर कार्य-स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आशा है कि वर्ष 1996-97 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 1997-98 के लिए आवश्यक उपस्कर और सामग्रियां प्रदान करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(घ) जी, हाँ। बिहार में मांग वृद्धि दर 1994-95 में 12.46 प्रतिशत थी, जो तीन वर्षों के दौरान (94-95) औसतन 16.32 प्रतिशत तक बढ़ गई है। तथा उत्तर प्रदेश में इसी अवधि के दौरान यह दर 14.62 प्रतिशत से 18.77 प्रतिशत तक बढ़ी है।

(ङ) मांग पर टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने के उद्देश्य को 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक सरकार के प्रयासों में निजी क्षेत्र के सहयोग से प्राप्त कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

फरक्का एक्सप्रैस

3091. श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रात्रि में पटना से चलने वाली फरक्का एक्सप्रेस धांधली के कारण बदनाम होती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चल टिकट निरीक्षक और अन्य रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) पिछले 6 महीनों के दौरान फरक्का एक्सप्रैस गाड़ी में लूटपाट/डकैती के 4 मामलों की रिपोर्ट की गई है कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण मामलों पर राजकीय रेल पुलिस/बिहार के पास दर्ज कराया गया है। टी.टी./कंडक्टर/गाड़ी परिचरों द्वारा किए गए कदाचार/अनियमितताओं से संबंधित पूर्व रेल पर विभिन्न मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों के टी.टी./कडक्टरों के विरुद्ध 29 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए तथा परस्पर विरोधी जांच के परिणामस्वरूप अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत 24 सदस्यों को दंडित किया जा चुका है। इसके अलावा, ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए सतर्कता, सुरक्षा तथा वाणिज्य विभागों द्वारा संयुक्त रूप से नियमित तथा विशेष जांच की जाती है। पूर्व रेलवे पर 157 ऐसी जांचें की गई हैं तथा अप्रैल, 96 से जनवरी, 97 की अवधि के दौरान कर्मचारियों के 48 सदस्यों को दोषी पाया गया है।

बशीर हाट टेलीफोन एक्सचेंज का नवीकरण

3092. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना उत्तरी जिला स्थित मौजूदा बशीर हाट टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन प्रयोक्ताओं को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए उसका नवीकरण करने और उसमें परिवर्तन करने के संबंध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की है;

(ख) क्या सरकार ने इस एक्सचेंज को सामान्य कॉल दरों पर कलकत्ता टेलीफोन्स से जोड़ने के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कौन से उपराचात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) बशीर हॉट स्थिति 700 लाइनों वाले स्ट्रोजर मैक्स-II एक्सचेंज को दिनांक 13.3.96 को 1400 लाइनों वाले सी-डॉट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से पहले ही बदला जा चुका है और यह संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। बशीर हाट और कलकत्ता दो अलग-अलग कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं और विभागीय नीति के अनुसार बशीर हाट से कलकत्ता को की गई कॉलों का प्रभारण दोनों स्थानों के बीच की दूरी के लिए लागू सामान्य एस.टी.डी. दरों पर किया जाता है।

चरखी दादरी में विमानों की टक्कर संबंधी प्रतिवेदन

3093. डॉ० वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 नवम्बर, 1996 को हरियाणा में चरखी दादरी में विमानों की टक्कर की औपचारिक जांच हेतु सरकार द्वारा गठित जांच न्यायालय ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जांच न्यायालय की अवधि को 15 मई, 1997 तक बढ़ा दिया गया है। इस समय उस तारीख के बारे में बताना संभव नहीं है जिस तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

मेवात को रेल से जोड़ना

3094. चौधरी रामचंद्र बैंदा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने मेवात को रेल से जोड़ने के संबंध में आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मेवात को रेल से कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में तैनाती

3095. श्री पी. नामग्याल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को जम्मू और कश्मीर के लद्दाख डिवीजन और देश के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में मात्र एक वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से तैनात किया जाता है;

(ख) क्या नए भर्ती किए गए कर्मचारी, जिन्हें कोई अनुभव नहीं होता, को इन खाली पदों को भरने और अत्याधुनिक उपकरणों को चलाने के लिए तैनात किया जा रहा है जिससे महंगी मशीनें क्षतिग्रस्त होती हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त स्थानों पर की जाने वाली एक वर्ष की तैनाती की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। नियुक्ति बिल्कुल भर्ती नियमों के अनुसार ही की जाती है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन और देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित विभिन्न केन्द्रों में उपलब्ध रिक्तियों पर अपेक्षित योग्यता/अनुभव वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। दुर्गम केन्द्रों पर वर्तमान कार्यकाल को उपयुक्त समझा गया है।

हसन हेतु आई.एस.डी. योजना

3096. श्री के.एस. रायुडू :
श्री अनंत कुमार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 97 के "द इंडियन एक्सप्रैस" में "पी.एम.ओ. पुशेज रूपीज 10 करोर आई. एस.डी. प्लान फार हसन" के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हसन जिला, कर्नाटक में 20 यू.एच.एफ. सेट स्थापित किये जा रहे हैं;

(घ) कर्नाटक में किन-किन जिलों में और कितने जिलों में यू.एच.एफ. सेट हैं;

(ङ) क्या अन्य जिलों के निमिन्त यू.एच.एफ. सेटों को हसन भेज दिया गया है;

(च) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या हसन जिले में कार्य में तेजी लाने हेतु राज्य के अन्य जिलों में "एस.डी.ईज" तैनात किये गये हैं;

(ज) क्या हसन में "मार" (एम.ए.आर.आर.) प्रणाली अधिष्ठापित की जा रही है; और

(झ) यदि हाँ, तो कर्नाटक में किन-किन/कितने जिलों में "मार" (एम.ए.आर.आर.) प्रणाली कार्य कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) ऑप्टिकल फाइबर केबल, यू.एच.एफ. और उपग्रह प्रणालियों का संयुक्त रूप से प्रयोग करके विश्वसनीय माध्यम पर एस.टी.डी. प्रदान करने की योजना है। ऑप्टिकल फाइबर केबल

पर 13 स्टेशनों को तथा रेडियो प्रणाली पर 4 स्टेशनों को कवर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 2 स्थानों पर उपग्रह संचार उपस्कर प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) कर्नाटक राज्य के सभी जिलों के लिए 182 यू.एच.एफ. सेटों की योजना बनाई गई है। इनमें से 11 सेट हसन जिले में होंगे। हसन में प्राथमिकता आधार पर, 4 सेटों को शुरू करने की कार्रवाई चल रही है।

(घ) कर्नाटक के 18 जिलों में कुल 199 यू.एच.एफ. सेट काम कर रहे हैं। जिलावार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण-I

कर्नाटक में कार्यरत यू.एच.एफ. सेटों का ब्यौरा

1.	बंगलौर	16
2.	बेलगाम	12
3.	बेल्लारी	2
4.	बिदार	3
5.	बीजापुर	12
6.	चिकमंगलूर	7
7.	द. कन्नड	18
8.	दावणगेरे	5.
9.	गुलबर्गा	12
10.	हसन	12
11.	हुबली	19
12.	करवर	18
13.	कोलार	8
14.	मादिकेरी	7
15.	मंड्या	9
16.	मैसूर	10
17.	रायचूर	4
18.	शिमोगा	13
19.	तुमकुर	12
	जोड़	199

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(छ) संस्थापना कार्य आमतौर पर विशेषज्ञता प्राप्त यूनिटों द्वारा किया जाता है, जो उच्च तकनीकी सुविज्ञता वाले ऐसे कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम हैं। ऐसी यूनिटें कुल मिलाकर पूरे राज्य के लिए काम करती हैं और आवश्यकताओं के आधार पर इन्हें पूरे राज्य में क्रमिक रूप से भेजा जाता है। हसन जिले में भी इसी प्रकार की यूनिटें काम कर रही हैं।

(ज) जी, हाँ।

(झ) जिलावार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-II

कर्नाटक में कार्यरत एम.ए.आर.आर. सैटों का ब्यौरा

1.	बंगलौर	23
2.	मैसूर	22
3.	धारवाड़	28
4.	बेलगाम	19
5.	द. कन्नड	4
6.	कोडागू	-
7.	बीजापुर	27
8.	रायूर	36
9.	बेल्लारी	23
10.	बिदार	14
11.	उ0 कन्नड़	36
12.	गुलबर्गा	31
13.	शिमोगा	26
14.	मंड्या	14
15.	तुमकुर	19
16.	चिकमंगलूर	17
17.	दावणगेरे	13
18.	हसन	18
19.	कोलार	22
	जोड़	392

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बिना डाकघर वाले गांव

3097. श्री शिवराज सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार गुजरात और मध्य प्रदेश में जिलावार बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त राज्यों में डाक सुविधा संपन्न गांवों की जिला-वार, श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(ग) भविष्य में स्थापित किए जाने वाले डाकघरों का जिलावार, श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) गुजरात और मध्य प्रदेश में, 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार, बिना डाकघर वाले गांवों की जिलावार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) उपर्युक्त राज्यों के जिन गांवों में डाक सुविधाएं मौजूद हैं, उनकी जिलावार और श्रेणीवार संख्या विवरण-II में दी गई है।

(ग) डाकघर वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि औचित्य पर आधारित मानदण्ड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण-I

31.12.96 की स्थिति के अनुसार गुजरात में बिना डाकघर वाले गांवों की जिला-वार संख्या

क्रम.सं.	जिले का नाम	31.12.96 की स्थिति के अनुसार बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	244
2.	गांधीनगर	14
3.	महेसाणा	846
4.	बनासकांठा	931
5.	साबरकांठा	565
6.	भरूच	587
7.	डांग	253
8.	खेड़ा	590
9.	पंचमहल	1373
10.	सूरत	642
11.	बड़ोदरा	1037
12.	बलसाड	293
13.	अमरौली	279
14.	भावनगर	440
15.	जामनगर	365
16.	जूनागढ	577
17.	कच्छ भुज	394
18.	राजकोट	362
19.	सुरेन्द्रनगर	339

31.12.96 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में बिना डाकघर वाले गांवों की जिलावार संख्या

क्रम.सं.	जिले का नाम	31.12.96 की स्थिति के अनुसार बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	1060
2.	बस्तर	3117
3.	बेतूल	1122
4.	भिण्ड	643
5.	भोपाल	451
6.	बिलासपुर	2905
7.	छतरपुर	874
8.	छिंदवाड़ा	1653
9.	दामोह	1034
10.	दातिया	316
11.	देवास	905
12.	धार	1294
13.	दुर्ग	1526

1	2	3
14.	गुना	1881
15.	ग्वालियर	577
16.	होशंगाबाद	1203
17.	इंदौर	517
18.	जबलपुर	1952
19.	झबुआ	1559
20.	खाण्डवा	862
21.	खरगौन	1607
22.	मांडला	1902
23.	मंदसौर	1296
24.	मुरैना	1054
25.	नरसिंहपुर	870
26.	पन्ना	795
27.	रायगढ़	1789
28.	रायपुर	3314
29.	रायसेन	1236
30.	रायगढ़ (बायो)	1522
31.	राजनंदगांव	2074
32.	रतलाम	897
33.	रीवा	2041
34.	सागर	1688
35.	सतना	1519
36.	सिहोर	865
37.	सिवनी	1402
38.	शहडोल	1718
39.	शाहजापुर	909
40.	शिवपुरी	1119
41.	सिद्धि	1641
42.	सुरगुजा (अंबिकापुर)	2150
43.	टीकमगढ़	696
44.	उज्जैन	931
45.	विदिश	1374

विवरण–II

गुजरात राज्य में जिन गांवों में डाक सुविधा मौजूद है उनकी जिलावार एवं श्रेणीवार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	डाकघर वाले गांवों की श्रेणीवार संख्या			
		विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	20	3	399	422
2.	अमरौली	19	3	283	305
3.	बनासकांठा	24	1	411	436
4.	भरूच	45	4	429	478
5.	भावनगर	22	–	404	426
6.	डांग	5	–	51	56
7.	गांधीनगर	13	1	50	64
8.	जामनगर	18	–	324	342
9.	जूनागढ़	29	1	442	472
10.	खेड़ा	82	8	478	568
11.	कच्छ भुज	34	2	435	471
12.	महेसाणाा	37	9	500	546
13.	पंचमहल	22	4	488	514
14.	राजकोट	30	1	415	446
15.	सबरकांठा	38	1	511	550
16.	सूरत	37	1	518	556

1	2	3	4	5	6
17.	सुरेन्द्रनगर	16	–	293	309
18.	बड़ोदरा	36	7	566	609
19.	बलसाड़	56	1	473	530
	कुल	583	47	7470	8100

मध्य प्रदेश राज्य में जिन गांवों में डाक सुविधा मौजूद है, उनकी जिलावार एवं श्रेणीवार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	डाकघर वाले गांवों की श्रेणीवार संख्या			
		विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	भोपाल	3	–	58	61
2.	छतरपुर	7	1	196	204
3.	पन्ना	4	1	139	144
4.	टीकामगढ़	5	–	161	166
5.	सागर	9	1	190	200
6.	दामोह	10	1	141	152
7.	होंशगाबाद	9	4	208	221
8.	नरसिंहपुर	10	–	162	172
9.	विदिशा	6	2	140	148
10.	रायसेन	9	3	183	195
11.	गुना	8	1	166	175
12.	शिवपुरी	11	5	201	217
13.	ग्वालियर	2	–	132	134
14.	दातिया	3	–	90	93
15.	सेहोर	8	–	131	139
16.	रायगढ़ (बायो)	6	3	144	153
17.	इंदौर	7	2	108	117
18.	देवास	4	–	149	153
19.	धर	15	11	173	199
20.	खाण्डवा(ई.एन.)	15	2	187	204
21.	खरगौन	15	10	260	285
22.	मंदसौर	17	4	267	288
23.	मुरैना	6	1	235	242
24.	भिण्ड	5	1	228	234
25.	रतलाम	9	4	144	157
26.	झाबुआ	5	–	150	155
27.	उज्जैन	11	–	149	150
28.	शाहजापुर	7	1	153	161
29.	रायपुर	20	–	523	543
30.	जबलपुर	5	1	289	295
31.	बिलासपुर	24	–	572	596
32.	शहडोल	–	–	261	261
33.	सिद्धि	1	–	176	177
34.	रायगढ़	19	–	386	405
35.	सरगुजा	24	–	237	261
36.	छिंदवाड़ा	4	1	234	239
37.	बेतूल	12	–	195	207
38.	रीवा	14	–	293	307
39.	सरना	8	–	256	264
40.	बालाघाट	15	–	192	207
41.	मांडला	6	–	199	205
42.	शिवनी	9	–	174	183
43.	बस्तर	30	–	518	548
44.	दुर्ग	6	–	263	269
45.	राजनंदगांव	3	–	198	201

[अनुवाद]

देश में हवाई पत्तनों की क्षमता

3098. श्री भक्त चरण दास : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्र-वार मौजूदा हवाई पत्तनों की क्षमता कितनी है;

(ख) देश में कौन-कौन से हवाई पत्तन अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन विमान पत्तनों के उचित उपयोग के लिए शुरू की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 87 अर्न्देशीय हवाई अड्डे तथा 28 सिविल एन्कलेव हैं। कतिपय क्षेत्रीय समूहीकरण प्रशासनिक सुविधा के लिए ही किए गए हैं। क्षेत्रवार हवाई अड्डा क्षमता संबंधी कोई सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) हवाई अड्डे का उपयोग विभिन्न कारकों पर आधारित है, जैसे धावनपथ की लम्बाई, टर्मिनल भवन की क्षमता, दिक्चालनात्मक सुविधाएं, यातायात संभाव्यता आदि। अतः मानदंडों के रूप में क्षमता उपयोग पर आधारित हवाई अड्डों का वर्गीकरण करना बहुत मुश्किल है। तथापि, सामान्यतया, 5 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुछ प्रमुख अन्तर्देशीय हवाई अड्डों और सिविल इन्कलेवों का ही इष्टतम रूप से प्रयोग होता है।

(ग) यह एयरलाइन्स प्रचालकों को ही निणर्य लेना होता है कि वे अपने वाणिज्यिक विवेक के अध्यधीन किसी भी हवाई अड्डे के लिए अपनी सेवाएं प्रचालित करें।

[हिन्दी]

विदेश यात्राएं

3099. श्री मदेन्द्र सिंह भाटी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उनके मंत्रालय से संबंधित शिष्टमंडल कितनी बार विदेश गए हैं;

(ख) उपरोक्त शिष्टमंडलों द्वारा किन-किन देशों की यात्राएं की गईं;

(ग) इन शिष्टमंडलों की विदेश यात्राओं का उद्देश्य क्या था; और

(घ) इन शिष्टमंडलों द्वारा की गई विदेश यात्राओं से कितना लाभ प्राप्त हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) शिष्टमंडल संबंधी वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष		शिष्टमंडलों की संख्या
1994	-	7
1995	-	10
1996	-	9

(ख) शिष्टमंडलों ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंण्ड, रूस, स्विटजरलैंड, यू.के., यू.एस.ए., साउथ कोरिया, बेल्जियम, नेपाल, यूक्रेन, हांगकांग, इटली, रोमानिया की यात्रा की।

(ग) शिष्टमंडलों द्वारा की गई इन यात्राओं का प्रमुख उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, संयुक्त आयोग की बैठकों में भाग लेना, निर्यात हेतु नए बाजार खोजना और उनका विकास करना और तकनीकी सेमिनारों में भाग लेना था।

(घ) ऐसी यात्राओं से हुए लाभ का निर्धारण तुरन्त नहीं हो सकता।

देश में इस्पात संयंत्र

3100. श्री राजकेशर सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कार्यरत छोटे इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन संयंत्रों द्वारा वर्षवार कितना उत्पादन किया गया;

(ग) इन संयंत्रों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) एकीकृत इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त इस्पात का उत्पादन विद्युत चाप भट्टी वाले अपेक्षाकृत कम क्षमता वाले इस्तात संयंत्रों और अधिकांशतः लघु उद्योग क्षेत्र में कार्यरत देश भर में फैली अनेक प्ररेणा भट्टी इकाइयों द्वारा भी किया जाता है। दिसंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार देश में 79.7 लाख टन क्षमता वाली 95 विद्युत चाप भट्टी इकाइयों के कार्य करने की सूचना दी गई है। इन इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युत चाप भट्टी आधारित इस्पात संयंत्रों का उत्पादन निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्पादन
1994-95	30.7 लाख टन
1995-96	32.1 लाख टन

(ग) इस क्षेत्र का निष्पादन अनेक कारणों जैसे विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता, विद्युत, इस्पात गलन स्क्रैप जैसे आदानों की लागत में वृद्धि और अनार्थिक उत्पादन क्षमता, अप्रचलित प्रोद्योगिकी, श्रम, वित्तीय और प्रबंधकीय समस्याओं आदि से प्रभावित हुआ है।

(घ) चूंकि इनमें से अधिकांश इकाइयां निजी क्षेत्र में हैं। अतः बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में आधुनिक और लागत प्रतिस्पर्धात्मक होने के लिए उन्हीं के द्वारा प्रयास किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों को रियायती दरों पर विद्युत की निरन्तर आपूर्ति करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	कार्य कर रही इकाइयों की संख्या	क्षमता (टन में)
1.	**उत्तरी क्षेत्र**		
	दिल्ली	–	–
	हरियाणा	5	3,32,500
	हिमाचल प्रदेश	3	1,50,000
	जम्मू व कश्मीर	2	36,000
	पंजाब	8	3,66,500
	राजस्थान	2	1,22,000
	उत्तर प्रदेश	10	2,94,000
	चंडीगढ़	1	40,000
2.	**पूर्वी क्षेत्र**		
	आसाम	–	–
	बिहार	4	2,48,000
	उड़ीसा	2	53,000
	पश्चिम बंगाल	13	3,65,000
3.	**पश्चिमी क्षेत्र**		
	गोवा	1	1,50,000
	गुजरात	3	20,66,000
	मध्य प्रदेश	9	9,67,000
	महाराष्ट्र	14	18,30,000
4.	**दक्षिणी क्षेत्र**		
	आंध्र प्रदेश	3	1,27,000
	कर्नाटक	8	3,88,000
	केरल	1	50,000
	पांडिचेरी	1	29,000
	तमिलनाडु	5	3,58,000
	योग	95	79,72,500
	अर्थात् 79.72 लाख टन		

ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

3101. श्री रामशकल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने दूरभाष केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक टेलीफोन बूथों से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी विकास ''खंडों'' में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो कब तक;

(घ) क्या सरकार को सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के माध्यम से अधिष्ठापित दूरसंचार प्रणाली में डिविजनल अभियंताओं द्वारा बरते जा रहे भ्रष्टाचार की जानकारी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में लगभग 18,000 ग्रामीण एक्सचेंज हैं और उनमें से अधिकांश एक्सचेंजों से ग्रामीण पी.सी.ओ. जुड़े हुए हैं।

(ख) और (ग) सभी विकास खंडों में एक्सचेंज स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विभाग की नीति के अनुसार किसी भी स्थान पर एक्सचेंज स्थापित करने की योजना तब बनाई जाती है जब वहां भुगतानशुदा पंजीकृत मांग 10 अथवा उससे अधिक तक पहुंच गई हो।

(घ) और (ङ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जब भी ऐसे मामलों की रिपोर्ट की जाती है, विभाग उन पर उपयुक्त कार्रवाई करता है।

रेल दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों को मुआवजा

3102. श्री जतित उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं में असामयिक मौत के शिकार लोगों के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि भिन्न-भिन्न होती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन असामयिक मौतों के लिए दी जाने वाली मुआवजे की राशि में एकरूपता लाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाना

3103. डा० बलिराम : क्या संचार मंत्री 12 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5401 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति तक और सेवाविस्तार के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन ने जांच को अपने पक्ष में कराने के लिए प्रभाव डालने की कोशिश की है;

(ङ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन और पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, जो दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए थे, को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त कराने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके द्वारा की गई सभी अनियमितताओं को निदेशक (वित्त) द्वारा नियमित कराया जा सके;

(च) क्या सरकार का विचार विदेश संचार निगम लिमिटेड के चैयरमैन और पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के संबंध उनकी सांठ-गांठ की केन्द्रीय जांच-ब्यूरो से जांच कराने का आदेश देने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेवा कार्यकाल का विस्तार नियमानुसार किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) निदेशक (वित्त) का चयन पब्लिक एंटरप्राइसेज सलैक्शन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

(च) और (छ) इस समय सी.बी.आई. द्वारा जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सरकार को ऐसी जांच का आदेश देने का कोई कारण नहीं मिला है।

पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन का विकास

3104. डॉ० अरुण कुमार शर्मा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) निषेध क्षेत्र परमिट लगाने के पश्चात पूर्वोत्तर राज्यों के विदेशी पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) निषेध क्षेत्र परमिट लगाने के वर्ष से प्रत्येक वर्ष दौरे पर आए पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित धनराशि सहित आई.टी.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या कितनी है और अन्य राज्यों के लिए तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे नए प्रस्ताव क्या हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन विभाग द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या कितनी है और तत्संबंधी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (च) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए, पर्यटन के विकास का प्रोत्साहन देने के लिए पर्यटन विभाग ने एक कार्यबल गठित किया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में पर्यटन विकास के कार्यकलापों को मानीटर करने के लिए उत्तर-पूर्व पर एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है। पिछले तीन वर्षों दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्न है :

वर्ष	राशि (रु० लाखों में)	परियोजना
1993-94	421.66	38
1994-95	300.90	23
1995-96	414.89	34

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्यों में प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट अभी भी चालू हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों की संख्या और कुल पर्यटक आगमन निम्न प्रकार से है:

	1993	1994	1995
विदेशी पर्यटक आगमन	1115	1795	2097
कुल पर्यटक आगमन	520922	591542	579053

भारत पर्यटन विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तरपूर्वी क्षेत्र में कोई नई परियोजना प्रारंभ नहीं की है।

1996-97 के लिए उत्तर पूर्वी-क्षेत्र हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से 777.33 लाख रुपयों की राशि के नए प्रस्तावों की पहचान की गई है।

अपराह्न 12.0½ बजे

दिल्ली से राजकोट और अहमदाबाद हेतु विमान सेवा के बारे में 5 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं0 1942 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

दिल्ली से राजकोट और अहमदाबाद हेतु विमान सेवा के संबंध में 5 दिसम्बर, 1996 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 1942 के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में यह कहा गया है था कि :

"एनईपीसी एयरलाइन्स, मुम्बई के रास्ते दिल्ली-राजकोट सैक्टर पर एक दैनिक उड़ान प्रचालित कर रही है। दिल्ली को अहमदाबाद के लिए इंडियन एयरलाइन्स की दो दैनिक उड़ानों से और दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच जेट एयरवेज द्वारा एक दैनिक उड़ान से व इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जयपुर के रास्ते सप्ताह में तीन बार की उड़ानों से विमान सेवा से जोड़ा गया है।"

2. आगे संवीक्षा करने पर यह पाया गया था कि इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अहमदाबाद और जयपुर के बीच प्रचालित सप्ताह में तीन बार की उड़ानों का विमान सेवा संपर्क दिल्ली से नहीं है।

3. चूक के लिए खेद है।

4. ठीक उत्तर इस प्रकार है :

"एनईपीसी एयरलाइन्स, मुम्बई के रास्ते दिल्ली-राजकोट सैक्टर पर एक दैनिक उड़ान प्रचालित कर रही है। दिल्ली को अहमदाबाद के लिए इंडियन एयरलाइन्स की दो दैनिक उड़ानों से और दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच जेट एयरवेज द्वारा एक दैनिक उड़ान से जोड़ा गया है।"

5. चूंकि उत्तर में भूलवश हुई इस विसंगति का पता हाल ही में चला, उत्तर को पहले ठीक नहीं किया जा सका।

उत्तर को ठीक करने में हुए विलम्ब के लिए खेद है।

दिल्ली से राजकोट और अहमदाबाद हेतु विमान सेवा के बारे में 5 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1942 के उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

उपर्युक्त प्रश्न के विषय में दिया गया, उत्तर शाब्दिक रूप से उपयुक्त नहीं था और गलती का पता केवल 11 दिसम्बर, 1996 को ही लगा। इसलिए, भूल-सुधार संबंधी विवरण-पत्र को शीतकालीन-सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाना संभव नहीं हो पाया था।

भूल-सुधार संबंधी विवरण-पत्र अब संसद के चालू सत्र में सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

मध्याह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम, मुम्बई के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : कम्पनी अधिनिमय, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी -

(1) राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1549/97]

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन एप्लाइड न्यूट्रीशन एण्ड केटरिंग टैक्नोलोजी, दिल्ली, मुम्बई, मद्रास, गोवा, कलकत्ता, बंगलौर, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (क) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1550/97]

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1551/97]

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1552/97]

(चार) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गोवा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1553/97]

(पांच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1554/97]

(छह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1555/97]

(सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, लखनऊ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1556/97]

(आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1557/97]

(नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, अहमदाबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1558/97]

(दस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1559/97]

(ग्यारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, जयपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1560/97]

(बारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, भोपाल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1561/97]

(तेरह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, ग्वालियर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1562/97]

(चौदह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1563/97]

(पन्द्रह) डा० अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1564/97]

(सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गुरदासपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1565/97]

(सत्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, श्रीनगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1566/97]

(अठारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी

एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1567/97]

(उन्नीस) पांडिचेरी इंस्टिट्यूट ऑफ होसपिटैलिटी क्राफ्ट्स, पांडिचेरी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1568/97]

(बीस) नेशनल काउंसिल फार होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1569/97]

(ख) इंस्टीट्यूटस ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, गोवा, कलकत्ता, बंगलौर, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर, भोपाल, ग्वालियर, तिरूवनन्तपुरम, चण्डीगढ़, गुरुदासपुर, श्रीनगर, गोहाटी फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट, पांडिचेरी और नेशनल कांउसिल फार होटल मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1570/97]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

(i) "राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों का नियम 127 के उपबंधों के अध्यधीन मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 12 मार्च, 1997 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 4 मार्च, 1997 को पारित विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक, 1997 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.03 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ए.जी.एस. रामबाबू (मदुरै) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.3½ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

चालीसवां, इकतालीसवां और बयालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : मै विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः (एक) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विशेष बल देते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, (दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और (तीन) अंतरिक्ष विभाग के कार्यक्रमों और कार्यकरण के मध्यावधि मूल्यांकन के बारे में चालीसवें, इकतालीसवें और बयालीसवें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03¼ बजे

लैम्बी दूरी के हवाई जहाज के बारे में 21 नवम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : लम्बी दूरी के हवाई जहाज के बारे में लोक सभा के 21 नवम्बर, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर में यह कहा गया कि :

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) एयरबस इन्डस्ट्री द्वारा विनिर्मित ए-340-300 बोईंग, एयरप्लेन कम्पनी द्वारा विनिर्मित बी-777 तथा मैकडोनैल डॉग्लस कारपोरेशन द्वारा विनिर्मित एम.डी.-11 विमान विचाराधीन हैं। प्रस्ताव इस समय एयर इंडिया के बोर्ड की एक उप-समिति के विचाराधीन है। किसी समय-सीमा जिसके भीतर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है, का उल्लेख करना संभव नहीं है।

बाद में, जांच करने पर यह पाया गया कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में अनजाने में गलती हो गई। 'नहीं, महोदय, ठीक उत्तर की जगह 'जी, हाँ।' गलती से टाईप किया गया है। इस गलती के लिए हमें खेद है।

प्रश्न के भाग (क) का उत्तर निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाना चाहिए :

(क) नहीं, महोदय।

उत्तर की शुद्धि में हुए विलम्ब के लिए खेद है।

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि यह सभा 12 मार्च, 1997 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 12 मार्च, 1997 को सभा में प्रस्तुत ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन की सहमति के लिए रखी है, उस पर मुझे बहुत गहरी आपत्ति है। अगर आप स्वयं देखें तो आईटम नम्बर 7 से लेकर आइटम नम्बर 10 तक उत्तर प्रदेश से संबंधित कार्यों का जिक्र किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का बजट भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की डिमांड फार ग्रांटस भी शामिल हैं। सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वाला स्टैचुटरी रेजोल्यूशन भी शामिल है। मुझे समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश में 425 उम्मीदवारों को वहां के लोगों ने चुनकर भेजा है। पहले तो वहां सरकार नहीं बनाई गयी। अब उत्तर प्रदेश के हर काम के लिए वहां का प्रशासन संसद के सामने उत्तरदायी है और जब संसद के सामने चर्चा की बात आती है तो बी.ए.सी. की रिपोर्ट में आकर कह दिया जाता है कि बिना चर्चा के पारित किया जाए, चारों चीजें सामने हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रांट्स, उत्तर प्रदेश की सप्लीमेंटरी डिमांड्स फार ग्रांट्स यहां तक कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के लिए रेजोल्यूशन। इस सदन में बिना चर्चा के पारित किया जाए, यह कहने की हिम्मत संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हिम्मत की बात नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : जब हम यहां आकर उत्तर प्रदेश का कोई मसला उठाते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जब बजट आएगा तो चर्चा कर लेना.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, ऐसा जान पड़ता है कि उस दल के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं के बीच संपर्क नहीं है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बेरहामपुर-पश्चिम बंगाल) : महोदय, कार्यवाही से 'हिम्मत' शब्द को निकाल दिया जाना चाहिए। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह कोई संसदीय अभिव्यक्ति नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दें। यह एक संवैधानिक प्रश्न है। कार्यवाही वृतान्त से यह शब्द निकाल दिया जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें क्या असंसदीय है? राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव आएगा तब कर लेना 'नो वॉडीज बिजनेस'। वहां बोलने नहीं देंगे। यहां चर्चा नहीं करने देंगे, वहां सरकार नहीं बनाएंगे, आखिर उत्तर प्रदेश जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, यह नो बॉडीज बिजनेस बनकर रह जाएगा। अगर संसद में चर्चा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उत्तर प्रदेश किसके सहारे चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशें भी एप्रूव होती हैं और जो सिफारिशें हैं, अगर कोई यह रिकमंड करेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बिना चर्चा के पास हो जाएगा.....*(व्यवधान)* क्या यह किसी का बिजनेस नहीं है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपके निदेश के पहले मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं निदेश नहीं दे सकता। मैं कैसे निदेश दे सकता हूँ? इसे सभा द्वारा इसकी स्वीकृति दी जानी चाहिए।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, मैंने यह लिखित में दिया है और मैं उसमें और कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने भारत के संविधान के अंतर्गत आपत्तियां उठायी हैं। अनुच्छेद 365 में उल्लेख है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)***

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम संकल्प के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

श्रीमती स्वराज, कार्य मंत्रणा समिति में व्यापक चर्चा के उपरांत यह निर्णय किया गया है। यह प्रस्ताव सरकार का नहीं है। अतः आप यह नहीं कह सकती कि कार्य मंत्रणा समिति यह सिफारिश कैसे कर सकती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : बी.ए.सी. केवल सिफारिशें लाती है, एप्रूव करना हाउस का काम होता है। अगर बी.ए.सी. यह रिकमेंडेशन देगी कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बिना चर्चा के बढ़ा दी जाए तो हम कैसे एतराज नहीं करेंगे?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह कार्यसूची में शामिल है और संसद में हमें यू.पी. बजट पर चर्चा करनी है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, मैंने संविधान के अंतर्गत आपत्ति उठायी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बातें सुनेंगे? श्री लोढा, वह आपत्ति इस समय नहीं उठायी जा सकती है। आपने इसे नहीं समझा है। आपके द्वारा दी गई सूचना को मैंने समझा है। आपकी आपत्ति उठाने का यह सही वक्त नहीं है। कृपया बैठ जायें। आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रह चुके हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह 'न्यायिक अतिवाद' है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते हैं तो आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नही है कि किसी सदस्य को बोलने की अनुमति ही न दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा, आपकी सूचना माननीय गृह मंत्री के उस संकल्प का विरोध करने के बारे में है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने की बात कही है। क्या ऐसा नहीं है? क्या वह मुद्दा चर्चा के लिए आया है? आप उस संकल्प का विरोध कर रहे हैं जिसे उठाया ही नहीं गया है। आपको यह समझना चाहिए।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : वह यह नहीं समझते.. .....*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा प्रश्न यह है क्या कार्य मंत्रणा समिति की उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कोई माननीय सदस्य उपस्थित थे या नहीं। कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मति से तैयार की गई है।.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ऐसा जान पड़ता है कि उस दल के प्रथम क्रम और दूसरे क्रम के लोगों के बीच सम्पर्क का अभाव है.....*(व्यवधान)* और एक-दूसरे के बीच भी सम्पर्क का अभाव है। यदि उन्हें समझने के लिए और ज्यादा वक्त चाहिए तो उन्हें लेने दें.....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) के नेता जो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं, ने हमारे ऊपर कुछ लांछन लगाये हैं। हम वहां मौजूद थे और हमारे दल के सदस्यों के बीच उचित तालमेल बना हुआ था। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : सामान्यतः कार्य मंत्रणा समिति में जो कुछ भी हुआ, उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता.....*(व्यवधान)* समिति के समक्ष जब यह मुद्दा आया तब हमने कहा था कि हम इससे सहमत नहीं हैं। अतः एक वरिष्ठ सदस्य ऐसा कुछ नहीं कह सकता। यह हमारे साथ अन्याय है। कार्य को सुचारू रूप से चालने के लिए हम अपनी उपस्थिति से कार्य मंत्रणा समिति की सहायता कर रहे हैं ..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट करता हूँ?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें व्यवहारिक होना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए। हमें कई विधेयक पारित करने है। दस अध्यादेश भी पारित करने हैं। रेल बजट और लेखानुदान भी पारित करने हैं। सभा के समक्ष अनेक कार्य हैं।

जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है तो हमें उत्तर प्रदेश का बजट, लेखानुदान, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाये जाने तथा नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पर चर्चा करनी है। अगर हम उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रत्येक मुद्दे पर यूं ही बहस करते रहेंगे तो सदन के बाकी कार्यों के लिए समय कहां रहेगा?

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते?

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं भी आंशिक रूप से उत्तरदायी हूं। मैंने इस पर जोर दिया था कि इस पर नियम 184 के अतंर्गत चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि पूरा राष्ट्र ऐसा ही चाहता है। अतः नियम 184 के अंतर्गत एक उचित और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए जिससे हम सभी लाभांवित हों। अतः, अनेक मुद्दों के संबंध में उत्तर प्रदेश पर बार-बार चर्चा की मांग करने के स्थान पर हमें उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य कार्यों का निपटान करना चाहिए और नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति में इसी बात पर सहमति हुई थी। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री ने इसे पेश करके ठीक कार्य किया है। उन्होंने ठीक कार्य किया है।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 12 मार्च, 1997 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

जो इसके पक्ष में हैं 'हाँ' बोलेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : 'हाँ'।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके पक्ष में नहीं हैं 'नहीं' कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं' ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, हम विभाजन चाहते हैं। आप चर्चा के बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं। .....*(व्यवधान)*

डॉ० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : महोदय, हम विभाजन चाहते हैं .....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, हम विभाजन चाहते हैं .....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, यह ठीक नहीं है .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : आप ऐसे नहीं कर सकते। इसमें सदन की राय विभाजन के आधार पर तय होनी चाहिए। .....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम विभाजन चाहते हैं। ....*(व्यवधान)*

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष जी, यह सदन के अधिकारों पर आघात है।.....*(व्यवधान)* यह सदस्यों के अधिकारों पर आघात है।.....*(व्यवधान)* यह हमारा अधिकार है कि हम बी.ए.सी. की रिपोर्ट पर विभाजन चाहते हैं।..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया परंपरा को न तोड़ें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

.....*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : इस सभा की यह पुरानी परंपरा रही है कि कार्य मंत्रणा समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है और कतिपय मामलों में यह अध्यक्ष महोदय को कुछ कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

यदि अब 'विभाजन' की अनुमति दी जाती है तो भविष्य में हमारी पार्टी कार्य मंत्रणा समिति की किसी बैठक में शामिल नहीं होगी ...*(व्यवधान)* हर बार ऐसा ही किया जाता है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा.....*(व्यवधान)* यह क्या है ?....*(व्यवधान)*

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : यह बिल्कुल ही असंवैधानिक है। .....*(व्यवधान)* बिना चर्चा के हर चीज कैसे पारित की जा सकती है ?.....*(व्यवधान)* यह कैसे संभव है ?...*(व्यवधान)* महोदय, कार्य मंत्रणा समिति को संविधान के अंतर्गत कार्य करना होता है ....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, परंपरा के अतिरिक्त, आपने अध्यक्षपीठ के रूप में कुछ टिप्पणियां की हैं जो कार्य मंत्रणा समिति की चर्चा से संबंधित हैं अतः जहां तक आपका संबंध है .....*(व्यवधान)* मैं यह आदरपूर्वक जानना चाहता हूं....*(व्यवधान)*। क्या भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र आपके वक्तव्य को चुनौती दे रहे हैं ? ....*(व्यवधान)* क्या वे आपकी टिप्पणियों को चुनौती दे रहे हैं। .....*(व्यवधान)* यदि अध्यक्षपीठ को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है तो आप लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं ? .....*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या विपक्ष के नेता आपकी टिप्पणी को चुनौती दे रहे हैं .....*(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहता हूं ....(व्यवधान) उन्हें यह कहने दें ....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18½ बजे

इस समय कर्नल सोनाराम चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि ....*(व्यवधान)*

डॉ० गिरिजा व्यास (उदयपुर) : आज हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ....*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बोलिए, मैं बैठ जाता हूँ। ....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.19 बजे

इस समय कर्नल सोना राम चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सदन में यह स्थिति पैदा हो गई है। मुझे तो स्मरण नहीं है, मैं इस सदन में काफी वर्षों से हूँ कि कभी बी.ए.सी. की रिपोर्ट को लेकर इतना गहरा मतभेद हो जाए कि जिसे पाटा न जा सके। हमारे मित्रों से मेरी चर्चा हुई थी और उन्होंने जो मुझे जानकारी दी है, उसके अनुसार वहां इस बात पर आपत्ति की गई थी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने के सवाल पर बिना चर्चा के फैसला नहीं हो सकता। और उस स्थिति पर हम आज भी कायम हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं स्वीकार किया है। गुमान मल लोढा ने आपको जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जब गृह मंत्री अपना प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उस प्रस्ताव पर वह संवैधानिक आपत्ति खड़ी करेंगे। चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश का मामला बहुत उलझा हुआ मामला है और उस पर संसद में विचार होना चाहिए। ....*(व्यवधान)* आप चुप रहिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं किसी को नहीं टोकता और अगर आप टोका-टाकी करेंगे तो फिर बहस नहीं होगी। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुद्दे को जटिल क्यों बना रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये राजस्थान में भी गड़बड़ कर रहे हैं और यहां भी उपद्रव मचा रहे हैं। .....*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना से सहमत हूँ। आप 184 के लिए अधिक समय देना चाहते हैं, इसका तो हम स्वागत करते हैं। 184 तो आपने ही स्वीकार किया है, अन्यथा उधर बैठे हुए इसको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन उस पर चर्चा हो, यह जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति राज का प्रस्ताव बढ़ाने का जो कानूनी रूप से उलझा हुआ मामला है, उस पर बिना चर्चा के स्वीकृति दे दी जाए। हम सदन के सदस्य के नाते अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहते हैं और हम आशा करते थे कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ऐसा फैसला नहीं करेगी। आपका कहना सही है कि वहां कनसैन्सस होगा।

[अनुवाद]

सर्वसम्मति में सबकी सहमति नहीं है।

[हिन्दी]

और अगर इतने बड़े सदन का एक भाग यह अनुभव करता है तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन री-इंपोज किया जा रहा है या उसका एक्सटेन्शन हो रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट एक फैसला दे चुकी है। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत होगी। हम तो अटॉर्नी जनरल को सदन में बुलाकर उनकी राय लेने का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं और आप कहते हैं कि बिना चर्चा के इसको पास कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी यदि मैं हस्तक्षेप करते हुए बोलूं तो मैंने शुरू में जस्टिस लोढा से कहा था कि मुझे उनकी सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने एक मूलभूत संवैधानिक प्रश्न का मुद्दा उठाया है और मैं उनको अपनी बात कहने की अनुमति दूंगा। यह स्वाभाविक है कि यदि उन्हें मैं एक बार इसकी अनुमति देता तो अन्य सदस्य भी इसके आधार पर बोलना चाहेंगे। जहां तक राष्ट्रपति शासन के बढ़ाये जाने या लागू करने की संवैधानिकता का संबंध है तो मैं इससे पहले ही सहमत हूँ। मैंने कहा है कि मैं इसकी अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो फिर यह कहने का क्या मतलब है कि बिना चर्चा के इसे पास कर दीजिए? चर्चा तो होगी। मेरा निवेदन है कि एक आइटम उसमें से निकाल लिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बाद की बात है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मुझे श्री लोढा की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने एक संवैधानिक प्रश्न उठाया है और मैंने कहा है कि मैं इसकी अनुमति दूंगा। संवैधानिक मुद्दा उठाने वाले किसी भी संसद सदस्य की मांग को मैं नकार नहीं सकता।

....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा कभी नहीं कहा गया और आपने भी कभी नहीं कहा है कि किसी संवैधानिक मुद्दे को उठाने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना है। वहां जो कुछ भी हुआ था उस पर अब हम चर्चा करेंगे। कृपया टेप चलवाया जाए।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : ठीक है, टेप चलवाया जाए। मुझे आश्चर्य है कि इतने वरिष्ठ सदस्य, जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं .....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने यही कहा था कि श्री जसवन्त सिंह बार-बार यही मांग कर रहे हैं कि इस पर पहले नियम 184 के अंतर्गत चर्चा की जाए। .....*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह : यह हर समय मांग करने का प्रश्न नहीं है।.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे विश्वास है कि वह मुझसे सहमत होंगे। उन्होने कहा था कि सर्वप्रथम चर्चा नियम 184 के अंतर्गत होनी चाहिए। उनकी यह निरन्तर मांग कर रही है कि नियम 184 के अंतर्गत सर्वप्रथम चर्चा की जानी चाहिए। .....*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह : मैंने कार्य मंत्रणा समिति में संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठाया था .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के पश्चात् जब मैं घर जा रहा था, तब प्रेस वाले मेरा इंतजार कर रहे थे और वे मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे थे। और मैंने कहा था कि वह प्रश्न क्यों उठाया गया।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही सूची में दर्ज मदों पर विचार आरंभ किए जाने से पूर्व मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमें पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने के प्रश्न के बारे में निर्णय करना होगा। हमें यह निर्णय करना होगा कि क्या यह एक संविधान संशोधन है अथवा यह एक साधारण संकल्प मात्र है ? आपने अपने कर्मचारियों को इस बारे में निर्देश दिया था। मंत्री महोदय को इस संबंध में सूचना तक नहीं थी। उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए अभी मंत्रीमंडल की बैठक होनी है। मुझे मजबूरन यह सब कार्य मंत्रणा समिति के संबंध में कहना पड़ रहा है। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह मामला अब निपट चुका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जी हाँ, मैं मानता हूँ कि श्री जसवंत सिंह ने कहा था कि .....*(व्यवधान)* प्रारंभ में उन्होंने ऐसा कहा था। वह इस बात पर आग्रह कर रहे थे कि पहले नियम 184 के अधीन चर्चा कराई जाए। मेरे विचार में आपको यह याद होगा। बाद में यह कहा गया था कि नियम 184 के अधीन चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री चन्द्रशेखर को सुनते हैं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : मेरे विचार में विपक्ष के नेता ने अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किए हैं और यह उचित भी है।

आपके द्वारा यह स्वीकार करने पर कि आपने जस्टिस लोढा को उनकी आपत्तियां उठाए जाने के लिए कहा है, आपने यह भी मान लिया है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में कुछ चर्चा होगी।

अब मुद्दा यह है कि इस संबंध में समय कैसे निकाला जाए। अध्यक्ष महोदय, आप समय निकाले जाने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। सभा देर तक बैठ सकती है। एक बार आप इसके बारे में सिद्धान्त रूप में मान लेते हैं कि इसकी संवैधानिकता के संबंध में चर्चा होगी अथवा अन्यथा निर्णय लेते हैं, तो मेरे विचार में इस समस्या का हल हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बात ठीक है।

श्री चन्द्रशेखर : यह रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है चूंकि यह निर्णय अध्यक्ष महोदय ने दिया है। अतः हमें इसके तकनीकी पहलुओं में नहीं जाना चाहिए।

कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदनों पर सभा में चर्चा नहीं होती। हम तकनीकी पहलुओं को नहीं देख रहे। इनके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अन्यथा, यह सभा नहीं चल पाएगी। यहां तो सभी के सहयोग और सद्भाव से कार्य होता है। विपक्ष के नेता ने कुछ कहा है।

अध्यक्ष महोदय, अपने अपनी टिप्पणी दे दी है अतः मामला यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहिए। मैं इस पर चर्चा की अनुमति दे रहा हूँ। यही मैंने कहा है।

श्री राम नाईक : क्या सरकार इस संबंध में कुछ कहना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस संबंध में निर्णय लिया है। उन्हें ऐसा करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ भी कहिए, समिति का प्रतिवेदन सही है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप विरोध क्यों कर रहे हैं ?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"प्रश्न यह है कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 12 मार्च, 1997 को सभा में प्रस्तुत ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : ऐसा नहीं होगा *.....(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उत्तर प्रदेश के हितों को किसी भी कीमत पर हम बलिदान नहीं होने देंगे, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के हितों को कुचलने पर तुली हुई है। आप उत्तर प्रदेश पर चर्चा करायें, वहां लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। *...(व्यवधान)*

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से अति लोक महत्व का विषय उठाना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को जो उ.प्र. सरकार द्वारा घोषित मूल्य है 72 रुपये प्रति क्विंटल तथा 76 रुपये प्रति क्विंटल है, वह नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सरकार के घोषित मूल्य के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से निर्णय ले आई हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का सलाहकार मूल्य (एडवाइजरी प्राइस) मिल मालिक देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस समस्या के निदान हेतु उ.प्र. के महामहिम राज्यपाल ने एक गन्ना अध्यादेश केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए भेजा है इस अध्यादेश के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना मूल्य निर्धारण का वैधानिक अधिकार मिल जायेगा।

इसके बाद चीनी मिलें 72 रुपये तथा 76 रुपये के दाम देने के लिए बाध्य हो जायेंगी। अभी 25 फरवरी, 97 को मेरे प्रश्न संख्या 42 तारांकित के पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय खाद्य मंत्री श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने लोक सभा में आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के अंदर किसान हित में इस उत्तर प्रदेश के अध्यादेश को अनुमति दे देंगे। आज 16 दिन हो गये हैं। यह मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि लोक सभा में खाद्य मंत्री जी द्वारा दिए आश्वासन के संबंध में उत्तर प्रदेश के गन्ना अध्यादेश को अविलम्ब अनुमति दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : अध्यक्ष जी, आप सरकार को इस संबंध में निर्देश देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा। कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप शांत रहेंगे तो आपको बोलने का अवसर मिलेगा लेकिन, अगर आप शोर करेंगे, तो आपको मौका नहीं मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री एस.पी. उदयप्पन (रामनाथ पुरम) : महोदय, हाल के कुछ महीनों में रामेश्वरम के मछुआरे श्रीलंका की नौसेना से परेशान हैं। लगभग चार महीने पूर्व उन्होंने 41 मछुआरों, छः मशीनयुक्त नौकाओं और दो छोटी नौकाओं को पकड़ लिया। यह सभी पंबन के हैं। भारत सरकार ने मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर मोहर लगाते हुए इस दिशा में कार्रवाई की तथा श्रीलंका की सरकार ने अभी हाल ही में 21 मछुआरों को रिहा किया।

माननीय विदेश मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने भी मछुआरों की शीघ्र रिहाई के संबंध में मुझे पत्र लिखा था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। शेष 20 मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाए तथा जिन मछुआरों की आठ नौकाएं हैं वह उन्हें वापिस लौटा दी जाएं। इस संकट से मछुआरों को उबारने के लिए 'कच्चा थीवू समझौते' के अनुच्छेद 5 और 6 को लागू किया जाए।

मैं, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा श्रीलंका सरकार से शेष 20 मछुआरों की शीघ्र रिहाई के प्रयास त्वरित करने को कहें।

[हिन्दी]

डॉ० गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्थान में बी.जे.पी. सरकार जो अंसवैधानिक फैसले कर रही है, उसके संबंध में दिलाना चाहती हूँ। हम लोग आज विशेष कष्ट के कारण आपके सामने उपस्थित हुए हैं। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, मैडम शान्त रहें।

....(व्यवधान)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

डॉ० गिरिजा व्यास : ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य विधान सभा से संबंधित मामला है। आप राज्य विधान सभा का मामला यहां कैसे उठा रहे हैं?

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राज्य विधान सभा के मामले यहां न उठाएं। गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करें। इसकी अनुमति नहीं है।

डॉ० गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप यहां पर राज्य विधान सभा के मामले नहीं उठा सकते।

अपराह्न 12.34 बजे

तत्पश्चात् डॉ० गिरिजा व्यास ने सदन से बहिर्गमन किया।

[हिन्दी]

श्री सोहन वीर (मुजफ्फरनगर) : अध्यक्ष महोदय, इस देश में गंगा का विशेष स्थान है लेकिन गंगा यमुना के दोआब में गंगा नहर का विशेष स्थान है। सैकड़ों वर्षों से वह किसानों की सेवा कर रही है। वहां पर गन्ने का बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। पहली बार 15 अप्रैल से 15 मई तक इस नहर को रोका जा रहा है। इससे गंगा यमुना के बीच की खेती भयंकर रूप से सफर करेगी और पानी न मिलने की वजह से त्राहि-त्राहि मच जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में 15 अप्रैल से 15 मई के बीच इसे रोका नहीं जाना चाहिए। उक्त अवधि में यह आज तक कभी भी नहीं रोकी गयी है। हमेशा बरसात में ही रुकती है। जो भी काम किया जाये, वह बरसात में ही किया जाये। 15 अप्रैल से 15 मई तक इसे रोका नहीं जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि उत्तर-प्रदेश शासन को यह आदेश दिया जाना चाहिए कि इस टाइम पर नहर को रोका नहीं जाये और किसान अपनी सिंचाई बराबर करते रहें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 1989 में बिहार में भागलपुर में जो देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ था, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। उस वक्त बिहार सरकार के द्वारा दंगे से पीड़ित लोगों को अनुदान राशि दी गई थी। उस दंगे में मुसलमान और हिंदू दोनों ही पीड़ित हुए थे। लेकिन अब बिहार सरकार वह अनुदान राशि ऋण समेत वापस ले रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सब्जेक्ट है, आप यहां कैसे बोल रहे हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : वह राशि जो नहीं दे रहा उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश की हालत यह है, आप पता कर लें.....*(व्यवधान)* जहां तक जान-माल का सवाल है, उसकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। बिहार में पांच हजार मदरसों के शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हैं। मैं पांइट्स बनाकर लाया हूँ, आप कहें तो सब्मिट कर देता हूँ। बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि उर्दू कॉलेज, मदरसों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, जिस तरह से हिन्दी के स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं वैसे ही इन शिक्षकों को उसकी अनुपात में वेतन देंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पांच हजार लोग मर रहे हैं। 51 मुसलमानों को वहां के शासन ने दंगों में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद कर दिया है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, अन्यथा वहां मामला गम्भीर हो सकता है। मैं सरकारी प्रोटेक्शन चाहता हूँ। यह सामाजिक न्याय की सरकार भागलपुर के दंगा पीड़ितों को जेलों में बद कर रही है। क्या यही इनका सामाजिक न्याय है और क्या यही सामाजिक न्याय की सरकार है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सरकार की जानकारी में लाऊंगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। कृपया अब इस बारे में अधिक मत कहिए। मैंने आपको एक अवसर दिया है।

..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सरकार की जानकारी में लाऊंगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : धन्यवाद महोदय।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन और समस्त राष्ट्र का ध्यान एक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ जो मेरे विचार से काफी गंभीर है। दिनांक 12 मार्च को *बिजनेस स्टेंडर्ड* नामक समाचारपत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार को एक संगठन ने जो कि सरकारी संगठन नहीं है और जो किसी भी देश की साख के संबंध में आपनी राय देता है लगभग 46 प्रश्न भारत सरकार

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

से पूछे हैं। यह सभी प्रश्न विनिवेश निजीकरण, बीमा और राज सहायता दिए जाने के संबंध में पूछे हैं इसके अलावा अन्य जो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें पूछा गया है।

समाचार इस प्रकार से है ''टफ मूडीज पोजर्स टू डिसाइड इंडियाज रेटिंग्स''। इससे पूर्व 'वर्ल्ड बैंक' और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूछ रहे थे और अब 'मूडी' की बारी है। यह बड़ा समाचार नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं इसे पढ़ दूंगा। इसकी भाषा इस प्रकार की है कि कोई भी भारतीय शर्म महसूस करे। मुझे नहीं पता कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। मेरी जानकारी के अनुसार सरकार इन समस्त प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास कर रही है। इस संबंध में तैयारियां चल रही हैं। इस सभा को यह सब नहीं पता चलेगा। इस देश की जनता को भी यह नहीं पता चलेगा। इस राष्ट्र के लिए 'साख' प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए 'मूडी' नामक संस्था को नीतिगत मामलों का खुलासा कर दिया जाएगा। यह एक प्राइवेट संस्था है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यहां पढ़ना चाहूंगा।

> ''अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख निर्धारण करने वाली संस्था 'मूडी' की निवेशक सेवा द्वारा सरकार से विभिन्न विषयों पर कुछेक मुश्किल सवाल पूछे गए हैं जिनमें तेल पूल के घाटे के केन्द्र के खर्च में मिलाए जाने, सरकारी क्षेत्र के खर्च में गैर-लचीलापन तथा सरकार की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेशन (शेयर बेचे जाना) के निर्धारित कार्यक्रम के पूरा किए जाने में असफल होने जैसे सवाल शामिल हैं।
>
> इन प्रश्नों के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर 'मूडी' भारत को 'साख' प्रमाणपत्र दिए जाने के संबंध में की जाने वाली निगरानी के संबंध में निर्णय लेगा। बजट के केवल एक सप्ताह बाद इस संस्था ने हमारे देश में पैसा लगाने के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखा था। यह रिपोर्ट बजट प्रस्तुत होने से पहले तैयार की गई थी। इस संस्था की प्रमुख जोखिम एकक ने मार्च के तीसरे सप्ताह में अपने दौरे के दौरान वित्त मंत्रालय से 46 मुद्दों को विचार-विमर्श के लिए चुना है।
>
> 'मूडी' यह भी चाहता है कि पूंजी की परिवर्तनीयता, बीमा, पेंशन और भविष्य निधि क्षेत्र को खोले जाने के संबंध में एक समय सीमा निर्धारित की जाए। सरकारी मूल्य निर्धारण को समाप्त करने एवं राजसहायता में कमी लाने जैसे दीर्घावधि नीतिगत मामलों की पुनरीक्षा भी यह चाहता है।
>
> इससे द्वारा पूछे गए प्रश्न सात शीर्षों में विभाजित किए गए हैं : वित्तीय नीति, नियंत्रण समाप्त करना, औद्योगिक नीति, देशीय ऋण प्रबंध, विदेशी खाते, वित्तीय और विनियम दरों की नीति और मूल्य एवं विदेशी वाणिज्यिक ऋण।
>
> सरकार से यह भी कहा गया है कि वह उनके कारणों का पता लगाए जिनके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के खर्च में लचीलापन नहीं आ सकता है तथा वित्तीय असमानताओं को दूर करने में आने वाली राजनीतिक और आर्थिक बाधाएं कौन सी हैं।
>
> 'मूडी' ने यह पता लगाने की कोशिश भी की है कि क्या इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राजनीतिक वातारण में बदलाव आया है।
>
> तेल पूल खाते के संबंध में 'मूडी' ने यह जानने की कोशिश की है कि किस प्रकार इसका खर्च केन्द्र सरकार के खर्च में मिलाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि तेल पूल के घाटे को वित्तीय घाटे का भाग नहीं माना जाता। विनिवेशन के मामले में 'मूडी' ने यह पूछा है कि किस कारण से निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया।
>
> 'मूडी' ने केन्द्र से यह भी पूछा है कि राज्य और स्थानीय खर्च को नियंत्रित करने के लिए इसके पास क्या साधन हैं तथा इसने यह भी जानना चाहा है कि राज्यों द्वारा भुगतान नहीं करने तथा क्रमशः आगे चले आ रहे भुगतान की अदायगी के लिए यह क्या करती है।
>
> आधारभूत सुविधाओं के लिए 'मूडी' ने एक ऐसी दीर्घकालिक नीति के संबंध में जानकारी मांगी है जिससे कि निजी निवेश को प्रोत्साहन मिले तथा इसने इन परियोजनाओं के बारे में सरकार द्वारा गारंटी दिए जाने हेतु इसकी राय जाननी चाही है।
>
> घरेलू ऋण प्रबंध पर 'मूडी' ने सरकार को आड़े हाथों लिया। क्या वर्तमान सरकार ने विशाल सरकारी ऋण को बोझ को समझा है। इसने इस ऋण के व्यवस्थित करने के उपायों के बारे में जानकारी मांगी हैं। सरकार से उन वित्तीय उपायों की जानकारी पूछी गई है जिन्हें 1997-98 में घरेलू मांग प्रबंध में उपयोग किया जाएगा।
>
> विदेशों से होने वाले लेन-देन के संबंध में 'मूडी' ने यह पूछा है कि राजस्व सुधारों के मद्देनजर शुल्क में कितनी अतिरिक्त रियायत दी जा सकती है। यह एक महत्त्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि शुल्क में कमी करने से सरकार की आय में कमी आएगी जिसे राजस्व सुधारों से पूरा करना होगा।''

अध्यक्ष महोदय, यह समाचार छपा है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : अध्यक्ष महोदय, हम सब यहां मौजूद हैं। माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं, हम उसके बारे में प्रधानमंत्री को सूचित कर देंगे।

श्री चन्द्रशेखर : अगर वे मौजूद भी हैं, तो भी मुझे उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं साफ बोलने वाला हूं। उन पर इसके लिए इतना अधिक दबाव है। केवल यही समाचार नहीं है। इसी पृष्ठ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी एक अन्य रबर है। अध्यक्ष महोदय, हम कहां जा रहे है ? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई इसका उत्तर दे चूंकि वित्त मंत्री यहां आएंगे और अपनी मीठी भाषा में वक्तव्य दे कर सबको संतुष्ट कर देंगे। इतने चतुर वित्त मंत्री हमें पहले कभी नहीं मिले।

श्री सोमनाथ चटर्जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। मुझे अपने मित्रों से ऐसी आशा है, जो कुछ नीतियों के प्रति वचनबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, यह केवल आर्थिक नीति का प्रश्न नहीं है। यह इस देश की गरिमा, सम्मान और प्रभुसत्ता की बात है। जो दाव पर लगी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह मार्च के तीसरे सप्ताह में इन समस्त मुद्दों को इस सभा के समक्ष लाए बिना ही, इनका प्रत्युत्तर देगी ? अध्यक्ष महोदय, यह महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे हैं और इसीलिए मैंने केवल इस संबंध में आपको सूचना भेजी थी चूंकि शून्यकाल में बोलने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन, मेरे विचार से यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आप अपने पद का उपयोग करते हुए इस विषय को देखें ताकि यह सरकार इस राष्ट्र के सम्मान और गरिमा को बचाने की बात समझ सके ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस साख निर्धारण के लिए कहा था ? अगर नहीं कहा, तो मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पर यह प्रश्नावली बनाई गई है। सरकार इस बात को स्पष्ट करे।

श्री चन्द्रशेखर : यही मैंने कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : निश्चित रूप से, अपनी गरिमा के साथ समझौता करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : सरकार को यह बताना चाहिए। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया, बिहार) : सरकार को जवाब देना चाहिए। देश की सार्वभौमिकता से कोई समझौता नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, जो मामला उठाया है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है और देश के स्वाभिमान से संबंध रखता है। कोई प्राइवेट एजेंसी घर में बैठकर रेटिंग करती रहे, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है वे उसके लिए स्वतन्त्र हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछे हैं और जिस तेवर में पूछे हैं, मानो उनके सवालों और उनकी रेटिंग पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। यह उन्होंने धारणा पैदा करने की कोशिश की है। सरकार को मूडी कंपनी को कह देना चाहिए कि हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। हमारा देश स्वतन्त्र है। खुला देश है। आपको जो नतीजा निकालना हो, निकलो। लेकिन इस तरह से सवाल पूछना हम पसन्द नहीं करते हैं। यह साफ तौर पर कहा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, केवल एक बात कहना चाहूंगा। मेरे विचार से इतना पर्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इतना पर्याप्त है। मुझे विपक्ष के नेता को कहना होगा कि कुछ किया जाए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने स्वयं 'मूडी' से संपर्क किया था।

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न, मेरे विचार से, श्री सोमनाथ चटर्जी ने किया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं। इसी से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों से हम किस स्तर की चापलूसी में फंसते जा रहे हैं। अतः पहले सरकार को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए और इसके अलावा उन्हें इस बात की पुष्टि भी करनी चाहिए कि क्या उन्हें इस प्रकार की प्रश्नावली भेजी गई है। चूंकि यह सब तो समाचारपत्र में प्रकाशित खबरें हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। श्री सोमनाथ चटर्जी भी कह चुके हैं। अब श्री संतोष मोहन देव बोलेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, अपनी ओर से हम भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा अन्य नेताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंता से सहमत हैं। देश की प्रतिष्ठा, प्रभुसत्ता और गरिमा को लेकर किसी के भी साथ, प्राइवेट कंपनी अथवा अन्य देश-समझौता नहीं करना चाहिए। यह हमारी नीति है। जो कुछ भी यहां कहा गया है उसे सुनने के बाद अगर ऐसी कोई बात है भी, मेरे विचार से सरकार इस सभा को इस मामले से अवगत कराएगी तथा ऐसा सभा की सहमति से ही किया जाना चाहिए। इससे कम से हम संतुष्ट नहीं होंगे।

प्रो० पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, कम से कम सरकार को तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता यह कह चुके हैं। आप इसे क्यों दोहरा रहे हैं।

प्रो० पी.जे. कुरियन : इसका कोई जवाब नहीं आ रहा।

अपराह्न 12.48 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ० भोई।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आप अगले मुद्दे पर जाएं, इससे पूर्व मैं केवल एक वाक्य बोलना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अगले मुद्दे पर जा चुके हैं। वह मुद्दा समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : इसीलिए, एक मुद्दा दूसरे से मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ० भोई, आप इनके बाद बोल सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं केवल एक वाक्य में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। यह कहा गया है कि भारत सरकार को उस प्राइवेट कंपनी को यह बताना चाहिए कि वह उसकी प्रश्नावली का उत्तर नहीं देगी। मेरे विचार से उनको उत्तर देने के स्थान पर सरकार को उस प्रश्नावली की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए और इसे फाइल में डाल देना चाहिए। उस कंपनी ने जो हमारी सरकार को जो प्रश्नावली भेजी है, जिसमें इतने सारे सवाल पूछे गए हैं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाए, उसका जवाब नहीं दिया जाए यही राष्ट्र के सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए उचित होगा.....*(व्यवधान)*

प्रो० पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं श्री बनातवाला के विचारों का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए ....*(व्यवधान)*

डॉ० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, हमारे देश का 'रूड' खतरे में है। अर्थात उड़ीसा का सर्वाधिक खजिन भंडार क्षेत्र, जहां लौह अयस्क, मैंगनीज़ बाक्साइट के खनन के लिए क्योंझर के बारबिल और बरजमडा क्षेत्र तथा इसके आस-पास के जिलों में खनन कार्य किए जा रहे हैं, खतरे में है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात यह कार्य रुक गया है। पर्यावरण के मापदंडों का पालन नहीं किए जाने के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में यह कार्य रोक दिए गए हैं। इस कारण हजारों मजदूरों को इन खानों में कोई रोजगार नहीं मिल रहा।

अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह उच्चतम न्यायालय से पुनः यह अनुरोध करे कि वह इस मामले में छः महीने से एक वर्ष की अवधि का स्थगन आदेश जारी करे ताकि निजी और सरकारी दोनों प्रकार के खान मालिक पर्यावरण संबंधी मानदंडों को इस अवधि में पूरा कर सकें तथा हजारों मजदूरों को रोजगार मिल सके तथा वे अपनी आजीविका कमा सकें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही समय में इतने आदमी बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा। सुकदेव पासवान के साथ दो नाम और जुड़े हैं - श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा और श्री अशोक कुमार प्रधान।

...(व्यवधान)

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डॉ० भीमराव अंबेडकर जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर भारत सरकार ने 26, अलीपुर रोड पर डॉ० अंबेडकर स्मृति निर्माण का निर्णय लिया था जहां वे निवास करते थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसको प्रतिष्ठित किया गया है और सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि इसके लिए जमीन के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कोष की व्यवस्था कर दी गई है। डॉ० अंबेडकर फाउंडेशन जमीन अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त कोष की मांग करती रही है। इस पर दो बार लोक सभा में प्रश्न पूछे गए। ऐश्योरेन्स समिति में आठ बार यह मामला आया है। जमीन अधिग्रहण के लिए योजना आयोग द्वारा 1995-96 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। कल्याण मंत्री ने दिल्ली प्रशासन को इस बारे में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कराई है। अतः वह समाप्त हो गया। पुनः इस वर्ष के बजट में जमीन अधिग्रहण के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अगर 31 मार्च, 1997 तक 10 करोड़ की व्यवस्था नहीं की गई तो कोष पुनः समाप्त हो जाएगा। माननीय कल्याण मंत्री के माध्यम से तत्काल कोष की निवासी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए जिससे डॉ० भीमराव अंबेडकर स्मृति 26, अलीपुर रोड दिल्ली में अविलंब कार्य प्रारम्भ कराया जा सके। जब पूर्व में कोष में व्यवस्था कर दी गई थी तो अभी तक यह कार्य क्यों पूरा नहीं किया गया है ? मैं सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि 31 मार्च तक कोष रिलीज करके निश्चितरूप से कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं भी उस बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 1995-96 में आठ करोड़ रुपया इसके लिए आबंटित किया गया। उसके बाद 10 करोड़ रुपया दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि कई नेताओं के मरने पर सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में करोड़ों रुपये खर्च करके उनके स्मारक बना दिये जाते हैं और फॉग लाइट लगाकर काम हो जाता है। पर बाबासाहेब के लिए जिनके सिद्धान्तों पर यह सदन और देश चल रहा है, ऐसे महान आदमी का स्मारक आज तक नहीं बना। यह बहुत दुख की बात है। दिल्ली सरकार बराबर मांग करती रही है कि हमें ऐक्वीजीशन के लिए नोटिस देना है और केन्द्र सरकार से पैसा दिया जाए। केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। दो बार इसको लैप्स कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूँ कि सरकार इसमें समयबद्ध सीमा का कोई प्रावधान रखे, जिससे कि

यह स्मारक एक निर्धारित समय में तैयार हो जाए, क्योंकि वह गरीबों के मसीहा थे और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और नेताओं के तो बड़ी-बड़ी लाइटें लगाकर स्मारक बन गये। यह गरीबों की सरकार है, उनके तो ऐसे-ऐसे नेता हैं जो दलित नेता हैं, जो अपने आपको दलितों को हितैषी कहते हैं और वे चुपचाप बैठे हैं, वे जनता में जाकर असत्य बोलते हैं और लोगों को बहकाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह काम एक समय-सीमा में हो जाए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पूर्व वक्ता श्री अशोक प्रधान और माननीय श्री रामविलास पासवान जी ने जो वक्तव्य दिये, मैं अपने आपको उनसे सहमत करते हुए सिर्फ इतना की कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने पिछले बजट के दौरान आठ करोड़ रुपये का प्रावधान बाबा साहेब अम्बडेकर का राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए किया था, लेकिन केन्द्र सरकार में बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा यह पैसा पिछली बार लैप्स कर दिया गया। इस वर्ष पुनः 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरी मांग है कि वह दस करोड़ रुपया तुरंत दिल्ली सरकार को दिया जाए ....*(व्यवधान)*

श्री मनोज कुमार सिन्हा (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : सारे ही महत्वपूर्ण हैं, एक-एक करके सबको बुलाऊंगा।

श्री मनोज कुमार सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, हिंदू विश्वविद्यालय एक महीने से बंद है। वहां के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (केसरगोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान लेटेक्स देश का सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम है। इसका योगदान सराहनीय है। जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां देखी जा सकती हैं।

यह कंपनी 1966 में आरंभ हुई थी। इस समय इसमें 2000 कर्मचारी कार्यरत हैं। गर्भ निरोधकों के उत्पादन में इसका स्थान सर्वोपरि है। हिन्दुस्तान लेटेक्स मुख्यतः अपने उत्पाद सरकार को न्यूनतम 3 पैसे प्रति उत्पाद के हिसाब से सप्लाई करता है। इससे सरकार को गर्भ निरोधक उपायों का प्रचार करने में काफी मदद मिलती है यद्यपि हमारे देश में जन्म दर में अभी कमी नहीं आई है।

अभी हाल ही में भारत सरकार ने 13.64 करोड़ रु० मूल्य के इसके 74 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करने की दिशा में बात की है। इससे निश्चय ही हमारा प्रसिद्ध हिन्दुस्तान लेटेक्स लालची निजी पूंजी लगाने वालों के हाथों में चला जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निजी पूंजी तो लाभ कमाने के लिए ही लगाई जाती है। इससे राष्ट्रीय जन्म नियंत्रण कार्य प्रभावित होगा। पिछले पांच वर्षों में हमारे देश में सरकारी उपक्रमों के शेयर बेचे जाने के दुष्परिणाम देखे हैं तथा अभूतपूर्व भ्रष्टाचार को झेला है। अतः हमारे देश की समस्त देशभक्त जनता इन शेयरों के बेचे जाने का विरोध करती है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था और अभीष्ट राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति को हानि पहुँचेगी।

इन परिस्थितियों में मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह हिन्दुस्तान लेटेक्स शेयरों के विनिवेश के प्रस्ताव पर पुनः विचार करें।

[हिन्दी]

श्री सुन्दरलाल पटवा (छिंदवाडा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा के एक सांसद अपने जीवन को दांव पर लगाकर मध य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जतारा स्थान पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। कल जतारा में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज और गोलीचार्ज हुआ, जिसमें एक विद्यार्थी की मौत हो गई, चार विद्यार्थी सख्त घायल हैं और चार सामान्य घायल हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या एक सांसद के जीवन को बचाने की इस सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं और यदि है तो इस गंभीर घटना पर सरकार का क्या विचार है। उपाध्यक्ष महोदय, मामला केवल एक परीक्षा केन्द्र के स्थानान्तरण का है।

अपराह्न 1.00 बजे

- उस पर पुलिस ने गोलीचार्ज की। एक विद्यार्थी मारा गया। चार लापता हैं और चार गंभीर रूप से घायल हैं वे अस्पताल में भरती हैं। क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है या नहीं ? क्या केन्द्र सरकार इस बात पर उत्तर प्रदेश सरकार से कोई जानकारी लेकर इस सदन में बयान देने के लिए जिम्मेदार है ? मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि सांसद की जीवन रक्षा की चिन्ता करते हुए आप सरकार को निर्देशित करें कि वे इस पर अपना बयान दें।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : मेरा नाम भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका नाम है। मैं एक-एक करके बुलाऊंगा। एक ही समय पर एक ही बोलेगा।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इसी विषय पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, पहले आप बोल लीजिए।

डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भी इसी विषय पर है तो आप बाद में बोलियेगा। पहले उनको बोलने दीजिए।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो घटना घटी है, वह बहुत गंभीर है। एक दिन पहले कलेक्टर द्वारा और उप संचालक शिक्षा द्वारा परीक्षा केन्द्र को बदलने का एक तरफा निर्णय लिया गया। जबकि वहां पर 1200 छात्र उस परीक्षा केन्द्र में बैठने के लिए गये थे। वहां जो खाली जेल की इमारत थी उसमें परीक्षा केन्द्र को एकाएक बनाया गया। जब छात्र उस इमारत में जहां पर परीक्षा केन्द्र बनाया गया, गये तो वहां पर उनको न तो सीटें मिली और न ही पेपर मिले। वे इधर-उधर भटकते रहे। परीक्षा का समय भी जाता रहा लेकिन उनको वहां बैठने की कोई जगह नहीं मिली। इस वजह से वहां छात्रों में आक्रोश पैदा हो गया। वहां पर पुलिस ने ज्यादती करके उनके ऊपर लाठी-डंडे बरसाने शुरू कर दिये। इतना ही नहीं जब छात्रों में और आक्रोश बढ़ा तो वहां पर गोली चली। एक छात्र दशरथ नामक आदिवासी वहीं पर मारा गया। इस तरीके से अनेक लोग घायल हुए। कई लोगों का अभी तक पता नहीं है। सभी लोग लापता हैं। उसमें एक गर्भवती महिला भी घायल हुई हैं जो कि जीवन और मौत के संघर्ष में जूझ रही हैं। वहां का पूरा का पूरा प्रशासन हमारे छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठिये।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले इस इश्यू को तो खत्म होने दीजिए।

डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधवी उमा भारती ने अपना जीवन संकट में डाला है और वे अनशन पर बैठी हुई हैं। राज्य सरकार ने दुर्व्यवहार किया है। इस प्रकार से परीक्षा केन्द्र को बदला गया और जेल को परीक्षा केन्द्र बनाया गया। वहां पर आदिवासी छात्र की हत्या हुई। पुलिस ने गोलियां चलाई और आज भी कई छात्र लापता हैं। उनके माता-पिता इधर-उधर भटक रहे हैं। प्रशासन अत्यंत दुर्व्यवहार करने में लगा हुआ है। कुमारी उमा भारती जी इस बात को लेकर गयीं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मेरा आपसे आग्रह है कि साधवी उमा भारती का जीवन संकट में है। उनके जीवन को बचाये जाने के लिए आप सरकार को निर्देशित करें।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : पिछले कई वर्षों से भारतीय मुल्क के लोग जो विदेशों में थे। *....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपकी बात हो गयी।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : साधवी उमा भारती का जीवन संकट में है। *...(व्यवधान)* आप सरकार को निर्देशित करें कि वे इस पर बयान दें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से भारतीय मुल्क के लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए विदेशों में चले गये हैं और सख्त मेहनत करके वह वहां से पैसा कमाकर अपने देश में लगाना चाहते हैं। उनका लगाव अपने गांव के साथ भी है। अपने प्रदेश के साथ भी है और अपने देश के साथ भी है मगर उनके पास इस देश की सिटीजनशिप नहीं है।

मेरा निवेदन है कि जो भारतीय मुल्क के लोग विदेशों में गये हुए हैं उनको भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए। इस देश में विदेशी पूंजी की जो जरूरत है वह मिल सकती है और रोजगार बढ़ सकता है। *....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपकी बात हो गयी।

श्री मनोज कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक महीने से बंद है। 20-21 फरवरी को वहां बेवजह तीन छात्र पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। प्रतिहिंसा की आग में वहां के विद्यार्थी जल रहे हैं। वे दिल्ली में धरना दे रहे थे। मैंने पिछली बार भी सदन का ध्यान आकृष्ट किया था कि वहां अध्ययन, अध्यापन और शोध के माहौल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तीस वर्षों से यह विश्वविद्यालय अध्यादेश के द्वारा चल रहा है। यहां पर कई माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार मांग भी की गई है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए बिल लाया जाए, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए बिल लाया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बिल लाया गया। मैं समझता हूँ कि वह विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसलिए की थी कि उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस देश की लड़ाई में शिरकत करेंगे, इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं सरकार से और पूरे सदन से आग्रह करता हूँ कि उस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य था वह पूरा हो सके, उसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता विश्वविद्यालय का बिल लाए जाए जाने की है। जो घटना 20-21 फरवरी को हुई, सरकार उसके लिए हाई ज्यूडिशियल इंक्वायरी कराए। तीस वर्षों से जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है, जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं और जाति के आधार पर नियुक्तियों में धांधली हुई, उसके लिए विजिलेंस जांच कराई जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको अलाऊ करूंगा।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं हाउस एडजोर्न करके चला जाऊंगा, समय हो चुका है। अब चन्द्रशेखर जी बोलेंगे।

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मनोज सिंह ने जो सवाल उठाया है, वह अत्यंत गंभीर सवाल है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो घटना हुई उसका परिणाम यह हुआ कि सारा पूर्वांचल आज अस्त-व्यस्त है और वहां अराजकता की स्थिति है। विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा है, जगह-जगह पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। इस विश्वविद्यालय की एक पुरातन परम्परा रही है। एक समय था जब सारे राष्ट्र में यह विश्वविद्यालय गौरव की दृष्टि से देखा जा रहा था। जैसा मनोज जी ने कहा उस विश्वविद्यालय का विधेयक पारित नहीं होता, जो इस संसद का काम है। क्यों नहीं होता, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं जब विधेयक पेश होते हैं और पास हो जाते हैं तो क्या सारे दलों के नेताओं को बुलाकर इस विधेयक पर सहमति कराकर बिना बहस के भी इस विधयेक को पास नहीं करा सकते।

दूसरी बात यह है कि वहां के कुलपति के बारे में बहुत रोष है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानता, मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति सारे विद्यार्थियों के कोप का भाजन बना हो वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चला सकेगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। विद्यार्थी मरे हैं, गोली चली है। दूसरे जिले बलिया हो, आजमगढ़ हो या गाजीपुर हो, वहां विद्यार्थी आंदोलन चला रहे हैं और आज भी वह दबा नहीं है। मैं समझता हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार की सीधी जिम्मेदारी होती है इसलिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। वहां जो अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच करानी चाहिए। जो लोग दोषी हों उनके लिए न्यायिक जांच की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में गोली चले यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। मुझे विश्वास है उपाध्यक्ष महोदय कि आप भी अपनी गरिमा का कुछ असर दिखायेंगे सरकार को सद्बुद्धि देने में, ताकि इस काम को वहन कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इसका नोटिस ले और इसमें कुछ जरूरी कार्यवाही तुरंत करनी चाहिए। अब मैं पी.जे. कुरियन जी को बुलाता हूं। इन्हीं के साथ एन.के. प्रेमचंद्रन का नाम जुड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

प्रो० पी.जे. कुरियन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री चन्द्रशेखर से सहमत हूं। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल उन्हें अनुमति दी है। कृपया उन्हें बोलने दें।

प्रो० पी. के. कुरियन : मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि केरल में ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.16 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बज कर 16 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 2.17 बजे

विद्युत विधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस. वेणुगोपालाचारी): मैं विद्युत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 द्वारा तुरंत विधान

---

* भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग-2, खण्ड-2, दिनांक 13.3.97 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी.1571/97]

अपराह्न 2.17¼ बजे

आय-कर (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ''कि आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

अपराह्न 2.18 बजे

आय-कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं आय-कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति चाहता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* सख्या एल.टी. 1572/97]

अपराह्न 2.18 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल वासियों के लिए निकटवर्ती वनों से घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी आदि लाने की सुविधा बहाल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में ग्रामवासियों के सिविल वन तथा आरक्षित वन में घास पत्ती लेने, जलाऊ और खेती के औजारों तथा आवास निर्माण हेतु लकड़ी प्राप्त करने, सरकारी भूमि से स्लेट, रेत व पत्थर आदि प्राप्त करने के सदियों से मान्यताप्राप्त हक व अधिकार है। बिना इन अधिकारों के उत्तरांचलवासियों के जनजीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

ग्रामवासियों के इन मान्यताप्राप्त अधिकारों पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अघोषित रूप से रोक लगा दी गई है। इस रोक के कारण वनों पर निर्भर हजारों वन श्रमिक बेकार हो गए हैं और उनकी भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उत्तरांचलवासियों के सामने अपने जीवन यापन के साथ-साथ अपने पशुओं की भी भरण-पोषण की समस्या विकराल रूप से उत्पन्न हो गई है। इन कारणों से पूरे उत्तरांचल क्षेत्र में तीव्र रोष व्याप्त है। जो कभी भी उग्र रूप धारण कर सकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह उत्तरांचल के ग्रामवासियों के इन मूलभूत वन अधिकारों को बहाल रखने के लिए उचित वैधानिक उपाय शीघ्र करें।

(दो) वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बाई पास का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोज कुमार सिन्ह (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वाराणसी (उ.प्र.) में मोहन सराय से मुगल सराय तक जी.टी. रोड का बाई पास एवं गंगा नदी पर पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा हो रहा है। इसको पहले विश्व बैंक पैसा दे रहा था और इसे 31.12.1991 में पूरा होना था लेकिन काम की धीमी गति के कारण विश्व बैंक ने 1992 में पैसा देना बंद कर दिया और अब इसे सीमा सड़क संगठन बना रहा है। पहले सरकार ने बताया कि इसे जून, 1995 में पूरा कर दिया जाएगा लेकिन आज तक आधा काम भी नहीं हो पाया है जिससे इसका लागत खर्च कई गुना बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ता रहेगा। वाराणसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर है जहां पर लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन तंग एवं संकरी सड़कों के कारण आये दिल दो घंटे से चार घंटे तक सड़क जाम रहने से विदेशी पर्यटकों के साथ ही जनता को बहुत परेशानी होती है और करोड़ों रुपये का कीमती डीजल एवं पेट्रोल बर्बाद होता है। इस बाई पास के बन जाने से जहां कलकत्ता तक की दूरी तय करने में कई घंटे समय की बचत होगी, वहीं करोड़ों रुपये के डीजल एवं पेट्रोल की भी बचत होगी। इस परियोजना को तत्काल पूरा करने के लिए के कई बार सदन में मामला उठाया गया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस परियोजना को तत्काल पूरा किया जाए।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-प, खंड-2 दिनांक 13.3.97 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[अनुवाद]

(तीन) सिंधु नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा पाकिस्तान के साथ उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, पाकिस्तान के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच वैमनस्य पैदा कर रही समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नई पहल की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसी सद्भाव की भावना से भारत और पाकिस्तान की जनता के बीत तनाव को कम करने के लिए इसी प्रकार की भावनाओं का प्रदर्शन किया है। विदेश मंत्री श्री आई. के. गुजराल ने इन भावनाओं का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के साथ बातचीत आरंभ करने का प्रस्ताव किया जिससे कि दोनों देशों के बीच समस्याओं का शान्तिपूर्ण समाधान हो सके तथा सामान्य स्थिति बहाल हो सके।

'लियाकत अली - पंडित नेहरू' समझौते के अनुसार जिसमें यह प्रावधान था कि सरवर वन बांध का सिंधु नदी का पानी कच्छ को भी उपलब्ध कराया जाए। इस समझौते को लागू करने का मामला काफी समय से लंबित पड़ा है। इस समझौते की पृष्ठभूमि के अनुसार इस समय यह बांध पाकिस्तानी क्षेत्र में है तथा ब्रिटिश शासन के समय तत्कालीन बंबई प्रोविन्स जिसमें सिंध, गुजरात और महाराष्ट्र आते थे, की यह एक संयुक्त परियोजना थी। अतः कच्छ की पानी की समस्या स्थाई है तथा यह एक राष्ट्रीय समस्या हो गई है।

मैं सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि इस बांध से पानी लिए जाने का मामला पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ उठाया जाए तथा जब कभी भी दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौते के लिए बैठक होती है, उसकी कार्यसूची में इसे शामिल किया जाए।

(चार) केरल में मवेलीकारा में गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए रसोई गैस का पर्याप्त आवंटन किए जाने की आवश्यकता

प्रो० पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मवेलीकारा (केरल) में जो रसोई गैस कनेक्शन के लिए पथानमथीट्टा और अलप्पी जिलों में पड़ता है, काफी संख्या में उपभोक्ता प्रतीक्षा सूची में हैं। रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षासूची में नाम दर्ज कराए हुए छः वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी लोगों को गैस नहीं मिल रही। इसका कारण यह है कि गैस एजेंसियों को पर्याप्त आवंटन नहीं किए जा रहे ताकि वह इन प्रतीक्षा सूचियों का निपटान कर सकें। चूंकि उपभोक्ता इस बारे में काफी दबाव डाल रहे हैं। अतः इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गैस एजेंसियां कुंबानाड, अरनमुला, तिरूवल्ला, चेंगानूर, पंडलक, मवेलीकारा और कायमकुलम आदि स्थानों पर है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन स्थानों पर एजेंसियों को एल.पी.जी. का पर्याप्त आवंटन किया जाए ताकि काफी समय से चली आ रही प्रतीक्षा सूची को निपटाया जा सके।

(पांच) तमिलनाडु के पिछड़े जिले कन्याकुमारी में रबड़ पर आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला देश में रबड़ पर आधारित उद्योग लगाने अथवा टायर फैक्ट्री स्थापित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। हमारे देश में रबड़ का प्रति एकड़ उत्पादन यहां सबसे ज्यादा है तथा इसकी गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि, कन्याकुमारी जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है। फिर भी न तो सरकारी क्षेत्र का और न ही निजी क्षेत्र का कोई उद्योग यहां पर स्थापित किया गया है। उद्योग को स्थापित करने के लिए आधारभूत सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। जिले में शत-प्रतिशत साक्षरता है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कन्याकुमारी जिले में रबड़ पर आधारित उद्योग अथवा टायर फैक्ट्री स्थापित करने की लम्बी समय ये चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में विचार करे।

(छः) मुम्बई में गंदी बस्तियों का सुधार करने और उनमें रहने वालों का पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री नारायण अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, मुम्बई में आजादी के बाद की अवधि में नौकरियों की तलाश में सारे देश से लगातार लोगों के आने के कारण झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्यों से आने वाली ज्यादातर आबादी इन झुग्गियों में अत्यधिक अमानवीय एवं खराब परिस्थितियों में अपना गुजर-बसर कर रही है।

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती 'धारवी' मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है तथा वहां की परिस्थितियां अत्यधिक भयावह हैं मुम्बई में होने वाली झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुम्बई में ही शीघ्रातिशीघ्र एक 'झुग्गी-झोपड़ी राज्य' बनता नज़र आ रहा है जिसमें सरकारी भूमि, सड़क और रेल मार्ग के दोनों ओर बहुत अधिक अतिक्रमण होने की संभावना है। यह अनुमान लगाया गया है कि मुम्बई की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली आबादी पूरे देश में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली आबादी का 25 प्रतिशत है। मुम्बई में झुग्गी-झोपड़ी की समस्या पर पर्याप्त वित्तीय समर्थन न होने के कारण ध्यान नहीं दिया गया और अब यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है जिस पर केन्द्र सरकार को अत्यधिक प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेना होगा क्योंकि वह ग्रामीण और शहरी गरीब जनता के कल्याण के लिए कृत संकल्प है।

झुग्गी-झोंपड़ियों की समस्या दिन-प्रतिदिन विकट होती जा रही है तथा केन्द्र सरकार को यह समझना चाहिए कि मुम्बई में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली आबादी के पुनर्वास और उनके रहने की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए आवश्यक विशाल धन राशि जुटाना राज्य सरकार के सामर्थ्य से बाहर है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह केन्द्रीय कोष में से अथवा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से पर्याप्त धनराशि महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध कराए। मैं अन्य राज्य सरकारों से भी अनुरोध करूंगा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह उनके राज्य से वहां जाकर बसी झुग्गी-झोंपड़ियों की आबादी के अनुपात में, पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अपना-अपना योगदान दें।

(सात) वारंगल, आंध्र प्रदेश में आजम जाही मिल्स की भूमि की प्रस्तावित बिक्री को रोके जाने की आवश्यकता

श्री अजमीरा चन्दूलाल (वारंगल) : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम का अपनी फालतू भूमि को बेच कर इससे प्राप्त राशि रुग्ण एककों के पुनः आरंभ करने पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। श्रमिकों को यह आशंका है कि इस कार्यवाही से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आन्ध्र प्रदेश में वारंगल की आजम जाही मिल्स एक रुग्ण एकक है। ऐसा समझा जाता है कि इसकी भूमि को भी बेचे जाने का प्रस्ताव है। इसे लेकर श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आजम जाही मिल्स की भूमि नहीं बेची जाए।

अपराह्न 2.27 बजे

रेल बजट 1997-98 - सामान्य चर्चा
*लेखानुदानों की मांगें (रेल) 1997-98
*अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1994-95
*अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1996-97

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अब रेल बजट और मद सं0 15, 16 और 17 पर और आगे चर्चा आरंभ करेगी। रेल मंत्री जवाब देंगे।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और आपके माध्यम से सभी सम्मानित संसद सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे में और रेलवे बजट में न सिर्फ इंटरेस्ट लिया है बल्कि इतने अच्छे सुझाव उन्होंने दिये हैं कि जो रेलवे के लिए निश्चित रूप से बहुत ही मार्गदर्शन का काम जरूर करेंगे और रेलवे को फायदा पहुंचाने का भी काम करेंगे। इसमें 96 संसद सदस्यों ने भाग लिया, 24 घंटे से ज्यादा डिबेट चली। हम लोग सवेरे यहां से करीब पौने छः बजे गये और यही नहीं कि सिर्फ वही संसद सदस्य यहां पर रहे जिन्हें बोलना होता है, लेकिन कल ऐसा नहीं था। मैंने देखा कुमारी ममता बनर्जी और श्री नीतीश कुमार और अन्य सब लोगों को मैंने यहां देखा।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : कल ऐसा नहीं था ऐसा मत कहिये, बल्कि आज ऐसा नहीं था, ऐसा कहिये।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कह रहा था कि यह दो चीजें दिखलाता है एक तो रेलवे का कितना महत्व है और मैं नहीं समझता हूं कि जब सदन में 12 बजे के बाद कभी-कभी जो हालत होने लगती है, वैसी नहीं थी, बल्कि रात भर जाग करके आदरणीय संसद सदस्यों ने उसमें पूरी दिलचस्पी के साथ भाग लिया और अपने-अपने मुद्दों पर सवेरे पांच बजे भी सदस्य ऐसा बोल रहे थे कि जैसे जीरो ऑवर में बोल रहे हों।

इसलिए मैं सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक इंटरप्शन मैं भी करना चाहूंगा। दूसरे मैम्बर तो हाउस में बोल कर चले जाते थे लेकिन मैंने देखा कि आप हर समय बैठे रहे।

श्री राम विलास पासवान : मैंने आपको भी देखा, जब आप सुबह 4.00 बजे हाउस में आए, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली कि चैयर से लेकर सभी माननीय सदस्य कितने एलर्ट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सबुह एक शेर भी सुनाया था -

> हमें तो आज पौ फटे तक जागना होगा,
> यही किस्मत हमारी है।
> सितारो तुम तो सो जाओ।

श्री राम विलास पासवान : मैं सदन में दो महीने के लिए वर्ष 1997-98 के वोट ऑन एकाउंट से संबंधित प्रस्ताव पारित करने के पेश कर रहा हूं। इसके साथ ही वर्ष 1996-97 से संबंधित अनुपूरक अनुदानों की मांगें भी सदन में पारित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। इनके अतिरिक्त वर्ष 1994-95 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे भी पारित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। चूंकि पार्लियामेंट ने, इस संसद में हमने नियम बनाया है जिसके तहत यहां जो भी बजट प्रस्तुत किया जाता है, वह पहले स्टैडिंग कमेटी के पास जाता है। स्टैडिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है।

बजट दो मुख्य पार्ट्स हैं - एक भाग में जनरल मुद्दे शामिल हैं जैसे रेलवे की एफीशियेंसी कैसे बढ़ाई जाए, उसके डैवलपमेंट पर कैसे विचार हो, और दूसरे भाग में प्रोजैक्ट्स शामिल होते हैं कि इस साल किन-किन प्राजैक्टस को लिया जाए।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

यहां सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्य संबंधित सुझाव पेश किये, हमारे पास अनेकों सुझाव आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टैंडिग कमेटी के जैसे नियम हैं, उसके कानून और कायदे के तहत, आज चर्चा का उत्तर देते हुए, मैं समझता हूँ कि प्रोजैक्ट्स के संबंध में कुछ भी बोलना मेरे लिए शायद न तो सम्भव होगा और न उचित होगा। इसके बाद अप्रैल महीने में जब फिर से पार्लियामेंट का सत्र होगा, उस समय तक स्टैडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी।

अपराह्न 2.32 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उस समय हम प्रोजैक्टस के संबंध में विस्तार से इस माननीय सदन को और संसद् सदस्यों को कुछ बताने का काम करेंगे। अभी जिन मुद्दों को माननीय सदस्यों ने रेल बजट पर चर्चा के दौरान सुझाव के रूप में उठाया है, उन्हें सामने रखकर हम आपसे कुछ बातें करने का काम करेंगे।

मुझे खुशी है कि हमारे साथी प्रमोद महाजन जी ने इस चर्चा को शुरू करते हुए, कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनका जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था, जिसे कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने भी उठाया, वह प्लान के संबंध में था कि क्या रेलवे के पास कोई मास्टर प्लान होता है या हम साल में एक बार यहां आकर बजट पास कर देते हैं। और उसमें ही जो किराया बढ़ाना होता है, मालभाड़ा बढ़ाना होता है, उसे बढ़ा देते हैं - क्या इसी तरीके से काम चलता है अथवा रेलवे के पास कोई दूरदृष्टि भी है, कोई प्लानिंग भी है जिसके अंतर्गत रेलवे काम करती है।

मैं माननीय सदन और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। रेलवे के पास प्लानिंग है, अपना मास्टर प्लान है जिसे हम कोर्पोरेट प्लान कहते हैं। उस कोर्पोरेट प्लान को हम तीन स्टेजेज में तैयार करते हैं। हमारा प्लान 15 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है और एक साल का भी होता है। हमारा पिछला कोर्पोरेट प्लान 1985 में बना था। जब हम प्लान बनाते हैं, उसमें आगामी 15 साल का लेखा-जोखा बनाते हैं कि आगे आने वाले 15 सालों में, विभिन्न क्षेत्रों में हमारी क्या स्थिति रहेगी, हमारे इंटरनल रिसोर्सेज की स्थिति क्या होगी, एडीशनल रिसोर्सेज की स्थिति क्या होगी, पैसेंजर ट्रेफिक की स्थिति क्या होगी, फ्रेट ट्रैफिक क्या होगा, उससे रेलवे को कितना मुनाफा होने की संभावना है, कितना खर्चा होगा। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि नई टैक्नोलोजी का हम कैसे विकास करेंगे, चाहे लोकोमोटिव हो, वैगन्स हों, कोचेज हों, गेज-कन्वर्जन से लेकर इलैक्ट्रिफिकेशन का मामला हो - इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम कोर्पोरेट प्लान बनाते हैं। अब 2000 ईस्वी के बाद आगामी 15 वर्षों के लिए हमारी प्लानिंग शुरू होगी। उसके लिए अभी तक हम सतर्क हैं और आज से दो महीने पहले नये परसपेक्टिव प्लानिंग सैल का गठन करने के संबंध में हमने अपने प्रोत्साहन जारी कर दिये हैं। यह हमारा 2000 से लेकर 2015 ईस्वी तक नया प्लान बनेगा। उसी तरीके से हम ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। उस ऑब्जेक्टिव के तहत स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उस स्ट्रेटेजी में फिर हमारा फाईव ईयर प्लान होता है। फाईव ईयर का अलग प्लान बनाते हैं। लेकिन जनरली फाईव ईयर उसी पीरियड में उसी के साथ चलता है। उसके बाद एनुअल प्लान बनाते हैं। बीच-बीच में तीन साल के बाद मिडटर्म को रिव्यू करने का काम करते हैं कि हम कितनी दूरी तक पहुंचे हैं और कितना हम लक्ष्य पूरा कर पाये हैं।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यह हमारा प्लान है और इस बार हम अपने प्लान को एक नयी दिशा के साथ, जो हमने सोशल ऑब्जेक्टिव कहा है कि हमारा प्लान सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होगा बल्कि जो आम आदमी है, हमें इस बात की खुशी है कि कल जितने भी माननीय सदस्यों ने यहां अपने वक्तव्य दिये या विचार रखे, सब ने इस बात को सराहने का काम किया कि जो सरकार की नीति है, सिर्फ रेलवे एक मुनाफा कमाने वाली संस्था न रहे बल्कि रेलवे के जो उद्देश्य होने चाहिए वह लोक कल्याणकारी होने चाहिए। उससे निश्चित रूप से हमारा आत्मबल बढ़ा है और हम रेल मंत्री की हैसियत से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी आगे एक प्लानिंग होगी। उस प्लानिंग में हम निश्चित रूप से रेलवे को एक लोक कल्याणकारी संस्था के रूप से उभारने का काम करेंगे और उसकी इमेज बढ़ाने का भी काम करेंगे।

हमारे एक साथी ने रिसोर्सिस मोबिलाईजेशन का मुद्दा उठाया था। अभी आपको मालूम है कि रेलवे के पास मुख्य रूप से 3-4 हथियार हैं। एक तो इंटरनल रिसोर्सिस जिसमें हम अपनी एफीशेंसी और उत्पादकता को बढ़ाकर अपने रिसोर्सिज पैदा करते हैं जिसमें कुल मिलाकर कितनी आमदनी हुई, कितना घाटा हुआ, खर्च हुआ तो आमदनी को खर्च से माइनस कर देते हैं। जो बच जाता है उसको हम कहते हैं कि वे हमारे इंटरनल रिसोर्सिस हुए। उसी तरीके से फिर हमारा दूसरा है। हम मार्किट से बॉरो करते हैं। तीसरा, जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, जो पूरी निवेश करते हैं उनको हम प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। पूंजी निवेश में मुख्य रूप से दो सेक्टर हैं। 'बोल्ट' तथा 'ओन योर वैगन' स्कीम है। चौथा हमारा बजटरी सपोर्ट है। बजटरी सपोर्ट के माध्यम से हम सरकार से आर्थिक सहायता लेते हैं। उसके लिए हमको चुकाना पड़ता है।

हमारा अंतिम हथियार किराया भाड़ा में वृद्धि करने का होता है। उसे हम माननीय संसद सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं, कुल मिलाकर इसी के अन्तर्गत उसमें प्राथमिकता जरूरी है, प्राथमिकता किसको देनी है और किसको नहीं देनी है लेकिन मेन मुद्दा है एक दो प्वाइंट एक्सट्रा आये हैं। जहां तक इंटरनल रिसोर्सिस का मामला है उसमें कोई कमी करने का सवाल नहीं है। हम इंटरनल रिसोर्सिस को, अपनी एफीशेंसी की, अपनी उत्पादकता की क्षमता को हम और बढ़ाने का काम करेंगे। हमने जो नया बजट रखा है उस नये बजट में, यदि आप देखें तो हमने कहीं भी किसी चीज में रोलिंग स्टॉक में, सबसे बड़ा मुद्दा रोलिंग स्टॉक का आता है। आप देखें तो रोलिंग स्टॉक में जहां 1992-93 में 2408 करोड़ रुपये रखे गये थे। 1993-94 में 2320 करोड़ रुपये, 1994-95 में 1922 करोड़ रुपये और 1995-96 में 2403 करोड़ रुपये रखे गये हैं। वहीं लॉस्ट ईयर 3800 करोड़ रुपये रखे थे। मार्च तक हमने उसको बढ़ाकर 4144 करोड़ रुपये कर दिये हैं।

यह हमारा रोलिंग स्टॉक है, जिसके ऊपर पूरी रेल का भविष्य निर्भर करता है। इसको हमने पिछले साल से बढ़ाने का काम किया है और इस साल भी हमने चार हजार करोड़ रुपये रखे हैं। हमने इस सम्बन्ध में यह भी देखा है कि हमें कितने वैगंस चाहिए, कितने कोचेज चाहिए। हमने वैगंस के लिए 26,000 का प्रस्ताव रखा है, कोचेज के लिए 2000 का प्रस्ताव रखा है और 300 लोकोमोटिव का प्रस्ताव रखा है कि इतने हमें चाहिए।

जहां तक ट्रैक रिनुअल का मामला है हमने 1993-94 में 970 करोड़ रुपये रखे थे, 1994-95 में 1024 करोड़ रुपये रखे थे, 1995-96 में 1150 करोड़ रुपये रखे थे, 1996-97 में 1128 करोड़ रुपये रखे थे और इस बार रिसोर्स के अभाव के बावजूद भी, पे कमीशन के लिए 3500 करोड़ अतिरिक्त रखने के बावजूद भी कटौती नहीं की। अगर ये 3500 करोड़ उसमें न रखने पड़ते तो हम और अधिक रुपया इस बार रख सकते थे। इस बार हमने 1250 करोड़ रुपया दिया है। इसी तरह से गेज कन्वर्शन का मामला है। उसमें नौ-सौ दस करोड़ रुपये रखे हैं। सिग्नल का मामला है, उसमें 1992-93 में 152 करोड़ रुपये थे, 1993-94 में 156 करोड़ रुपये थे, 1994-95 में 169 करोड़ रुपये थे, 1995-96 में 208 करोड़ रुपये थे, इस बार हमने 201 करोड़ रुपये रखने का काम किया है। इसी तरह से विद्युतीकरण को आप देखिए पिछले साल 230 करोड़ रुपये इसके लिए रखे थे, इस साल 350 करोड़ रुपये रखे हैं। ऐसे ही नई रेल लाइन का मामला है। माननीय सदस्य कहते हैं कि आप सब रेल लाइनों को जोड़ते जा रहे हैं, पैसा कहां से आएगा ? आप नई रेल लाइन के सम्बन्ध में देखिए जहां 1993-94 में इसके लिए 252 करोड़ रुपये रखे गए थे, 1994-95 में 240 करोड़ रुपये रखे गए थे, 1995-96 में 218 करोड़ रुपये रखे गए थे, पिछले साल हमने 284 करोड़ रुपये रखे और इस बार हमने बढाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया है। जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई लाईनें हैं, उनको बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक ट्राइबल एरिया में, पिछड़े हुए एरिया में जो हम विकास की बात करते हैं, वह सम्भव नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा पैसा हमने इसमें 400 करोड़ रुपये रखने का काम किया है। इसके अलावा स्टाफ क्वार्टर आदि छोटी-छोटी चीजें हैं, जिनमें हमने आवश्यकतानुसार प्रावधान किया है।

हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है उसके कारण हमें कहीं अपनी सेफ्टी के साथ समझौता भी करना पड़ा है, सिग्नल के साथ, डब्लिंग के साथ समझौता करने का भी हमने काम किया है।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : पिछले साल के मुकाबले में डब्लिंग में इस साल कितना रखा है ?

श्री राम विलास पासवान : इस साल हमने 195 करोड़ रुपया रखा है, पिछले साल इसमें 206 करोड़ रुपया रखा था। इससे हमारी साख घटी है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसको भी बढ़ाने का काम करेंगे।

हमारा बजटरी सपोर्ट घट रहा था और 75 प्रतिशत से घटकर 15-16 प्रतिशत तक ग्राफ आ गया था। इस बार हमें खुशी है कि हमने उसको रिवर्स दिशा में लाने का काम किया है और 15-16 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत तक किया है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे केरल के काफी सदस्य आज गए थे और उनसे मिले थे। वे कह रहे थे कि केरल के और दूसरे साथी भी एजीटेटिड हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : बंगाल का क्या हुआ ?

श्री राम विलास पासवान : मैं सबकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं इस बात को महसूस करता हूँ। हमारे सब राज्यों के साथियों की जो डिमांड्स हैं। उस डिमाण्ड के अनुपात में इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि यह जो रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही थी। जो नीचे ग्राफ आ रहा था, उस नीचे ग्राफ को पहली बार ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि और कुछ पैसा हमारे रिसोर्सेज में आएगा और जितने पैसे का हमने पिछले साल मदों में उपयोग किया था, उससे ज्यादा रखने का काम करेंगे। उससे कम रखने का काम नहीं करेंगे। यह सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय, पहले भारतीय रेल ने यूनीगेज प्रणाली को प्राथमिकता दी थी। इस बजट से हमें पता चला है कि भारतीय रेल अब इससे पीछे हट रही है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जिस रेलवे के प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कहा कि रेलवे पूरे देश में 62000 कि.मी. तक फैला हुआ है और पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेलवे मार्ग नहीं था। लेकिन अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ जाएगा तथा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नारा लगाते थे, उसको चरितार्थ करने का भी काम करेंगे। लेकिन उसमें यह बात सही थी कि जो हमारा सिस्टम चला, उस सिस्टम में यह था कि हमारे पास यूनीफार्म ट्रैक होना चाहिए, एक यूनीगेज सिस्टम होना चाहिए। लेकिन पिछली बार इसी सदन में मैंने बताने का काम किया था कि यूनीगेज सिस्टम के तहत 12000 कि.मी. तक जो हमारी रेलवे लाइन हैं, वह उससे बाहर रह गया था और यह माना जा रहा था कि यह जो 12000 कि. मी. है, वह खासकर उन्हीं इलाकों में है जो ट्राईबल ने इलाके हैं या दूरदराज के इलाके हैं और जो कवर नहीं कर सकती हैं। उसको मानकर कर चला जा रहा था कि अपने आप मर जाएगा या समाप्त हो जाएगा। हमने पिछली बार इसी सदन में कहा था कि मीटर गेज का भी अपना महत्व है। जहां गेज कनवर्जन नहीं कर सकते हैं, वहां मीटर गेज भी लोगों के कम्युनिकेशन को जोड़ने के लिए उतना ही महत्व रखता है। इसलिए हमने फैसला लिया था कि हम मीटर गैज को खत्म होने नहीं देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि

जितने अधिक से अधिक मीटर गेज हैं, उनको हम ब्रॉड गैज में कंवर्ट करेंगे और जो बच जाएंगे, उनके लिए हम कुछ व्यवस्था करेंगे। चाहे ट्रेक हो या लोकोमोटिव्स हों, उसको हमने फिर से जारी करने का काम किया है। हम उसका मेनटेनेंस भी करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो नए कोचेज भी बनाएंगे और जहां-जहां मीटर गेज तथा नेरो गेज भी हैं, उसको भी समान रूप से महत्व देकर लोगों की सेवा करने का काम करेंगे।

अध्यक्ष जी, जो हमारा मार्किट से बोरो करने का सवाल है, उसमें मुझे खुशी नहीं होती। हम अपने संसाधन बढ़ाने का काम करेंगे। जहां तक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का मामला है, हमने कहा था कि पिछली बार हमारा ''ओन योर वेगन स्कीम'' बहुत अच्छा हो गया है, लाभ में चलने लग गया है। लेकिन बोल्ट स्कीम सफल नहीं हो रही है। हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है।, हमें अर्थशास्त्र की ज्यादा जानकारी नहीं है। जो माननीय सदस्यों से सुझाव सुनते हैं, उसी के आधार पर हम इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि कहीं न कहीं हमारे अंदर भी खामी है। हम जब रेलवे की प्लानिंग बनाते हैं तो कह देते हैं कि सौ करोड़ रुपया खर्चा लगाएंगे और टारगेट दो साल का रखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को दो साल में पूरा कर देंगे। लेकिन दो साल के बदले दस साल लगते हैं और सौ करोड़ रुपए का जो टारगेट रखते हैं, वह दस साल में चार-पांच सौ करोड़ रुपए पर पहुंच जाता है। लेकिन यदि कोई प्राइवेट इंवेस्टर आता है, हम उसको देखना चाहते हैं कि दो साल में सौ करोड़ रुपया खर्च कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर वह कहता है कि नहीं, तो फिर हम लाचार हो जाते हैं।

इसलिए हमने अपने रेलवे बोर्ड को भी कहा है कि हम जिस प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा करते हैं, उसमें हमारा कितना पैसा खर्च होता है? यदि जो प्राइवेट इंवेस्टर आता है या निजी पूंजी लगाने के लिए आता है, उसमें वह कितना पैसा खर्च करना चाहता है? यदि दोनों की तुलना करके देखें तो निश्चित रूप से उनका विश्वास है कि बोल्ट स्कीम भी सफल होगी।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अभी तक क्या कोई एक भी ऑफर आया है?

श्री राम विलास पासवान : नाईक साहब, हमने मौका ही नहीं दिया। दो साल से चर्चा चल रही है। अभी जब से मैं आया हूँ, मैं ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूँ कि अगले महीने बैठक बुलाऊंगा और जो माननीय सदस्य बोल्ट स्कीम पर चर्चा में भाग लेना चाहेंगे, हम खुले दिमाग से बातचीत करेंगे और उस संबंध में पॉलिसी चेंज करने की बात भी आएगी तो हम चेंज करेंगे।

आप बार-बार रेलवे की जमीन के यूटिलाइजेशन का मामला उठाते हैं। हम आज पूछ रहे हैं कि यूटिलाइजेशन क्या है। हमें रेलवे की जमीन का उपयोग करने में दिक्कत नहीं है। हम लोग साधारण से परिवार से आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जो भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर अंकुश नहीं लग रहा है। जब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता, जब तक गंगोत्री साफ नहीं होगी गंगा का पानी साफ नहीं हो सकता। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव हैड हैं, उनको कम से कम ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिससे कहीं कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रह सके। इसलिए यदि आपने इस बार के बजट को दखा हो कि इस बार के बजट में हम साफ तौर से कहें कि हमारे यहां 7000 करोड़ रुपए की खरीद-बिक्री होती है और उसमें दाम पर रेलवे सामान खरीदता है, हम लाकर देखने का काम करेंगे। हम लोगों को आमंत्रित करेंगे कि कोई भी आदमी इससे कम दाम पर उसी क्वॉलिटी का देना चाहे तो आगे बढ़कर दे सकता है, हम कंसीडर करेंगे। यदि दो-तीन प्रतिशत भी हम पैसा बचाने का काम करेंगे तो साल में 2000 करोड़ रुपए की ऑटोमेटिकली बचत हो जाएगी। हम समझते हैं कि इससे हम पारदर्शिता का भी काम करेंगे और रेलवे के लिए मुनाफा भी होगा।

उसी तरीके से रेलवे की जमीन का मामला है, हम उसके बारे में जानते हैं। हमारे पास अगाध सम्पत्ति हैं। जिस स्टेशन पर जाइए, आपको जमीन मिल जाएगी। अकेले हम मुम्बई में बचाने का काम करें तो कितने हजार करोड़ रुपए रेलवे को मिल जाएंगे और जो पैसे को मुहताज हम हो रहे हैं, हम पैसे की कमी से अपना छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डर है, वह पैंडोरा बॉक्स के खुलने से डर लगता है। रेलवे की सम्पत्ति है और जब कभी रेलवे को जरूरत पड़ती है तो हम अपनी राज्य सरकार से बातचीत करके उसे हटाने का काम करते हैं। लेकिन एक बार हमने अधिकार दूसरे को देने का काम किया तो फिर ऐसा नहीं हो कि भ्रष्टाचार करने के लिए एक और सूराख निकल आए। यह हम जानते हैं कि जब हम देंगे तो ओनरशिप हमारे पास रहेगी तथा स्पेस वगैरह देने का काम हो जाएगा और पॉवर हमारे हाथ में रहेगी। फिर भी मैं जानता हूँ कि कोई मंत्री हो, चाहे वह राम विलास पासवान हो, इस कार्य को गंभीरता से चलाने का काम करे तो निश्चित रूप से एक बार उंगली उठाने का काम जरूर होगा। एक अफसर ने वहां की जमीन को बेच दिया। यह मद्दा भी हमारे सामने है। अपनी जमीन का सही ढंग से उपयोग करें तो रेलवे की जो आर्थिक समस्या है, वह समाप्त हो जाएगी।

अध्यक्ष जी, इस बात की हमेशा से चर्चा होती है, जब कभी भी थोड़ा बहुत पैसा बढ़ता है, चाहे रेल के किराए में या भाड़े में, उसका हमेशा से क्रिटीसिज्म होता है। पिछले साल जब हम रेल मंत्री बने, इसको न बढ़ाने की हमने बहुत कोशिश की। हालांकि पिछली बार भी हमारे माथे एक हजार करोड़ रुपया पांचवें वेतन आयोग का बोझा पड़ा। जब से यह आया है, पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करना पड़ा। दूसरी तरफ यदि आप देखें कि भाड़ा कितना बढ़ाया है, टैक्स कितना लगाया है, माल-भाड़ा कितना बढ़ाया है, तो यह 900 करोड़ रुपए आता है। इस बार हमारे माथे पर 3500 करोड़ रुपए का बोझ है, हमने लगाया है 1800 करोड़ रुपए। 3500 करोड़ रुपए रखा और भाड़ा लगाया 1800 करोड़ रुपए। यदि हमारे पास 3500 करोड़ रुपया रहता, तो हम एक पैसा का भी बोझ नहीं लगाते, बल्कि उल्टे हम देने का काम करते। पिछली बार यदि एक हजार करोड़ रुपए नहीं देना होता, तो हम 900 करोड़ रुपए नहीं लगाते और कहीं से भी उसका इन्तजाम करते। यह अप्रत्याशित स्थिति

हमारे सामने और रेल मंत्रालय के सामने है। यह साल सब से बड़ा विकट का साल है, जहां हम को इस काम के लिए 3500 करोड़ रुपए रखने पड़े।

अब मैं आपको अपने इन्टरनल रिसोर्सेज के बारे में बतलाना चाहता हूँ। हमारा इन्टरनल रिसोर्सेज 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत होता है, मार्केट बोरो 25 से 27 प्रतिशत रहता है, निजी पूंजी निवेश 10 परसेंट होता है। पिछली बार हमारा बजट सपोर्ट 15 से 16 प्रतिशत था, जो इस बार 20 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार जो हमारी टोटल आमदनी होती है, उस आमदनी में यदि आप देखें, तो माल भाड़ा या किराया जो बढ़ाया है और परसेंटेज निकालें, तो वह 5 प्रतिशत है। शायद इस बार यह 8 प्रतिशत तक जाएगा। यदि आफ इन्फलेशन रेट देखे, जैसा मैंने कहा चार से पांच परसेंट तक जाता है और यह एक्सट्रा आर्डिनरी सिचुएशन में होता है। इसके तहत नहीं चाहते हुए भी हमको इसको करना पड़ता है, क्योंकि रेल घाटे का बजट नहीं होता है। रेलवे में हम एक तरफ जितना पैसा लेते हैं, दूसरी तरफ हम खर्चा दिखलाते हैं। भविष्य में हमारे पास कोई प्लानिंग रहे और हम इसमें जोड़ सकें, वह हमारे पास छूट नहीं है। इसलिए हमको तत्काल कहीं न कहीं से पैसे की जरूरत होती है। इस साल हमने लाधारी में प्लान साइज में 8300 करोड़ रुपया रखा है। भविष्य में रिसोर्सेज हो, तो प्लान साइड में पैसा बढ़ाने पर विचार करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जितना रिसोर्सेज था, उसी हिसाब से काम किया। तेते पांव पसारिए, जितनी लम्बी सौढ़ - हम उतने ही पांव पसार रहे हैं, जितनी हमारी चादर लम्बी है।

महोदय, एक्सीडेंट्स के संबंध में माननीय सदस्यों के बहुत से सुझाव आए हैं और काफी अच्छे सुझाव हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लेटैस्ट से लेटैस्ट टेक्नोलॉजी चाहे सिगनलिंग के लिए हो, चाहे ड्राइवर और गार्ड के बीच काम्युनिकेशन के लिए हो, चाहे ड्राइवर, गार्ड और अगले स्टेशन के कम्युनिकेशन के लिए हो, इन सब चीजों को हम लाने काम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हैं, जो हमारे दायरे में हैं, जैसे ह्यूमन एरर है, जो घटना मानव की गलती से होती है, जो हमारी सीमा के बारह हो जाती है, वे हमारे लिए चिन्ता का विषय बन जाती है। इसके साथ ही विदेशों की रेल लाइन से तुलना की जाती है, मैं समझता हूँ कि अकेला भारत ही संसार में एक ऐसा देश है, जिसमें एक करोड़ दस लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इसके लिए हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है? यदि आप शहर में चले जायें, मुम्बई में चले जायें, दिल्ली में चले जायें, कलकत्ता में चले जायें, चेन्नई में चले जायें, तो वहां तो चार-चार रेल लाइनें होती हैं, लेकिन शहर से बाहर जायें तो एक ही रेल लाइन होती है। एक लाइन के ऊपर हमारे पास कोई डैडीकेटेड लाइन अलग से नहीं होती है कि हम उस पर चला दें या सुपरफास्ट ट्रेन चला दें या राजधानी या शताब्दी गाड़ी चला दें। एक ही रेल लाइन है और गाड़ी उसी पर चलती रहती है।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं पिछले दिनों तमाम दलों से संबंधित, बी.जे.पी. और शिवसेना के साथियों तथा शरद पवार जी भी उसमें हैं, एक फाइल देख रहा था। मामला थाना में एक गाड़ी के ठहराव का था। मैं अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ, मैं कभी-कभी इस कोप का भाजन भी बनता हूँ, कि बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि इस गाड़ी को इस जगह पर रोक देना चाहिए। जब ऐसा होता है, तो पब्लिक की तरफ से हमारे पास डिमान्ड आ जाती है कि ऐसा कैसे। वह ट्रेन पता नहीं कौन सी है, लेकिन मामला था कि उसको थाने पर रोका जाए। मैं जब फाइल देख रहा था और देखते हुए, जब पत्रों के जवाब देखने लगा, तो पाया कि उसमें नैगेटिव रिप्लाई था। पांच-सात सदस्यों का नैगेटिव रिप्लाई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जब फाइल को देखना शुरू किया, तो पाया कि गाड़ी को दो मिनट के लिए रोकने की बात है। दो मिनट के लिए इतने माननीय सदस्य लिख रहे हैं। इतने बड़े-बड़े नेता लिख रहे हैं और दो मिनट गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं। इस पर हमारे रेलवे बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा ट्रैक कितना खाली है। उन्होंने दिखलाना शुरू किया। देखा कि गाड़ी चल रही और उसके पीछे सबअरबन ट्रेन आ रही है और बीच में वह आ जाती है। जहां जाकर जब गाड़ी रुकी और फिर धीरे-धीरे गाड़ी ने स्पीड पकड़ी, तो लास्ट में आकर दो सबअरबन गाड़ी कट हो गई। फिर उन्होंने कहा कि यह निर्णय आपको लेना है कि आप गाड़ी को दो मिनट के लिए रुकवाना चाहते हैं या इन दो सबरबन को एलीमिनेट करना चाहते हैं। फिर मैंने उन माननीय सदस्यों से मिल कर उनको बतलाने का काम किया। मैंने कहा कि हमारे पास कोई डैडीकेटेड लाइन नहीं है। हमारे पास एक लाइन होती है और उस के ऊपर ही गाड़ी चलती है। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ियां लेट हो जाती हैं। दूसरी बात गुस्सा होता है कहीं और निकलता है रेलवे लाइन पर। एजीटेशन कहीं चलेगा और धरना सीधे रेल लाइन पर करने का काम करो। नतीजा यह होता है कि गाड़ियां लेट होने लगती हैं। हमारे पास जो राजधानी गाड़ी है, मान लीजिए कि राजधानी गाड़ी गुवहाटी जाती है और फिर लौट कर आती है।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : यह शुरूआत आप लोगों ने किया, अब सब लोग, हम लोग कर रहे हैं।

श्री राम विलास पावान : जितनी भी गाड़ियां हैं, उनमें अधिकांश गाड़िया ऐसी हैं, जो गाड़ियां लौट कर आती हैं। एक बार गाड़ी तीन घन्टे लेट हो गई, तो फिर वह स्थान पर तीन घन्टे लेट पहुंचेगी। इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमने कहा है कि जहां तक संभव हो, एक तरफ से गाड़ी डेली बेसेज पर सीधी चलाओ। दूसरी तरफ अगर गाड़ी लेट है, तो दूसरी गाड़ी लेट नहीं पहुंचे या फिर एडिशनल व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। अगर कहीं एक गाड़ी लेट हो जाए, तो दूसरी गाड़ी से हम व्यवस्था कर सकते हैं।

महोदय, एक सवाल गाड़ियों में डकैतियों का आता है और कहीं पर चोरी का आता है। इसलिए मैंने बार-बार कहा है, इस प्रकार के विषय को पार्टी लाइन पर नहीं लेना चाहिए, न ही इसको स्टेट लाइन पर लेना चाहिए और न किसी और लाइन पर लेना चाहिए। बल्कि जो यात्री सफर करते हैं, वे इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं कि रेलवे मिनिस्टर कह रहा है कि स्टेट

की जवाबदेही है और स्टेट कहती है कि रेलवे की जिम्मेदारी है। मैं इस बात से सहमत हूं और इसलिए मैंने कभी इस मामले को कभी प्रैस्टिज का मामला नहीं बनने दिया। मैंने इस मामले को आपके सामने छोड़ दिया, क्योंकि हर स्टेट में हर पार्टी की सरकार है। हमारा फैड्रल स्ट्रक्चर है और फैड्रल स्ट्रक्चर के तहत अलग-अलग जवाबदेही राज्य सरकारों के ऊपर सौंपी गई है। अभी तक जो एक्सीडेंट्स का सवाल था या है, चोरी-डकैती का, वह ला-एंड-आर्डर के मामले के अन्तर्गत आता है। इसलिए मैंने कहा जो लॉ-एंड-आर्डर का सवाल है, वह स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे का सवाल बन जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रेल मंत्रालय अपनी जवाबदेही से भागने का काम कर रहा है। हम इस संबंध में होम मिनिस्टर से मिले हैं और उनसे हमारी बातचीत हुई है। हमने इस संबंध में प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की है और हम इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। मैंने कहा है, आवश्यकता पड़ेगी, तो संबंधित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ, प्रधान मंत्री जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ, रेलवे मिनिस्ट्री के लोग बैठेंगे और बैठ कर इस समस्या का निदान करने का काम करेंगे। हम अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं रहे हैं, न कहीं भागने का काम कर रहे हैं, बल्कि जो संवैधानिक मर्यादा है, हम उस मर्यादा का उल्लंघन करने का काम नहीं करना चाहते हैं।

श्री नीतीश कुमार : इससे समाधान क्या होगा ? कोई रेलवे फोर्स अलग बनेगी, इस पर कोई विचार होगा या ऐसे ही मीटिंग करेंगे और चले जाएंगे ? चाहे आप प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री से बात कर लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : स्थिति बिगड़ती जा रही है। आज भी अखबार उठाकर पढ़िये तो फिर डकैती हो रही है। क्या असर पड़ रहा है इन बातों का ?

श्री पी.आर. दासमुंशी : मंत्री जी अच्छे आदमी हैं। आप इन बातों में मत पड़िये। आप इंद्रजीत बाबू और लालू जी से बात कर लीजिए।

श्री नीतीश कुमार : इस बारे में आप कोई गंभीर पहल कीजिए। ....*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : इसी तरह से कहीं-कहीं बस और ट्रेन की टक्कर हो जाती है।

श्री नीतीश कुमार : डकैती वाली बात पर कुछ कहिए। मीटिंग करने से क्या होगा ? क्या आप इस पर विचार करेंगे कि रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए अलग से फोर्स हो ? ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : आप इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। जितना कहना था हमने कह दिया है।

श्री नीतीश कुमार : राजनीतिक रंग आप दे रहे हैं। बिहार में डकैती हो रही है तो आपके और लालू के झगड़े के रूप में देखा जा रहा है। इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आज डकैती हो रही है ....*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : यह एक मानवीय मुद्दा है और मैंने उस दिन कहा था कि यह मामला सिर्फ एक स्टेट तक संबंधित नहीं है। इसमें कई राज्य हैं जिनमें इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और मैं बतलाता हूं कि ऐसा नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री से बात नहीं होती है। बात हुई और उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक कई अधिकारियों के तबादले किये हैं। लेकिन स्टेट, सेण्टर, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, सबको मिलकर लोगों के मन में जो दहशत की भावना है, उसको निकालने का काम करना चाहिए ताकि इसको हम कार्यरूप में परिणत कर सकें। ....*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी आप चर्चा शुरू नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जो पुलिस अधिकारी मारे गए, उनको आपने मुआवजा दे दिया लेकिन जो साधारण यात्री मारे जा रहे हैं उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं जिससे उनके मन में दहशत दूर हो ? अगर कोई यात्री बहादुरी का काम करता है तो उसको भी आप प्रोत्साहित कीजिए और उसको भी मुआवजा दीजिए। ....*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर (आगरा) : मंत्री जी एक कार्ययोजना बनाने की घोषणा करें जिससे रेलवे यात्रियों के मन से दहशत समाप्त हो।

श्री राम विलास पासवान : हमने घोषणा कर दी है और उसको नेता विरोधी दल समझ गए हैं। जहां तक बहादुरी का सवाल है, हमने ब्रह्मानंद मंडल जी से नाम मांगे और उन्होंने हमें नाम दिये। चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, जो कोई भी क्रिमिनल्स से लड़ते हुए जोखिम उठाने का काम करेगा, रेलवे उसको पुरस्कृत करने काम करेगी। ऐसा हमने किया है।

रेलवे लाइन पर चलती हुई गाड़ी से अगर कोई बस आकर टकरा जाती है तो रेलवे क्या कर सकती है ? हम कोशिश कर रहे हैं कि अनमैण्ड रेलवे क्रासिंग न हों। जितने माननीय सदस्यों ने हमें लिखकर सुझाव दिया है, उस पर मैंने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को कहा है कि उन अनमैण्ड लेवल क्रासिंग को मैण्ड किया जाए। उन सारे फाटकों को हम मैण्ड करने जा रहे हैं। ऐसा मत समझ लीजिए कि चौबीस हजार क्रासिंग्ज को मैण्ड करने जा रहे हैं। संसार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां अनमैण्ड फाटक नहीं हैं। और हम चाहें कि सारे फाटकों को मैण्ड कर दें तो वह संभव नहीं, लेकिन जवाबदेही अपनी है।

अब बस या ट्रक का कोई ड्राइवर आ रहा है जो उसकी भी जवाबदेही बनती है। जब स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, लोगों की लाइफ का खतरा है, तुम बस में लोगों को लेकर चल रहे हो, दांये और बांये देख लो, लेकिन स्पीड से गाड़ी चलायेंगे और नतीजा यह ऐसा है कि कभी ट्रेन में जाकर टक्कर मारता है और कभी गेट में जाकर टक्कर मारता है। तो इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वे सचमुच में दुखद दुर्घटनाएं हैं और इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जहां कहीं भी रेलवे के अधिकारी या कर्मचारी की गलती होगी, हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं और जहां कहीं भी रेलवे की गलती से कोई पैसेंजर एक्सीडेंट में मारा जाता है, उसके लिए माननीय सदस्यों ने कहा कि बीमा क्यों नहीं करवाते हो तो मेरा कहना यह है कि उसके लिए बीमे का प्रावधान पहले से ही दो लाख रुपये का है। अब जैसे कोकराझार में या अम्बाला में घटना घटी, जितने भी लोग बम विस्फोट में मारे गये, उनके परिवारों को दो-दो लाख रुपये दिये गये हैं।

अध्यक्ष जी, कैजुअल लेबर का सवाल है। जिस समय मैंने कैजुअल लेबर के संबंध में घोषणा की थी तो बहुत से माननीय सदस्यों को लग रहा था कि शायद राम विलास पासवान ने रेल मंत्री की हैसियत से सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए यह घोषणा करने का काम किया है। मैंने 56 हजार कैजुअल लेबर के लिए घोषणा करने का काम किया था और आज मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 56 हजार में 30 हजार कैजुअल लेबर को पारमानेंट कर देंगे और उसके बाद जो बचेंगे, उनको हम 1997-98 तक परमानेंट करने जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कैजुअल लेबर और भी क्लेम करते हैं। जैसे मानिये कोई आदमी ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहा है, अर्थ वर्किंग में काम कर रहा है, मिट्टी काटने का काम कर रहा है, इस तरह की लेबर लाखों की संख्या में लगी हुई है और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की एक तरह से पॉलिसी होती है कि खर्च के ऊपर सीमा बांधो। रेलवे में हमारे पास 19 लाख कर्मचारी थे, आज 19 लाख में से घटाकर 16 लाख रह गये हैं। हम उनको थोड़ा सा भी बढ़ाने का काम करते हैं तो हल्ला होने लगता है। बाहर से ही नहीं प्रैस में भी हल्ला होने लगता है। हमने जब कहा कि हम कैजुअल लेबर को परमानेंट कर देंगे तो अखबारों में निकलने लगता है कि शायद इससे रेलवे के मनी का मिसयूज हो रहा है। जब हम कहते हैं कि हमारे तीन हजार सफाई कर्मचारी हैं जिनसे कांट्रेक्ट सिस्टम में काम करवाया जाता था। हमने कहा कि हम कांट्रेक्ट सिस्टम को खत्म करेंगे और हमने 31 दिसम्बर के बाद कांट्रेक्ट सिस्टम को खत्म कर दिया और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वे रेलवे के द्वारा बहाल हो रहे हैं। लोग उसके लिए भी प्रश्न पूछ रहे है कि तीन हजार आदमियों को सैक्शंड पोस्ट्स में लिया या नहीं, आपने बहाल करने का कमा कैसे किया, क्या किया। मैं आपका बतलाना चाहता हूँ कि इस मामले में जहां पर भी गरीबों का सवाल आये, कैजुअल लेबर का सवाल आये। जहां 14-15 हजार कैजुअल लेबर काम करती है क्या उसका हक नहीं बनता है कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। उससे हमारा भी भविष्य बनता है।

अध्यक्ष महोदय, कुलियों का मामला है। कुलियों को आज भी रेलवे का अंग नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे रेलवे से अलग हैं। पिछली बार हमने 75 परसेंट कुलियों के लिए छुट्टी की घोषणा की थी, मैंने उसी समय कहा था कि हम इनको फ्री पास देने का काम करेंगे और इस बार हमने सौ परसेंट पास देने का काम किया है। लेकिन आज उसको कुछ मिला हो या न मिला हो, लेकिन पूरे देश के पोर्टर्स में एक सैल्फ कांफीडेंस की भावना पैदा हुई है कि कम से कम उसको भी कोई देखने वाला है। भारत सरकार के अंदर हमारी आवाज को भी सुनने वाला कोई है। इसलिए उसको कितना पैसा मिलता है, उसे कितनी सुविधाएं देते हैं, मामला यह नहीं। मामला तो यह है कि गरीब लोगों के मन में हमेशा यह भावना जागती रही है कि यह सरकार न सिर्फ बड़े लोगों की तरफ देख रही है, बल्कि उसकी नजर गरीबों की तरफ भी है। यह सबसे बड़ा मामला है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कल हमारे माननीय सदस्यों ने मंडल कमीशन के बारे में सवाल उठाया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे में ज्यों ही मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया, 1993 से मंडल कमीशन के तहत 27 परसेंट रिजर्वेशन का मामला है, वह हमने शुरू कर दिया है और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ट ट्राइब्स का जो बैकलॉग है, रिजर्वेशन का मामला है उसको आप पूरा क्यों नहीं करते, हमें बदनामी इसी से मिलती है। हमें गाली देने का मौका किसी को नहीं मिलेगा, करप्शन का कोई मामला नहीं आयेगा। एक की बात आयेगी कि रामविलास न रेल भवन को दलित भ ान बना दिया है। रेल भवन में सब जाते हैं तो क्या दलित को वहां जाने का अधिकार नहीं है। आदिवासियों को भी वहां जाने का अधिकार है .....*(व्यवधान)* मैंने आपकी बात नहीं की है, मैं आपके ऊपर कह रहा हूँ।

श्री नीतीश कुमार : ऐसा कोई नहीं कहता होगा। जो कहता है वह गलत कहता है। ऐसा किसी ने नहीं कहा, कम से कम हम लोगों ने नहीं सुना। अखबारों में भी नहीं आया। अगर आप इसे छपवाना चाहते हैं तो बात अलग है क्योंकि प्रचार का एक तरीका यह भी है। ....*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : ऐसा किसी ने अपने भाषण में नहीं कहा। ....*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं यहां किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : ऐसे शब्द 'दलित भवन' किसने कहे, कम से कम हमें मालूम तो होना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : मैंने शुरू में कहा कि आप दो महीने पहले का 'इंडिया टुडे' पढ़ लीजिए। उसकी हैडलाइन ही यही बनाई गई है कि यह रेल भवन नहीं दलित भवन है। ऐसा नहीं है कि केवल आपने कहा है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जब उन्होंने लिखा है कि किसी बुरी भावना से लिखा है। उन्होंने कुछ देखा होगा कि यहां गरीब लोग आते रहते हैं। मेरा कहना है कि

हमारा जो मकसद होना चाहिए, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की नीति होनी चाहिए क्योंकि गरीब लोगों की बात हम कहते हैं और यहां हमारे एक साथी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहां तक शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ-साथ बैकवर्ड एंड माइनौरिटीज का सवाल है, हमने 9 नॉन-ऑफीशियली मैम्बर्स एक्सक्लूसिवली इन जातियों के बनाए हैं। पूरे देश में हमारे 19 रिक्रूटमैंट बोर्ड हैं जिनमें से प्रत्येक में नॉन-ऑफीशियल मैम्बर हमने बनाए हैं ताकि वे इन जातियों के इंटरैस्ट को वाच कर सकें। इनमें से तीन मैम्बर शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के, तीन मैम्बर बैकवर्ड जातियों के और तीन माइनौरिटीज के होते हैं। पूरे देश में आप कहीं आंख उठाकर देख लीजिए, कोई कमी आपको नजर आए तो मुझे बताइए। हम चाहते हैं कि इन सभी जातियों के इंटरैस्ट की रक्षा हो सके।

हम यह भी चाहते हैं कि जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि। आप जाकर देख लीजिए, वहां का एक आदमी कहीं आर.पी.एफ. में नहीं मिलेगा, किसी रेलवे फोर्स में नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वे काबिल नहीं हैं। यह मामला दूसरा है कि वे हाइट की वजह से, ऊंचाई कम होने की वजह से आर.पी.एफ. में नहीं आ सकते हैं। हमारी गोरखा रेजीमेंट सबसे ज्यादा मजबूत रेजीमेंट मानी जाती है। ....*(व्यवधान)*

मैं आपसे कह रहा था कि आज के युग में हाइट का सवाल क्यों खड़ा किया जाए जब हमारी टैक्नोलौजी इतनी ज्यादा विकसित हो गई है, फिर किसी आदमी की ऊँचाई लम्बाई से क्या फर्क पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता। अच्छे लड़ने वाले लोग फौज में हों, अच्छी से अच्छी फौज हो, और क्या चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : चीन में कहाँ लम्बे लोग मिलते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : वही बात मैं कह रहा हूँ। बहादुरी के लिए न किसी ऊंचाई की जरूरत है, कि किसी मजहब को देखना चाहिए और किसी न किसी जाति को देखना चाहिए। यदि कुछ देखना है तो उसके बहादुरी के करिश्मे को देखना चाहिए।

मैं कह रहा था कि हमने अभी कुछ नियमों में चेंज किया है ओर साथ ही साथ आर.पी.एफ. को यह जरूर लिखा है कि वे ट्राइबल एरियाज के लोगों की हाइट के मामले पर पुनर्विचार करें। मैं समझता हूँ कि ट्राइबल एरियाज के मामले में किए गए प्रावधान पर हमें नए सिरे से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

श्री नीतीश कुमार : इस मामले पर सही निर्णय हो, इसके लिए आप रक्षा मंत्री जी बन जाइए और मुलायम सिंह जी रेल मंत्री बन जाएं। ....*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैंने आपका काफी समय ले लिया है। बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आए। खान-पान व्यवस्था के बारे में मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि न तो हमारी रेलवे कैंटीन ढंग से काम कर रही है और जिन प्राइवेट लोगों को हमने इस काम को सौंपा था, वे इसे ठीक से कर पा रहे हैं। इटारसी के हमारे साथी को मालूम है। जितना कड़े से कड़ा एक्शन संभव था, वह एक्शन हमने लिया मगर इसके बावजूद स्थिति में सुधार हुआ हो, ऐसा हमें नजर नहीं आता। हमने यह भी सोचा था कि कैंटीन कार्पोरेशन को इस काम को सौंप दें ताकि वे बढ़िया तरीके से खाना सर्व कर सकें लेकिन मुझे जानकारी दी गई है कि प्लानिंग कमीशन और फाइनैंस मिनिस्ट्री ने हमारे प्रोपोजल को अपोज किया है। हम फिर से इस मामले को उनके साथ टेक-अप करेंगे। हमारा विचार है कि कोई इंडीपैंडेंट बौडी बननी चाहिए। ....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हिमाचल या गुजरात को कुछ नहीं दिया है। उसके लिए आपने क्या किया है ? उसके बारे में भी आप बोलिये।

श्री राम विलास पासवान : मैं जनरल सवाल पर आ रहा हूँ उसी तरीके से पानी पीने का सवाल है। मैं जनता हूँ कि देखने में यह सवाल बहुत छोटा है लेकिन यह पानी सारी बीमारियों की जड़ होता है। रेलवे स्टेशन पर आप चले जाइये या कहीं और चले जाइये। आपको कहीं भी साफ पानी नहीं मिलता। गंदा पानी पीने से बीमारी होती है। गर्मी का महीना आने वाला है। गर्मी के महीने में आप लोगों को पानी नहीं मिला तो क्या हालत होगी ? हमने फैसला कर लिया है कि जो हमारा पानी वाला सिस्टम था जिसको कम कर दिया है। जो पानी पिलाने वाला है जिसको हम पानी वाला कहते हैं उसको हम फिर से सैफीशेंट नम्बर पर डिब्बे के अंदर रखेंगे। अभी भी सिर्फ ए.सी. टू या थ्री टायर में इसकी व्यवस्था की जाती है लेकिन हमने कहा है कि जैसे ए.सी. टू और थ्री टायर में पानी रहता है वैसे ही साधारण क्लास में भी लगाया जाये। मैं खुद स्टेशन की मौनटरिंग करने का काम करूंगा जिससे कि स्टेशन पर जो पानी मिले वह साफ-सुथरा मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार कहा है और मैं रिपीट करके सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे साउथ ईस्टर्न के लिए जहां बैकवर्ड एरिया के लिए है, मैंने इस बारे में सरकार से दो-तीन चीजों का जरूर आग्रह किया है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमारा बजटरी सपोर्ट बढ़ाया जाये। वहीं कोशिश कर रहे हैं कि बैकवर्ड एरिया में रेलवे को संभालने में बहुत दिक्कत होती है। बैकवर्ड एरिया में ऐसी भी पैसेंजर्स ट्रेनें हैं जिसमें 60-40 का रेशियो रहता है। 100 रुपये में से हमको 60 रुपये का मुनाफा होता है और 40 रुपये का घाटा होता है। पैसेंजर्स ट्रेन में हमको घाटा होता है। यदि हम उसको बैकवर्ड में चलाते हैं और उसमें घाटे की संभावना होती है तो हम प्रधानमंत्री जी से और सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं। हम कैबिनेट में भी पेपर भेज रहे हैं कि हमने नार्थ ईस्टर्न में सुविधायें लेने का जो काम किया है, ठीक उसी तरह की सुविधायें जो बैकवर्ड एरिया हैं उसमें भी हम लेने का काम करें तो रेलवे का इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमको काफी मदद मिलेगी। ....*(व्यवधान)* आप पहले सुन तो लीजिये।

उसी तरीके से एक बात की और अपील करना चाहता हूँ। जवाहर रोजगार योजना के तहत मैंने पिछली बार भी कहा था कि 5 साल में 30 हजार खर्च किया गया। 30 हजार का कहीं रिटर्न आता है तो कहीं नहीं आता है। लेकिन रेलवे एक ऐसा इनफ्रास्ट्रक्चर है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। यदि आप उसमें पैसा लगा दें तो 5 साल में रिटर्न आना शुरू हो जाता है। यदि स्टेट की सरकार वही काम करे जिस पर हमारी रेल लाइन बनने जा रही हैं या जहां से रेल को ले जाना चाहते हैं। यदि नीचे का इनफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमैंट का जो फण्ड है या जवाहर रोजगार योजना है या और भी स्कीम्स हैं, उनके तहत काम करें तो मैं समझता हूँ कि जो पैसा लता है वह एक तिहाई, एक चौथाई में हमारा काम बन जायेगा और पूरे देश में रेलवे का जाल भी बिछ जायेगा। इसलिए हम राज्य सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस मामले में आगे आकर सहयोग देने का काम करें।

कोंकण रेलवे का सवाल है। कोंकण रेलवे बहुत ही चिन्ता का विषय बना हुआ है। क्योंकि हम सोच रहे थे कि कोंकण रेलवे मार्च तक शुरू कर देंगे। मैं स्वयं दो जनवरी को मैं गोवा गया था और दो दिन तक मैंने टनल के भीतर निरीक्षण करने का काम किया है। हमारे जो इंजीनियर हैं वह काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। थोड़ा टनल बचा हुआ है। एक जगह पुरना में और दूसरी जगह ओल्ड गोवा में है। दूसरी जगह का तो हो गया है ओल्ड गोवा का तो हो गया है लेकिन पुरना वाला समाप्त बच गया है लेकिन वह खतरनाक है। दो बार बाहर से इंजीनियर भी बुलाये गये लेकिन कभी वह बन जाता है और कभी गिर जाता है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम बरसात के पहले जून तक हम उसको खोलेंगे। मैं फिर गोवा तक इधर से उधर दोनों तरफ, एक तरफ तो गाड़ी चल रही है। दूसरी तरफ से आगे ले जाकर गाड़ी चलाने का काम करेंगे। अगर कोंकण रेल लाइन खुल जाती है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूँ रेलवे जब काम करता है तो युद्ध स्तर पर करता है।

अभी मेहसाना से लेकर अहमदाबाद तक की रेलवे लाइन थी। 436 कि.मी. रेलवे लाइन दो महीने के अन्दर, 15 दिसम्बर में उसका ऑपरेशन शुरू हुआ और 15 फरवरी को 432 कि.मी. की 236 करोड़ रुपये देकर सीधे उसको दो महीने के अन्दर खोल दिया गया। हम जब प्रोजैक्ट को लेते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा प्रोजैक्ट है, शुरू में जो प्रोजैक्ट आता है, जिसमें हमको जमीन खरीदनी पडती है, स्टेट गवर्नमेंट से निगोसिएशन करना पड़ता है, उसमें थोड़ा पैसा कम रखा जाता है। सैंकिड स्टेज में थोड़ा पैसा बढ़ाया जाता है। जब लास्ट स्टेज में आता है तो पैसे की जो भी कमी होती है, उसको हम पैसे को नहीं देखते हैं, बल्कि हम प्रोजैक्ट को देखने का काम करते हैं। इसलिए अभी .....*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : आपने कोंकण रेलवे का जिक्र किया है, लेकिन कोंकण रेलवे को दादर से छोड़ने की बात नहीं की। ....*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आज आपने कभी हम इस सदन पर चर्चा कर रहे हैं, वह वोट ऑन एकाउंट के ऊपर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास माननीय संसद, सदस्यों को पूरा का पूरा सुझाव और उसके सम्बन्ध में की गई कार्रवाई है, वह पूरा का पूरा मेरे पास में है, लेकिन मैं इन सारी चीजों को नहीं कहूंगा, क्योंकि उसको बताने से अभी कोई फायदा नहीं होने वाला नहीं है, चूंकि आप बजट पास नहीं कर रहे हैं। उन सारी चीजों को .....*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : आपने मध्य प्रदेश के सांसदों को कहा था कि जब बजट का जवाब दिया जायेगा तो आपको बताया जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : आप सुन तो लीजिए न।

अभी आप बजट पास नहीं कर रहे हैं। हमारा यह पूरा का पूरा बजट स्टेंडिंग कमेटी में जायेगा, फिर स्टेंडिंग कमेटी उसके ऊपर डिस्कशन करके फिर वह मामला इस सदन में जायेगा। मैं जानता हूँ कि संसद् सदस्य कट मोशन के मामले से हो या कोई न कोई मामला राम नाईक जी तो निकाल ही लेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मैं बिल्कुल निकालूंगा।

श्री राम विलास पासवान : तो आप लोग उसके ऊपर फिर डिस्कशन करना चाहेंगे अभी सवेरे छह बजे तक हम लोग यहां बैठे थे, लेकिन तब तक मैं ....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : आपने कुछ प्रदेशों को उपेक्षित किया है, उसके बारे में तो जरा बोलिये।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा संभव नहीं है। सुनने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : सुन तो लीजिए न।...*(व्यवधान)* एक मिनट सुनिये।

अध्यक्ष जी, मेरे पास में स्टेटवाइज प्रोजैक्ट्स का पूरा का पूरा संसद् सदस्यों का सुझाव और प्रोजैक्ट लिखा हुआ है और उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जो हमारे आन्ध्र प्रदेश के साथी हैं, जो हमारे केरल के साथी हैं, पश्चिम बंगाल के साथी हैं, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश के साथी हैं, हमारे पास में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मैं सबका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं आज जवाब दूंगा तो फिर दोबारा हमको कम्पैल नहीं किया जायेगा? क्योंकि यह वोट ऑन एकाउंट है। इन वोट ऑन एकाउंट्स पर दो महीने के लिए हम आपकी अनुमति लेने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप हमको जैसा कहेंगे, उसके ऊपर आप हमारा निर्देशन करेंगे।

अब मैं 1997-98 के पहले दो महीने के लिए लेखानुदान, 1996-97 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगे और 1995-96 के लिए अतिरिक्त मांगें सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको सुनने की जरूरत नहीं है, पासवान जी, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा, सब कैमरे ऑफ हैं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): कृपया मेरी बात सुनिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 3.34 बजे

इस समय कुमारी ममता बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, श्री पासवान जी, कृपया चुप रहें तथा कुछ नहीं कहें।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

*....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1997-98 की लेखानुदानों की मांगें (रेल) मतदान के लिए रखता हूँ।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आने स्थान पर वापिस जाएं।

....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : आपको मुझे निष्कासित करना होगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाँ, आप निष्कासित की जाती हैं तथा आपको अब सभा से बाहर जाना होगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा आदेश है।

....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हां, मैं सभा से बाहर जा रही हूँ *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाँ, आप सभा से चली जाएं। यहां से बाहर चली जाएं।

....(व्यवधान)

अपराह्न 3.37 बजे

इस समय कुमारी ममता बनर्जी ने शाल फेंका और सभा से बाहर चली गईं।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, आप उन्हें नाम लेकर कह *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

...(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : आप उन्हें बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन आप उन्हें निकल जाइए, नहीं कह सकते....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : फिर आप सदन की कार्यवाही चलाइये।

....(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : आप उन्हें बाहर जाने के लिए कह सकते हैं लेकिन आप सभा से निकल जाइए, नहीं कह सकते..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी एक सीमा होती है।

.....(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : आप उन्हें बाहर जाने के लिए कहें *....(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतात में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अब बहुत हो गया।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र आपको जो करना है करिए। आप इस सभा को चलाइए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को नहीं चला रहा।

.....(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, आप उन्हें बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। परन्तु आप बाहर निकल जाइए, नहीं *.....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको भी यह कहना होगा।

....(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : आप यह नहीं कह सकते कि बाहर निकल जाइए *...(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : हमें इसे शान्ति पूर्वक लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप अध्यक्ष का पद संभालिए।

श्री संतोष मोहन देव : नहीं महोदय, मैं आपके अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहा *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार से इस सभा को कार्यवाही नहीं चलाना चाहता। यह क्या है? इसकी एक सीमा है। हम सब इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं। हम कहते हैं कि यह सर्वोच्च संस्था है, और भी बहुत कुछ कहते हैं। और आप आपको यह भी नहीं मालूम कि आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस देश की 94 करोड़ जनता हमारे बारे में क्या सोचती है? आप सब जानते हैं कि वह हमारे बारे में क्या सोचते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, क्या आप मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : हाँ, आप तीन मिनट बोल सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इस उत्तेजना के पीछे रेल मंत्री पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाने की मंशा नहीं है। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया तथा विभिन्न राज्यों के संसद सदस्यों से एक-एक करके मिलने के बाद वह उन्हें *....(व्यवधान)* उनमें से कुछ को राजी कर सके तथा उन्हें कुछ योजनाओं का आश्वासन दिया। आमतौर पर यह आशा की जा रही थी कि आज माननीय मंत्री जवाब देंगे और सदस्य अपने मतदाताओं को इस बारे में बता पाएंगे। फिर भी, आप जैसा चाहें अथवा अन्य दल जैसा चाहें, हमें नहीं मालूम क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं हैं — यह निर्णय लिया गया है कि इसे बिना मतदान के स्थायी समिति को भेज दिया जाए। हम इसे चुनौती नहीं दे रहे। हम इसे स्वीकार करते हैं। माननीय मंत्री ने अभी अपना भाषण इस बारे में लिए गए निर्णय को बताए बिना समाप्त कर दिया है। स्थाई समिति के सभापति के रूप में, हम जानते हैं कि हम उन्हें यह नहीं कह सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए। हम केवल बजट का विश्लेषण कर सकते हैं। हम इसमें कुछ जोड़ सकते हैं अथवा कम कर सकते हैं। चूंकि माननीय मंत्री के हाथ में एक सूची है, अगर संभव हुआ तो, वह जो कुछ करने की सोच रहे हैं बता सकते हैं - यह जरूरी नहीं होगा - मेरे विचार से इससे सारी सभा शान्त हो जाएगी।

अगर मेरे दल के सदस्य से कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए बिना शर्त माफी मांगता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरे विचार में आप 'बाहर निकल जाइए' ऐसा नहीं कह सकते। शायद ऐसा उत्तेजनावश हुआ है। यह भी नहीं होना चाहिए। मेरे विचार में आपका ऐसा आशय नहीं था, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आप इतना नाराज मत हुआ करिए।

रेल मंत्री जी के भाषण के बाद हर बार सदस्यों को कुछ स्पष्टीकरण मांगने और कुछ जानकारी प्राप्त करने का मौका दिया जाता है। जो बातें रखी जाती हैं, उन्हें रेल मंत्री जी स्पष्ट करते हैं। चर्चा आगे चलती रहती है। इस बार शायद ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैम्बर उत्तेजित हैं। जितना समय हमने शोर-शराबे में बिताया, अगर उतना अलग-अलग मैम्बर को अपनी बात कहने का मौका दे देते, तो फिर दोबारा उनको अपनी बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। बार-बार वही बातें कही जाती हैं। मैं रेल बजट पर नहीं बोला। मैं इस समय बोलना चाहता हूँ। मुझे आज लखनऊ से टेलीफोन आया है कि कानपुर-लखनऊ के बीच में जो इलैक्ट्राफिकेशन हो रहा है, वह बरसों से चल रहा है। आपने इसकी आवाज नहीं उठाई। मैं अब आवाज उठा रहा हूँ कि इलैक्ट्रिफिकेशन होता है या नहीं होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। जब तक सदस्य कुछेक मुद्दे उठाने के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े होते हैं - चाहे 10, 15 अथवा 100 ही क्यों नही हों। मैं हस्तक्षेप नहीं करता। मैं उन्हें धैर्यपूर्वक बैठने को कहता हूँ।

मेरा कहना यह है कि सभी को मौका मिलेगा यदि वे एक-एक करके बोलेंगे। कोई संसद सदस्य संसदीय कार्य मंत्री और रेल मंत्री

से तर्क-वितर्क कैसे कर सकता है? क्या संसद सदस्यों को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? क्या हम नेता बनने के योग्य हैं? मुझे इस बात से नाराज़गी है।

मैं संसद सदस्यों के सम्मान को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि देश में संसद सदस्यों के प्रति क्या राय है। मुझे प्रतिदिन सैकड़ों पत्र आते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि हम अच्छा व्यवहार करें। सदस्य एक-एक करके अपनी बात कहें। मैं सभी को अवसर दूँगा। मैं सभी को अवसर देता आया हूँ। आप मुझसे इस बात की आशा नहीं कर सकते कि यदि आप सभा पटल के समीप आ जायेंगे तो, मैं आपको अनुमति दे दूँगा। उस स्थिति में, मुझे या तो सदस्य को उसके स्थान पर वापस जाने के लिए कहना पड़ेगा अथवा सभा स्थगित करनी पड़ेगी। जिसे मैं करने से मना कर चुका हूँ। मैं नहीं समझता कि सभा स्थगित करके मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहा हूँ। मैं आसानी से सभा स्थगित नहीं करूंगा। अतः मेरा यही अनुरोध है कि आप इस देश के नेता हैं और आपको नेता की तरह व्यवहार करना चाहिए। यही मेरी सलाह है।

इस चर्चा में, 96 सदस्यों ने भाग लिया और यह चर्चा 24 घंटे और एक मिनट तक चली। मैं स्वयं आधी रात तक यहाँ था। सभापति के पैनल में मेरे मित्र सुबह 5.30 बजे तक यहां थे। हम इतने गंभीर क्यों नहीं हैं? यही मेरा अनुरोध है। हम इस तरह से व्यवहार करें कि लोग हमारी प्रशंसा करें।

मेरा केवल इतना ही कहना है। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो ठीक है। श्री उपेन्द्र, क्या आप आपना प्रश्न पूछना चाहेंगे।

श्री पी. उपेन्द्र : जी, हाँ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो फिर हमें चर्चा दोबारा आरम्भ करनी पड़ेगी।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह चर्चा केवल प्रश्न पूछने के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ, लेकिन यदि मैं एक प्रश्न पूछने दूँगा तो प्रत्येक व्यक्ति दस मिनट का भाषण देगा।

श्री पी. उपेन्द्र, मैंने आपको अनुमति दे दी है।

श्री पी. उपेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था कि पिछली बार रेल मंत्री के उत्तर में विशेष बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। वह सामान्य उत्तर देने में लगे रहे हैं। हमेशा ऐसा ही होता आया है कि यदि वे कुछ मुद्दों पर सहमत होते हैं तो रेल मंत्री कहते हैं कि "ठीक है।" मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। मैं इसे मान लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। पिछले चार वर्षों से हम स्थायी समितियों के साथ प्रयोग करते रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। स्थायी समिति यह कैसे जानेगी कि मंत्री जी को क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं और विभिन्न समूहों के सदस्यों साथ उनकी क्या बातचीत हुई है? वे इस बारे में कुछ नहीं जानते। वे बजट के अनुसार चलते हैं? वे बजट का विश्लेषण करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

मंत्री महोदय कम से कम इतना तो कह सकते हैं, "मैं सदस्यों को पत्र लिखूंगा कि सरकार किन-किन बातों को मान रही है" यह उनके लिए अच्छा होता यदि वे कुछ मुद्दों पर सहमत हो जाते। मैं यही कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दीजिए। मैं रेल बजट को पूरी तरह से सुनता रहा हूँ। मंत्री जी की यह बहुत अच्छी बात थी कि जब भी किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा, तो चर्चा के दौरान जहां कहीं भी सम्भव हुआ मंत्री महोदय सदस्यों की बात यह कहकर मान लेते थे कि "जी, हाँ, मैं यह करूंगा। मैं इस मुद्दे पर विचार करूंगा।" इसलिए आप मंत्री महोदय पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। वे अपनी ओर से पूरी कोशिश करते रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहूं कि कोई भी रेलमंत्री सभा के 545 सदस्यों को कभी भी खुश नहीं कर पायेगा है। यह सम्भव नहीं है।

श्री पी. उपेन्द्र : कल, उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के सदस्यों को बुलाया था और उनके विचार पूछे थे। हमने उन्हें लिख कर दिया था। उन्होंने यह संकेत दिया कि आज वह अपने उत्तर के दौरान कुछ बातों के बारे में घोषणा करेंगे। हम उनकी घोषणा का बहुत उत्सुकता से इन्तजार कर रहे हैं। अब वे अप्रैल और मई में स्थायी समिति की बात कर रहे हैं। अब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्य में लोगों को क्या जवाब दें?

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : मध्य प्रदेश के सारे सांसद रेल मंत्री जी से मिले थे और प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे। बिलासपुर में रेलवे ज़ोन का मामला था। इंदौर, खातेडाम, उरमी नयी रेलवे लाइन का मामला था। भोपाल, रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज से सागर तक नयी रेलवे लाइन का मामला था। डंडी, राजहरा, जगदलपुर हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़े इलाके बस्तर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के ऐसे कुछ मामले थे। रेल मंत्री जी ने कहा था कि जब मैं पूरी बहस का उत्तर दूँगा तो इनको सम्मिलित करूंगा। सम्मिलित न करूं तो तो आप खड़े होकर टोकना, मैं जवाब दूंगा। पर उन्होंने एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा। मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिलासपुर में रेलवे जोन के बारे में वह क्या कर रहे हैं और जिन मांगों के बारे में उन्होंने आश्वस्त किया था, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता, उसके बारे में उनकी धारणा क्या है, वह स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (मुकुन्दपुरम) : अध्यक्ष महोदय, आपके निदेशानुसार पूर्वाह्न 5.30 बजे तक सभा में इन्तजार करते रहे। आप जानते हैं कि हम रेल मंत्री के साथ पूरा सहयोग करते रहे हैं। मैं जानता हूँ कि रेल मंत्री जी सभी 545 सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस बजट में जानबूझ कर अथवा अनजाने से कुछ त्रुटियां और कमियां रह गई हैं कि कुछ राज्यों की पूर्णतः उपेक्षा हो रही है। मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री का न तो यह आशय था और न ही वह ऐसा करना चाहते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ राज्य उदाहरण के लिए केरल की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। मैं योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जबकि पिछले वर्ष 126 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, इस वर्ष केवल एक चौथाई राशि का प्रावधान किया गया है। यदि आबंटन में आनुपातिक कटौती की गई है तो हमें इसे सहन करना होगा। लेकिन हम रेल मंत्री को इस बात के लिए मना सकते हैं कि केरल तथा अनेक अन्य राज्यों के साथ कुछ गलत हुआ है। माननीय मंत्री जी भी इस पर विचार करेंगे हम यह सुनने के लिए इन्तजार करते रहे हैं कि मुख्य असमानताओं को दूर किया जाएगा। यहां आज ऐसा नहीं किया गया, ऐसा कब किया जाएगा ? हम स्थायी समितियों का कार्य जानते हैं। स्थायी समितियों को इनकी तह तक जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। हमें कुछ मिलना चाहिए अन्यथा, यह सब कहने का क्या उद्देश्य है ?

अध्यक्ष महोदय : केरल के बारे में चर्चा हो चुकी है। आइए अब उड़ीसा पर चर्चा करें।

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : अध्यक्ष महोदय, हम उड़ीसा के सांसदों ने उड़ीसा की विकास परियोजनाओं और पिछड़े हुए जिलों के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। दिल्ली से सम्बलपुर एक रेलगाड़ी जाती है। उड़ीसा के नाम पर मंत्री जी ने एक रेलगाड़ी दी है लेकिन इससे उड़ीसा के केवल दो स्टेशन ही कवर होते हैं। उड़ीसा में यहां पांच पिछड़े जिले हैं हमने उनसे इस रेलगाड़ी को टिटलागढ़ तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसमें तीन घंटे का समय लगेगा। उनके वक्तव्य के अनुसार, वह भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास में माहिर हैं। उड़ीसा के संसद सदस्यों सहित उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री रेलमंत्री से मिले थे और उन्होंने सभी परियोजनाओं के संबंध में ज्ञापन दिया था।

हमारे राज्य के लोग टिटलागढ़ तक इस रेलगाड़ी को बढ़ाने के संबंध में रेल मंत्री से जानना चाहते है।

महोदय, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस सबंध में उत्तर दें।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया सभा में कुमारी ममता बनर्जी को फिर से बुलाइए।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। मुझे उलझन में नहीं डालिए।

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने हमें स्पष्ट आश्वासन दिया जब हम दो बार अपने नेता श्री शरद पवार के साथ उनसे मिले। हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके आश्वासन के बारे में बताया है। हम उसका इन्तजार कर रहे हैं। महोदय, पिछली बार भी उन्होंने वचन दिया था लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन इस बार हम आपके द्वारा यह उम्मीद कर रहे थे कि जो भी आश्वासन उन्होंने हमारे नेता श्री शरद पवार के समक्ष दिया है। उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वह इसे करेंगे। मुझे उम्मीद है वह अवश्य करेंगे। इसलिए हमने चर्चा में हस्तक्षेप नहीं किया।

[हिन्दी]

डॉ० रामलखन सिंह (भिंड) : अध्यक्ष महोदय, मैं रात के चार बजे तक बोलने के लिए बैठा था, मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था कि गुना-इटावा रेल लाइन के लिए आपने पिछले वर्ष 35 करोड़ रुपये दिये थे, इस वर्ष आपने सिर्फ 13 करोड़ रुपये दिये हैं। जबकि शिवपुरी और गुना के बीच में 24 करोड़ की लायबिलिटी ऑलरेडी है। मैंने यह भी निवेदन किया था कि ग्वालियर और भिंड को जोड़ने के लिए सिर्फ दस करोड़ रुपये चाहिए और आप अगर सिर्फ 33 करोड़ रुपये देंगे, जैसे पिछले वर्ष दिये थे, अगर उतना भर दे देगें तो गुना से लेकर भिंड तक लाइन जुड़ जायेगी, केवल इतना ही मैंने निवेदन किया था, लेकिन उसके ऊपर माननीय मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही।

एक दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दतिया में पीताम्बरा तीर्थ एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है, वहां पर चम्बल-एक्सप्रेस जो झांसी से इलाहाबाद तक पैसेंजर बनकर चलती है, बहुत छोटे-छोटे स्टेशनों पर रुकती है, अगर उसे दतिया में रुकने का आदेश कर दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इन्हीं दो-तीन बातों को लेकर मैंने निवेदन किया था लेकिन माननीय रेल मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरा निवेदन यह है कि एक तो बांदीकुई-आगरा के गेज कंवर्शन का मामला है, जो तीन साल से लटका पड़ा है, उसके लिए एक करोड़ रुपया टोकन मनी रख दिया जाता है। इस लाइन के बिना सेना को बड़ी भारी कठिनाई आ रही है। जोधपुर तक सेना को भेजने की समस्या है, इस वजह से सेना ने ही यह अनुरोध किया था कि इसे जल्दी बढ़ाया जाए। मुलायम सिंह जी अगर रिकार्ड देखेंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन वहां पर अभी काम नहीं हो रहा है।

मेरा दूसरा निवेदन टूंडला-आगरा दोहरी लाइन किये जाने की बात है, उसे भी बहुत कम पैसा दिया गया है, कुल एक करोड़ रुपये दिये गये हैं। मथुरा-आगरा गेज कंवर्शन के बारे में इस बार के बजट में कोई उल्लेख नहीं, जबकि प्लानिंग कमीशन में यह पास हो चुका है। मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ कि आगरा-कानपुर एक नई रेलवे चालू करने की बात कही गई है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से कहूंगा कि इसे कानपुर तक नहीं लखनऊ तक पहुंचा दें, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। माननीय रेल मंत्री जी शायद सुन रहे होंगे कि कानपुर को जो प्रस्तावित नई रेलवे है उसको लखनऊ तक कर दें। मेरी आखिरी बात यह है कि मरूधर जोधपुर से लेकर लखनई होते हुए वाराणसी जाती है।

अभी वह सप्ताह में चार दिन चलती है, उसे डेली कर दिया जाए। यदि वह सप्ताह में सातों दिन चले तो लोगों को लखनऊ पहुंचने में होने वाली देरी की समस्या खत्म हो जाएगी। अंतिम बात, मैं रक्षा मंत्री जी के क्षेत्र के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ कि आगरा-इटावा रेलवे लाइन का जो सर्वे हो रहा है, उसके काम को तेजी से पूरा कराया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपुर) : महोदय, पश्चिम बंगाल की ओर से हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष अनेक प्रस्ताव रखे हैं। हमें यह उम्मीद थी कि कम से कम कुछ सही मामलो में तो वह सकारात्मक उत्तर देंगे।

महोदय मुझे माननीय मंत्री जी को एक सकारात्मक सुझाव देना है। आपके माध्यम में माननीय मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि वे विभिन्न राज्यों के संसद सदस्यों के साथ सभी मुद्दे उठाये ताकि हमें रेल संबंधी मामलों की जानकारी मिल सके कि कौन से प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं और कौन से अस्वीकृत हुए हैं। अन्यथा हम अंधेरे में रहेंगे और हम यह नहीं जान पाएंगे कि रेलवे में क्या हो रहा है।

महोदय, मुझे आपको एक अन्य सुझाव देना है। कुछ समय पहले, इस सभा में उत्तेजना हुई थी और हमारे दो साथियों को सभा से उठकर जाना पड़ा। बेहतर होगा यदि आप उन्हें सभा में उपस्थित होने को अनुमति दे दें। यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : अध्यक्ष जी, ऊधमपुर रेलवे लाइन 1983 में शुरू हुई थी और अब 1997 चल रहा है। यह लाइन केवल मात्र 52 कि.मी. की थी लेकिन माननीय रेल मंत्री जी ने कहा है कि हम कश्मीर को कन्याकुमारी से रेलों के जरिए जोड़ने जा रहे हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि जिस तरह कोंकण रेलवे के लिए आपने एक कार्पोरेशन बनाकर रिकार्ड टाइम में उसके काम को पूरा किया था, उसी तरह इस काम को भी आप रिकार्ड टाइम में पूरा करवाएं।

एक दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जैसा रेल मंत्री जी ने बाहर कई जगह बोला है कि हम पत्रकारों को बाकायदा रेलों में ट्रेवल करने में कुछ रिलीफ देंगे, उन्हें हाफ किराए पर ट्रेनों में ट्रेवल करने की इजाजत देंगे, लेकिन उसके बारे में आज उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर भी वे सदन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष जी, मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध किया था कि झांसी-कानपुर ट्रैक को डबल ट्रैक में कन्वर्ट करके उसका शीघ्र विद्युतीकरण किया जाए। दूसरी बात मैंने कही थी कि ललितपुर मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, अतः यहां पर कोचीन-गोरखपुर, गोरखपुर-कोचीन, हैदराबाद-कोचीन तथा गोरखपुर-हैदराबाद गाड़ियों का ठहराव कराया जाए। हमारे यहां तालबेट में पहले पंजाब मेल रुकती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि उसके ठहराव को फिर से चालू कर दिया जाए। वैसे तो महुरानी पुर में तुलसी गाड़ी का ठहराव कराया जाए। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि सतना-ललितपुर रेलवे लाइन को बिछाने के लिए माननीय मंत्री जी ने सदन में एक लाख रुपये देने की बात कही है। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसके उद्घाटन की तारीख तय करके, सदन में आप उसकी घोषणा कर दें ताकि उस महत्वपूर्ण लाइन का काम आरम्भ हो सके क्योंकि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है। ललितपुर-सतना रेलवे लाइन चालू जो जाने से, इस क्षेत्र के विकास के रास्ते खुल जाएंगे। अतः माननीय मंत्री जी को इस लाइन के उद्घाटन की तिथि की घोषणा शीघ्र सदन में करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग-दिल्ली) : महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। कुछ देर पहले, कुछ गर्मागर्मी हो गई थी और अब वह मामला समाप्त हो गया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ममता जी को वापस आने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसके लिए मुझे बार-बार मत कहिए। मुझे मालूम है, कि कब क्या निर्णय लेना है।

श्रीमती मीरा कुमार : यह एक अनुरोध है महोदय।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, न तो मुझे किसी रेलवे लाइन की मांग करनी है और न कोई प्रोजैक्ट देने के बारे में रेल मंत्री जी से निवेदन करना है क्योंकि ये सारी बातें कल कही जा चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कल रेल मंत्री जी ने प्राइवेटली जो वायदा किया था, पिछली दफा इन्होंने पार्लियामेंट में भी एनाउंस किया था कि देश में जितनी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबमें कम्प्यूटर के माध्यम से टिकट दिए जाने का इंतजाम किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि देश में जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है या जितनी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज और रेजीडेंश्यल यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान में हैं, रेल मंत्री जी आज सदन में एनाउंस करें तो ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज में, इन जनरल, अगर वे अपने यहां जगह दें तो वहां कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की फैसिलिटी दे दी जाएगी।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सदन में कुछ कहने में बहुत डर लग रहा है। माननीय मंत्री जी ने सदन में खुद ही स्वीकार किया है कि कोई उनके खिलाफ कुछ कहता है तो उन्हें गुस्सा आता है। आपने कहा कि आपके पास रोज सैकड़ों चिट्ठियाँ आ रही हैं। हम लोगों के पास भी सैंकड़ों चिट्ठियां आ रही हैं कि आप लोग सदन में क्या कर रहे हैं। हमारे पास सैंकड़ों चिट्ठियां आ रही हैं कि हमारे एरिया के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। इस बारे मे कुछ कहने की कोशिश करें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कॉमन मीनिमम प्रोग्राम में बैकवर्ड एरिया के बारे मे कहा गया है लेकिन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ नहीं है। इसलिए मेरा डिस्ट्रिक्ट अभी भी बैकवर्ड है। 17 साल में 34 बार हम लोग इस बारे में जिक्र कर चुके हैं। मेरे जिले की कटाई के बारे में, रेलवे लाइन के बारे में आदि सब बारे में यहां सवाल उठाते हैं लेकिन आज तक यहां कोई भी काम नहीं हुआ है। लालगुड़ा सैक्शन से किशन नगर तक इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है लेकिन मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ। हावड़ा की तरफ से यह लाइन इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ लेकिन कटवा से लेकर मुर्शिदाबाद तक नहीं आया। उसके बाद तीसरी लाइन है वह वाया गोलपुर साइतिया होकर जा रहा है। दिल्ली से नार्थ बंगाल बहुत सी ट्रेनें फरक्का के ऊपर से जा रही हैं लेकिन फरक्का में आपने एक भी स्टापेज नहीं दिया है। एक भिवानी एक्सप्रेस दिया है। वह भी पता नहीं कब खुलती है और कब नहीं खुलती। मैं आपके माध्यम से सरकार की नजर में यह लाना चाहता हूँ कि बैकवर्ड एरिया के बारे में, बैकवर्ड डेवलपमेंट के बारे में सोचिये लेकिन जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्या हमें इस बारे में स्पेसीफिक आश्वासन मिलेगा।

श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मंत्री जी ने रिप्लाई में रोहतक-रिवाड़ी रेलवे लाइन के बारे में कहा था कि हम एक महीने के बाद प्लानिंग कमीशन में भेज देंगे। इसको सर्वे में दिखाया गया है जबकि सर्वे कम्पलीट हो चुका है। लेटेस्ट पोजीशन क्या बताती है, यह हमको पता नहीं लगा है। रोहतक रिवाड़ी रेलवे लाइन हमारे निवेदन पर ई.एम.यू. रोहतक और दिल्ली के बीच चलाई थी। ई.एम.यू. तो चल गयी लेकिन उसके बदले दो ट्रेनें कैंसिल कर दी गयी हैं जो परपज था वह डिफीट हो गया। वहां ज्यादा ट्रेफिक है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो ट्रेनें कैंसिल की गयी हैं, वे रीस्टोर की जायें।

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, बंगलौर की जनसंख्या 50 लाख है और वहां कोई सरकारी परिवहन नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार वहां 7,90,000 वाहन है और 2000 ए.डी. तक हमारे वहां 16,00,000 वाहन हो जायेंगें। अतः 50 लाख व्यक्तियों से प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से 500 ग्राम प्रदूषण आता है। हम बार-बार बंगलौर शहर के लिए मैट्रो रेल सेवा प्रणाली आरम्भ करने का अनुरोध करते रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान से मिला था और उनसे मैट्रो रेल सेवा प्रणाली चलाने का अनुरोध किया था। उसके लिए, उन्होंनें यह आश्वासन दिया था कि वे मामले पर विचार करेंगे और सर्वेक्षण किया जाएगा। लेकिन इस संबंध में माननीय रेल मंत्री ने अपने उत्तर में कोई आश्वासन नहीं दिया है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे हमें आश्वासन दें कि वे मैट्रो रेल सेवा प्रणाली और सर्कुलर रेल सेवा के लिए सर्वेक्षण करवायेंगे और शीघ्रातिशीघ्र कार्य आरम्भ करवायेंगे।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (कालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश, बिलासपुर की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह बहुत सैंसटिव मामला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय रेल मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में सब लोगों को आश्वस्त किया था कि इसको एनाउंस करेंगे। उसी तरह से हमारे दिल्ली राजहरा से जगदलपुर रेल लाइन जो भिलाई स्टील प्लांट है उसको अयस्क सप्लाई करने का काम करेगी। अगर यह टाईमली नहीं बन पायेगी तो हमारे भिलाई स्टील प्लांट को अयस्क नहीं मिल पायेगा। उसी तरह से विश्रामपुर-अम्बिकापुर के लिए प्लानिंग कमीशन ने सैक्शन दे दिया है। इस लाइन से कोयलरी से कोल निकालने का जो काम होगा, वह हमारी रेलवे के लिए उपयोगी है। उसी तरह से इंदौर-दहोद-मकसी लाइन का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। समता एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से नागपुर वाया नागपुर होते हुए हजरत निजामुद्दीन की ओर जाती है। यह मात्र दो दिन चलती है जबकि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि पूरी लाईन होकर चलती है। यह एकमात्र ट्रेन है तो समता एक्सप्रेस को डेली चलाये जाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप चुप क्यों नहीं रहते ? यह श्री श्रीकान्त जेना और श्रीमती मीरा कुमार के अनुरोध पर दिया गया जवाब है। मैनुअल में यह कहा गया है और मैं मैनुअल से पढ़ता हूँ।

> "जिस सदस्य को सभा से चले जाने का निर्देश दिया गया है उसे इससे पूर्व कि अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को सभा से चले जाने के आदेश को रद्द करने के लिए सभा से अनुरोध करने की अनुमति दे, अध्यक्ष से खेद व्यक्त करना चाहिए।"

अतः आप पहले उनसे यह निश्चित कर लें कि क्या वे खेद व्यक्त करना चाहती हैं अथवा नहीं। उसके बाद मैं आदेश वापस लूंगा।

[हिन्दी]

डॉ० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : माननीय अध्यक्ष जी, दसवीं लोक सभा से मैं रेल मंत्री से आग्रह करता आया हूँ कि गाजियाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस रुकनी चाहिए, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस

रुकनी चाहिए और हापुड़ के लोगों की मांग रही है कि शहीद एक्सप्रैस रुकनी चाहिए, इसके लिए मैंने मांग की थी। दसवीं लोक सभा से मैं मांग करता आ रहा हूँ। उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन वहां के लोग परेशान है। मुरादनगर से कोई गाड़ी नहीं आती है, मुरादनगर से गाड़ियों की संख्या बढ़नी चाहिए। गाजियाबाद से हर दिन एक लाख से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं, इसलिए डी.एम.यू. ट्रेन की संख्या भी वहां पर बढ़नी चाहिए। रेल मंत्री ने बहुत विकास की बात की है, लेकिन मुरादनगर से सहारनपुर के लिए दोहरी रेलवे लाइन के लिए इस बजट में कम पैसा दिया गया है। यही मामला गाजियाबाद से लेकर गजरौला का है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि हापुड़ में शहीद एक्सप्रेस रुकनी चाहिए, बाबूगढ़ पर नौचन्दी एक्सप्रैस रुकनी चाहिए और गाजियाबाद में शताब्दी और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रुके। जो दोहरीकरण के लिए रेलवे लाइन के लिए मुरादनगर से सहारनपुर और गाजियाबाद से गजरौला के लिए जो पिछली बार की तुलना में कम पैसा दिया गया है, वह पैसा बढ़ाया जाये।

श्री परसराम मेघवाल (जालौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने रात को रेल मंत्री जी से निवेदन किया था कि रेलवे में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी गेंगमैन वगैरह हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था और उनकी फैमिली के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में मैंने मंत्री महोदय से ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप नई-नई चीजें उठा रहे हैं, यह कैसे होगा। यह बजट कभी भी खत्म नहीं होगा। अब जो आधे मिनट का बोला है, उसको पालन करें।

श्री अशोक शर्मा (राजनंदगांव) : अध्यक्ष जी, पिछले बजट से मैंने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान सारनाथ एक्सप्रैस के लिए आकृष्ट किया था। उन्होंने मुझे दुर्ग से छपरा जो सारनाथ चल रही थी, उसको डूंगरगढ़ से करने के लिए आश्वस्त किया था। सभी सांसदों के साथ मैं भी गया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप अपने जवाब में उस बात का उल्लेख करें।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, जब माननीय रेल राज्य मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने स्वयं कहा था कि सुरेन्द्र नगर-बीपावावे लाइन के संबंध में दूसरी स्वीकृति नहीं मिली है ओर यह कुछ दिनों में यह स्वीकृति मिल जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह स्वीकृति मिली है अथवा नहीं।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने धनराशि नहीं मांगी है। लेकिन लोग अधिक धन देने के लिए तैयार हैं। मुझसे धंगधरा कूड़ा रेल लाइन के निर्माण का वायदा किया गया था। उसकी क्या स्थिति है? मैं केवल यही जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं।

श्री मधुकर सरपोतदार : महाराष्ट्र में भी, हमारी कुछ समस्याएं है। मैं उन्हें माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूँ। यदि केवल आप मुझे अनुमति दें तो।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ लेकिन ऐसा कितनी देर तक चलेगा?

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महाराष्ट्र के तीन अथवा चार सदस्य हैं .....*(व्यवधान)* महाराष्ट्र से संबंधित दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा मुम्बई उपनगरीय रेल सेवा को एक स्वायत्त निगम बनाने के संबंध में है।

दूसरा अनुरोध यह है कि मुम्बई के सभी सदस्यों ने यह अनुरोध किया है कि कोंकण रेल सेवा की दो रेलगाड़ियाँ कुरला की बजाए दादर से चलाई जानी चाहिए। क्योंकि यह मुख्य केन्द्रीय क्षेत्र है। कोंकण रेलवे के सभी यात्री कोंकणी हैं जो सैन्ट्रल मुम्बई में रहते हैं। इसलिए यह अनुरोध है कि दो रेलगाड़ियां दादर से चलें।

[हिन्दी]

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जब हमारा उड़ीसा का डेलीगेशन मंत्री जी से मिलने गया था तो इन्होंने हमसे दो वादे किए थे और कहा था कि अपने जवाब में मैं इनका जिक्र करूंगा। रूकसा बांगरिणेसी प्रोजेक्ट है, उसके लिए तीन करोड़ रुपये का प्रावधान है, लेकिन इन्होंने सौ करोड़ रुपये ऑफिशयली अनाउंस करने की बात कही थी। जबकि मंत्री जी ने उसके सर्वे और एक्सटेंशन के आर्डर देने के लिए भी कहा था। ऐसे ही वादान पहाड़ से टाटानगर को जोड़ने के लिए कहा था। जो सिफारिशें उड़ीसा के डेलीगेशन ने रखी थी, मंत्री जी ने तब उनमे से 80 प्रतिशत को मान लिया था और हमें बताया था कि हाउस में जवाब देते हुए इनको भी शामिल करूंगा। हम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट नहीं कर सके, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि इसको भी बजट में जोड़ना चाहिए।

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : हमने जो पाँच मांगें रखी थी उनमें से एक मांग कालका से परवाणु रेल लाइन पर इसी वर्ष काम शुरू होने की बात थी, उसका वादा भी मंत्री जी ने किया था। दूसरा कांगड़ा से जोगिन्दर नगर तक सर्वे कराने की बात थी और तीसरे उना से तलवाड़ा और भानुपली से बिलासपुर के लिए कहा था। लेकिन अपने जवाब में मंत्री जी ने इनका कोई जिक्र नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, बीस साल से हम कभी वैल में नहीं गए, लेकिन इस बार मजबूर होकर जाना पड़ा, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुडी) : मैं उत्तर बंगाल से हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ। कि वे रेल लाइनें बिछाने के मामले में उत्तर बंगाल को पिछड़ा हुआ क्षेत्र ही मानें। हमारी कुछ समस्याऐं हैं जिनमें से मैं केवल तीन समस्याओं को सुलझाने के लिए कहूंगा।

एक है, दिल्ली से गुवाहाटी तक राजधानी एक्सप्रैस रोजाना चलानी चाहिए। दूसरा एक तीव्र गति की विशेष रेलगाड़ी उत्तर बंगाल से कलकत्ता तक चलाई जानी चाहिए। तीसरी समस्या यह है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमालयन रेलवे में सुधार किया जाना चाहिए।

यह तीन समस्याएँ हैं जिन्हें मैं समाधान के लिए माननीय मंत्री जी के समक्ष रखता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : उत्तर प्रदेश की सीमाएं नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई हैं। बौद्ध परिपथ के नाते वहां बौद्ध के बड़े केन्द्र हैं। जहां पर भारी संख्या में विदेशी तीर्थ यात्री और पर्यटक आते हैं। गोंडा-बलरामपुर-तुलसीपुर से नवगढ़ तक रेल लाइन जाती है। इसकी आमान परिवर्तन की मांग की जा रही है। मैं आग्रह करूंगा कि इस आमान परिवर्तन को अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करें। 1997 में एक रेल लाइन के सर्वे की व्यवस्था की गई थी। बलरामपुर से अतरौला होते हुए खलीलाबाद तक। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इन दो परियोजनाओं पर अपने विचार प्रकट करें। रेलवे-गेज के बारे में, समपार के बारे में आप स्पष्ट नीति घोषित करें। बलरामपुर के निकट समपार खोलने की व्यवस्था करें। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे इन तीन बिदुंओं पर अपने विचार रखें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे तो कभी खत्म नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : अध्यक्ष महोदय, किराए की दरों में 12 प्रतिशत वृद्धि से पूर्वोत्तर के लोगों पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा क्योंकि खाद्यान्नों के अतिरिक्त अधिकतर उपभोक्ता वस्तुएं जिन्हें इस बढ़ोतरी से अलग रखा गया है। वे मुख्य भूमि से आती हैं। अतः मेरा सुझाव यह है कि भाड़े की दरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। समस्त दूरी पर भाड़े में 12 प्रतिशत की वृद्धि की बजाए यह वृद्धि 1200 कि.मी. अथवा 1500 कि.मी. तक सीमित रखी जानी चाहिए ताकि इस वृद्धि का प्रभाव दूरवर्ती इलाकों पर न पड़े। भाड़े की दरों में यही अधिकतम वृद्धि होनी चाहिए ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों पर वहां जाने वाले भारी मात्रा में सामान के कारण भाड़े का अतिरिक्त बोझ न पड़े। उन्हें कुछ राहत प्रदान करना आवश्यक है।

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : महोदय, फागवाड़ा से नवां शहर, बालाचौर, रोपड़ और चंडीगढ़ के बीच रेल सम्पर्क होना बहुत आवश्यक है। केवल 27 कि.मी. रेल लाइन का निर्माण होना बाकी है। इससे कम से कम 40 कि.मी. की दूरी कम हो जाएगी। सभी महत्वपूर्ण नगर जैसे अमृतसर, पठानकोट, जम्मू और लुधियाना को रोपड़ से चड़ीगढ़ के साथ जोड़ा जा सकेगा। उत्तर रेलवे परामर्शदात्री का सदस्य होने के नाते, मैंने यह प्रस्ताव माननीय रेल मंत्री को दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बजट भाषण में उसका उल्लेख नहीं किया। अतः मैं आपके माध्यम से उनके समक्ष इसे फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, केरल से संबंधित मुद्दों पर पहले ही रोष प्रकट किया जा चुका है। इसलिए मैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल एक तकनीकी प्रश्न उठाऊंगा। रेलवे बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से समाचार-पत्रों में अनेक समाचार छप रहे हैं कि अनेक शिष्टमंडल माननीय रेल मंत्री जी से मिल रहे है। यहाँ तक कि कल भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक शिष्टमंडल उनसे मिला। अब मैं एक तकनीकी प्रश्न उठाऊंगा। संसद ही उपयुक्त मंच है, यह एक सर्वोच्च निकाय है जहां के ऐसे आश्वासन दे सकते है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने आश्वासन इस सभा में हमें दें।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि रेल मंत्री जी ने पिछली बार भी वादा किया था कि केरल के लिए धनराशि रखेंगे। लेकिन जो धनराशि रखी गई थी, उसमें से कुछ भी खर्च क्यों नहीं किया गया? इस बार बजट में जो धनराशि रखी गई है, वह बहुत कम रखी गई है। सारे सांसद माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करते हैं कि जो भी धनराशि आप रखते हैं, वह खर्च की जाएं और कुछ विकास के कार्य किए जाएं। इस बार केरल जो उपेक्षित रहा है उसके लिए भी आप कुछ दीजिए। 1993 से कोट्टायम से पुलुरूल लाइन के लिए जो मांग रही थी, सारा सर्वे हो गया और इस बजट में शामिल करने लिए वादा भी हुआ था। कोट्टायम से पुलुरूल रेलवे लाइन की बात थी, लेकिन उसे भी नहीं जोड़ा है। आप जो जवाब देते हैं, उसमें आश्वासन दे दें ताकि हमारे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकें।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, कोंकण रेल रिकार्ड टाइम में पूरी हो गई। आज जनता मामूली मांग कर रही है कि जो रेल गाड़ी कुर्ला से जाती है, वह कुर्ला की बजाए दादर से जाए। मम्बई के किसी भी कोने में जाने के लिए यातायात की सुविधा दादर से होती है, इसलिए जनता की मांग है कि कोंकण रेल कुर्ला की बजाए दादर से जाए। यदि यह मांग पूरी नहीं होती है तो वहां जनता आंदोलन करने के लिए तैयार हो गई है। रेल मंत्री इस बारे में कुछ घोषणा करें।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि सारे प्रदेशों में राजधानी ट्रेन चालू होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं जबकि आपने आश्वासन दिया था कि ट्रेन चालू होगी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर है। एक ट्रेन हैं जो हफ्ते में तीन दिन चलती हैं। यदि इस ट्रेन को पूरे सात दिन चलाया जाए तो भोपाल की मांग की भी पूर्ति हो जाएगी तथा नागपुर की मांग की भी पूर्ति हो जाएगी। नागपुर से लगा हुआ मेरा क्षेत्र बैतूल भी आता है, वहां से दिल्ली आने के लिए सुविधा होगी। इसलिए महामाया एक्सप्रैस को पूरे सात दिन चलाने की व्यवस्था करें, यह मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री एम. सैलवारासु (नागापट्टीनम) : महोदय, मैं तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तमिलनाडु के अन्य सदस्य जिन्होंने रेल बजट पर इस चर्चा में भाग लिया है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। उन्होंने अनेक मांगे रखी हैं। मैं माननीय रेलमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि सामान्य तौर पर तमिलनाडु राज्य की उपेक्षा की गई है और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र की। पिछले वर्ष उन्होंने त्रिची-नागौर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का आश्वासन दिया था। लेकिन इस वर्ष के बजट में नागोर का कोई उल्लेख नहीं है। अतः मैंने माननीय रेल मंत्री जी से अपने निर्वाचन क्षेत्र से तत्काल त्रिची-नागौर लाइन पर कार्य करवाने का अनुरोध करता हूँ। यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री टी. गोविन्दन (केसरगोड़ा) : पिछले वर्ष माननीय रेल मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि शोरनपुर मंगलौर लाइन के दोहरीकरण के कार्य को वर्ष 2000 तक पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इस वर्ष के बजट में उसके कार्य के लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। सभी नई लाइनें जिनका पिछले वर्ष आश्वासन दिया गया था को अस्वीकृत कर दिया गया है। इससे हमें पूर्णतः निराशा हुई है। रेलवे बोर्ड और प्रशासन ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है। मेरा नम्र सुझाव है कि रेलवे बोर्ड और प्रशासन को भंग कर दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर क्षेत्रीय बोर्ड और प्रशासन स्थापित किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष जी, कलकत्ता मुम्बई जाने के लिए लोगों को 357 कि.मी. अनावश्यक यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यह बात सही है कि आगरा और बांदीकुई को बोल्ट योजना से निकाल दिया। मैंने 150 करोड़ रुपया मांगा था। मैंने कल सौ करोड़ रुपया उसके लिए मांगा था। लेकिन आपने सिर्फ एक करोड़ रुपया दिया है। यह रुपया नाम मात्र के लिए दिया है। हरिद्वार के लिए जो गाड़ी चलनी, वह जयपुर स्टेशन से कब चलेगी? जोनल ऑफिस जो आप खोलने की बात कर रहे हैं, वह कब तक खुल जाएगा? माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन वह जोनल ऑफिस अभी तक खुला नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि दुर्गापुर में गाड़ी रुकती नहीं है। यदि दुर्गापुर में गाड़ी रुकनी शुरू हो जाए तो आसपास के लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। जयपुर से हरिद्वार जाने के लिए भी व्यवस्था करें, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे वही मांगे दोहरा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उसी बात को बार-बार दोहराया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी-गढ़वाल) : करनाल में एन.डी. आर.आई. है और आई.सी.आर.आई. का भी सेन्टर है नोर्थ ईस्ट से बहुत छात्र और प्रोफेसर आते हैं। वहां सुपर फास्ट ट्रेन रुकती नहीं हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हीं, बातों को बार-बार दोहराया जा रहा है। आप चर्चा का पहला दौर दूसरा दौर और तीसरा दौर से करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र शाह : उसमें कोई खर्च भी नहीं होगा। मीटर गेज से बरॉड गेज नहीं बनी। मेरा बस इतना ही कहना है कि सुपर फास्ट ट्रेन के दो मिनट के लिए हाल्ट करने की व्यवस्था करें।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष जी, चार दिन पहले भीषण रेल दुर्घटना हुई। चार दिन पहले गुना में भीषण रेल दुर्घटना हुई। बस और रेल की टक्कर में 20 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 लोग घायल हो गए। जिनकी मृत्यु हुई, उनमें अधिकतर दलित लोग थे। आप उस दिन भोपाल में थे। लेकिन आप साइट पर नहीं पहुंचे। अच्छा होता आप पहुंच जाते। *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से सभा को कैसे चलाया जाए। आप स्वयं ही यह निर्णय लें कि सभा को कैसे चलाया जाए।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं यह जानता चाहता हूँ कि क्या आप मृतकों के परिवारी जनों को सहायता राशि दे रहे हैं? *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को नहीं चला सकता। मुझे खेद है कि आपको इस सभा को चलाने के लिए कोई और आदमी ढूंढना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं इस तरह से सभा को नहीं चला सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें कहीं तो इसे समाप्त करना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब जो भी बोलना चाहता है बोल सकता है। मैं यहां बैठने के लिए तैयार हूँ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण के दौरान जो बात उठायी थी, उसके लिए मंत्री जी से निवेदन है कि पैसे का आंबटन करें। *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बोलिए, जितना चाहे बोलिए मैं बैठने के लिए तैयार हूँ।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मुझे नीति सम्बंधी एक प्रश्न पूछना है। निर्माण कार्य के दौरान, यदि फाटक का निर्माण करते समय उपरिपुल अथवा भूमिगत पुल की आवश्यकता है तो क्या रेलवे की यह नीति है। कि आवर्ती खर्चों सहित उसकी लागत का भार राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाएगा।. *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यही काफी है।

....(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि रेलवे इस संबंध में यह निर्णय लेगी कि लागत का भार उनके द्वारा वहन किया जाएगा? *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने अपनी बात कह दी है।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, कल जब हम यहां बैठे हुए थे, कल्पनाथ राय जी भी थे, मैं बीच-बीच में इंटरवीन करता जा रहा था, तो बीच में कभी-कभी चेयर की तरफ से मुझे कह दिया जाता था, लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि 96 माननीय संसद सदस्य बोले हैं और एक-एक माननीय सदस्य पांच-पांच और छः-छः सुझाव दे रहे हैं। उन सुझावों को अगर मैं रेल मंत्री की हैसियत से जवाब देना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि जवाब देने में पन्द्रह दिन या एक महीना लगेगा। मैं कोशिश कर रहा था। यह रिकार्ड का हिस्सा है, यदि मैंने आपको एश्योरेंस उस समय दी थी, तो ऐसा नहीं है कि उस समय वह रिकार्ड में नहीं है और अब जो एश्योरेंस दे रहा हूँ, वह रिकार्ड का पार्ट है। इसलिए मैंने उस समय आग्रह किया था कि रेल बजट को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजो और पूरा का पूरा जवाब हर माननीय सदस्य को दे देते। उससे सभी माननीय सदस्य सैटिसफाइड हो जाते हैं। लेकिन हमको बतलाया गया कि पिछली बार जब स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया था, तो स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से आब्जैक्शन किया गया था। मैं समझता हूँ कि यह उनका जायज आब्जैक्शन था। जब एक्ट बन गया है, नियम बन गया है, तो जाना भी चाहिए। इस बार आप इसको कमेटी में भेज रहे हैं। यह हमारा प्रस्ताव है। वह प्रस्ताव हाउस मंजूर करता है या नहीं करता है और स्टैंडिंग कमेटी उसमें क्या देखती है या नहीं देखती है, यह प्रश्न है। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि आज ही रिप्लाई करना है और अंतिम रिप्लाई हो जाए, तो हम को समय दे दें। हम बैठ

कर पूरा का पूरा विचार कर सकते हैं। माननीय सदस्यों के विचार मेरे पास हैं, उनको हम एक-एक करके दे सकते हैं। स्टेटवाइज करना चाहते हैं, तो मेरे पास स्टेटवाइज पूरा का पूरा जवाब है, उसको हम दे सकते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि यह वोट-ऑन-एकाउन्ट है और इसको हम दो महीने के लिए पास कर रहे हैं, हाउस में अनुमति ले रहे हैं। फिर हम को खर्च करने की अनुमति दी जाए और जब पूरे साल का बजट आएगा, तब बाद में जाकर बहस करेंगे। अगर बाद में जाकर डिसकशन होना है, रिप्लाई करना है, तो मैंने कहा हमको पूरा का पूरा समय दे दें। आपके सुझाव आए हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एश्योर करना चाहता हूँ कि 21 अप्रैल को पार्लियामेंट खुलेगी और 21 अप्रैल से पहले जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, उनका जवाब लिखित रूप से उनके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद यदि कोई दिक्कत हो, तो उन दिक्कतों को उस समय रख सकते हैं और उसके बाद हम जवाब देने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1997-98 के लिए लेखानुदानों की माँगे (रेलवे) को सभा में मतदान हेतु रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग सख्या 1 से 16 के सामने दिखायें गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के लिए लेखानुदान की मांगें (रेलवे)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांगों की राशि
1	2	3
		रु0
1.	रेलवे बोर्ड	6,00,76,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	28,23,30,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	201,62,50,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण	392,87,93,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	222,81,85,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	405,15,66,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	209,22,22,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	319,90,98,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	1324,39,10,000
10.	परिचालन व्यय-ईधन	744,69,11,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	147,21,59,000
12.	विविध संचालन व्यय	182,75,71,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	418,84,00,000
14.	निधियों में विनियोग	1177,66,67,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,28,11,000
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	7,50,00,000
	अन्य व्यय	1608,67,21,000
	पूंजी	
	रेलवे निधियां	682,59,67,000
	जोड़	**8084,46,37,000**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1994-95 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे) को सभा में मतदान हेतु रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 8,14 और 16 के मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1994-95 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगें (रेलवे)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
		रु.
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	1,57,81,798
14.	निधियों में विनियोग	366,39,46,659
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	23,53,27,736
	जोड़	**391,50,56,193**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1996-97 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) सभा में मतदान हेतु रखता हूँ।

''कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 1 से 4, 6 से 8, 11, 13 और 16 के मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों में अनधिकृत संबंधित अनुपूरक राशियाँ भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996-97 के लिए अनुदान की पूरक मांगे (रेलवे)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
		रु.
1.	रेलवे बोर्ड	1,16,30,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	3,45,39,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाऐं	22,61,44,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	56,35,56,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	60,16,39,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	27,95,89,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	79,68,35,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	8,66,97,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	135,54,68,000
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	1,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	304,73,32,000
	रेलवे निधियां	
	जोड़	**700,34,30,000**

अपराह्न 4.30 बजे

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1997*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 के एक भाग को सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : एप्रोप्रिएशन बिल में नहीं होता है।

श्री नीतीश कुमार : होता है, इसीलिए हमने पूर्व सूचना दी है। एप्रोप्रिएशन के बिल के समय में यह परिपाटी है, रूल है और इसीलिए सूचना दी है। मैं एक मिनट में दो-तीन बिन्दु सिर्फ पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। मंत्री जी को कहना चाहें, कह दें।

श्री राम विलास पासवान : आपको भी लिख कर दे देंगे।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, चर्चा के दौरान यह बात उठायी गई है कि मुंघेर के नजदीक गंगा नदी पर रेल पुल बनाया जाए। मंत्री जी इसके बारे में कहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से प्रश्न कैसे कर सकते हैं? मुझे खेद है। आप बहुत वरिष्ठ सांसद हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपंबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इसीलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूँ। लिख कर दिया है, मैं केवल पढ़ देना चाहता हूँ। इसके बाद मंत्री जी को जो कहना होगा, वे कहेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से बुद्धिष्ट सर्किट के निर्माण की मांग होती रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि राजगीर और गया को जोड़ने के लिए जो सर्वे 1982 में हो चुका है, उसी के आधार पर इसको तत्काल शुरू किया जाए। इस पर मंत्री जी का क्या रिसपांस है, हम जानते हैं। तीसरी बात, फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेल लाइन थी, जिसका अधिग्रहण किया गया है और अधिग्रहण करने के बाद रेल सेवा बन्द कर दी गई है। हम चाहेंगे कि उसको फिर से शुरू किया जाए। इसके लिए सर्वे की जरूरत नहीं है। आप इस सेवा को चालू कर सकते हैं। पटना में गंगा नदी पर पुल बनाने के बारे में काम कब प्रारम्भ होगा और कब पूरा होगा, इसके बारे में मंत्री महोदय का जो विचार है, वह मैं जानना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है।

प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और खंड 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.40 बजे

विनियोग (रेल) विधेयक 1997*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2 दिनांक 13.3.97 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूँ।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत को संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, खंड 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनिमय सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.40½ बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1997*

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, खण्ड 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी, बिहार, माफ कीजिए, उत्तर-प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर एक वक्तव्य देंगे।

.....(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार हेगड़े (कनारा) : इन्हें बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में भी संदेह है।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2 दिनांक 13.3.97 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 4.40¾ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) उत्तर-प्रदेश से सम्बन्धित घटनाओं/मुद्दों के बारे मे

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : कल, 12.3.97 को शून्य काल के दौरान सदन के माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की आम हालत पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए, राज्य से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट घटनाओं/मामलों का उल्लेख किया था।

अपराह्न 4.41 बजे

[**श्री पी.सी. चाक्को** *पीठासीन हुए*]

मैं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे रहा हूँ। पहली घटना का सम्बन्ध संसद सदस्य श्री प्रभुदयाल कठेरिया से है जिनके कुछ सम्बन्धियों का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया है। राज्य सरकार ने बताया कि श्री कठीरिया ने इस सम्बन्ध में एक लिखित रिपोर्ट 26 फरवरी, 1997 को आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ दर्ज करायी थी। इसमें कहा गया है कि कठीरिया का एक ट्रक जिसका नं0 यू.पी.-80-ई0-9967 है, 17/18 फरवरी की रात से मिल नहीं रहा है जिसमें तीन व्यक्ति थे - श्री रामस्वरूप चालक; श्री अशोक, संचालक; और श्री राम खिलाड़ी, सहायक (हेल्पर)। यह रिपोर्ट उन्होंने 26 फरवरी को दर्ज करवाई। श्री राम खिलाड़ी और श्री अशोक श्री कठीरिया के दूर के रिश्तेदार कहे जाते हैं। पुलिस रिकार्ड के अनुसार चालक रामस्वरूप की धारा 302 आई.पी.सी. के अन्तर्गत केस सं0 52/95 में एक हत्या के मामले में पुलिस स्टेशन बाह को तलाश थी और वह गिरफ्तारी से बच रहा है। 25-10-96 से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपये के नकद ईनाम की घोषणा कर रखी है। रिपोर्ट के अनुसार श्री कठीरिया ने उसे तीन-चार महीने पहले ही रखा था। पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक जांच पड़ताल के अनुसार उपरोक्त तीनों व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति श्री राजेन्द्र माननीय सदस्य के घर से 17 फरवरी, 1997 की शाम को चम्बल नदी के तट से रेत लाने के लिए चले और 17/18 फरवरी, 1997 की रात को लगभग 1.00 बजे जैतपुर के निकट श्री राजेन्द्र ट्रक से उतर पर अपने घर चले गए। उसके बाद से ट्रक और उसमें सवार व्यक्तियों की कोई खोजखबर नहीं है। इस मामले की जांच के लिए आगरा ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया। नौ व्यक्तियों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। जिनमें माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित संदिग्ध व्यक्ति भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी छापे मारे गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी छानबीन की जा रही है। केस के सुलझाने के लिए स्थानीय पुलिस कई अनुमानों के आधार पर खोज कर रही है पुलिस महानिदेशक कार्यालय, लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है। और केस में होने वाली प्रगति पर निगरानी रख रहे हैं। महोदय, पहला मामला तो यह उठाया गया था।

11.3.97 को गोली से मारे गये मुजफ्फरनगर जिले के एक विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ श्री वेद भूषण की हत्या की घटना का मामला भी इस सदन में उठाया गया था। राज्य सरकार ने इस सूचना की पुष्टि की है कि इस चिकित्सक को 11.3.97 को दो अज्ञात व्यक्तियों ने उस समय मारा जब वह मुजफ्फरपुर शहर में भगत सिंह मार्ग पर स्थित अपने चिकित्सालय में वाह्य रोगियों की जाँच कर रहे थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए, और जिला प्रशासन ने दोषियों को पकड़ने के लिए अभियान छेड़ दिया है।

मुझे बताया गया है कि पिछले भी नवम्बर 1995 में डॉ0 वेद भूषण का अपहरण करके उन्हें अपहर्त्ताओं ने उन्हें लगभग 10 दिन तक बंदी बनाए रखा। 16.11.95 को पुलिस से एक मुठभेड़ के फलस्वरूप उन्हें सहारनपुर के देवबंद शहर से 16.11.95 को उन्हें छुड़ाया गया। इस मुठभेड़ के दौरान दो अपहरणकर्त्ता मारे गए थे और तीन को गिरफ्तार कर लिया गया था।

गिरफ्तार किये गए व्यक्ति तब से जेल में है। राज्य सरकार ने भी वेद भूषण को सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की थी परन्तु श्री वेदभूषण ने इसे स्वीकार नहीं किया। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि श्री वेद भूषण अपना चिकित्सालय एक किराये पर लिए हुए परिसरों में चलाते थे जिसके मालिक के साथ उनका विवाद था।

तीसरी महत्वपूर्ण घटना जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है। उसका संबंध 26 जनवरी, 1997 को हमीरपुर में 5 लोगों की हत्या से है। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों जिनमें पूर्व विधायक अशोक सिंह चन्देल भी शामिल हैं, के विरुद्ध 26.1.97 को हमीरपुर में प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) दर्ज की गई थी। घटना से एक दिन बाद 27.1.97 को चार अभियुक्त व्यक्तियों को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया गया था। अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही तुरन्त की गई जिसके बाद चार और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूर्व विधायक श्री अशोक सिंह चन्देल और उसका चालक अभी भी फरार हैं 26 फरवरी, 1997 को इस मामले में आरोप-पत्र दायर कर दिया गया है।

जैसा कि इन अलग-अलग घटनाओं पर उपलब्ध विवरणों से स्पष्ट है कि जहां-जहां सम्भव है राज्य पुलिस ने कार्यवाही की है, और मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आगरा में अपहरण और मुजफ्फर नगर में डॉ० वेद भूषण की हत्या से सम्बन्धित मामले में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए। जैसा कि उत्तर-प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर हुई बहस का जवाब देते हुए अन्य सदन में मैंने कहा है, हमने राज्य में कानून और व्यवस्था के तंत्र को और गतिमान किया है। राज्य सरकार ने उस कार्य योजना पर पहले ही कदम उठा लिए है जिस पर हमने उनसे चर्चा की थी और हमें आशा है कि स्थिति शीघ्र अति शीघ्र अच्छी हो जाएगी।

अपराह्न 4.47 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

कुछ सदस्यों ने मथुरा स्थिति देव मन्दिर को 'मुक्त' कराने हेतु विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा शुरू किए गए अभियान का भी उल्लेख किया है। मथुरा में कृष्ण-जन्म-भूमि शाही ईदगाह मस्जिद (के.जी.बी.-एस.आई.एम.) परिसर पूजा-स्थल (विशेष-प्रावधान) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत आता है जिसके अनुसार किसी भी पूजा स्थल के उस धार्मिक स्वरूप को उस रूप में बनाये रखने का प्रावधान है। जिस रूप में वह 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान था। तथापि के.जी.बी.-एस.आई.एम. परिसर मुक्ति पिछले कुछ वर्षों से विश्व हिन्दू परिषद की कार्य सूची में शामिल रही है। 10 मार्च 1997 से विश्व हिन्दू परिषद मथुरा के आस-पास के कुछ जिलों में ''सन्त यात्रा'' शुरू की है। ''सन्त यात्रा'' 16 मार्च को मथुरा में सम्पन्न होगी। इस पूजा-स्थल की मुक्ति के साथ-साथ मोर्चाबंदी तथा पुलिस बलों को हटाये जाने की मांग भी की गई है। उत्तर-प्रदेश सरकार को हमने सुग्राही बना दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे पूजा-स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। और उन्होंने इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त पुलिस बलों की तैनाती सहित सभी आवश्यक प्रबंध कर लिये हैं।

अपराह्न 4.49 बजे

(दो) उत्तर-प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा के प्रवर्तन को जारी रखने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर विचार करेंगे। जैसा कि आज सुबह मैंने कहा जस्टिस लोढा ने राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के मुद्दे पर एक संवैधानिक प्रश्न उठाया है। मैंने कहा था कि अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व मैं सदस्यों की राय सुनूंगा। जस्टिस लोढा अपने विचार प्रकट करें।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : क्या मैं संकल्प प्रस्तुत करूँ ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह तो संकल्प प्रस्तुत किए जाने पर ही आपत्ति कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आदरपूर्वक, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन्हें किसी प्रस्ताव पर ही आपत्ति करनी चाहिए। जब तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, वह केवल कागजी ही रहता है। वह सभा की सम्पत्ति नहीं बनता। यह सब आप पर है। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। परन्तु प्रश्न तो प्रक्रिया का है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में जैसा कि हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उल्लेख किया है और कुछ अन्य सदस्यों ने व्याख्या की है, हमने आपको इस विशिष्ट मामले में इस बात पर विचार करने का अनुरोध किया था कि यदि स्थिति संवैधानिक रूप से जटिल है। राष्ट्रपति के शासन का मामला उच्चतम न्यायालय में भी विचाराधीन है और बहुत ही असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं तो महान्यायवादी को सदन में आमंत्रित किया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आज शाम 5.00 बजे इस जटिल स्थिति पर बहस नहीं होनी चाहिए। यदि हम सभा का कोई कार्य करना ही चाहते हैं तो उत्तरप्रदेश के बजट पर विचार किया जा सकता है। तभी इस मामले पर उचित विचार-विमर्श हो सकेगा। अन्यथा इस गम्भीर मामले पर केवल सतही विचार-विमर्श ही हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं, श्री लोढा द्वारा दिया गया नोटिस पढ़ता हूँ।

जस्टिस गुमानमल लोढा (पाली) : महोदय, मैं अपनी बात पूरी करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक प्रश्न उठाया है। यद्यपि नोटिस समुचित रूप में नहीं है।

श्री लोढा ने कहा है :

''भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 356 में अथवा किसी भी अन्य अनुच्छेद में ऐसे विचार का कोई प्रावधान नहीं है और यह संकल्प असंवैधानिक है। यदि सरकार 17 अप्रैल, 1997 को राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने पर संभावित संवैधानिक गतिरोध और संकट से बचना चाहती है तो उसे संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये।''

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक सलाह देने वाला नोटिस है। सदस्य महोदय ने सरकार को सलाह दी है। सरकार इस पर विचार भी कर सकती है अथवा इसे छोड़ भी सकती है। इसमें मुद्दा क्या है?

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैंने अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया वह इस पर आपत्ति कैसे कर सकते है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अपना भाषण पूरा करने दें।

जस्टिस गुमान मल लोढा : संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और यह छः महीने और बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 356, खण्ड (4) के अतंर्गत यदि तत्पश्चात् राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, विधि तो यह कहती है कि आपात् स्थिति की उद्घोषणा की जाए और उस उद्घोषणा के बाद चुनाव आयुक्त के साथ विचार-विमर्श किया जाए कि चुनाव नहीं हो सकते, केवल तभी राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

खण्ड (5) में कहा गया है :

[(5) खण्ड (4) में किसी बात के होते हुए भी खण्ड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा पारित किया जाएगा जब :

(क) ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात् की उद्घोषणा, यथास्थिति, संपूर्ण भारत में अथवा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है; और

(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अविध के दौरान खण्ड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना संबंधित राज्य की विधान-सभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाईयों के कारण आवश्यक है।]

इस संबंध में विवाद नहीं है कि मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई। उस घोषणा को छः महीने और बढ़ा दिया गया। इस अवधि के दौरान चुनाव करवाये गए। 16 और 17 अक्टूबर को जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरे हुए और परिणाम घोषित किए गए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिये ऐसे लोगों को नहीं बुलाया जिन्हें विश्वास हासिल है और जो सरकार चला सकते हैं; ऐसा करने के बजाय उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी।

उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन की अवधि को छः महीने और बढ़ा दिया गया। मेरा कहना यह है कि एक साल पूरा होने के पश्चात् छः महीने तक बढ़ाने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए था चूंकि यह खण्ड 5 की आवश्यकता है जो अनिवार्य है। इस अवधि को बढ़ाने की पुष्टि इस सदन द्वारा भी कर दी गई थी। परन्तु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका पर तीन न्यायाधीशों की एक पूर्णपीठ द्वारा 19 दिसम्बर को सर्वसम्मति से दिये गये निर्णय में कहा - मैं इसका केवल एक वाक्य पढ़ूँगा जो इसका क्रियान्वयन किया जाने वाला भाग है :

''खचाखच भरे हुए न्यायालय कक्ष में सुबह 10.15 बजे न्यायमूर्ति बी.एन.लाल ने यह निर्णय सुनाया।''

तीनों न्यायधीशों की ओर से उन्होंने कहा :

''इस न्यायालय का यह सर्वसम्मत निर्णय है कि 17 अक्टूबर, 1996 की विवादास्पद राष्ट्रपतीय उद्घोषणा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन पुनः लागू कर दिया गया है और जिसे तदन्तर संसद द्वारा स्वीकृति दी गई है, वह असंवैधानिक है इसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग की आड़ लेकर जारी किया गया है और यह पूर्णतया असंबद्ध है और बाह्य आधारों पर आधारित है और इस कारण इसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता।

अतः एतद्द्वारा इसे निरस्त किया जाता है।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी एक वाक्य दोहराना चाहूँगा। जिसमें उन्होंने कहा है :

''यह असंवैधानिक है, इसे प्रदत्त शक्तियों की आड़ लेकर जारी किया गया है; पूर्णतया असंबद्ध और बाह्य आधारों पर आधारित है, जिसे जारी रखने नहीं दिया जा सकता। अतः एतद्द्वारा इसे निरस्त किया जाता है।''

महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायलय द्वारा 19 दिसम्बर को दिया गया यह सर्वसम्मत् निर्णय अपील की अदालत अर्थात् उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया।

महोदय, स्थिति अब यह है कि न केवल हमारी तर्कबुद्धि अथवा तर्क अथवा विवाद अथवा कुछ पूर्ण दृष्टांतों (नजीरों) के उद्धरण के अनुसार बल्कि उच्च न्यायालय की पूर्ण खण्डपीठ द्वारा भी एक न्यायिक निर्णय में इसे निरस्त किया गया और असंवैधानिक करार दिया गया है। अतः महोदय, प्रश्न यह है कि अब राष्ट्रपति शासन में छः महीने की जो और वृद्धि करने का प्रस्ताव है वह फिर एक और असंवैधानिक कार्य है जिसका कोई

आधार नहीं है, कोई कानूनी आधार नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कहीं भी इसकी आज्ञा नहीं है।

अतः पहला प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूँ वह यह है कि ऐसा कोई आधार नहीं है और ऐसा कोई संवैधानिक अनुज्ञेय अधिकार नहीं है जिसके अन्तर्गत माननीय गृह मंत्री इस उद्घोषणा पर विचार करने को कह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संकल्प एक असंवैधानिक अधिनियम द्वारा दूसरे असंवैधानिक अधिनियम को सतत् प्रक्रिया बनाता है। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन का अभिभावक होने के नाते आपको इस संकल्प पर विचार नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि हमने संविधान के प्रति शपथ ली है। हम इस परिधि से बाहर नहीं जा सकते। हम सब इससे बंधे हुए हैं, महोदय यह एक पहलू है जो मैंने आपके समक्ष रखा है।

महोदय, दूसरा पहलू यह है कि यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है और वह लम्बित है।

अपराह्न 5.00 बजे

अतः अपील के लम्बित होने का अपने आप में यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, का निर्णय निरस्त हो गया है।

दूसरे, यदि अपील के लम्बित होने को राष्ट्रपति की उद्घोषणा की अवधि में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति प्राप्त करने हेतु एक अस्त्र के रूप में अपनाया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र देकर पूर्व राष्ट्रपतीय उद्घोषणा की असंवैधानिकता के संबंध में आदेश प्राप्त करना चाहिये था। यह मामला उच्चतम न्यायलय में लम्बित है। राज्यपाल का आकलन यह है कि उन्हें ऐसी कोई पार्टी या व्यक्ति नहीं मिली जो सरकार बना सके। परन्तु मेरे आकलन के अनुसार जिस दल के अनुसार बहुमत है अथवा जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक हो उसे सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिये था। श्री कल्याण सिंह को इस हेतु बुलाया जाना चाहिए था।

यही पहले भी कहा गया था। पहले हमारे सदन के मामले में भी यही हुआ था। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वाधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने के आधार पर आमंत्रित किया गया था। चलो, जो भी हो, यह वाद-विवाद का मुद्दा है। इस मामले पर दो दृष्टिकोण हो सकते हैं क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक दृष्टिकोण अपनाया और दूसरा दृष्टिकोण पहले अपनाया गया था। परन्तु फिर भी माननीय विधि मंत्री, माननीय गृह मंत्री और भारत सरकार का यह कर्त्तव्य बनता था कि वे उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करते, वहां से निर्देश प्राप्त करते और उस उद्घोषणा की अवधि में वृद्धि करने की प्रार्थना करते जिसे निरस्त किया गया है ताकि उच्चतम न्यायालय से निर्णय प्राप्त किया जा सके। यह तो उन्होंने किया नहीं। अभी भी वह यह काम कर सकते हैं क्योंकि उसकी अवधि तो 17 अप्रैल को समाप्त होगी। यह अवधि आज या कल समाप्त नहीं हो रही है। ऐसी तो कोई जल्दबाजी हुई नहीं कि किसी भी दिन वे जागें और कार्य सूची में यह संकल्प शामिल करने की अनुमति मांगे। यह ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जिस पर 15 करोड़ लोगों का भाग्य निर्भर करता है, क्योंकि उनके सदस्य निर्वाचित भले ही हो गए हैं, परन्तु वे एक प्रजातांत्रिक सरकार के बिना ही रह गये हैं। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाने तक की अधिसूचना चुनाव आयुक्त को नहीं भेजी। राज्यपाल ने उन्हें शपथ नहीं दिलाई और सरकार नहीं बनने दी।

श्री बोम्मई के मामले में यह निर्णय दिया था कि सदन में शक्ति परीक्षण ही उत्तम परीक्षण है। यदि राज्यपाल को इस विषय में सन्देह था कि वास्तव में बहुमत किसके साथ है तो उन्हें सरकार के बनने के बाद सदन में इसे सिद्ध कराना चाहिए था। वह भी तो उन्होंने नहीं किया। अतः आज हमारे पास ऐसी कोई उद्घोषणा नहीं है जिसकी अवधि बढ़ाई जा सके।

17 अक्टूबर, 1996 को जारी की गई उद्घोषणा का तो अब अस्तित्व ही नहीं क्योंकि वह असंवैधानिक घोषित की जा चुकी है। अब ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी अवधि बढ़ाई जा सके। आदरपूर्वक, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 356 के खण्ड 3 और खण्ड 4 के अवरोध के कारण इस संकल्प को पेश नहीं किया जा सकता और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। दूसरे पक्ष अर्थात् सरकार की ओर से यह कहा जा सकता है कि केवल यही नहीं कि याचिका दायर की जा चुकी है अपितु उच्चतम न्यायालय से एक सीमित स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया गया है। यह मुद्दा है और मुझे इसका जवाब देना ही चाहिए। हमें यह अवश्य जानना चाहिये कि स्थगनादेश में क्या लिखा है। सर्वाधिक उपर्युक्त यह होगा कि निर्णय के क्रियान्वयन को अथवा यह विशेष निर्णय की क्रियान्वयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाता अथवा निरस्त कर दिया जाता। फिर तो इस विषय पर विचार अलग होगा।

इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि निर्णय की कार्य-प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया गया है मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए स्थगन आदेश को पढ़ता हूँ।

केवल इसी कार्य का है स्थगन आदेश कि राज्यपाल फिलहाल सरकार बनाने की संभावनाओं का पता लगाएँ और इस मामले में तो, इस उद्देश्य हेतु वह विनिर्णय स्थगित नहीं होगा, फिर हम उस मामले को जल्दी सुनेंगे और तब तक यह मामला राज्यपाल के समक्ष रहेगा।

अब एक वास्तव में दिये गए स्थगन आदेश को पढ़ता हूँ। 19 दिसम्बर के उच्च न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश में कहा गया है :

''इस बीच.....*(व्यवधान)*

कृपया सुनिए, यह बहुत नाजुक कानूनी मामला है। यदि मैं गलत कहूँ तो मुझे सही बात बताई जा सकती है.....*..(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : निसन्देह यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है.....*(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक शब्द की विधिपरक व्याख्या बहुत नाजुक होती है और इस पर बहुत शान्त और स्थिरचित्र से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं उन्हें शान्त रहने का निवेदन कर रहा हूँ। दिसम्बर 19 का उच्च न्यायालय का आदेश इस प्रकार है:

''इस बीच महाभिकर्त्ता ने हमें आश्वासन दिया है कि सदन को भंग नहीं किया जायेगा।'' इसमें आगे कहा गया है: ''हम भी यही निदेश देते हैं, परन्तु इससे लोकप्रिय सरकार के गठन, यदि यह सम्भव हो तो, में बाधा नहीं आएगी''। याचिकादाता को इस बात की छूट होगी कि वह याचिका की सुनवाई हेतु कोई तारीख प्राप्त करें और इस मामले पर सिविल जज, संवैधानिक पीठ के निष्कर्ष के पश्चात् विचार किया जायेगा।

जैसा कि मैंने पहले भी आदरपूर्वक कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उसकी संवैधानिकता के बारे में यह निर्णय दे दिया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 346 का उल्लंघन है, यह निर्णय बरकरार है या तो पूरी सुनवाई के पश्चात् उच्चतम न्यायालय उसकी पुष्टि करेगा अथवा इसे अवैध घोषित कर देगा। यह निर्णय होने तक सरकार का गठन किया जा सकता। अतः मेरा कहना यह है कि यह स्थगन आदेश एक आदेश है, एक सीमित आदेश, जिसके आधार पर उद्घोषणा अथवा उसकी संवैधानिकता को पुनर्जीवित नहीं किया गया, असंवैधानिक को संवैधानिक नहीं बनाया जा सकता। अतः महोदय यह तब तक संवैधानिक ही रहेगा जब तक इसे रद्द नहीं कर दिया जाता। बेशक उनके पास यह विकल्प तो विद्यमान था कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय से ऐसे निर्देश प्राप्त करते जिन्हें वह उचित समझते। परन्तु ऐसा उन्होंने नहीं किया अतः मेरा विनम्र निवेदन यह है कि अनुच्छेद 356 के खण्ड 2 और खण्ड 3, इस निर्णय और समस्त आदेशों के साथ पढ़े जाने पर किसी भी अस्तित्वहीन उद्घोषणा पर विचार किये जाने को पूरी तरह प्रतिवारित करते हैं और मेरा सादर निवेदन यह है कि इस आधार पर मैंने इस सीमित संवैधानिक पहलू की चर्चा की और शेष पहलुओं पर अन्य सदस्यों द्वारा चर्चा की जा सकती है।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नोटिस का प्रश्न नहीं है।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूँ।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह जो पुरःस्थापित किया जा रहा है विधेयक नहीं है।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इस सांविधिक संकल्प को लाए जाने का विरोध करता हूँ। महोदय मैंने भी एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसे गंभीर मुद्दे पर व्यक्तिगत तौर पर बात न करें।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, मुझे अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। कृपया मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मैंने लिखित में भी दिया है।.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस चर्चा में मेरे हस्तक्षेप को यह न समझा जाए कि मैं सिद्धान्त रूप से अनुच्छेद 356 को लागू किए जाने का अनुमोदन करता हूँ। पहले जब ऐसा संकल्प लाया गया था तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में विद्यमान स्थिति को देखते हुए हमने अनिच्छा से उस प्रस्ताव का समर्थन करने का निर्णय लिया था। परन्तु अब हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की वास्तविक संवैधानिक अव्यवस्था पैदा हो। इसलिए, अब यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि उत्तर प्रदेश में किसी संभावित सरकार के न बनने की स्थिति में आज के हालात को देखते हुए सदन द्वारा क्या किया जाना चाहिए।

मैंने भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश और हमारे माननीय सदस्य, श्री गुमान मल लोढा की बात को बड़े ध्यान से सुना है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोई विधि शास्त्र स्थापित किया है परन्तु एक उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके एक विशिष्ट न्यायविद से यह सुनकर बड़ी हैरानी होती है। चाहे वे असम के मुख्य न्यायाधीश हों।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : महोदय, वे असम के बारे में कह रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, यह श्री संतोष मोहन देव के लिए कहा गया है, आपके लिए नहीं।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : या किसी अन्य के बारे में।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : हम उनसे बहुत खुश थे। मुझे उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। वे उच्च न्यायालय के एक बहुत अच्छे जज थे। मुझे उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। मुझे आप पर गर्व है। आप नाराज क्यों होते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिए था। वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विशिष्ट जज थे। मुझे विश्वास है कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होने के नाते वे कभी नहीं कहेंगे कि एक बार किसी मामले पर ट्रायल न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय हो जाता है, यद्यपि अपील लंबित होती है और जहां अपील न्यायालय हस्तक्षेप करता है, जैसा कि इस मामले में किया गया है तो अधीनस्थ न्यायालय के जज का निर्णय अंतिम माना जाएगा और उसपर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि वे ऐसा फैसला दे सकते थे। यह एक न्यायाधीन मामला है। यह सर्वविदित है कि जो भी आदेश पारित किया जाता है तो उससे पहले निम्न न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश उसमें शामिल हो जाएंगे। विलय का यह सिद्धान्त सर्वविदित है जाहिर है कानून के साथ राजनीति को मिला दिया है। यही समस्या है। एक बात बहुत स्पष्ट है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : हममें से कोई कानून को राजनीति से मिला रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब आप अपने बारे में यह स्वीकार कर लें। यह अच्छा है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : जी, नहीं मैं यह कह रहा हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर मैं आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात मानता हूँ परन्तु मैं समझता हूँ कि मुझे आपका अनुसरण नहीं करना चाहिए। यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने बताया है कि वहां पर शक्तियों का आभासी उपयोग था। जिस एकमात्र भाग पर माननीय सदस्य द्वारा टिप्पणी की गई है वह यह है चूंकि राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई कारण नहीं था और राज्यपाल को प्रयास करते रहना चाहिए था, राज्यपाल श्री कल्याण सिंह को बुला सकते थे। जैसे यहां पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया गया था चाहे उनकी सरकार 13 मिनट या 13 दिन ही चली हो। राज्यपाल को भी ऐसा ही करते रहना चाहिए था। इस प्रकार के तर्क दिए गए हैं। क्या यह शक्ति का आभासी उपयोग है? स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। इसका उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं है। अर्थात् इनमें कोई संबंध नहीं है। जहां तक अनुच्छेद 356 का संबंध है, उसके मूल बात यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है।

उच्च न्यायालय का यह मानना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। यही नहीं किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता था। अगर इसके लिए कोई कारण होते तो ऐसा हो सकता था।

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कृपया यह देखें कि समय पर जोर दिया गया है। इसकी भाषा बहुत ही स्पष्ट है :

> "खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के लिए किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प किसी सदन के द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब..."

हमने लगभग छह महीने पहले जो उद्घोषणा अनुमोदित की थी वह पहले अनुमोदित उद्घोषणा नहीं थी। यह अनुच्छेद 356 (1) के अंतर्गत जारी उद्घोषणा को बनाए रखने का मामला नहीं था।

यह एक नई उद्घोषणा जारी की गई थी। आप कह सकते हैं कि संविधान के मामले में या विधान के मामले में यह कोई धोखाधड़ी थी। परन्तु यदि यह विधान के मामले में धोखाधड़ी थी, तो मुझे विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से इस बारे में फैसला कर सकता था और सर्वोच्च न्यायालय में इसे लंबित नहीं रखता। यदि यह संविधान के साथ या सरकार की शक्तियों के साथ सुस्पष्ट धोखाधड़ी का मामला होता इसको उच्चतम न्यायालय गुण दोष के आधार पर सुनवाई के लिए लंबित नहीं रखता और साथ ही यह इसे एक स्थगन आदेश – चाहे पूर्ण स्थगन आदेश नहीं – दे सकता था। परंतु हुआ क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल को अपने प्रयास जारी रखने की अनुमति दी। राज्यपाल को एक लोकप्रिय सरकार का गठन करने के लिए प्रयास जारी रखने का कहा गया और यह प्रयास तब तक जारी रखने थे जब तक मामले की सुनवाई न हो जाती और इस दौरान राज्यपाल का शासन वहां पर जारी रखा जा सकता था।

इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया कि यह उद्घोषणा संविधान के अधिकार के बाहर थी तथा शक्तियों का आभासी उपयोग संवैधानिक अधिकारों की कमी या कार्यक्षेत्र के समतुल्य नहीं समझा जाना चाहिए।

इस मामले में यह हुआ कि वास्तव में कोई भी कोई निष्कर्ष निकालने या उत्तर देने में समर्थ नहीं है। एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। यहां तक कि वे भी स्पष्ट रूप से यह कहने में असमर्थ हैं कि वे सरकार बना सकते हैं। वे यह दिखाने के लिए संविधान संशोधन करना चाहते हैं कि सदन द्वारा उठाए गए कदमों से जो कुछ हुआ वह संवैधानिक रूप से संभव नहीं था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उद्घोषणा या नई उद्घोषणा जारी करने की राज्यपाल की कार्रवाई के विरोध में प्रस्तुत तर्कों का सहारा ले रहे हैं।

इसलिए मैं सम्मानपूर्वक इस समय अनुरोध करता हूँ कि हम इस कार्रवाई की वैधता का फैसला नहीं कर सकते क्योंकि अंततः इसका फैसला विधि न्यायालयों द्वारा किया जाएगा और यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। वास्तव में हम इस पर बहस नहीं कर सकते, जबकि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। हम उन्हें मामले के निपटान के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

17 अप्रैल को यह उद्घोषणा समाप्त हो रही हैं उत्तर प्रदेश में पूरी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी यदि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया नहीं गया या वहां पर किसी सरकार का गठन नहीं किया गया। इसी बीच कोई निर्णय ले पाना बिलकुल ही संभव नहीं है। 21 मार्च को यह सदन स्थगित हो जाएगा और 20 अप्रैल तक स्थगित रहेगा और इसका अर्थ यह हुआ कि इस संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए सदन को फिर से बुलाना पड़ेगा। इसी बीच, हमें इस बात की गारंटी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ जाएगा। इससे किसी को लाभ नहीं होगा। अधिकाधिक अस्थिरता के कारण उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा होने की संभावना है जो न वहां के लोगों के लिए, न प्रशासन के लिए और न ही पूरे देश के लिए हितकर होगा।

इसलिए मैं सादर निवेदन करता हूँ कि आज जो किया जा रहा है वह छह माह पूर्व जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के लिए है। यह वह उद्घोषणा नहीं जो डेढ़ साल पहले जारी की गई थी तथा पारित की गई थी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के उप-अनुच्छेद (5) में निषिद्ध किया गया है।

मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपको वहां पर बैठ कर यह फैसला करना है कि क्या यह संकल्प के उद्देश्यों को अमान्य करने का प्रथम दृष्ट्या सांवैधानिक प्रश्न है, जैसे कि यह अनुच्छेद 356 (5) में किए गए प्रावधान के बावजूद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने का मामला है :

> "खंड 4 में किसी बात के होते हुए भी, खंड (3) के अधीन की गई उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब –

अब हम देखते हैं कि प्रस्ताव क्या है :

इसमें कहा गया है.....छह महीने की और अवधि के लिए जो उद्घोषणा 17 अक्टूबर, 1996 को जारी की गई थी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अनुच्छेद 356 (5) तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक सर्वोच्च न्यायलय यह निर्णय नहीं लेता कि 17 अक्टूबर, 1996 की उद्घोषणा गलत थी। इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं लिया था.....*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं भी ठीक यही कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उत्तर बाद में दे सकते है। मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला हूँ।

इस बात को देखते हुए, और इस समस्य को समझते हुए, जो कुछ जस्टिस लोढा जी ने कहा है उसका उल्लेख वहां नहीं था। वे क्यों इस बात पर जोर देना चाहते हैं ? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होनें मान लिया है कि 17 अक्टूबर, 1996 को की गई उद्घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय अवश्य ही रद्द कर देगा।.....*(व्यवधान)*

श्री आई. डी. स्वामी (करनाल) : इसे रद्द कर दिया गया है।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, वे एक विधिवेत्ता है।

[हिन्दी]

अगर चटर्जी साहब से इनके चैंबर में जाकर पूछा जाए तो यह भी कहेंगे कि प्रोक्टेमेशन इल्लीगल है, वह तो वहां की मजबूरी है, इसलिए ऐसा बोल रहे है, वास्तविकता यही है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह मेरे व्यवहार और मेरे चरित्र पर एक आक्षेप है। वास्तव में भाजपा मित्रों द्वारा आरोप लगाया जाना कोई वास्तविक आक्षेप नहीं है।

एक माननीय सदस्य : परंतु वे वास्तव में आरोप लगा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संभव है, यह प्रशंसा ही है। हमें यहां पर दोहरी मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर वे मुझे फीस भी देंगे तो भी मैं जो कुछ यहां पर कह रहा हूँ इसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है इसे हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। परंतु कुछ मूल कानून हैं। मूल कानून यह है जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित होता है तो मामला सब प्रकार से खुला होता है। यदि आज माननीय अध्यक्ष कहते हैं कि यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है तो क्या हम पूरी विनम्रता के साथ सर्वोच्च न्यायालय को कोई निर्णय लेने से रोक सकते हैं ? इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अपना कर्त्तव्य करने दो और हमें अपना कर्त्तव्य करने दो। हमारा कर्त्तव्य यह देखता है कि देश में कोई अव्यवस्था पैदा न हो और चाहे कोई स्थिति हो परन्तु देश में एक अच्छा शासन हो। कृष्ण जन्मभूमि और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि यह संकल्प पारित हों।

श्री जसवंत सिंह : मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात रखना चाहता हूँ। यह वास्तव में केवल स्थिति को स्पष्ट करने के लिए है।

यह वास्तव में इस सदन का उत्तरदायित्व है कि वह अपना कर्त्तव्य पूरा करे। अपने कर्त्तव्य के निष्पादन में, हमें एक मार्गदर्शक की तरह, काम करना चाहिए और हमें जानबूझ कर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो असंवैधानिक कहलाए। हमारा विरोध राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के संबंध में नहीं हैं। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य, श्री चटर्जी इस मामले को गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। हमारी आपत्ति मौजूदा समस्या की आवश्यकता या उसकी जरूरत के संबंध में नहीं है।

उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया गया है। यह एक वास्तविकता है। हम जो कह रहे हैं वह यह कि यदि हम इसे एक साधारण संकल्प के द्वारा बढ़ाते हैं तो संम्भवतः हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए, किसी बहकावे या अस्थाई सुविधा के कारण हम इस सभा को जानबूझ कर एक ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जो संवैधानिक रूप से गलत है। इसलिए इस संबंध में मेरे दो सुझाव हैं।

पहला सुझाव यह है कि इस वृद्धि को संवैधानिक आवश्यकता या एक संवैधानिक संशोधन समझा जाए। दूसरा सुझाव यह है कि जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मैंने भी इसे प्रस्तुत किया है। इसमें यह कहा गया है कि 'उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के प्रश्न की अत्यधिक संवैधानिक जटिलता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस गंभीर मामले की जांच को देखते हुए और इस विषय पर हमारे निर्णय के द्वारा हमारे गणतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए यह सदन इस विषय पर चर्चा के दौरान महान्यायवादी से इस सदन में उपस्थित रहने का अनुरोध कर सकता है। सरकार स्वयं भी कोई निर्णय ले सकती है और कह सकती हैं कि 'बहुत सावधानी के बाद हम संविधान संशोधन का मार्ग अपनाएंगे।' या जो कुछ हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने यह संकल्प आपके विचारार्थ प्रस्तुत किया – यह कहना होगा। 'नहीं, तो सरकार को कहना चाहिए कि हम महान्यायवादी को बुलाएंगे।' आखिर ऐसा इसलिए कि एक संवैधानिक प्रावधान है जिसके अंतर्गत इस सदन में महान्यायवादी का एक स्थान निश्चित होता है और उसे ऐसे मौंको पर सदन में उपस्थिति होने का अधिकार, प्राप्त है। प्रबुद्ध विधिवेता, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री लोढा इस पर बहस करेंगें। महान्यायवादी के इस बारे में अच्छे विचार हो सकते हैं। उसके पश्चात महान्यायवादी अपनी तरफ से भी कह सकता है कि यह सदन संविधान में संशोधन करने का रास्ता अपनाए। महोदय, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था बढ़ाने का नहीं है बल्कि यह प्रश्न उत्तर प्रदेश में मौजूदा अव्यवस्था कम करने के प्रयास का है। जिस प्रश्न और उत्तरदायित्व से हमने इस मामले को लिया है – उसका तात्पर्य वहां की स्थिति की संवैधानिक जटिलता को और न बढ़ाने से है। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, मैं जस्टिस लोढा द्वारा उठाए गए मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता। अनुच्छेद 356 के बारे में बात करने से पहले मैं आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

अनुच्छेद 163 में कहा गया है :

> ...राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा।...

महोदय इसलिए अनुच्छेद 163 अनिवार्य है। एक मंत्रीपरिषद होनी ही चाहिए। परंतु अनुच्छेद 356 केवल कुछ स्थितियों के संबंध में ही है। जब सरकार बनाना या सरकार चलाना कानूनों के अनुसार संभव नहीं होता तो कुछ स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाकर आप सभा को स्थगित कर सकते हैं। आप सरकार को या सभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अधिकतम अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी की बात पूरे ध्यान से सुनी है। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की है। आप यह नहीं कह सकते कि पहले पारित की गई उद्घोषणा एक अलग उद्घोषणा थी और आज हम एक अलग उद्घोषणा की अवधि बढ़ा रहे हैं। अभिप्राय समझा जाना चाहिए विषय समझा जाना चाहिए और इसके परिणाम समझे जाने चाहिए। अन्यथा कल यह होगा कि एक गृहमंत्री कहेगा कि राष्ट्रपति शासन को छह महीने बढ़ा दो ओर अगली बार दूसरा गृहमंत्री आएगा और यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है। तो पूरे पांच वर्षों के लिए आप राष्ट्रपति शासन को इस बात पर बढ़ा सकते हैं कि 'क' ने यह कहा, 'ख' ने यह कहा, सदस्य अलग था इत्यादि इत्यादि। प्रश्न यह नहीं है। संविधान निर्माताओं का अभिप्राय यह था कि किसी भी हालत में राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर श्री इंद्रजीत गुप्त को यह संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाए तो यह अगर देश की प्रजातांत्रिक कार्य प्रणाली और प्रजातांत्रिक परंपरा के साथ अत्याचार नहीं है तो यह भारत के संविधान के साथ स्पष्ट धोखाधड़ी तो है ही। होगा यह कि एक दिन भारत के राष्ट्रपति के नाम से आप यह कहेंगे 'हम पहले के संकल्प को आगे बढ़ाते हैं।' वास्तव में यह उसी उद्घोषणा को जारी रखना है। इसलिए, अगर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाती है तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 का पूरी तरह उल्लंघन होगा।

इसके अलावा, महोदय, इस उद्घोषणा को उच्च न्यायालय के फैसले ने पहले ही निरस्त कर दिया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि श्री सोमनाथ चटर्जी किस तरह विलय के सिद्धांत की बात कर रहे थे। विलय के सिद्धांत का प्रश्न तभी उठता है। जब सर्वोच्च न्यायालय अपना अंतिम फैसला घोषित कर देता है। फिर, उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यालालय के फैसले में विलय हो जाएगा। मैं भी एक छोटा वकील हूँ। केवल इसीलिए कि यह निर्णय अपील न्यायालय के समक्ष लंबित है और अपील न्यायालय ने अंतरिम और स्वैच्छिक स्थगन प्रदान कर दिया है, इस स्थिति में आप यह नहीं कह सकते है कि फैसला अतंरिम आदेश के साथ विलय हो जाता है।

श्री सोम नाथ चटर्जी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है

श्री सत्यपाल जैन : आपने विलय की बात की थी। विलय का प्रश्न तभी उठता है जब अंतिम फैसला घोषित किया जाता है। आज, जैसा कि श्री इंद्रजीत गुप्त जिस उद्घोषणा को और बढ़ाना चाहते है उसका कानून की नज़र में कोई अस्तित्व नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि यह शक्तियों का आभासी उपयोग है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को निरस्त नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल यह कहा है –

''लंबित अपील आपको सरकार बनाने की संभावनाओं का पता लगाने से नहीं रोकेगी।''

मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को उनके वक्तव्य का स्मरण करवाना चाहता हूँ। 18 दिसबंर, 1996 को इस सदन में इसी प्रकार के संकल्प के बारे बोलते हुए उन्होनें कहा था :

''मैं सभी धर्मनिर्पेक्ष ताकतों से अपील करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएं।''

उत्तर प्रदेश में चार महीनों में धर्मनिर्पेक्ष ताकतों को सरकार बनाने से किसने रोक रखा है ? आज भी आप सरकार बना सकते हैं। आप दोनों दुनिया की अच्छाइयां नहीं पा सकते है। हम वहां सरकार बनाने का मौका दिए जाने की मांग कर रहे हैं, और आप हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप दावा करते हैं कि आप सभी धर्म निर्पेक्ष ताकतें हैं परंतु आप संयुक्त होने में समर्थ नहीं हैं। इस संदर्भ में, आपको भारत के संविधान के प्रावधानों, विशेषकर अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 163, का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं मिल सकती।

महोदय, इस सदन ने कुछ नियम बनाए हैं। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियमों के निमय 352 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

''बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य, विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।''

अब वे संकल्प को लाना चाहते हैं; वे इस संकल्प पर चर्चा करना चाहते हैं। परंतु नियम 352 कहता है कि हम इसका संदर्भ तक नहीं दे सकते। फिर सदन में किस प्रकार की चर्चा होगी यह मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है।

इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर इस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाती है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 163 और 164 का उल्लंघन होगा।

अब राज्यपाल के सामने दो विकल्प हैं। एक यह है कि वे सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकतें है। यह मत लगभग सभी विधिवेताओं द्वारा व्यक्त किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 175 के अंतर्गत अगर कोई संदेह होता है तो वह सभा का सत्र बुला सकते हैं और सभा को एक नेता चुनने का संदेश भेज सकते हैं। अगर नेता चुन लिया जाता है तो उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है अगर नेता नहीं चुना जाता है तो वह अन्य तरीकों का सहारा ले सकते हैं। परंतु वह ऐसा भी नहीं कर रहे हैं।

अंत में मैं केवल श्री सोमनाथ चटर्जी की बात का उत्तर देना चाहता हूँ और इस मुद्दे पर अपनी बात समाप्त करूँगा। वे कहते हैं कि इस उद्देश्य को पाने के लिए किसी प्रकार की सांठ गांठ अवश्य होगी। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है; सांठ–गांठ बिल्कुल स्पष्ट है और अभिप्राय भी बिल्कुल स्पष्ट है। उद्देश्य यह है कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है। और इस उद्देश्य को पाने के लिए वे राज्यपाल का भी प्रयोग कर रहे हैं; वे संविधान के प्रावधानों का भी उल्लंघन कर रहे हैं और वे सभी अलोकतांत्रिक, अवैध और असंवैधानिक तरीके अपना रहे हैं।

इसलिए, मैं संकल्प को लाए जाने का विरोध करता हूँ।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर–पश्चिम बंगाल) : महोदय, मेरे मन में सर्वोच्च न्यायालय और पूरी न्याय प्रणाली के लिए उच्च सम्मान है। मेरे मन में संसद की सर्वोच्चता के लिए भी बहुत सम्मान है। क्योंकि में प्रजातंत्र में विश्वास रखता हूँ। मैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने में विश्वास नहीं रखता। परंतु हालात मुझे यह कहने पर मजबूर करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना या राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने के लिए संकल्प प्रस्तुत करना बहुत ही तर्क संगत है, और मैं अपने वक्तव्य के समर्थन में दो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं, यहां डी.डी. बसु, भारतीय संविधान के प्रसिद्ध टीकाकार, द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने – भारत के संघात्मक ढांचे में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के सही तरीके क्या हैं – के बारे में जो कहा है मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। यह एक वाक्य में कहा गया है और दूसरे वाक्य में उन्होनें भारतीय संविधान के संघात्मक ढांचे के अंतर्गत किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के गलत उपयोग के बारे में कहा है।

अब मैं डॉ0 डी.डी. बसु को उद्धृत करता हूँ। वे कहते हैं :

''संविधान के केन्द्र द्वारा राज्य सरकार पर विवेक शून्य और राजनैतिक उद्देश्य से प्रवृत्त हमले से बचाने का एकमात्र तरीका यह होगा कि इस विशेष अधिकार के प्रयोग के सही या गलत कारण बताने होंगे।''

इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका प्रयोग हो सकता है जो कि एक सही उपयोग है। वे कहते है :

''जहां आम चुनाव के बाद कोई दल विधान सभा में कार्यकारी बहुमत पाने में असमर्थ होता है।''

इस मामले में ही किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है।

महोदय, आप न्यायालय के निर्णय का पहले ही हवाला दे चुके हैं। मैं 1965 के केरल के एक मामले का हवाला देना चाहूंगा। वह मामला था : के.के. अबू, याचिकादाता बनाम भारत सरकार व अन्य प्रतिवादी। मैं उस मामले को उद्धृत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप विषय से अलग हट रहे हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : कृपया मुझे एक मिनट का समय और दें। उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं उस मामले को उद्धृत करना चाहता हूँ जिसमें केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तथा राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान एक पृथक विधान सभा के लिए आम चुनाव किए गए थे। उसका क्या परिणाम निकला। परिणाम यह निकला है कोई भी दल सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। इस अवस्था में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। आपकी अनुमति से मैं उस निर्णय को पढ़ना चाहूंगा।

> ''केरल राज्य में मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप संवैधानिक सरकार भंग हो गई। राष्ट्रपति ने दिनांक 10 सितम्बर, 1964 की उद्घोषणा द्वारा विधान सभा भंग कर दी तथा राज्य की कार्यकारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं। संसद ने 30 सितम्बर. 1964 को पारित एक संकल्प द्वारा इस संदर्भ में अपनी सहमति व्यक्त कर दी। तत्पश्चात् राज्य में एक नई विधान सभा के गठन के लिए फरवरी/मार्च, 1965 में आम चुनाव किए गए।''

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : आगे यह भी बताया गया है :

> ''लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अन्तर्गत विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों के नाम केरल के राजपत्र में अधिसूचित किए गए।''.....*(व्यवधान)*

मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहूंगा। महोदय कृपया मुझे अनुमति दें। क्या स्थिति थी। मुझे न्यायालय के निर्णय में से उद्धृत करने की अनुमति दी जाए :

> ''कोई भी दल विधानमंडल में बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। चुने हुए प्रतिनिधियों की दलगत स्थिति इस प्रकार थी:
>
> | | |
> |---|---|
> | भारतीय कम्यूनिस्ट दल (मार्क्सवादी अथवा वामपंथी) | – 40 |
> | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | – 36 |
> | केरल कांग्रेस | – 23 |
> | संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी | – 13 |

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इन सब में पड़ने से क्या फायदा। हमारा प्रश्न बहुत सीमित है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : इन परिस्थितियों में भारत के उपराष्ट्रपति ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जिसे सही माना गया। मैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने के लिए संकल्प प्रस्तुत करते समय यह दस्तावेज आपके विचारार्थ रखता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े में अपनी बात रखूंगा।

मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ, मुझे दया भी आ रही है। दो शेर जिंदगी भर इस राजनीति के जंगल में इस आर्टीकल 356 के खिलाफ दहाड़ते रहे। जंगल में दहाड़ने वाले शेर सर्कस के पिंजरे में कैसे दीन हीन हो जाते हैं। एक शेर जिंदगी भर आर्टीकल 356 का विरोध करता रहा, वे आज दैवयोग से भारत के गृहमंत्री हैं। दूसरा शेर बाहर से उस शेर को हथेली लगा रहा है, समर्थन दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण है, जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। इस प्रकरण में मध्यप्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मैं मुख्यमंत्री था। उस सरकार को तोड़ा गया। हम हाई कोर्ट में गये, हाई कोर्ट ने इसी प्रकार उसको असंवैधानिक ठहराया और असेम्बली रिवाइव करने का फैसला दिया। सरकार अपील में गई, अपील पैंडिग थी। राष्ट्रपति शासन का एक वर्ष पूरा हो गया। अगर बढ़ाना हो तो संवैधानिक संशोधन आवश्यक था। सरकार संवैधानिक संशोधन करने की स्थिति में नहीं थी। कर नहीं सकती थी और इसलिए चुनाव करने की मजबूरी थी। दोनों पक्ष, यूनियन ऑफ इंडिया, अपीलेंट और हम, सुन्दर लाल पटवा, रैस्पोंडेट, सुप्रीम कोर्ट के सामने गये और सुप्रीम कोर्ट में दोनों की सहमति से यह मामला तय हुआ कि चुनाव होने दिया जाये, हमें कोई आपत्ति नहीं।

[अनुवाद]

यह चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कराए गए थे।

[हिन्दी]

यहां मैं देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं, एटार्नी जनरल को बुलाने की आवश्यकता नहीं और हम शॉर्ट कट से संविधान को तोड़-मरोड़कर केवल भाजपा को सरकार में नहीं आने दें, उस उद्देश्य से अपने विद्वान मित्रों से, सीनियर मित्रों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ।.....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपकी तो मैजौरिटी नहीं है, आपकी सरकार कैसे बनेगी?.....*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा : आपको अपनी बात कहने का समय है। यह रनिंग कमेंटरी करने के बजाय आप मेरे जैसे छोटे से आदमी, नये आदमी की बात मेहरबानी करके सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : छोटा आदमी नही हैं, नए सदस्य हैं।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं नया सदस्य हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हम लोग छोटा नहीं मानते।

श्री सुंदर लाल पटवा : यह सरकार बाई एक्सीडेंट हैं, मैं भी बाई एक्सीडेंट हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार के गृह मंत्री सम्मानित गुप्ता जी और वरिष्ठ सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी से निवेदन करता हूँ कि हम रहें या न रहें, सरकार कोई आएगी-जाएगी, यह संविधान रहने वाला है। आप इस सदन में बैठकर संविधान के बारे में कैसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप कुर्सी पर हैं। जसवंत सिंह जी द्वारा जैसा कहा गया या सुप्रीम कोर्ट में जाएं या एटार्नी जनरल को बुलाकर बहस कराएं, इसके अलावा कोई चारा नहीं हैं। इससे बचने की कोशिश करते हैं तो आप केवल शुद्र स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं।

श्री राम सागर (बाराबंकी) : *अध्यक्ष महोदय, अभी यहां* राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में दो तर्क दिए गए हैं। एक पक्ष की तरफ से कहा गया है कि सरकार का असंवैधानिक कार्य है और अदालतों का सम्मान नहीं कर रही, दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया कि संविधान का आदर कर रहे हैं, अदालत का भी कर रहे हैं। माननीय लोढा जी की तरफ से तमाम तर्क दिए गए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उस समय वहां के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया था.....*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : यह गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : बात तो सुनिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह कोई सुनने वाली बात है ? फिर हम भी कहना चाहेंगे कि एक मुख्यमंत्री के समय लूटने की घटनाओं में बहुत वृध्दि हुई ....*(व्यवधान)*

श्री राम सागर : आप संविधान की दुहाई देने वाले और अदालतों का सम्मान करने वाले हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में यह शपथ पत्र क्यों दिया था.....*(व्यवधान)* शपथ पत्र में दो बातें कही गई थीं .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहूंगा.....*(व्यवधान)* यदि कोई सदस्य विषयवुस्त से हटकर अन्य मुद्दे पर बोलता है तो उसे इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे भूल जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों को कड़ाई से लागू न करें।

[हिन्दी]

श्री राम सागर : मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह संवैधानिक भी है और हम लोग अदालतों का सम्मान भी करते हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अग्निहोत्री, आप बेकार में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहना था, कह दिया, अब बैठ जाएं।

श्री राम नाईक : प्रस्ताव में इंट्रोड्यूस करने के संबंध में संवैधानिक बातें हैं, वे अब सदन के सामने आई हैं। मैं ज्यूरिसप्रूडेंस जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो सदन की परम्पराएं हैं, मैं कुछ मात्रा में वह जानता हूँ। इस सदन के नियम और परम्पराएं हैं। उनके अनुसार जो भी स्टेचुटरी रिजोलुशन बनाया जाता है वह पहले सदस्यों की जानकारी के लिए बुलेटिन में आता है। बुलेटिन में आने के बाद जब इस प्रकार का रिजोलुशन लिस्ट ऑफ बिजनेस में आता है तो उसके बारे में कुछ न कुछ चर्चा की जा सकती है। यह तो स्टेचुटरी रिजोलुशन है, उसकी जानकारी बुलेटिन में जो हमें आज मिला है, उसमें नहीं आई है। यदि इस प्रकार बुलेटिन में आता है तो बाकी की बातें हम आग्रह से कर सकते हैं। इसलिए वह केवल प्रायर नोटिस से आना चाहिए, वह नहीं आया है। इस बात को लेकर कम से कम आज इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए इस पर आपको चर्चा करने की परमीशन नहीं देनी चाहिए।

[अनुवाद]

क्यों ? क्या आप परम्पराओं का निर्वाह नहीं करेंगे ? ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महाराष्ट्र का क्या हुआ .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय उन्हें यह मुद्दा शुरू में उठाना चाहिए था।.....*(व्यवधान)* महोदय, यह श्री सुन्दरलाल पटवा

द्वारा संविधान को यथावत बनाए रखने में हस्तक्षेप करने से संबंधित है।

महोदय, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वह कलकत्ता गए और वहां एक बैठक में उन्होंने कहा कि यदि बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए ठेकेदार बुलाए जाते तो वह इस कार्य को तीन महीने में करते पर हमारे कार सेवकों ने उसे पांच घंटे में कर दिया। इसका श्रेय वह चाहते हैं। यह उनकी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है और वह हमें संविधान पर भाषण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा : अध्यक्ष जी, मेरा नाम लिया गया है। मैं सोमनाथ चटर्जी जी का बड़ा आदर करता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भी आपका बहुत आदर करते हैं। आप बी.जे.पी. में जाकर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री सुंदर लाल पटवा : आप कह रहे हैं कि मैं बी.जे.पी. में भी गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आप इस सरकार का समर्थन करके गड़बड़ कर रहे हैं। यह जंगल का शेर सर्कस के पिंजरे में फंस गया। इसलिए दीनहीन होकर पूंछ हिला रहा है। कलकत्ता में हम जो बोले।.....*(व्यवधान)* आप सुनिए।..... .....*(व्यवधान)* क्या सुनने की आदत नहीं है ?.....*(व्यवधान)* पप्पू जी को तो मैं सात जन्म लेकर भी नहीं समझा सकता हूँ।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : नहीं समझा पाएंगे। शेर को पिंजरे में रहने की बात करते हैं। बाल ठाकरे जी के संबंध में संविधान के बारे में बात करें। यदि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके देखें। इस पर कोई बहस नहीं हो रही है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। हम क्या कहना चाहते हैं। श्री पप्पू यादव कृपया चुप रहिए। आप इस प्रकार नाम क्यों ले रहे हैं। यह उचित नहीं है।.....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय इस मुद्दे को कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अवश्य इसे देखूंगा।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं बच्चों की बात का बुरा नहीं मानता हूँ। मैं सोमनाथ जी को निमंत्रण देता हूँ कि आप उस सारे भाषण पर, उस सारे विषय पर बहस के लिए एक प्रस्ताव लाएं। हम उसका स्वागत करेंगें। पूरी बहस हो जाए और उस बहस में से जो सार निकले तथा यदि आपकी गलती हो तो आप खेद प्रकट करें और क्षमा मांगे। यदि हमारी गलती होगी तो हम खेद प्रकट करेंगे और क्षमा मागेंगे। आप विषय पर पूरी बहस के लिए प्रस्ताव लाइए, मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं आपको चुनौती देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह बात अलग है।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा : वह सैपरेट इश्यू है। मुझे कोई संकोच नहीं है। आप प्रस्ताव लाएं। घबराहट किस बात की है ?..... ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से बहुत हो चुका। अब इसे समाप्त कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा : मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं आज भी जो बोला हूँ, उस पर मुझे कोई संकोच नहीं हैं। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं, नहीं जानता। मुझे कुछ समय गृह मंत्री को भी देना है। इसे आज 6 बजे तक समाप्त करना है।

.....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय उन्होंने हस्तक्षेप किया था ...(व्यवधान)

श्री सुंदर लाल पटवा : आप बहस के लिए लाइए न .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बस काफी हो गया। काफी हो गया।

.....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैंने जो बात कही, उसके बारे में सोमनाथ जी ने इतना ही कहा कि मुझे पहले बात कहनी चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति जिनको कानूनी मामलों की कम समझ है, उनकी बात अंत में आपने समझ ली। मेरा कहना यह है छः बजने में दस मिनट रहते हैं। हमेशा की तरह इस सांविधिक संकल्प के बारे में जो नोटिस पहले मिलना चाहिए, वह हमको नहीं मिला। आज के बुलेटिन में भी नहीं आया है। इसलिए आज इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए तथा इसके जो मैरिट्स हैं, उस पर कल चर्चा हो सकती है, इतना ही मैं कहूंगा। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह, हम इसे कैसे समाप्त कर सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुक्तुपुजा) : महोदय, संविधान की रक्षा करना इस सभा का कर्त्तव्य है। हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि हम देखें कि संघ सरकार तथा राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों में कोई संवैधानिक संकट न उत्पन्न हो। जहां तक उद्घोषणा का संबंध है उद्घोषणा की गई थी तथा बाद में न्यायालय का आदेश निकला था कि कुछेक तथ्यों के आधार पर यह उद्घोषणा कानूनी तौर पर सही नहीं थी अथवा कुछ शंकाएं थी। अब यह मुद्दा न्यायालय में लंबित है। परन्तु जहां तक अन्तरिम स्थगन आदेश का संबंध है। हम यह जानते हैं कि एक आदेश या जिसमें राज्यपाल को उस पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी जो कि भारत सरकार व भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करेगा।

इस समय मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय संसद के संसद सदस्य होने के नाते यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न न हो। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस संकट से उबरने के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। केवल यही बताया गया है कि क्या अमुक को आमंत्रित किया जाए अथवा नहीं। इस समस्या को हल करने का यह तरीका नहीं है। संभव है कि इस समय यह पता चले कि यह संवैधानिक नहीं है। दो या पांच दिन पहले क्या स्थिति थी ? हमें यह सोचना चाहिए अभी भी यह स्थिति बनी हुई है। और इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता नहीं है कि इस समस्या को हल किया जा सकता है। मैं नियम 352 के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : उसका कोई महत्व मुझे इस संदर्भ में नजर नहीं आता।

श्री पी.सी. थामस : नियम 352 के संबंध में क्या कहा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई इसे समझता है।

श्री पी.सी. थामस : इसमें कहा गया है कि कोई भी सदस्य अपने वक्तव्य के बीच उस मामले अथवा तथ्य का जिक्र नहीं करेगा जिसके बारे में न्यायालय में निर्णय लम्बित है। आप ऐसा मामला नहीं उठा सकते। परन्तु आप यह बता सकते हैं कि इस पर न्यायालय में निर्णय लम्बित हैं। हम इसका जिक्र कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो इस संकल्प अथवा आपके द्वारा उठाई गई आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। मेरे विचार से इस पर इस संदर्भ में ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास केवल छः मिनट शेष हैं विधि मंत्री को अपना मत व्यक्त करने दें तत्पश्चात में विनिर्णय दूंगा।

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : मैंने इस चर्चा को बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। अब मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य जस्टिस लोढा की बात सुन कर मुझे बहुत हैरानी हुई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश - जिसे आप अंतरिम आदेश भी कह सकते हैं - उस उद्घोषणा को पुनः बरकरार करने में असमर्थ है जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। इसके लिए कानूनी योग्यता की आवश्यकता नहीं परन्तु वह तो मामूली समझदारी की बात है यदि किसी न्यायालय का कोई निर्णय रद्द कर दिया जाता है अथवा किसी प्रकार की अन्य विशेष स्थिति घोषित कर दी जाती है। और यदि उच्चतम न्यायालय लम्बित अपील कर अन्तरिम आदेश पारित कर देता है तो वह अन्तरिम आदेश मूल स्थिति को बरकरार कर देता है।

मैं इसे 'संजीवनी' प्रदान करना कहूंगा जिसमें कि कोई व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है परन्तु कोई बड़ी शक्ति यह कहती है कि "जब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक तुम मृत नहीं हो सकते, मैं तुम्हें जीवन वापस देता हूँ।" अतएव जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि यह उद्घोषणा रद्द की जाती है। कि राष्ट्रपति उसमें बताए कारणों से - उद्घोषणा जारी करके राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश, जिसमें उक्त आदेश को स्थगित कर दिया गया था, से वह उद्घोषणा पुनः लागू हो जाती है तथा राष्ट्रपति शासन पुनः लागू हो जाता है।..... .....*(व्यवधान)* इस उद्देश्य से मैं पहले उच्च न्यायालय का आदेश पढ़ूंगा। उच्च न्यायालय ने अपने 19 दिसम्बर, 1996 के आदेश में कहा :

> "अलग से रिकार्ड किए गए कारणों से यह न्यायालय एकमत से यह निर्णय लेता है कि दिनांक 17.10.96 की रद्द की जा चुकी है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तथा बाद में जिसे संसद द्वारा भी अनुमोदित किया जा चुका है, पूरी तरह असंवैधानिक है, जिसे केवल शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए जारी किया गया था। यह पूर्णतया अनुचित असंगत तथा अप्रासंगिक आधारों पर जारी की गई है अतएव इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। परिणामस्वरूप इसे एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।"

आगे इसी न्यायालय ने कहा है :

"तथापि किसी संवैधानिक गतिरोध से बचने के लिए....."

यह शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

"तथापि उपर्युक्त उद्घोषणा के रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप किसी संवैधानिक गतिरोध अथवा संकट से बचने के लिए भावी प्रत्यादेश के सिद्धान्त को लागू करते हुए हम यह निर्देश देते हैं कि यह निर्णय 26.12.96 से लागू माना जाएगा।"

अतएव, यह माना गया कि यद्यपि उद्घोषणा बुरी थी, इसी न्यायालय ने यह कहा कि भावी प्रत्यादेश के सिद्धान्त को लागू करते हुए 26.12.96 तक उनका निर्णय लागू नहीं होगा।

तब हमने उच्चतम न्यायलय के समक्ष अपील की तथा उन्होंने अपने दिनांक 20.12.96 के अपने आदेश में कहा :

"याचिकादाता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति है। इसके लिए विशेष अनुमति दी जाती है। दो सप्ताह के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल कर दिए जाएं। कांउसलर को यह निर्देश दिए गए है कि वह संक्षिप्त लिखित निवेदन दाखिल करें ताकि मामले का शीघ्र निपटान किया जा सके। अपील किए जाने तक रद्द किए गए आदेश को लागू किए जाने पर दिनांक 19.12.96 को एक स्थगन आदेश जारी किया गया है।"

अध्यक्ष महोदय, मैं जस्टिस लोढा से यह जानना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय के इस वाक्य का क्या अर्थ है कि - "अपील किए जाने तक रद्द किए गए आदेश को लागू किए जाने पर दिनांक 19.12.1996 को एक स्थगन आदेश जारी किया गया।" यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश से पहले जारी किया गया था क्योंकि यह 26.12.96 से लागू किया जाना था।

आगे यह भी बताया गया :

"हमारे विद्वान मध्यान्यायवादी ने यह आश्वासन दिया कि अपील किए जाने तक, विधान सभा भंग नहीं की जाएगी। इससे लोकप्रिय सरकार के निर्माण में बाधा नहीं पड़ेगी। यदि ऐसा संभव है तो इससे राज्यपाल को लोकप्रिय सरकार बनाए जाने की संभावनाएं ढूंढने में भी बाधा नहीं पड़ेगी।"

यद्यपि यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था परन्तु उन्होने कहा कि यह एक भावी तिथि से लागू होगा। उसे निर्णय के लागू होने से पूर्व ही उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिए। तो अब क्या बचा ? वस्तुतः अब ऐसा कोई निर्णय नहीं रहा जिसमें यह कहा गया हो कि यह उद्घोषणा बुरी है। यह स्थिति है।

अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन सब बातों में क्यों पड़े ? अध्यक्ष महोदय, ये पूर्णतया आप पर निर्भर करता है। मेरे पास निर्णय की कोई प्रति नहीं है। केवल एक अंश पढ़ा गया था जिसमें कहा गया था। कि सीधे स्थगन आदेश जारी किया गया था। मुझे याद नहीं पड़ता।

अपराह्न 6.00 बजे

सभा में कुछ नहीं कहा गया था, केवल अनुमान ही लगाया गया था। इस सीमित स्थगन आदेश का क्या अर्थ है ? उच्चतम न्यायालय के इस सीमित आदेश का क्या प्रभाव पड़ा ? अब ऐसा लगता है कि पूरा स्थगन आदेश जारी किया गया था।

श्री रमाकांत डी. खलप : यह कानूनी स्थिति है...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जस्टिस लोढा ने यह कहकर अपना भाषण शुरू किया था कि इसे समझने के लिए कोई खास कानूनी योग्यता नहीं चाहिए वरन मामूली समझदारी ही काफी हैं इससे यह भी सिद्ध होता है कि असामान्य समझ होने के बावजूद भी वह इसे समझ नहीं पाए। यह समस्या है।

श्री जी. एम बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय सेवानिवृत्त जज को अन्याय नहीं करना चाहिए।

श्री रमाकान्त डी. खलप : अतएव एक उद्घोषणा की गई है। इस संकल्प के द्वारा हम इसे उद्घोषणा की अवधि छः महीने और बढ़ाना चाहते हैं। यह कानूनी स्थिति है।

मैं केवल एक और मुद्दे का जिक्र करना चाहूंगा। प्रश्न यह था कि सबसे अधिक सदस्यों की संख्या वाले दल को बुलाया जाना चाहिए। यदि यही तर्क दिया जाता है तो इसी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि 10 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित हो जाने के बाद राज्यपाल ने सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करके उचित निर्णय लिया। मैं यही कहना चाहता हूँ।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चिन्ता न करें मैं इस पर कोई लम्बा विनिर्णय नहीं दे रहा हूँ। मैंने माननीय सदस्यों की बात भी सुनी विशेषकर जस्टिस लोढा की, जिन्होंने सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करने पर आपत्ति उठाई है। मेरे विचार से स्थिति यह है कि 17.10.1996 को दो उद्घोषणाएं जारी की गई थी। एक उद्घोषणा द्वारा 18.10.1995 की राष्ट्रपति की उद्घोषणा को रद्द किया गया था। मैं चुनाव के परिणामों और चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा के गठन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहिए। दिनांक 18.10.1995 की राष्ट्रपति की पिछली उद्घोषणा को रद्द करके संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक नई उद्घोषणा की गई

थी। अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की इस उद्घोषणा को चुनौती दी गई थी जिसका विधि मंत्री ने स्पष्टतया जिक्र किया है। वस्तुतः उन्होंने राष्ट्रपति शासन दोबारा लगाए जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। यह मामला उच्चतम न्यायालय के पास गया। विधि मंत्री आज हमें यह बता रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्थगन आदेश जारी किए थे। यद्यपि जस्टिल लोढा ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। परन्तु उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि उच्चतम न्यायालय ने दो शर्तें लगाई थीं। एक शर्त यह थी कि विधान सभा भंग नहीं की जाएगी तथा राष्ट्रपति शासन जारी रहने का यह अर्थ नहीं है कि लोकप्रिय सरकार के गठन की संभावनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। आप अवसर से वंचित रहने का अर्थ तो जानते ही हैं इसका आशय यह हुआ कि राष्ट्रपति शासन जारी रखा जाएगा। अतएव उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू रहने पर अस्थायी रूप से स्थगन आदेश जारी किया था तथा जिस पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है कि क्या इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जिसकी अवधि 16 अप्रैल को समाप्त हो रही है, लागू रहेगा ? उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है। इसमें कोई संदेह नहीं। इस समय राष्ट्रपति शासन जारी है तथा यदि इसकी अवधि बढ़ायी जानी है तो राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की वैधता का प्रश्न अभी तक उच्चतम न्यायालय के पास लंबित है।

मैं समझता हूँ सरकार संकल्प द्वारा राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना चाहती है, वह बिल्कुल सही है। इसलिए, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मंत्री जी अब संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 17 अक्टूबर, 1996 को जारी की गई उद्घोषणा का प्रवर्त्तन 17 अप्रैल, 1997 से और छः माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

अपराह्न 6.06 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा कल 14 मार्च, 1997 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 14 मार्च, 1997/23 फाल्गुन, 1918 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०—48/10/15/97 (एन०)
220

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3 वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008. द्वारा मुद्रित।